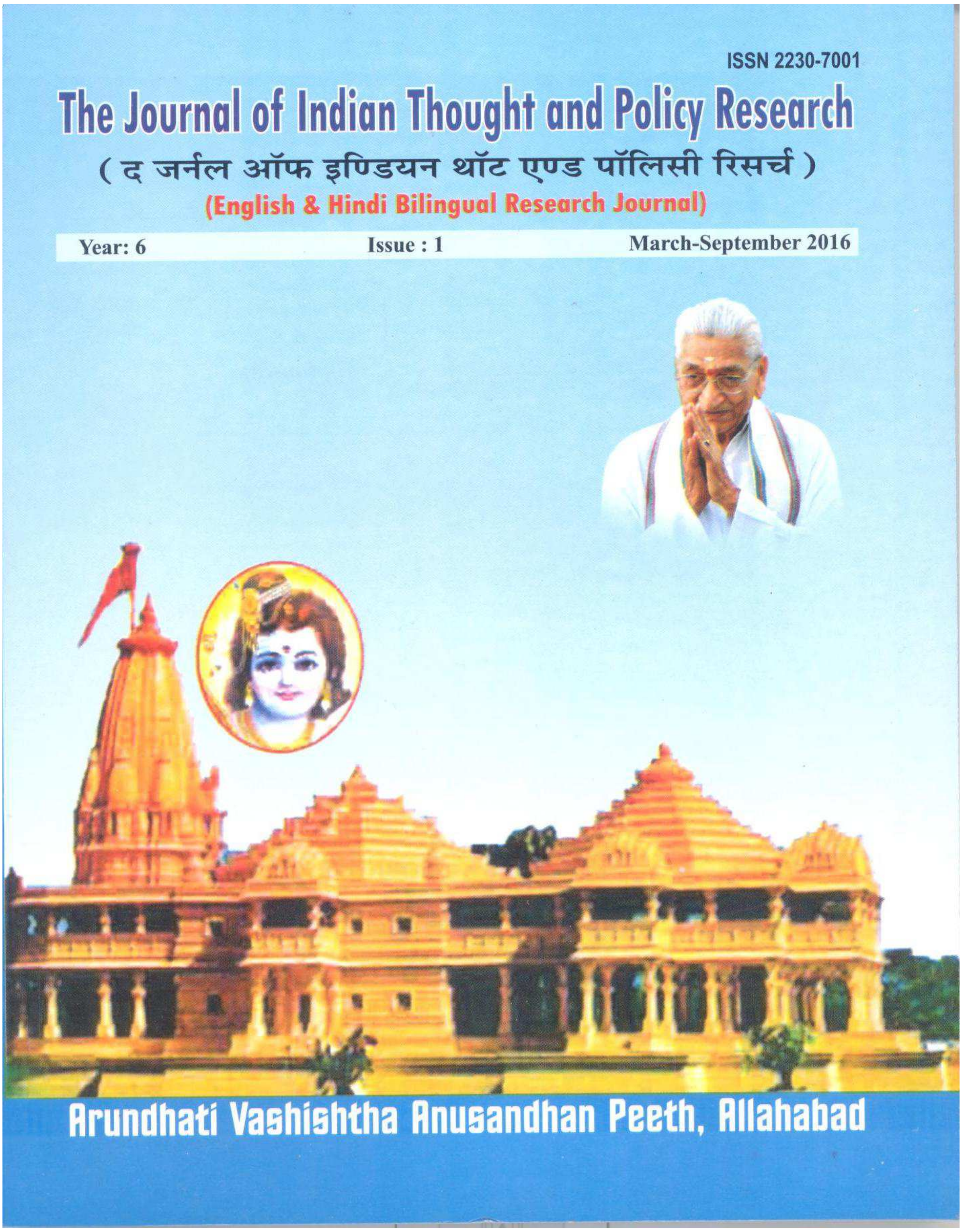
ISSN 2230-7001
The Journal of Indian Thought and Policy Research
(द जर्नल ऑफ इण्डियन थॉट एण्ड पॉलिसी रिसर्च)
(English & Hindi Bilingual Research Journal)
Year: 6
Issue : 1
March-September 2016
Arundhati Vashishtha Anusandhan Peeth, Allahabad

ISSN 2230-7001

The Journal of Indian Thought and Policy Research

द जर्नल ऑफ इण्डियन थॉट एण्ड पॉलिसी रिसर्च

(An English-Hindi Bilingual Research Journal)

Year: 6 **Issue: 1** **March-September 2016**

Founder Patron
Shri Ashok Singhal
Patron
Dr. Mahesh Mehta

Advisory Board
Dr. Murli Manohar Joshi
Dr. Subramanian Swamy
Justice Dr. Rama Jois
Dr. Mahesh Sharma

Editorial Board
Prof. Girish Chandra Tripathi
Prof. Susheel Kumar Sharma
Dr. J.P. Mishra
Shri Rajeev Mishra

Editor
Dr. Chandra Prakash Singh

Editorial Address: Arundhati Vashishtha Anusandhan Peeth 21/16 Mahaveer Bhavan, Hashimpur Road Tagore Town, Allahabad- 211002 U.P. E-mail: nationalthought@gmail.com Tel. & Fax – 0532-2466563

Cite this issue as: 6 JITPR (I) 2016

© Arundhati Vashishtha Anusandhan Peeth 2016

No part of this journal can be printed, published, photo copied, reproduced or stored in any retrievable system except with prior written permission of the proprietors of this publication.

It is clarified that the views expressed by the authors of the articles published in the journal are their own and may not reflect the views of the Members of the Editorial Board.

Printed and Published by Dr. Chandra Prakash Singh at Allahabad for the proprietors, Arundhati Vashishtha Anusandhan Peeth, 21/16 Mahaveer Bhavan, Hashimpur Road Tagore Town, Allahabad- 211002(UP).

Editorial

Of human beings, it is said that there are some who do not take an initiative for the fear of difficulties ahead; and others who do take an initiative but stop midway when confronted with hurdles; but the best men are they who never lose heart and follow the right path even when they are frequently interfered with by adversities. Such men are truly rare and are assets for the human race. They take birth once in aeons, so to say.

Shri Ashok Singhalji was one of such rare souls whose life is but a blessing for the entire mankind. He lived for humanity and died for humanity. Never caring for his personal comfort, he would incessantly endeavour to make better the lives of millions of deprived and the downtrodden. Hinduism for him wan an all encompassing phenomenon that was inclusive rather than exclusive. The clarity of vision and the selfless determination to get that vision translated as a reality into the life of one and all made Singhalji what he was.

He taught us how to transcend the barriers of ordinary human desires and ambitions and universalise one's being for the welfare of one and all. Dharma for him was maryada of one's own vis-à-vis others, and vice versa. Maryada Purushottam was his ideal; and through his fiery speeches he ignited the minds of millions who thereby came forward to dedicate for Lord Ram all that was theirs. It is solely on their strength that Singhalji raised the great structure of Vishwa Hindu Parishad (VHP), widening its frontiers much farther than what Swami Chinmayanandji might have foreseen; and cemented it with his dedication for the cause of Hinduism.

The strength of his words came from deeds which he would never publicise but keep on performing continuously for the welfare of Hindus in particular and the entire humanity in general. Establishing schools for the tribal or building temples for the erstwhile 'untouchable' persons in our society are only a few among several noble deeds of Singhalji who knew the true meaning of Dharma.

In an age where religion and politics are frequently interlinked to weave out a confusing social fabric so that one may be used for the other in an attempt to serve vested interests; Singhalji's persona stands the tallest. He would often say that Dharma is all pervasive and should not be equated to narrower concepts like religion. This is why he would always keep a safe distance from politics.

For Hindus, Singhalji was an icon the equal of which we would perhaps never find. He commanded the respect of the Hindus world over. He lived for them and dreamt for them. His biggest dream was the construction of a grand temple at the Ram Janma Bhoomi in

Ayodhya. His faith in Dharma would convince him of the victory ahead; and he was eager to see that all necessary materials-be it the stones or other things- were there in place as if he had foreseen the day of victory which we so impatiently wait for.

In order to reintroduce the discourse on the propriety of construction of Ram Mandir, Singhalji had desired to hold a seminar at the national capital, New Delhi, on January 9-10, 2016; and despite a protest by a bunch of fanatics, the Seminar on the campus of Delhi University met with a resounding success leaving its message far and wide except one thing that Singhalji was not there to see all this. However, the people devoted to the cause of Hinduism left no stone unturned to make the Seminar a success. Similarly he will not be there to see the Ram Mandir being constructed at the Shri Ram Janm Bhoomi; but millions and millions of those espousing his cause will certainly do.

The shattered hopes of Hindus may take a shape some day when a majestic temple is born out of those stones having Shri Ramlala Virajman at its garbh grih, that is, sanctum sanctorum. However, Singhalji has taught us not to lose heart and continue to do what is our Dharma in this regard; because the temple for Shri Ram ought to be built only on the strength of Dharma by means that are Dharmic and people who are truly Dharma parayana for Lord Rama Himself is the embodiment of Dharma: रामो विग्रहवान धर्मः

Singhalji was a man of many worlds: Vedic to Scientific to Modern. Thus he had a vision that embraced many planes and extended to as many horizons. In the year 2007 he provided not only inspiration but also the resources for establishing Arundhati Vashishtha Anusandhan Peeth, a Centre for policy research in the light of Integral Humanism propounded by Pt. Deendayal Upadhyay, at his parental house Mahavir Bhawan, Allahabad. About the same time he also exhorted us to launch a national Journal on Indian Thought and Policy Research which came out in the year 2010 as The Journal of Indian Thought and Policy Research which is running in its sixth year now.

This issue of the Journal is dedicated to Singhalji and as such it shall include some of several thought provoking papers presented at the seminar mentioned above. His words and vision will continue to guide us in our endeavour to serve the cause of humanity which was so dear to him. In order to constantly remind ourselves of the vision of India cherished by Singhalji and to work to that end, the forthcoming issues of the Journal shall carry on a prominent place a photo of Singhalji accompanied by a piece of his inspiring thoughts.

(Dr J P Mishra)

समर्पण

इतिहास के पन्नों पर हिंदुत्व के पुनर्जागरण के ऐतिहासिक काल–खंड बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के संधिकाल के चार दशकों में जब कुछ नायकों के नाम उभर कर सामने आएंगे तब उसमें एक प्रमुख नाम श्रद्धेय अशोक सिंहल जी का होगा। अशोक जी का परिवार मूलरूप से अलीगढ़ के बिजौली गाँव का रहनेवाला था। अशोक जी के पिता श्री महावीर सिंह सिंहल तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर थे तथा माता श्रीमती विद्यावती जी एक धार्मिक विदुषी गृहिणी थीं। अशोक जी का जन्म 27 सितम्बर 1926 को आगरा में हुआ था। वे अपने सात भाइयों में मध्य क्रम में थे, उनसे छोटी एक बहन भी थीं। उनके जन्म के पश्चात उनके पिता जी का स्थानांतरण प्रयाग (इलाहाबाद) हो गया और यहाँ पर उन्होंने स्थायी आवास भी बना लिया; अतः अशोक जी की बाल्यावस्था इलाहाबाद में ही व्यतीत हुई, इसी का परिणाम था कि प्रयाग में आयोजित होने वाले कुम्भ, अर्द्ध कुम्भ एवं माघ मेला में उपस्थित होनेवाले साधू–संतों का उनके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यहाँ रहते हुए ही प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) के माध्यम से उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के साथ आया। माध्यमिक तक की शिक्षा सी. ए.वी. इण्टर कॉलेज इलाहाबाद से प्राप्त करने के पश्चात अशोक जी ने अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जहाँ से उन्होंने 1950 में धातु–कर्म अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया और उसके पश्चात् 1950 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हो गये। अशोक जी का संघ के साथ ही महामना मदन मोहन मालवीय और उनके द्वारा स्थापित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ बहुत ही भावानात्मक सम्बन्ध था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ उनका यह लगाव जीवन के अंत तक बना रहा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप–कुलपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं विश्वविद्यालय में उस समय धर्म और संस्कृति पर व्याख्यान देने आनेवाले विद्वानों की चर्चा कर वे भाव–विभोर हो जाया करते थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष में एक व्याख्यान देते हुए मा. अशोक जी ने कहा था कि ''मैं यहाँ नौकरी के लिए शिक्षा ग्रहण करने नहीं आया था, अपितु वह संस्कार और शिक्षा ग्रहण करने आया जिसके माध्यम से महामना भारतीय संस्कृति को सम्पूर्ण विश्व में गौरव प्रदान कराना चाहते थे।'' यहीं उनका संपर्क शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य विद्वान पं. ओंकारनाथ ठाकुर से हुआ, जिनसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। एक बार उन्होंने चर्चा में कहा था कि एक वर्ष पूर्व यदि ओंकारनाथ ठाकुर से भेट हो गयी होती तो जीवन की दिशा ही कुछ और होती।

अशोक जी का जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सहारनपुर से प्रारम्भ होकर कानपुर और दिल्ली में व्यतीत हुआ, जिसमें 18 वर्षों का सबसे लम्बा कालखण्ड विभाग प्रचारक और संभाग प्रचारक के रूप में कानपुर में व्यतीत हुआ, यहीं उनकी भेंट उनके पूज्य गुरूदेव पं. रामचंद्र तिवारी जी से हुई, जिनके माध्यम से अशोक जी के जीवन में संघ के समाज संगठन एवं राष्ट्र जागरण के प्रत्यक्ष कार्य के साथ अध्यात्म की एक आतंरिक धारा भी प्रवाहित हो चली, जिसका समन्वय उनके जीवन के अंतिम श्वास तक बना रहा। अशोक जी के जीवन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरु जी एवं उनके गुरूदेव श्री रामचंद्र तिवारी जी का गहरा प्रभाव था। इसके अतिरिक्त एक और महापुरूष महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी उनके जीवन पर स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अशोक जी के सम्पूर्ण कर्तृत्व, व्यक्तित्व एवं चिंतन का विश्लेषण किया जाये तो इन्हीं तीनों महापुरूषों के विचारों एवं कार्यों से अनुप्राणित दिखाई देता है।

परम पूज्य श्रीगुरु जी से उन्हें साधू–संतों को एकजुट कर उनके नेतृत्व में हिंदुत्व के पुनर्जागरण तथा हिन्दु समाज के संगठन का सूत्र प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। अपने संस्मरण में वे सुनाया करते थे कि एक बार वे अपने कानपुर के कार्यकाल में इटावा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक संत से मिलने गए। उन्होंने परिचय पूछा तब उन्हें लगा कि हो सकता है महात्मा संघ के बारे में न जानते हों, इसलिए उन्होंने कहा एक महात्मा हैं गोलवलकर मैं उनका अनुयायी हूँ। उन महात्मा ने तुरंत प्रश्न पूछा तुम जानते हो गोलवलकर क्या कर रहे हैं? अशोक जी ने कहा महाराज जी आप ही मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महात्मा ने जो उत्तर दिया वही अशोक जी के जीवन का केन्द्र बिंदु बन गया। महात्मा ने कहा तुमने जमीन में पड़ी हुई दो–चार इंच चौड़ी दरारें देखी होंगी, किन्तु आज हिन्दू समाज में इतनी चौड़ी दरारें पड़ गयी हैं जिनमें हांथी चला जाये। गोलवलकर उन्हीं दरारों को भरने का कार्य कर रहे हैं। तूं पुण्यात्मा हो जो उनके साथ लगे हो। अशोक जी ने इसको अपना ध्येय बनाया और विश्व हिंदू परिषद् में आने के बाद धर्म संसद तथा श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलन के माध्यम से सम्पूर्ण देश के साधू–संतों और हिन्दू समाज को संगठित व एकजुट करने का महनीय कार्य किया।

अशोक जी के गुरूदेव रामचन्द्र तिवारी जी वेदों के साधक थे। सम्पूर्ण भारत का वैदिक राष्ट्र के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा उनका स्वप्न था। उनकी इसी प्रेरणा के परिणामस्वरूप अशोक जी द्वारा काशी, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार, दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों पर ऐसे वेदविद्यालयों की स्थापना की गयी जहाँ श्रेत्रिय परंपरा से वेद की विभिन्न शाखाओं के स्वरों के संरक्षण का कार्य किया गया है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अशोक जी वेदों में अन्तर्निहित खगोल, गणित, भौतिकी, रसायन, कृषि, स्वास्थ्य आदि से सम्बंधित ज्ञान–विज्ञान पर शोध के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे।

अशोक जी का जीवन जितना आन्दोलानात्मक था उतना ही संरचनात्मक भी था, जो उनके बहुआयामी कार्यों से प्रकट होता है। गंगा–रक्षा, गो–रक्षा, अस्पृश्यता निवारण, मंदिर केन्द्रित समाज व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बंधित सेवा–कार्य की प्रेरणा संघ कार्य के साथ ही उस काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से भी उन्हें प्राप्त हुई थी, जिसके अधिष्ठाता महामना मालवीय ने स्वयं इन सभी विषयों पर चिंतन एवं कार्य किया था।

ग्रामे–ग्रामे सभा कार्या ग्रामे–ग्रामे कथा शुभा।
पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव।।

गाँव–गाँव में जन–जागरण एवं परस्पर एकता के लिए सभा, कथा–वार्ता, पाठशाला, मल्लशाला का जो स्वप्न मालवीय जी ने देखा था अशोक जी ने उसे कार्य–रूप में परिणत कर दिखाया। विश्व हिंदू परिषद् के द्वारा सुदूर वनांचल में चलाये जा रहे एकल विद्यालय, हरि कथा तथा ग्राम सत्संग मंडलियाँ इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

सनातनी, आर्यसमाजी, सिक्ख, बौद्ध और जैन आदि सभी को अपनी–अपनी परम्पराओं का पालन करते हुए परस्पर प्रेम और आदर के सूत्र में गूंथने का जो महान कार्य अशोक जी के द्वारा किया गया वह अद्वितीय है।

सनातानीयः समाजाः सिक्खाः जैनाश्च सोगताः।
स्वेस्वे कर्मण्यभिरताः भावयेयु परस्परं।।

समाज में कोई भी अछूत नहीं है, सब एक ही भारत माता के सहोदर पुत्र हैं अशोक जी ने इसे साकार कर दिखाया। अशोक जी के व्यक्तित्व का ही यह अद्भुत कौशल था कि देश की सम्मानित परम्पराओं के शीर्षस्थ संत–महात्मा काशी के डोम राजा के घर सहभोज में सम्मिलित हुए।

अशोक जी केवल हिन्दू समाज के संगठन पर ही जोर नहीं देते थे, अपितु उनका मानना था कि लोग प्रतिभाशाली, चरित्रवान और तेजस्वी भी हों तथा वाह्य संगठन के साथ ही आतंरिक एकात्मता की अनुभूति भी उनके अन्दर हो। इसके लिए सम्पूर्ण देश की नीति एवं व्यवस्था हमारी सांस्कृतिक परंपरा से चले आ रहे तत्त्व एवं सिद्धांतों को वर्तमान देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप ढालकर दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के सूत्रों के अलोक में व्यापक चिंतन, मनन और शोध के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। यह कार्य देश के प्रबुद्धजनों एवं विश्वविद्यालयों को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्वानों को प्रेरित करने का कार्य भी किया।

अशोक जी राष्ट्र, धर्म एवं समाज के हित को लेकर सैद्धांतिक रूप से जितने कठोर एवं दृढ़ निश्चयी थे व्यक्तिगत जीवन उतने ही सरल, सहज, स्नेहिल एवं मृदुभाषी थे। ''वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति।'' की उक्ति उनके जीवन पर अक्षरशः चरितार्थ होती थी। अशोक जी का जीवन हिन्दू समाज एवं भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए अंत समय तक अहर्निश सक्रीय रहा। वे श्रीगुरु जी का संस्मरण सुनाते हुए कहा करते थे कि कार्यकर्ता केवल चिता पर ही विश्राम करता है और उन्होंने अपने जीवन में इसे चरितार्थ कर दिखाया। 17 नवम्बर 2015 को शरीर छोड़ने के तीन दिन पूर्व तक एक अनथक कर्मयोगी की तरह वे माँ भारती की सेवा में सक्रीय रहे।

अशोक जी के इन समस्त कार्यों के नक्षत्र मंडल में यदि कोई कार्य सूर्य की तरह प्रकाशित होता है तो वह श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु चलाया गया आन्दोलन। श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलन और अशोक जी एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। यह भारत के इतिहास में एक ऐसा आन्दोलन था, जो हजारों वर्ष से चली आ रही हिन्दू समाज के विभाजन की व्याधि को दूर कर क्षेत्र, भाषा, जाति आदि भेदों के आधार पर विभाजित हिन्दू समाज को एकजुट और संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। श्रीराम जन्मभूमि का आन्दोलन अशोक जी की दृष्टि में एक सामान्य आन्दोलन नहीं था, अपितु यह महर्षि अरविंद द्वारा घोषित किया गया भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आन्दोलन था। श्रीराम भारत की संस्कृति के आधार पुरूष हैं। आक्रमणकारी द्वारा ध्वस्त की गयी उनकी जन्म स्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के बिना लोगों में श्रीराम के चरित्र की शिक्षा देनी अधूरी है।

श्रीराम को मानव समाज के सभी वर्गों ने सम्मान प्रदान किया है। यही कारण है कि राम मनोहर लोहिया जैसे धुर समाजवादी उन्हें राष्ट्र के मूर्तमान गौरव के रूप में देखते हैं, जबकि महान इस्लामी विद्वान और कवि अल्लामा इकबाल इमाम –ए– हिंद(राष्ट्र गुरू) के रूप में उनका वर्णन करते हैं।

श्रीराम जन्मभूमि के सन्दर्भ में सभी को यह ज्ञात है कि न्यायालय के निर्देश के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए खुदाई और भारत में एवं विदेशों में उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों और

साक्ष्यों के आधार पर 2010 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक तीन सदस्यीय पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि, भगवान श्रीराम एक काल्पनिक चरित्र नहीं है और यह भी कहा कि वे अयोध्या में पैदा हुए थे और जहाँ वे पैदा हुए थे उस जन्म स्थान पर एक राजसी मंदिर अस्तित्व में था जिसे, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के रूप में जाना जाता है।

लोगों की प्रबल इच्छा और एक अनुकूल न्यायिक फैसले के बावजूद, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का संकल्प आज भी अधूरा है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, सम्पूर्ण न्यायालयीय प्रक्रिया में इस संकल्प को साकार करने के संभव तरीके पर चर्चा करने के क्रम में अरूंधति वशिष्ठ अनुसन्धान पीठ (AVAP) के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में शनिवार और रविवार 09–10 जनवरी, 2016 को आयोजित करने की घोषणा माननीय अशोक जी द्वारा न्यायालय के निर्णय की पांचवीं वर्ष गांठ पर दिनांक 30 सितम्बर 2015 को की गयी थी। अशोक जी का यह संकल्प उनके सशरीर उपस्थित न रहने पर भी अनेक विरोधों एवं झंझावातों के बाद भी सफल हुआ। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत प्रमुख शोध–पत्रों को अरुंधती वशिष्ठ अनुसन्धान पीठ की शोध–पत्रिका ''द जर्नल ऑफ इंडियन थॉट एंड पालिसी रिसर्च'' के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। अशोक जी के प्रेरणा एवं प्रयास की मूर्तस्वरूप संगोष्ठी के प्रतिफल को इस शोध–पत्रिका के माध्यम से उनको समर्पित करते हुए उनके चरणों में शत–शत नमन।

त्वदीयं वस्तु गोविदः तुभ्यमेव समर्पये।

चन्द्र प्रकाश सिंह

डॉ. चन्द्र प्रकाश सिंह

Building the Sri Rama Temple in Ayodhya

The Legal Case

-Subramanian Swamy[1]

I

Sri Aurobindo said: "All great movements of life in India have begun with the new spiritual thought and usually a new religious activity". Even Jawaharlal Nehru ultimately at the fag end of his life acknowledged this truth (in his foreword to one of Dr.Karan Singh's books) as follows: "It is significant to note that great political mass movements in India have had a spiritual background behind them".

A society based on dharma is vitally needed at this moment in our history, because there is a dimension to the current national crisis, namely, the moral decay and the decline of character in our society which if not stemmed, will slowly poison our nation to death.

This decay and decline is visible in every aspect of our life—politicians defecting for office and cash, bureaucrats taking bribes, teachers selling exam questions, students passing by cheating, businessmen adulterating products, lawyers cheating clients, doctors betraying their patients etc. To some extent such degeneration is there in every society, but the alarming aspect in India is the pace of this decay and the spread of it. Consequent to this decay is the wave of dangerous cynicism amongst the youth.

This moral decay has to be stemmed. A renaissance of values in society has to take place. How will this renaissance come about? And which leader shall be its instrument? For this, a leader shall be one who is committed to an ideology and determined to implement an agenda for renaissance.

---

[1]Ph.D. (Harvard). Dr Swamy, an eminent economist and a renowned political thinker, is also a former Union Minister for Commerce, Law & Justice, Government of India; and a former Professor of Economics, IIT, New Delhi.

In India, the majority is the conglomerate Hindu community which represents about 80% of the total Indian population, while minorities are constituted by Muslims (13%) and Christians (3%). Sikhs, Jains, Parsis, and some other small religious groups, represent the remaining four percent. But while Sri Rama is revered by Hindus as an *avatara* (incarnation); the other religious groups also respect his nobility and moral courage. Thus Rama is an eternal national icon for all Indians.

Thus re-building Sri Rama Temple in Ayodhya becomes a national goal. It must however be accomplished legally and with maximum consensus. This Seminar is about how it can be accomplished. The re-building of the Rama Temple is part of our renaissance. It means righting a historical atrocity.

II

True and devout Hindus believe that Bhagvan Sri Rama was born in Ayodhya, the then capital of a flourishing kingdom of the Suryavamsa dynasty. Rama is venerated as *Maryada Purushottam*, and worshipped by Hindus of the north.

As an *avatar* of Vishnu, while it was first propagated by the Tamil saints known as Nayanmars and Alwars who composed many hymns and songs dedicated to his divinity; in the North, which later came to accept Rama as one, especially thanks to the saint Tulsidas, the fervor for Rama worship is much more. In that sense, Sri Rama was the first truly national king of India: supra region, supra *varna* or jati. That is why poet Iqbal called him 'Imam-e-Hind'.

The exact spot of the palace where Rama was born has been, and remains, firmly identified in the Hindu mind and is held as sacred. This is the very area where stood from 1528 AD till December 6, 1992 AD a structure that came to be known as Babri Masjid, put up in 1528 AD by Babar's commander Mir Baqi.

In fact, Baqi was a Shia Muslim, and hence he intended it to be a place for Shias to read namaz. Today, interestingly, it is the Sunni Wakf Board, which entered the legal dispute

as late as 1961, and has been litigating in the court claiming the title to the land on which the structure once stood.

I call it a "structure" since it cannot be strictly called a mosque by Sunni edicts- because it did not have the mandatory minarets and *wazu* [water pool]. That a Ram temple existed and or that there is a sacred spot known as Ramjanmabhoomi is attested by many ancient sources and by modern scientific methods.

In Skanda Purana[1] the site is vividly described. Valmiki Ramayana also describes it beautifully. Less than two decades before Mir Baqi carried out the horrible demolition of the Ram Temple, Guru Nanak had visited the Ramjanmabhoomi and had darshan of Ramlala in the mandir at the spot.

There are many commentaries on this visit which are a part of the Sikh scriptures. Guru Nanak himself records the barbarity of Babar's invasions [in Guru Granth Sahib at p.418]. In Akbar's time, Abul Fazal wrote the Ain-i-Akbari in which he describes Ayodhya fame as the place of "Ram Chandra's residence which in Treta age combined spiritual supremacy and Kingship" [Tranlated by Col. H.S. Jarrett and published in Kolkata in 1891].

In Chapter X of the Report of the Archeological Survey of India, NW and Oudh (1889), it is mentioned (p.67) that Babri Mosque "was built in AD 1528 by Mir Khan on the very spot where the old temple of Janmasthan of Ram Chandra was standing."

Hindus throughout foreign occupation of India have deeply held as sacred that exact spot where the Babri Masjid once stood, as the fact is recorded in many official and judicial proceedings. In 1885, for example, Mahant Raghubar Das in a Suit No 61/280 of 1885 filed in the Court of the Faizabad Sub-Judge against the Secretary of State for India (who was based in London), prayed for permission to build a temple on the chabutra outside the mosque. His suit was dismissed on March 18, 1886.

However, in his Order the Sub-Judge, an Englishman, stated thus: "It is most unfortunate that a Masjid should have been built on land specially held sacred by the Hindus.

[1] See, Chapter X, Vaishnav Khand, ibid.

But as the event occurred 358 years ago, it is too late now to remedy the grievance." Since the English as policy never sought to disturb the social status quo in India as evidenced, for example, on the 'Sati' question, the Judge took the easy way out and dismissed the Suit.

It is now well established by GPRS-directed excavations done under the Allahabad High Court monitoring and verification in 2002-2003, that a large temple did exist below where that Babri Masjid structure once stood. Inscriptions found during excavations describe it as a temple of Vishnu Hari who had killed the demon king Dasanan [Ravana].

The Sunni Wakf Board does not accept these findings as of any meaning or of any consequences. It does not however matter if all this was indeed so or not, since under Section 295 of the Indian Penal Code (IPC) it is prescribed that "Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object *held sacred by any class of persons,* with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge *that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion,* shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both."

That is, an offence under criminal law is committed (by the defilement, etc of a thing) if a body of persons hold something as sacred. It does not matter if the majority does or does not hold so. Nor can a court decide what is sacred and what is not. Only a body of persons can identify what is sacred. The offence under Section 295 IPC is cognizable and non-bailable, as well as non-compoundable.

The fundamental question before us is thus this: Can a temple and a masjid be considered on par as far as sacredness is concerned? Relying on two important court judgments that hold the field today, the answer is: NO. A masjid is *not* an essential part of Islam, according to a majority judgment of a Constitution Bench of India's Supreme Court.

In the famous *Ismail Farooqui vs Union of India*[1], the Supreme Court observed: "It has been contended that a mosque enjoys a particular position in Muslim law and once a mosque is established and prayers are offered in such a mosque, the same remains for all time to

[1] (1994) 6 SCC 376.

come a property of Allah…and any person professing Islamic faith can offer prayer in such a mosque, and even if the structure is demolished, the place remains the same where namaz can be offered"[1].

The Constitution Bench rebutted this contention stating: "The correct position may be summarized thus: Under Mohammed law applicable in India, the title to a mosque can be lost by adverse possession…A mosque is not an essential part of the practice of the religion of Islam and *namaz* (prayer) can be offered anywhere, even in the open. Accordingly, its acquisition is not prohibited by the provisions in the Constitution of India."[2]

Thus, any Government depriving the Muslims of the Babri Masjid by an order of acquisition is within law, if the government decides to do so in the interest of public order, public health and morality (Article 25 of the Constitution). The position in Islamic law is even clearer: in Saudi Arabia the authorities demolish mosque to lay roads and build apartment building. Even the mosque where Islam's Prophet Mohammed used to pray was demolished!

But then what of a temple? Is it in the same category as the mosque in our jurisprudence? When I was Union Law and Justice Minister in 1990-91, this question of the status of a temple-even if in ruins or without worship-had come up before me in a case of a smuggled-out bronze Nataraja statue which was up for auction in London.

Earlier the Government of India, when Rajiv Gandhi was PM, had decided to file a case in the London trial court in 1986 for recovery. The Nataraja statue had by then been traced to a temple in ruins in Pathur, in Thanjavur district. A farmer named Ramamoorthi had in 1976 accidently unearthed it while digging mud with a spade near his hut.

When the news spread, touts of an antique dealer by name Ahmed Hussein reached him and paid a small sum and smuggled it out to London, where in 1982 they sold it to Bumper Development Corporation Private Limited. In turn, the said Corporation sent it to the British

---

[1] See, para 80, ibid.
[2] See, para 82.

Museum for appraisal and possible purchase. By then the Government of India was onto it and asked the UK government to take action.

The Nataraja idol was seized by London Metropolitan Police, and thus the Bumper Development Corporation sued the Police in court for recovery but lost the case. An appeal was filed in the Queens Bench (i.e., our High Court level) which was dismissed on April, 17 1989. So, the Bumper Corporation went to the House of Lords (our Supreme Court level at that time). On February 13, 1991 when I was Law Minister, the judgment came, which is truly landmark, dismissing Bumper's final appeal.[1]

The House of Lords upheld the Indian government's position that because of the *prana prathista puja*, a temple is owned by the deity, in this case Lord Shiva, and any Hindu can litigate on behalf of the deity as a *de facto* trustee. The Bench consisting of Justices Purchas, Nourse and Leggatt concluded: "We therefore hold that the temple is acceptable as party to these proceedings and that it is as such entitled to sue for the recovery of the Nataraja."[2]

Thus, even if a temple is in ruins (as the ASI had found the Thanjavur temple) or destroyed (as was Ram Temple in the Babri Masjid area), any Hindu can sue on behalf of Lord Rama in court for recovery! No such ruling exists for a mosque for the simple reason that a mosque is just a facilitation centre for reading namaz, and has no essentiality for Islam as a religion. It can be demolished and/or shifted as any building can be; as is being done today in Arab countries and Pakistan.

That is, the Ram Temple on Ramjanmabhoomi has an overriding claim to the site than any mosque. *This is the fundamental truth in the Ayodhya dispute. This truth will apply, for example, to Kashi Vishvanath and Sri Krishna Janmbhoomi temple sites as well.*

III

<u>ROAD MAP FOR BUILDING THE RAM TEMPLE</u>

[1] See, (1991) 4 All ER 638.
[2] See, p 648, para g, ibid.

Therefore, what should be the road map or blueprint for our government to deliver on the BJP's 2014 Manifesto promise? The following steps may be taken by 2016 to re-build the Ram Temple in Ayodhya and fulfill the commitment to the electorate:

(i) Appoint a former Chief Justice of India, such as, for example, CJI S.H. Kapadia as the Executor. The office of the Executor may liaise with a designated Minister such as, again for example, General V.K. Singh.

(ii) The designated Minister may issue Notice to the Babri Masjid Muthwali who is a hereditary supervisor, and is living in India, asking him to formally agree to withdraw his claim to the Ramjanmabhoomi, and offer him an alternative site for a masjid to be built at public expense, across the Saryu River.

(iii) Call a meeting of Islamic clerics, Indian and foreign, and seek their endorsement. The Supreme Court may then be approached for disposing off all pending SLPs and Writ Petitions related to the Ramjanmabhoomi.

(iv) If such an endorsement is not forthcoming then the Government should move an enabling Bill in Parliament and have it passed.

(v) Create a Ram Temple Re-Building Committee on the Somnath temple model, with Shri Ashok Singhal of VHP as Chairperson[1].

(vi) Begin construction of the Ram Temple on an auspicious date in 2016.

But in the meantime there is no need to torture and humiliate the bhaktas and devotees who come to worship at the present makeshift Ramlala Mandir. They get no basic facilities of drinking water, shoe/chappal racks, toilets and parking spaces. Yet a whopping entry fee is collected from the devotees.

The question is whether these restrictions are violative of the fundamental rights of worship under Article 25 of the Constitution, subject of course to reasonable restrictions of

[1] The draft seems to have been prepared before the passing away of Shri Ashok Singhal. The idea of a national seminar on Shri Ramjanmabhoomi had been mooted by Singhalji; but, unfortunately, his end came before the fruition of the said idea-Editor.

public order, health and morality, and also of fundamental right to hygiene [AIR 1952 SC 196 & AIR 1999 SC 92]

This Hon'ble Court (in the Farooqui case: (1994) 6 SCC 361) had permitted worship in the makeshift temple of Ramlala, subject to maintaining the *status quo* on the disputed site.

But what the scope of this direction to maintain status quo is, has also been made clear by this Hon'ble Court[1], i.e., the *mandate* given to the Receiver in Section 7(2) of the Acquisition of Certain Areas at Ayodhya Act, 1993 to ensure that *status quo* as of January 3, 1993 in the disputed *area* is maintained. The area of dispute has been defined with clarity in the aforesaid judgment[2].

But in the name of maintaining the status quo, the Receiver and the UP administration have imposed the most unreasonable and arbitrary restrictions on the worship itself, tantamount to sacrilege, and causes gross inconvenience to the lakhs of devotees coming from all over India for darshan.

That whether the present restrictions are beyond this Hon'ble Court's mandate was gone into by a Special Bench of three Hon'ble judges of the Allahabad High Court on the Writ Petition No. 3067 of 1994 filed by D.N. Agarwal, praying for modification of unreasonable and arbitrary restrictions on devotees placed by the Receiver on the access to, and worship of the Ramlala idol at the temple in the disputed area.

The Hon'ble High Court while allowing the Writ Petition, passed an order (vide Order dated February 23, 1996) detailing the various necessary modifications in the restrictions. This was stayed by this Hon'ble Court on a petition filed not by the Receiver, but by an interlocutor Syed Hashmi in1996. I have challenged this by way an Interlocutory Application [IA].

The issue in this IA thus arises from this stay or injunction granted by this Hon'ble Court in 1996, and which injunction is continuing till date.

---

[1] (1994) 6 SCC 361 at 394.
[2] See, para 24 at p 395, ibid.

In my affidavit I have therefore prayed that the injunction on the directions of the Allahabad High Court Special Bench be vacated because the present restrictions imposed by the Receiver are arbitrary, unreasonable, oppressive and violative of Article 25 of the Constitution. In fact even the Hon’ble High Court observed that the Receiver implicitly admitted the same.

In a nutshell, it is an admitted fact that there is a makeshift Ramlala Mandir, on the site of the Ram Chabutra which site was for centuries inside the perimeter of the now demolished Babri mosque.

This Hon’ble Court had [vide (1994) 6 SCC 361] appointed a Receiver for the disputed area but permitted the continued worship at this temple, subject to maintaining status quo as of January 3, 1993.

In the name of the status quo, the appointed receiver has imposed restrictions on the access to the temple and the mode of worship.

The Hon’ble three-judge Bench of the Allahabad High Court, after hearing a Writ Petition, passed a detailed Order in February 1996 holding these restrictions as arbitrary and unreasonable, and directed the Receiver to implement restrictions which the Hon’ble Bench stated to be reasonable.

While the Receiver did not appeal against that Order; but as stated above an intervenor in 1996 filed an SLP and got an *ad interim* injunction which continues today. No proceedings followed thereafter till I revived the issue by way of an IA in 2009.

The question is whether the restrictions on worship and access imposed by the Receiver bear any nexus to the scope of status quo in the area of dispute, and whether these restrictions are violative of the fundamental rights of worship under Article 25 of the Constitution, subject of course to reasonable restrictions of public order, health and morality, and also of fundamental right to hygiene[1].

---

[1]AIR 1952 SC 196 & AIR 1999 SC 92.

What the scope of this direction to maintain status quo is, has also been made clear by this Hon'ble Court[1] i.e., the *mandate* given to the Receiver in Section 7(2) of the Acquisition of Certain Areas at Ayodhya Act, 1993 to ensure that *status quo* as of January 3, 1993 in the disputed *area* is maintained. The area of dispute has been defined with clarity in the aforesaid judgment in para 24 on page 395.

IV

At the outset, it may usefully also be recognized that *puja* to Ramlala at the disputed site has already been permitted in a restricted form by this Hon'ble Court[2].

It was held in the said judgment that:

"However, confining the exercise of the right of worship of the Hindu community to its reduced form within the disputed area as on 7-1-1993, lesser than that exercised till the demolition on 6-12-1992, by the freeze enacted in Section 7(2) {of Act No.33 of 1933} appears to be reasonable and just in view of the fact that miscreants who demolished the mosque are suspected to be persons professing to practice Hindu religion. The Hindu community must, therefore, bear the cross on its chest for the misdeed of miscreants reasonably suspected to belong to their religious fold".[3]

I do not challenge the vires of directing a restricted form of worship, but only the *unreasonable* restrictions in the name of security and status quo imposed on devotees to perform the restricted worship. At some stage, I however reserve the right, on some other appropriate occasion, to challenge the *judicially delivered dictum* that the Hindu community" must bear the cross" for the Babri Masjid demolition. Thereby, it is obvious that Hindus are not treated evenhandedly: it is pertinent to note that there is a reasonable *prima facie* presumption that the Babri Masjid itself (and indeed a large number of mosques all over India) was constructed after the original temple was demolished by Muslims.

---

[1] See, [(1994) 6 SCC 361 at 394].
[2]See, (1994) 6 SCC 361: para 47at p 406 and para 53 at 409.
[3]See, para 53 at 'C', ibid.

Specifically, re: the Babri Masjid, this is a finding of a Commission of archeological experts that was set up on the directions of the Hon'ble High Court , and this forms part of the record of the proceedings in the main title suit in progress before the Lucknow Bench of the Hon'ble High Court. But it would be very wrong from that to extrapolate that the Muslim community must therefore "bear the cross on its chest for the misdeed of miscreants reasonably suspected to belong to their religious fold".

Most recently I had visited the Ram Janma Bhoomi shrine; and was appalled at the unnecessary hardships and indignities to which devout Hindu pilgrims are being subjected by crude police procedures, whereby devotees are denied even the performance of archakas at the temple. Full details of the harassment and denial of amenities, are in and have been commented on in the Allahabad High Court judgment.

Clearly by all objective assessments, these measures are unreasonable restrictions on the right to the permitted worship. On making enquiries, I was told that these were inevitable under the *status quo* orders of this Hon'ble Court and that these must last while the suits thereon were heard in the Hon'ble High Court.

In the matter of *Dr M Ismail Farooqui etc.versus Union of India and others*[1] this Hon'ble Court has held that a mosque is not an essential or integral part of Islam. Hence, a mosque can be demolished in certain circumstances under secular law, and some other site can be used for reading namaz[2].

That is not the position vis–a-vis a temple in which the idol has been consecrated by prana prathista puja and built according to agama shastras. The Rama idol on the chabutra (the chabutra was built within the complex during Akbar's regime) is one such consecrated idol.

Also notable historians have held that the temple earlier to that, of which remains are still there in the archeological records, must have been built in the days of Raja Vikramaditya of Ujjain, hence of heritage value besides being an essential part of Hindu religion.

---

[1](1994) 6 SCC 394.

[2] See, para 70, 78,& 80, ibid.

Re-building a Sri Rama Temple legally and by consensus building amongst the vast majority of the people, will have a profound implication for Indian society.

Therefore under law the Union Government can acquire the Babri Masjid site by a public notification, and urge the Muslim community to agree to shift the building of a new masjid to some other site well beyond and across the Saryu River.

It is important to note here that as of now there are eight mosques in Ayodhya area which the ASI has taken over since these had no one coming to read namaz. Hence what use will another mosque be of?

Hence the national response to the judgment of Lucknow Bench of the Allahabad High Court allotting one-third of the Ramjanmabhoomi to the Sunni Wakf Board to build a mosque in the area near the Ramlala temple should be a resounding "No". A temple cannot be equated to a mosque in either its immutability or its divinity. The masjid in Islamic law is just a building to facilitate reading of namaz, which anyway can be read anywhere.

Nor can we Hindus by the back door allow aggression and atrocity of demolishing temples to be rewarded in any manner. Therefore, as with the Shah Bano case precedent, Government should bring an amendment to the Acquisition of Certain Areas of Ayodhya Act of 1993 to bar constructing any structure other than those connected with a temple for Sri Rama.

That will be a befitting atonement of the so-called secular people of our nation who have tacitly been tolerating for so long the demolition of Ram Temple on the orders of Babar of Afghanistan.

Thus, if the Sri Rama Temple issue is settled legally and by such an overwhelming consensus, then it would trigger a renaissance in the Indian cultural ethos, and lead the Nation to gradually but inexorably define a Virat Hindustan Identity for all Indians. The Nation would then become united as never before.

Ram Mandir: When?

-Kamleshwar Nath[1]

Eldorado India:

1. Bharat (i.e. India) drew attention Worldwide for its GOLDEN BIRD (*Soney-ki-Chiria*) image born of Trade relations and propagation of Spirituality and Philosophy of Love & Non-violence. The majestic Himalayas guarding the North with lands acknowledged as *Paradise on Earth* (Kashmir), the fertile lands of Indo-Gangetic plains overflowing with the Nectar of river *Ganga, Yamuna* and host of others, the great Oceans around presented a panorama which attracted explorers like Greek Megesthenes and Chinese Hieun Tsang, Vasco-de-Gama, Missionaries like St Francis Xa'vier and Austrian Jesuit Father Joseph Tieffenthaler, Parsees and so on. They also provided attraction for Invasions, initially for expansion of territory like Alexander the Great, but later for sheer loot & plunder, like Mahmud Ghaznavi who destroyed thousands of Hindu Temples, including the Great SOMNATH JYOTIRLING TEMPLE (1025 AD) in several raids, killing over 50,000 people and carrying away tons of Indian wealth. The new found energy of Islam in 7th Century AD with its concept of *Kafir & Jihad* prompted many a valiant Muslim warriors to spread out to the World, and India had its share! After Mahmud, Timur set upon India in 1398. He was prompted by a Verse in Quran searched out by him commanding: "O Prophet, make war upon infidels and unbelievers and treat them with severity"; Timur proved true to the invocation (Para 4011 of Hon'ble Justice Agarwal's judgment). In December he destroyed Delhi, seized tons of treasures and took them to Samarakand. His great-grand-son Babar invaded India 5 times, and left the legacy known as Babri *Masjid* for the future generations to reckon with – the controversy rages on! 'Was *Babri Masjid* erected over a Hindu Temple at the Birthplace of Lord Ram in Ayodhya after demolishing the Temple?' Babar's own narratives in his Memoirs, called *Babarnama*, are both interesting and instructive. Its

[1] The author is a former Judge of Allahabad High Court, Vice-Chairman Central Administrative Tribunal & Up-Lokayukta (Ombudsman) of State of Karnataka (India).

accredited translation in English by A.S. Beveridge is the source for the purposes of this paper; references of pages relate to that translation.

<u>Babar's Ayodhya Expedition:</u>

2. "Ayodhya is to Hindus what Mecca is to Muslims and Jerusalem to Jews" (vide, P. Carnegy's 'A Historical Sketch of Tehsil Fyzabad, Zila Fyzabad' of 1870). From the date Babar conquered Kabul, Babar's desire for India (*Hindustan*) had been 'constant' (p. 478). In 925 AH (4.1.1519), he led the army out to Bajur (N.W.F.P). '…….. As Bajauris were rebels and *at enmity with the people of Islam, ……………. they were put to a general massacre and their <u>wives</u> <u>and</u> <u>children</u> made captive.* According to a guess, more than *<u>3000</u> <u>men</u> <u>met</u> <u>their</u> <u>death</u>*' (p. 370). 'Some heads of *Sultans and of others were sent to Kabul* with the news of success' (p.371).

3. In 929 AH (Nov. 1522 to Nov. 1523), Babar made his 3rd expedition into India on an appeal made by Daulat Khan Lodi and Alauddin-Alam Khan Lodi for help against Ibrahim Lodi who ruled at *Dilli* (Delhi, the Capital). There has never been a dearth of Traitors in India[1]. Ibrahim Lodi had called Daulat Khan; but …………… Daulat Khan preferred allegiance to Babar, hence asked for Babar's help against Ibrahim Lodi' (p.439-440).

4. In 930 AH (10th Nov. 1523 to 29th October 1524), Lahore was occupied by Bihar Khan Lodi who had led Ibrahim Khan's army in pursuit of Daulat Khan. A battle ensued between Babar and Bihar Khan Lodi; the latter was defeated *with great slaughter.* Babar's men followed his fugitive men into Lahore, *plundered the town and burned some of the bazaars.* Four days later, Babar moved to Dibalpur (Southwards) which *was stormed, plundered <u>and</u> <u>put</u> <u>to</u> <u>sword</u>* (p. 441).

5. In 932 AH (17th Nov. 1525) Babar started on his 5th expedition into India (p.445). On Dec. 26 and 27, 1525, Babar dismounted on the bank of river *Chinab* (p.453), and proceeded to visit Bahlolpur, *which was <u>KHALSA</u>* with a plan to bring Sialkot to it (p. 454). Babar was on his march towards *Dilli* (Delhi) of Ibrahim Lodi who, then, had a standing army of 1 Lakh

[1] Recently, Sri Mani Shankar Iyer, a senior Congress leader, urged Pakistani establishment to "remove Modi (PM of India) and to install 'them' (the Congress) to power in Delhi". Only a few days ago, a procession was taken out in Rajasthan which raised pro-ISIS and anti-RSS slogans: ISIS is an Organisation calling itself 'Islamic State of Iraq & Syria' conducting itself as a terrorist militant outfit carrying out *Jihad* against *Kafirs*; RSS is Rashtriya Swayam-sewak Sangh, a Hindu Nationalist organisation of India-Author.

and 1000 elephants. Babar bestowed *Dibalpur* on *Baqi Shaghawal* and sent him to help *Balkh* (p.463). **[**This *Baqi Shaghawal* is *Mir Baqi* of Ayodhya episode.**]** On 25th Feb. 1526, Babar appointed *Humayun* to act against Hamid Khan. On 5th March 1526, *Humayun* arrived to wait on Babar *bringing with him as many as 100 prisoners and 7 or 8 elephants. Ustad Ali Quli and the matchlock man were ordered to shoot all the prisoners by way of example* …… *It was an excellent Omen* (p.464).

6. Pages 469 onwards record the battle of *Panipat* and defeat of Ibrahim Lodi. At page 472, A.S Beveridge has recorded Foot-note No. 1 mentioning, inter alia, that "*Babar* built a (perhaps a commemorative) Mosque one mile to the N.E. of the Town". Page 478 mentions Babar enter into Agra on 10th May 1526. At page 687, mention is made of *Humayun's* retainer, Hindu Beg taking possession of *Sambhal* in 933 AH (1526-27 AD). Hindu Beg *transformed a Hindu Temple into a Mosque by Babar's order* which was commemorated by an *inscription still existing on the Mosque.*

7. Page 483 mentions "Rana Sanga who in these later days had grown great by his own valour and sword…….. He became possessed of many of their dependencies such as ……….. *Chandiri. Chandiri I stormed in 934 AH (1528 AD) and by God's pleasure took it in a few hours .... We made general massacre of the Pagans in it and, as will be narrated, converted what for many years had been a mansion of hostility into a mansion of Islam*"

8. Accounts of battle with *Rana Sanga* are contained in pages 561 onwards. Page 572 records: "The *absurd Hindus*, knowing their position perilous, dispersed like carded wool before the wind, and like moths scattered abroad. *Mounds were made of their bodies of the slain, pillars of their heads*." Page 574-75 records: 'After this success, *Ghazi* (Victor in Holy War) was written amongst the royal titles. Below the Titles entered on the *Fatehnama*, I wrote the following quatrain:

"For *Islam's* sake, I wandered in the Wilds
Prepared for war with *Pagans and Hindus*
Resolved myself to meet the Martyr's death
Thanks be to God! A *Ghazi* I became."

An Order was given to set up a pillar of *pagan heads* on the infant hill between which and our Camp, the battle had been fought – P. 576.'[1] On 26.12.1527, Babar sent troops against *Bayazid Farmuli* (p.589) who had been given charge of Aud (Oudh/Ayodhya) by Humayun (p.544). P.595 mentions: "On 27.2.1528, we passed Kannauj and dismounted on the Western bank of *Ganga* (p.599). On 21.3.1528, I visited *Laknau* (Lucknow), crossed the *Gui water* (Gomti river, p.601). On 28.3.1528, we dismounted 2 or 3 *Kurohs* from *Aud* above the junction of *Gagar* (Gogra river) and *Sird(a)* (p.602). …….. We stayed a few days on that ground (near *Aud*) in order to *settle the affairs of Aud.* …………. On 2.4.1528, I rode out intending to hunt."

9. A.S.Beveridge writes Foot-note 2 at page 602 that no account of the hunting expedition survives. The *Babri Masjid* was erected during that unaccounted period. It is further stated at p. 603 that in all known texts of *Babarnama,* there is a break of the narrative between April 2 and September 18, 1528, mentioned to fall *from Jumada 12, 934 AH to Moharram 3, 935 AH*. Babar's occupations during those 5 1/2 months missing period are not available in his chronicle of 935 AH (i.e. 15.9.1528 to 5.9.1529 – p.605) and although it makes several references to occurrences of *'last year'* and of Babar's acts, yet there is no mention of his having planned, directed or erected *Babri Masjid.*

10. The available accounts, as indicated above, unmistakably show Babar to be a fanatic Muslim out to destroy the '*Kafir* Hindus', strike terror among the vanquished by putting up mounds of 'bodies slain' and pillars of 'heads severed from bodies', destroy their places of worship and replace them with Mosques – specific mention is made of transforming a Hindu Temple in Sambhal (U.P.) into a Mosque in *1527 under the orders of Babar.* On recommencing his diary (the *Babarnama*) in September 1528, the same story stands repeated. Page 606 mentions Babar ordering cutting out of a solid red building-stone hill in *Dulpur* (Dhulpur) on 21st-23rd Sept. 1528. "I ordered a seat and a four-pillared platform to be cut out in the solid rock on the same side and *a Mosque built on the Western side*". On 28th Sept 1528, he saw *Urwah Valley,* and wrote that he found '3 sides of *Urwah* are solid rock, and on

[1] The spree of 'beheading' the captured victims continues even now: ISIS beheaded two foreign Journalists & put up video of the act on social media, a couple of years ago; Pakistani Jihadi militants beheaded two Soldiers of Indian Defence Forces guarding the LOC in Kashmir a few months ago, and carried away their heads!- Author.

these sides people have cut out Idol-statues, large and small, one large statue on the South side being perhaps 20 *gari* (yards) high. These idols are shown quite naked without covering for the privities ……. *Urwah* is not a bad place …. the idols are its defect. I, for my part, ordered them destroyed' (p.612). [Those were Jain Temples.] With evidence of destruction of Temples/Idols and replacing them with Mosques both before and after the Ayodhya expedition, it is quite probable that during Babar's Ayodhya expedition, a Hindu Temple at Lord Ram's Birthplace was destroyed and *Babri Masjid* erected over it as the Majority of Judges have already held in the *Ram Janmabhumi-Babri Masjid case.*

The High Court:

11. This case has been decided by a Bench of 3 Judges. Every decision is the decision of 'Allahabad High Court' – a Court of Record. Their unanimous decision is Full Bench decision which carries a very high status and is unquestionably binding on all smaller Benches. If there is a dissent among Judges, the common view of the larger number of Judges is Majority decision, and the view of the rest is Minority decision; the Majority view supersedes the Minority decision. Single Judge's view, *where other Judges choose not to express a view* would, nevertheless, be the decision of the 'Allahabad High Court'.

The Court's Decision:

12. The 3-Judge Bench of Allahabad High Court's Lucknow Bench, consisting of Hon'ble Justices S.U.Khan, Sudhir Agarwal and D.V.Sharma delivered separate Judgments on 30.9.2010 in this Nationally-important case popularly known as *Ram Janma-bhumi-Babri Masjid* case. The Judgments have been published by Malhotra Law House, Allababad, in 3 Volumes in continuous pages. References to pages in this paper are from that publication. Between Justices Khan and Agarwal, an exhaustive judgment was recorded by Agarwal J. and Justice Khan mentioned at page 109 that except in respect of issues on which he had recorded findings, he "fully agreed with the findings of Justice Agarwal, subject to anything contrary stated/found in this judgment of mine". It is impossible to place the full picture of the case in a short paper like this; and, hence, an effort is made to set out the essence.

13. The *disputed premises* in the case consist of an area which was surrounded by boundary walls and *included* the *Masjid* within, described as *disputed structure.* Counsel for Muslim Parties stated on 22.4.2009 before the Bench that Muslim Parties did not dispute that Lord Ram was born at Ayodhya, but they seriously disputed the assertion that Lord Ram was born at premises in dispute (p.101). Earlier, in para 19 of Written Statement dated 26/29.8.1989, in reply to Plaint of Ramlala's Suit (No. 5 of 1989), the Muslim Parties (Sunni Central Board of Wakf) had pleaded that it was 'very doubtful' that the personality of Shri Ram Chandra ji is a historical personality and, further, even the location of present Ayodhya did not tally with the location of Ayodhya as given in *Balmiki Ramayan* which also creates 'a doubt' of there being any place of birth of Shri Ram Chandra ji in the present Ayodhya. It took 10 years for Muslim Parties to admit that Shri Ram Chandra ji is a genuine historical personality born in Ayodhya as it stands and that too as stated in *Balmiki Ramayan.* It is interesting that this ultimate admission – which came after the entire evidence, including report of Archaeological Survey of India had been concluded – is mentioned to be 'for the purposes of this case!' As if, in any other context, they would not abide by the admission. That is the standard of credibility of Muslim Parties. In this context one is reminded of the proposition of 'celebrated Muslim historian and scholar Maulana Syed Sababuddin Abdur Rehman in the preface to his treatise "Babri Masjid" that 'On behalf of Muslims I also have a right to say that if it is proved that Babri Masjid has been built after demolishing Ram Janam Bhumi Mandir on its place, then such a mosque if built on such an usurped land deserves to be destroyed. No theologian or Aalim can give Fatwa to hold Namaz in it' (p.2005 of Hon'ble Justice Agarwal's Judgment). Perhaps Government of India's White Paper on negotiations between representatives of Hindus and Muslims too mentions likewise so that if it is held by Court of Law that there did exist a Hindu Temple over which the *Babri Masjid* was erected after demolishing the Temple, Muslims would voluntarily give up their claim to disputed property. Not so now after Court Judgment. The Bench has given its decision in favour of Hindus on both points; but there is no credibility in promises. Wrong doers rarely have credibility.

14. Khan J held that *'a very large area'* was considered to be the birthplace of Lord Ram by general Hindus in the sense that *somewhere in that large area Lord Ram was born*; but after construction of *Masjid*, Hindus started treating/believing the site of the Masjid as the

exact place of Ram's birthplace (p.103). Even so, he adopted the view of Agarwal J. that the *Central Dome of the Masjid* was the birthplace of Lord Ram. He held that a Hindu Idol is Deity, but *it was not necessary to decide whether the land itself* (the birthplace) *can be Deity under Hindu Law* (p.108). It was further held that the *Masjid* was 'constructed *by or under orders* of Babar' but the premises on which it was constructed did not belong to Babar or to the person who constructed it; that no temple was demolished for constructing the *Masjid* but it was constructed over the ruins of a Temple lying since a very long time, utilising some of the material of that Temple for the construction of the *Masjid.* Appreciating that, under Muslim Law, no one could construct a mosque on another's property without the other's permission, he held that since it was not proved that the land belonged to *anyone else*, hence due to its long user as a *Masjid* it would be presumed to be a valid *Mosque by User.* It is further held that *much before* 1855, Ram Chabutra and Sita Rasoi had come into existence within the premises of the *Masjid* and Hindus worshipped thereat, while Muslims too used to offer *Namaz* inside the *Masjid* which was a 'very very unique and absolutely unprecedented situation'. For this reason, Khan J held that both Hindus and Muslims were in *joint possession of the entire premises in dispute, although using and occupying different portions of the premises* without any sort of Partition. It was also held that since both Parties have failed to prove *commencement of their title* hence, by virtue of Section 110 of Indian Evidence Act, both Parties are *joint title-holders of the disputed premises.* However, his Lordship further held that *some decades before* 1949, Hindus started believing/treating the site of the *Central Dome of the Masjid* was the birthplace to be the exact place where Lord Ram was born, and finally the Idol of Lord Ram was placed under that Dome in the early hours of 23.11.1949. [The *Mosque* was demolished on 6.12.1992, and a Make-shift Ram Temple under a Canvass Canopy was constructed which exists even now and worship of the Deity has been going on.] In the ultimate result, the Hon'ble Judge declared both Parties to be joint owners of the disputed promises and ordered it to be partitioned in the ratio of 1/3rd each to Hindus, Muslims and Nirmohi Akhara, ensuring that the Central Dome site of the *Mosque* shall be allotted to Hindus (p.115-116).

15. Hon'ble Agarwal J has held that Parties have failed to prove that the *Disputed Structure* was erected either by Babar or by Mir Baqi or in 1528, hence it was not necessary to decide whether it was a *Mosque or not*, but by way of 'informed guess' it would have been

constructed between 1659 and 1707 during the regime of *Aurangzeb* (p.1100-01). This conflicts with the view of Khan J. that the *Masjid* was 'constructed by or under orders of Babar' but the premises on which it was constructed did not belong to Babar or to the person who constructed it. Agarwal J further held that a Hindu Temple was demolished and the *Mosque* was raised over it; this conflicts with the view of Khan J. that that no temple was demolished for constructing the *Masjid* but it was constructed over the ruins of a Temple lying since a very long time, utilising some of the material of that Temple for the construction of the *Masjid.* Agarwal J. added that the builder of the structure knew the strength, capacity and size of the walls of the Temple, hence used its walls, stones, pillars, bricks etc. in erecting the *Mosque* and the artefacts recovered during excavation were mostly such as pertain to Hindu religious places (p. 2507). His Lordship also held that despite construction of the disputed structure in the shape of *Mosque,* it was used and continued to be visited by Hindus for offering worship, *Puja and Darshan* as they treated it to be the birthplace of Lord Ram of which there is no alternative and that place is permanent, not liable to be disturbed in any manner (p.2508). It was further held that the birth place of Lord Ram was *Swyambhu Deity* whose worship had continued for past several centuries, that Hindus in general had been entering the premises within the inner courtyard as a matter of right for the past several centuries, i.e., since time immemorial, and cannot be denied that right after such a long time (p.2521). However, this indefeasible right of Hindus was confined to the site of the Central Dome of the *Mosque* on the basis that only that area is specifically proved by Hindus to be the exact place of birth of Lord Ram, hence belongs exclusively to Deity known as *Ram Janmasthan* (p.2828); in respect of the rest of the land within the inner courtyard (i.e., the site of the *Mosque-structure and the abutting Chabutra within the erstwhile railing*) it was held that both Hindus and Muslims used to offer worship/prayers for 'decades and centuries' (p.2868), hence it belonged jointly to both Communities. The Hon'ble Judge, therefore, directed the entire area to be partitioned in such a way that Hindus, Muslims and Nirmohi Akhara each got 1/3rd share with the provision that *Ram Janmasthan* shall fall within the share of Bhagwan Shri Ramlala, while *Ram Chabutra, Sita Rasoi and Bhandar* shall fall to the share of Nirmohi Akhara (p.2871).

16. On the question of validity of *Babri Masjid*, Agarwal J. held that the disputed structure was a mosque *known* as Babri Masjid (p.1932), but the question whether it was

dedicated to Almighty was 'wholly irrelevant' hence not answered. In the matter of dedication of the Mosque by long user, mentioned by Khan J., Agarwal J. held (P.1910) that the question of Wakf by long User would not be relevant where a particular person (Babar or Mir Baqi) is said to have made the dedication. However, both Hindus and Muslims were held to have been offering worship/prayers inside the *Masjid* for more than 80 years before OOS 1 was filed in 1950.

17. Hon'ble Sharma J. held that the *Mosque* was erected on the site of a massive Hindu religious structure after demolishing it (p.2970), that in view of commands contained in Quran, followed by traditions, Babar, who had not acquired title to the Temple, was not in a position to erect the Mosque against the tenets of Islam, hence there was no valid dedication (Wakf) of the Mosque to Almighty (p.2975). It was held that both *Ram Janmasthan (also known as Ram Janmabhumi)* and *Bhagwan Shree Ramlala* are Deities and Juristic Persons (p. 3522 and 3526). His Lordship held the *whole of the disputed area* to be 'the site of *Janmabhumi* of Ram Chandra ji', that 'Hindus have been worshipping the place in dispute as *Janmasthan i.e., birthplace* and visiting it as a sacred place of pilgrimage as of right since times immemorial' (p. 3454). He dismissed the suit of Muslims (p. 3474) and wholly decreed the suit of Hindus and permanently restrained Muslims from interfering with Hindus' constructing a Temple at *Ram Janmabhumi* Ayodhya (p. 3586).

The Call for Justice:

18. 'Justice delayed is justice denied'; and the Supreme Court has repeatedly held that speedy justice is a Fundamental Right of every citizen. The earliest legal battle for Lord Ram's Birthplace brought out the Hindu assertion that Babar had committed great injustice to Hindus, was a bigot and tyrant and Babri Masjid came into being on account of that conduct. Hon'ble Mr Justice S.U.Khan, who led the 3-Judge High Court Bench, has mentioned at pages 34/35 of his judgment that the object of *Mahant Raghubar Das'* Regular Suit of 1885, as recorded by the District Judge in Appeal, was that "the British Government, as no respecter of persons, was asked through the Courts to *remedy an injustice committed by a Mohammedan Emperor*", and that the Judicial Commissioner of Oudh, Mr Justice W. Young, in the Second Appeal Judgment mentioned that "the supposed Holy Spot in Ayodhya, said to be the birthplace of Shri Ram Chandra is situated within the precincts of the grounds

surrounded by a *Mosque erected some 350 years ago owing to the bigotry and tyranny of Emperor Babar who purposely chose this Holy Spot, according to Hindu legend, as the site of his mosque".*

19. There was no question of justice to Hindus in the matter of Ram Temple during Muslim rule; with great difficulty and sacrifices Ram *Chabutra* was installed within the South-eastern corner and *Sita Rasoi etc* in the Northern portion of disputed premises and Worship of the Idols, *Sita Rasoi etc.,* was continued. The 1885 suit of Mahant Raghubar Das did not bring justice to Hindus during British rule; the Hindus could not erect Ram Temple on *Ram Chabutra.* After India's Independence (in 1947), devotees of Ram could rise to some prominence. In December 1949 the Idols of Bhagwan Shree Ram were shifted from Ram *Chabutra* to Central Dome of the *Masjid*, and worship continued. The first suit was filed on 15.1.1950 (by Gopal Singh Visharad) to prevent the Government and Muslims from interfering with worship of the Idols within the *Masjid.* A temporary injunction by the Civil Court prevented the Government and Muslims accordingly. Mahant Paramhans Ram Chandra Das of Digambar Akhara (a revered Order of Sadhus) of Ayodhya and a staunch devotee of Lord Ram filed the second suit on same lines shortly after the first. About 9 years later Nirmohi Akhara (another revered Order of Sadhus) filed the third suit on 17.12.1959. Twelve years after December 1949 episode, Sunni Central Board of Wakf, in capacity representative of Muslims, filed suit on 18.12.1961 against all Parties of earlier 3 suits, also in capacity representative of the Hindus. The four suits continued their course in different grades of Courts; but justice was nowhere in sight.

20. Then came the Muslim onslaught tirade against Kashmiri Pandits in 1989-90. Public posters were put up throughout Kashmir by Muslim militants decrying Hindus as *Kafirs* and warning Hindus to quit Kashmir or else face annihilation in terms of person and property. Many Pandits were shot dead in cold blood. About 300000 Hindu Pandits were displaced from their own homelands and properties in Kashmir to settle as refugees in safer places in the rest of India. Post-1947 Independence, in Islamic Republic of Pakistan, ever keen to grab Kashmir, the population of Hindus and their Temples dwindled to single digit figure by 2014. The Hindu Deities inside the *Babri Masjid*, namely the Idol of *Bhagwan Shree Ramlala* and Shree *Ram Janmmasthan (also known as Ram Janmabhumi) with Bhagwan Shree Ramlala Presiding* (Virajman) filed the 5th Suit in 1989. All the 5 suits went on and the matters

shuttled between Faizabad District Judiciary and High Court; but final outcome was not in sight.

21. Some Hindu zealots felt: 'Enough is enough', and in a flash of action destroyed *Babri Masjid* within few hours on 6.12.1992; a Make-shift Ram Temple with a Canvass Canopy over the Idol of Bhagwan Shree Ramlala was installed. The Government of India acted as swiftly and acquired the entire property (with lots of surrounding properties) by an Ordinance on 7th January 1993 followed by 'Acquisition of Certain Areas of Ayodhya Act 1993' and took possession of the whole area, and placed it under management of an 'Authorised Person', to wit, the Commissioner of Faizabad Division as Statutory Receiver. The Acquisition was challenged in Supreme Court which delivered the judgment on 24.10.1994, reported as *Dr. Ismail Faruqui & others Vs Union of India* in (1994) 6 SCC 360; the Act was upheld except in respect of the Disputed Area while all the suits were directed to proceed for final disposal. Exasperated by delays, Paramhans Ram Chandra Das withdrew his suit (the 2nd Suit of 1950); the remaining 4 suits continued.

22. Almost 10 years later, the Hon'ble High Court considered if archaeological excavation could help to determine the main issue, viz., "Whether there was Hindu Temple, or any Hindu religious structure existed, or the alleged Babri Masjid was constructed after demolishing temple at the site in dispute." (p. 219 of Agarwal J. judgment). After hearing the submissions of Parties, the Court Ordered on 23.10.2002 to have a non-intrusive investigation and report through Ground Penetrating Radar procedure (p.220), and by Order of 26.11.2002, appointed M/s Tojo Vikas International (Pvt) Ltd to make the survey and report. The survey report was submitted to Hon'ble Court on 17.2.2003. The survey revealed *'…….a variety of anomalies ranging from 0.5 to 5.5 meters in depth that could be associated with ancient and contemporaneous structures such as pillars, foundations, walls, slab-floorings extending over a large portion of the site'*. However, Tojo-Vikas opined that 'the exact nature of those anomalies has to be confirmed by systematic ground-truthing, such as provided by the archaeological trenching'. After hearing Parties, the Court by Order dated 5.3.2003 decided to have the site excavated by Archaeological Survey of India and issued detailed directions for the purpose (p.225). ASI submitted its report in two Volumes to the Court on 25.8.2003.

Site Excavation by ASI:

23. During the course of excavation, the Muslim Parties continued to file objections after objections, and the Court decided them from time to time, giving appropriate directions to ASI as found necessary. Ultimately the Hon'ble Court held (p.244) that only the final report (not the intermediate reports) shall be taken as evidence on record and the report shall be 'subject to objections and evidence which may be led by Parties'.

24. The last para of Summary of Results submitted by the ASI, *inter alia*, mentions discovery of a "***massive structure just below the Disputed Structure*** *with continuity of structural phases from 10th Century up to construction of disputed structure along with the yield of stone and decorated bricks as well as mutilated sculpture of Divine Couple, and carved architectural members including foliage patterns, amalak, kapotpali doorjamb with semi-circular pilaster, broken octagonal shaft of* ***black schist pillar****, lotus motif,* ***Circular Shrine*** *having pranala (waterchute) in the north,* ***fifty pillar bases*** *in association with the huge structure are indicative of remains which* ***are distinctive features found associated with the temples of North India***".

25. Muslim Parties filed a number of objections. Hon'ble Khan J., relying upon the views recorded by Hon'ble Agarwal J, preferred 'not to delve deep into the ASI Report' (p.114). Hon'ble Agarwal J. made a very thorough and detailed analysis of excavated material. At page 2177, he recorded:

> "Since some general but serious allegations have been levelled against ASI, though not substantiated, we shall examine all these aspects minutely…………so that there may not remain a grievance that one or the other aspect, howsoever minor it is, has escaped consideration the Court".

Indeed detailed analysis is made from p.2177 (para 3774) to p. 2445 (para 3989) of the judgment. The salient features of the findings are as follows:

(i) ASI is a Department of Government of India, and in law can be presumed to be an expert body of the Government on the subject of archaeology (p. 2181).

(ii) There is no force in objections with respect to *stratification/periodisation* made by ASI (P.2352).

(iii) ASI found 50 Pillar Bases (PB) of which 12 were completely exposed, 35 partially and 3 were traced in section. 20 *of these PB confirm GPR survey.* There were 17 rows of PB from North to South, each row having 5 PB. These 17 rows were constructed along with North-South brick-wall No. 16 (para 3902; No. 16 is the western wall of Temple and has been used as foundation wall for Mosque). Only in respect of 3 PBs Muslims complained of their having been 'planted'; and even those had been detected by GPR Survey (paras 2377 to 3900). Moreover, it is impossible to 'plant' PB within section-baulk of 2 walls. All the 50 PBs were attached to Floor No. 2 datable to 1200 AD and most of them were resting over Floor No. 4 which was the earliest floor of the Temple. Carbon dating confirmed the above period (para 3904). Finally, all objections to PBs were rejected (p.2390).

(iv) Pages 2401 onwards deal with Walls of Mosque as well as Temple. 28 walls were traced; Walls 1 to 15 belonged to Masjid, *Wall 16 to 28 belonged to the Temple and were underneath the Mosque structure.* ***Wall 5 of Mosque was directly resting over 50 Metres long Temple Wall 16 running North-South, which further projected towards North and South beyond the excavated area, and was attached to Floor No. 2 as well as to 50 PBs to its East; they all belonged to 12^{th} Century.*** P. 2403 mentions that below Wall No. 16, stood Wall No. 17 of the Temple of the same length and served as foundation for Wall No. 16.

(v) In respect of 'Circular Shrine' found on excavation (p.2404), Muslim Parties contended that it <u>*could*</u> be a 'Buddhist shrine' <u>*or*</u> 'tomb of erstwhile Islamic religious structure' (para 3931). The Court rejected the contention (p.2410) and held it to be Lord Shiva Shrine (paras 3937 to 3929).

(vi) In respect of <u>Animal</u> <u>Bones</u> found during excavation, Muslim Parties strongly urged that they could not be found in a Hindu Temple or religious place. Hon'ble Agarwal J. dealt with them in detail at p. 2421 to 2430. In para 3968, he mentioned that the collection of animal bones was recovered from <u>the 'fills of different periods'.</u> He held that these fills were brought from neighbouring areas to level the ground from time to time, hence their examination would only throw light about the area of their origin and have no bearing on the nature of layers of the excavated site. He referred to some witnesses of Muslim Parties that in some Hindu Temples, animals are sacrificed and bones may be found at temple sites too, and

are not associated with any particular community. He also observed that bones in such abundance could not be found even in Mosques or Islamic religious places, hence they are of no consequence (paras 3969/3970).

26. After dealing with several other items of recovery on excavation, Hon'ble Agarwal J. upheld ASI Report and rejected all objections (p. 2445 (para 3989). Indeed one would wonder whether Muslim Parties could lawfully lay claim of having some Muslim religious structure like 'tomb' or 'kanati Masjid' *underneath* the Babri Masjid despite admissions to the contrary made by their lawyer Sri Mohd Ayub in representative capacity of all Muslims on 20.1.1964 in Suit No. 4 (p.3672) that Babar had constructed Babri Masjid in 1528 from 'scratch' (*az sare-nao*) and, at that site, earlier there never existed any Hindu Temple or religious place (*Devasthan*) of any sort, or any construction. To the question as to how Mohd. Ayub could know the contents underneath the surface, the answer is in counter-question: How did the Hindus know that there was a Temple!

27. During demolition of *Babri Masjid* on 6.12.1992, a large Stone-slab (115Cm x 55Cm - p.2117) containing *20-line* engraved Inscription was recovered from the Western Wall of the Masjid. It is set out at p. 2119 to *2122* of Hon'ble Agarwal's judgment and p.3238 to 3241 of Hon'ble Sharma's Judgment. It exhaustively sets out the history behind its contents. The engraved inscription has been examined by epigraphists and Verse 19 read with Verse 21 mention that 'this beautiful Temple of god Vishnu-Hari' was constructed by Meghasuta, who had earned the lordship of Saket-Mandal (*Ayodhya* is also known as Saket) through Govindchand of Gahadwal dynasty which had Ayodhya within its territory (p.2128); the epigraphist proved it to concern 12th Century AD (p.2121 and p. 3177). Hon'ble Agarwal J. held that the genuineness and authenticity of the stone inscription cannot be doubted (p. 2125). ASI report strengthens the periodicity of that Temple. Since admittedly a lot of material of the Temple was used in constructing Babri Masjid, this large stone slab must have been drawn from that Temple and used in the Masjid.

28. The decision of the Hon'ble High Court on the basic questions, thus, may be stated as follows:

(a) Both *Ram Janmasthan* (also called *Ram Janmabhumi*) and *Bhagwan Shree Ramlala presiding over it* (Virajman), are Hindu Deities/Juristic Persons worshipped by Hindus since time immemorial. [Hon'ble Khan J. left this issue unanswered (p.108)].

(b) A Hindu Temple existed at *Ram Janmasthan* which was demolished and *Babri Masjid* was erected at the site of the Temple. [Hon'ble Khan J. held the site to have been in ruins (p. 103-104)].

(c) The exact 'place of birth' of Lord Ram was the site of Central Dome of the erstwhile Masjid, and would alone be known as *Ram Janmasthan or Ram Janmabhumi* [This view is open to question as shall appear later.]

(d) The Masjid was illegal, erected contrary to Islamic tenets; it could not even be a Mosque by User [See below for further comments].

(e) Hindus and Muslims had been in joint possession of Disputes Area, hence the whole site was liable to be partitioned in such a way that Hindus (*Bhagwan Shree Ramlala/Ram Janmabhumi*), Muslims (*Sunni Central Board of* Wakf) and *Nirmohi Akhara* would get 1/3rd share each with the condition that, in the Final Decree for Partition, the Central Dome area of the erstwhile Masjid shall be included in the share allotted to Bhagwan Shri Ramlala, Ram Chabutra, Sita Rasoi & Bhandar shall be allotted to the share of Nirmohi Akhara, and the share of Sunni Central Board of Wakf shall be carved out of the remaining part of Disputed Area with appropriate adjustment from the other land acquired by the Central Government under the Act of 1993. [This direction, too, is open to question as shall appear later].

29. **Re Ruins:** Hon'ble Khan J held that the disputed area was in ruins when the Masjid was erected. There is no *documentary* evidence to sustain this view. The *earliest* relevant document was the travel account by William Finch of 1608-1611 and *earliest* Gazetteer was by Walter Hamilton of 1828 mentioned at p. 93. Obviously these records were prepared, respectively, 80 and 300 years *after* the Masjid was erected; hence they could not indicate the situation as of 1528. Since Babar's own accounts reveal a spree of demolitions of Temples & erection of Masjids by his hordes during invading expeditions, the probability is that all Hindu religious structures at and around the disputed site would have been demolished hence, later, travellers found ruins around. The Vishnu-Hari Temple by Meghasut of the 12th Century could well have been there as shown above and demolished to erect Babri Masjid.

30. **Re Central Dome of Masjid as Birthplace of Lord Ram:** The *approach* of Hon'ble Agarwal J. to this issue, indicated in para 4372 at p.2784-2785, deserves careful attention. He observed that although religious texts mention that Lord Ram was born in Ayodhya and that Ayodhya "is his 'place of birth', yet they do not identify any particular place in Ayodhya

which can be said to be his 'place of birth'……………It is true that a search of a 'place of birth' after long time even today may not be very easy if one tried to find out in this regard just 3 or 4 generations back. Therefore, to make such kind of inquiry in a matter of such an antiquity *is almost impossible.* But when a dispute in such a manner is raised then we go by the well-accepted principle in law of evidence particularly as application (?-'applicable') in civil cases i.e., preponderance of evidence".

31. Three concepts arise in this observation: (i) His Lordship was looking for 'place of birth' instead of 'birthplace'. The 'place of birth' of a person may be in a Hospital, but his 'birthplace' would be the house of his ordinary residence at the time of birth – that is what a common man would understand in ordinary parlance, and laws are made for common men. (ii) Accordingly Court started looking for a *smaller place* where Ram could have been *born actually* though the exercise was described by the Court itself to be *impossible.* Perhaps sensing the mood of the Court [apparent from Court-queries to Hindu Parties Advocates as stated at p.101 by Hon'ble Khan J.] the witnesses, in cross-examination, started mentioning, the Central Dome of the Masjid as 'place of birth' which Lord Shree Ramlala was already presiding over. They started calling it as *Garbha-griha.* That was a situation of 'Devil & Deep Sea!' Nevertheless all those witnesses (perhaps – at least *most of them* definitely) asserted that they held the *entire disputed area* to be the Birthplace of Lord Ram. (iii) The rule of Probabilities, enacted in Definition of expression 'Proved' in Section 3 of Indian Evidence Act, established by, what the Court called, 'Preponderance of Evidence' made out the entire Disputed Area as the Birthplace because the *mass* of evidence was in favour of it. Temple, in Hindu Law, is the Home of the Deity. Supported by Devotees/Pilgrims making *Parikrama* during *darshan-puja* of the Deity around the whole of the Disputed Structure since time immemorial as recorded by Father Joseph Tieffenthaler in his travel accounts of 1766-71, the preponderance/probability in favour of the entire disputed area was reasonably established. The circumbulation path (*Parikrama*) was found existing at the spot in 1885-suit by Court Amin, and in 1950-suit (of Gopal Singh Visharad) by the Advocate-Commissioner appointed by the Court. The Muslim Parties have admitted the existence of the '*path'*, but state it to be the *'apron'* of the Mosque.

32. **Re Mosque by User:** Only Hon'ble Khan J held Babri Masjid to be valid by User. Admittedly the Mosque stood at a place which did not belong to its builder, be he Babar or

Mir Baqi. Hon'ble Khan J took the view that the ownership of the site was *not proved to vest in anyone*, hence long user promoted an illegal structure to the status of valid Mosque. Since the Disputed Area is proved to be the site of Hindu Temple, and the site itself (*Ram Janmabhumi/Janmasthan*) was a Hindu Deity capable of owning property, at the time of erection of the Masjid, its ownership vested in the Deity – it was not *res nullius.* Secondly, since both Hon'ble J Khan and Agarwal have held the site of Central Dome to be the Deity, at *least that portion* could never be transformed into a Mosque, and with that the whole of the Mosque must go; there cannot be a partial mosque within a whole Temple. Thirdly, the doctrine of '*non-est*' shall apply to such a Mosque; it is 'still-born', it cannot be infused with life in any manner.

33. **Re Joint Ownership of Mosque/Temple:** The Court has held that none of the Parties acquired title by Adverse Possession. That is the only legal method of acquiring rights in another's property; mere user cannot materialise into title. The finding is of Hindus and Muslims 'offering of prayers'. Obviously there could not be 'joint prayers'; there could only be 'exclusive prayers offered separately'. That sort of worship/namaz could only be 'permissive'; no title could accrue thereby. The concept of partition, therefore, needs rethinking.

<u>Ram Temple when?</u>

34. The legal battle for Ram Temple began in 1885 with Mahant Raghubar Das Suit; Hindus failed. Extra-constitutional battles, of course, had been going on since the very erection of Babri Masjid, and both Hindu and Muslim lives were lost over centuries. However, Hindus could make a foothold inside a portion of Masjid's premises. The current legal battle commenced in 1950 and it took 60 years for our Courts to decide the cases in September 2010. [Taken from 1885 litigation, the duration of judicial process would be 125 years!] Five years have passed since the matter is pending in Supreme Court. In the meantime, the Deities stay under a canvass canopy, liable to suffer ravages of changing seasons, and devotees/pilgrims Hindus bear the torture of long tortuous queues in single file for hours together to have *Darshan* of Lord Ram and Janmabhumi; they themselves *cannot perform Puja* which has only to be done by one *Pujari* only. Small conveniences or improvements are opposed by Muslim Parties in the name of *Status quo.* [Even self-grown or

planted Basil (*Tulsi*) cannot be permitted to grow]. Hindus have already won substantially, and although Muslims should have given up their claim in the circumstances pointed out in this paper, the final judicial word has yet to come.

35. It is said that the main hurdle in speedy disposal of Appeals (a Constitutional Fundamental Right) in Hon'ble Supreme Court is *incomplete translation* of non-English record into English language as required by Constitution of India. It is felt that as soon as translation of non-Hindi/Urdu records is over (whose volume is not much), the Hon'ble Supreme Court can mould the Rules of Procedure in such a way that original records in Hindi/Urdu (which is huge) may be directly accessed by all concerned during hearing because we have a number of Hon'ble Judges who are at ease with both of those languages. In that case, it may be possible to commence the hearing in first-half and deliver judgment in second-half of the year 2016. Thus, construction of Ram Temple may be achieved by the year 2018. Amen.

****

Ram Janmbhoomi: Title Dispute and the Way Forward

-Vikramjit Banerjee[1] and Shubhendu Anand[2]

The Ram Janmbhoomi dispute, dealing with the birthplace of Lord Ram whom Mohammad Iqbal referred to as '*Imam-e-Hind*' and who is the civilizational symbol of India stretching from Vietnam to the Caribbean, is one of the most important legal disputes in the history of India. It is a legacy of our past and without the resolution of the Ram Janmbhoomi there can be no effective resolution of historical wrongs.

The present paper highlights the background of the litigation arising out of the Ram Janmbhoomi dispute and suggests the way forward as to how to solve the same.

Sequence of Events

In pursuance to two suits filed by Hindus in 1950, the Faizabad Trial Court passed interim orders whereby the idols remained at the place where they were installed in December 1949 and their Puja by the Hindus continued. This interim order was confirmed by the High Court in April 1955. Thereafter, in 1959, a suit was filed by the Nirmohi Akhara claiming title to the disputed structure. In 1961, another suit was filed claiming title to the disputed structure by the Sunni Central Wakf Board. In 1989, Deoki Nandan Agarwal, as the next friend of the Deity filed a title suit in respect of the disputed structure in the Faizabad District Court making both Sri Ramlala Virajman and the site of Janm-Bhoomi as petitioners in their capacity as "Deities" and praying for the relief to declare the entire premises as Ramlala's property. In 1989, the suits were transferred to the Allahabad High Court and were ordered to be heard together. On 14-8-1989, the High Court ordered the maintenance of status quo in respect of the disputed structure. Para 1.2 of the aforementioned White Paper states that: *"....interim orders in these civil suits restrained the parties from removing the*

---

[1] Advocate, Supreme Court of India.
[2] Law student, University of Delhi.

idols or interfering with their worship. In effect, therefore, from December 1949 till December 6, 1992 the structure had not been used as a mosque."[1]

Issues during Negotiations

In an order to find an amicable solution to the dispute, negotiations between the Vishwa Hindu Parishad and the All India Babri Masjid Action Committee were held. In the negotiations, one issue which came to the fore was whether a Hindu temple had existed on the site occupied by the disputed structure and whether it was demolished on Babar's orders for the construction of the Masjid. It was stated on behalf of the Muslim organisations that there was no evidence in favour of either of these two assertions. *It was also stated by certain Muslim leaders that if these assertions were proved, the Muslims would voluntarily handover the disputed shrine to the Hindus.*[2] This formed the backbone of negotiations between the VHP and AIBMAC.

Affidavit of the Central Government

The Special Presidential Reference was made to the Supreme Court of India on the question whether there was a Hindu temple existing on the site where the disputed structure stood. The Government agreed to abide by the opinion of the Hon'ble Supreme Court with respect to the disputed property and determine the rights of the parties in the light of the Court's opinion.

On 14th September, 1994, the then Solicitor General of India, Shri Dipankar P. Gupta made the following statement in a written affidavit on being asked by the Honourable Court to further clarify the stand of the Central Government about the purpose of the Special Reference:

"If efforts at a negotiated settlement as aforesaid do not succeed, Government is committed to enforce a solution in the light of the Supreme Court's opinion and consistent with it, Government's action in this regard will be even-handed in respect of both the communities. If

---

[1] (1994) 6 SCC 360; para 9
[2] (1994) 6 SCC 360; para 11

the question referred is answered in the affirmative, namely, that a Hindu temple/structure did exist prior to the construction of the demolished structure, Government action will be in support of the wishes of the Hindu community. If, on the other hand, the question is answered in the negative, namely, that no such Hindu temple/structure existed at the relevant time, then Government action will be in support of the wishes of the Muslim community."[1]

Distinction between Disputed Property and Adjacent Property

In **Dr Ismail Faruqui vs Union of India**[2], while upholding the validity of acquisition of lands by the Central government, the Supreme Court made the following observation:

"….the interest claimed by the Muslims is only over the disputed site where the mosque stood before its demolition. The objection of the Hindus to this claim has to be adjudicated. The remaining entire property acquired under the Act is such over which no title is claimed by the Muslims. A large part thereof comprises of properties of Hindus of which the title is not even in dispute."

The Supreme Court made a clear distinction between two categories of lands thus:

(a) As described in the white paper, the small area of land over which Ram Janmbhomi-Babri Masjid stood, including the inner courtyard and outer courtyard of the structure before it was demolished on December 6, 1992 is the **disputed property**,

(b) **Undisputed property** consists of large extent of about 67 acres of land in the locality, belonging to various persons, including 43 acres belonging to Rama Janmabhoomi Nyas.

As regards the disputed land, the Supreme Court held that the disputed land shall be with the Central government as a receiver and it shall be handed over to the party succeeding in the suits pending before the Allahabad High Court.

---

[1] (1994) 6 SCC 360; para 15
[2] (1994) 6 SCC 360; para 49

The Present Status

On 30th September 2010, the Lucknow Bench of the Allahabad High Court ruled that the disputed site, with an area of 2,400 square feet (220 m^2), should be divided into three parts. The ruling stated that the third of the site on which the idol of Rama was placed would be granted to the deity Ram Lalla Virajmaan. Another third of the site would be granted to the Sunni Wakf Board, and the remaining third to Nirmohi Akhada.

Pursuant to this SLP and cross SLP were filed by both the partied aggrieved by the judgment of the High Court.

In its order dated, 9th May, 2011, the Supreme Court bench comprising of Justice Aftab Alam and Justice R.M. Lodha, in Civil Appeal No.- 10866-10867 of 2010, stated that during the pendency of the appeals the operation of the judgment and decree passed by the Allahabad High Court shall remain stayed. The court passed the following orders: *During the pendency of the appeals, the parties shall maintain status quo in regard to suit land, as directed by an earlier judgment and order passed by this Court in 'Dr. M. Ismail Faruqui & Ors. v. Union of India & Ors.' (1994) 6 SCC 360 vide paras 86, 87.*

On 25th February, 2013, the Supreme Court bench comprising of Justice Aftab Alam and Justice Ranjana Prakash Desai, on applications filed by the Authorized Person/Commissioner, Faizabad Division, Faizabad, Uttar Pradesh, stating that the tarpaulin, polythene sheet and the ropes, fastening the cover over the makeshift structure have become old and weak and need to be replaced at the earliest, directed that the old and worn out tarpaulin, polythene sheet and ropes over the makeshift structure shall be replaced by new ones of the same size and quality and exactly in the same manner as they were previously placed so that the status quo doesn’t change. It was also ordered that the process of replacement of the old cover by the new one will be undertaken and completed under the supervision of the two observers who have been visiting the site.

Applications were filed by the Registrar General, Allahabad High Court, who sought to impleadment in the pending appeals in order to seek clarification as to whether the observers appointed by the High Court during the pendency of the trial would still be required to

visit the disputed site and the disputed land every fortnight on Sunday and would continue to submit the reports as before. To this, the Court stated, “As regards the two observers who have been visiting the disputed site since their appointment by the orders of the High Court, dated March 26, 2003, and April 26, 2010, we direct that the two observers, namely, Mr. S.K. Singh and Mr. T.M. Khan, shall continue to visit the site and perform the duties assigned to them by the High Court. They would additionally see that the direction of this Court as contained in the order dated May 9, 2011 to maintain status quo at the site is duly observed by everyone. They would continue to keep a vigil over the articles brought out in course of excavation of the site and shall also continue to submit their fortnightly reports to this Court.”

Recently, in August, 2015, Dr. Subramanian Swamy filed a petition before the Supreme Court of India to issue a directive to the Uttar Pradesh State government to provide basic minimum facilities like drinking water or toilets to visitors and to have a better darshan and perform puja. Dr. Swamy pleaded that the status quo order passed by the SC in 1996 was limited to prohibit building of any structure at the disputed site, but there was no bar in constructions to facilitate amenities for pilgrims visiting the place.

The way forward

A. In accordance with the affidavit filed by the Solicitor General of India in *Ismail Faruqui* case, the Government may hand over the property to the party who won in the trial court since it has been established in the courts that there existed a temple on the site where Babri Masjid was erected.

B. Government may handover the property to the party who succeeds in the above mentioned Civil Appeals (10866-10867 of 20110) filed in the Supreme Court. But, since the Supreme Court has asked, by its order dated August 10, 2015, for translation of the entire documents, there could be a legitimate apprehension that it is not inclined to hear the matter at an urgent date.

C. A Presidential Reference, under Article 143 of the Indian Constitution, may be made to the Supreme Court of India in order to seek a solution to the title dispute. But

there are greater chances that the Supreme Court may return it unanswered stating that it is a political matter and the solution lies outside the Court.

D. A law by consensus may be enacted dealing with the division of property which would be acceptable to all the parties. However, the details of the solution need to be worked out in advance by the parties involved and such a solution should be made a part of the statute itself.

The biggest challenge of this process of enacting a law is that it is susceptible to challenge in the courts.

E. The Government may acquire the entire land and distribute the property in a way it deems fit by working out a political solution which would involve consultation with the parties involved.

Again there may be some parties who would be aggrieved by this solution and may object to such acquisition proceeding and the challenge to the acquisition of land may take some time to be disposed off. It is also a question as to whether Government can acquire land and distribute it for a religious purpose.

Conclusion

It is suggested that the solution to arrive at a consensus through a political process is the best possible solution. The process would require that through consent of all parties a law be framed settling the matter once and for all, the details for which need to be worked out in advance.

As a first step it is suggested that the government return the undisputed land to the owners and restrict the dispute between the parties to the disputed land only. The solution can only be forthcoming if the dispute is limited.

The solution to the dispute may take some more time but it is essential that concrete steps may be taken towards its settlement. The present nationalist government, enjoying wide confidence across all spectrum of public, is the best suited to take such brave steps.

Summary of Report of the Excavation Conducted by Archaeological Survey of India

Dr.A.K.Sharma[1]

Excavation at the disputed site of Rama Janmabhumi Babri Masjid was carried out by the Archaeological Survey of India from 12th March, 2003 to 7th August, 2003. During this period, as per the directions of the Hon'ble High Court, Lucknow, 82 trenches were excavated to verify the anomalies mentioned in the report of the Ground Penetrating Radar Survey which was conducted at the site prior to taking up the excavations. A total number of 82 trenches along with some of their baulks were checked for anomalies and anomaly alignments. The anomalies were confirmed in the trenches in the form of pillar bases, structures, floors and foundation though no such remains were noticed in some of them at the stipulated depths and spots. Besides the 82 trenches, a few more making a total of 90 finally were also excavated keeping in view the objective fixed by the Hon'ble High Court to confirm the structures.

The results of the excavation are summarized as hereunder:

The Northern Black Polished Ware (NBPW) using people were the first to occupy the disputed site at Ayodhya during the first millennium B.C. although no structural activities were encountered in limited area probed, the material culture is represented by terracotta figurines of female deities showing archaic features, beads of terracotta and glass, wheels and fragments of votive tanks etc. The ceramic industry has the collection of NBPW, the main diagnostic trait of the period besides the grey, black slipped and red wares. A round signet with legend in Asokan Brahmi is another important find of this level. On the basis of material equipment and 14 C dates, this period may be assigned to circa 1000 B.C. to 300 B.C.

The Sunga horizon (second-first century B.C.) comes next in the order of the cultural occupation at the site. The typical terracotta mother goddess, human and animal figurines, beads, hairpin, engraver etc. represent the cultural matrix of this level. The pottery collection includes black slipped, red and grey wares etc. the stone and brick structure found from this level mark the beginning of the structural activity at the site.

[1] Ex.Deputy Director, Archeological Survey of India.

The Kushan period (first to third century A.D.) followed the Sunga occupation. Terracotta human and animal figurines, fragments of votive tanks, beads, antimony rod, hair pin, bangle fragments and ceramic industry comprising red ware represent the typical Kushan occupation at the site. Another important feature of this period is the creation of large sized structures as witnessed by the massive structure running into twenty-two courses.

The advent of Guptas (fourth to sixth century A.D.) did not bring any qualitative change in building activity although the period is known for its Classical artistic elements. However, this aspect is represented by the typical terracotta figurines and a copper coin with the legend Sri Chandra (Gupta) and illustrative potsherds.

During the Post-Gupta-Rajput period (seventh to tenth century A.D.), too the site has witnessed structural activity mainly constructed of burnt bricks. However, among the exposed structures, there stands a circular brick shrine which speaks of its functional utility for the first time. To recapitulate quickly, exteriorly on plan, it is circular whereas internally squarish with an entrance from the cast. Though the structure is damaged, the northern wall still retains a provision for pranala, i.e., water chute which is a distinct feature of contemporary temples already known from the Ganga-Yamuna plain.

Subsequently, during the early medieval period (eleventh-twelfth century A.D.) a huge structure, nearly 50 m in north-south orientation was constructed which seems to have been short-lived, as only four of the fifty pillar bases exposed during the excavation belong to this level with a brick crush floor. On the remains of the above structure was constructed a massive structure with at least three structural phases and three successive floors attached with it. The architectural members of the earlier short-lived massive structure with stencil cut foliage pattern and other decorative motifs were reused in the construction of the monumental structure having a huge pillared hall (or two halls) which is different from residential structures, providing sufficient evidence of a construction of public usage which remained under of a construction of public usage which remained under existence for a long time during the period VII (Medieval-Sultanate level – twelfth to sixteenth century A.D.) It was over the top of this construction during the early sixteenth century, the disputed structure was constructed directly resting over it. There is sufficient proof of existence of a massive and monumental structure having a minimum dimension of 50 % 30 m in north-south and east-west directions respectively just below the disputed structure. In course of present

excavations nearly 50 pillar bases with brick bat foundation, below calcrete blocks topped by sandstone blocks were found. The pillar bases exposed during the present excavation in northern and southern areas also give an idea of the length of the massive wall of the earlier construction with which they are associated and which might have been originally around 60 m (of which the 50 m length is available at present). The centre of the central chamber of the disputed structure falls just over the central point of the length of the massive wall of the preceding period which could not be excavated due to presence of Ram Lala at the spot in the make shift structure. This area is roughly 15 % 15 m on the raised platform. Towards east of this central point a circular depression with projection on the west, cut into the large sized brick pavement, signity the place where some important object was placed. Terracotta lamps from the various trenches and found in a group in the levels of Periods VII in trench G2 are associated with the structural phase.

In the last phase of the period VII glazed ware sherds make their appearance and continue in the succeeding levels of the next period where they are accompanied by glazed tiles which were probably used in the original construction of the disputed structure. Similar is the case of celadon and porcelain sherds recovered in a very less quantity they come from the secondary context. Animal bones have been recovered from various levels of different periods, but skeletal remains noticed in the trenches in northern and southern areas belong to the Period IX as the grave pits have been found cut into the deposition coeval with the late disputed structures and are scaled by the top deposit.

It is worthwhile to observe that the various structures exposed right from the Sunga to Gupta period do not speak either about their nature or functional utility as no evidence has come to approbate them. Another noteworthy feature is that is was only during and after Period IV (Gupta level) onwards up the Period IX (late and post-Mughal level) that the regular habitational deposits disappear in the concerned levels and the structural phases are associated with either structural debris or filling material taken out from the adjoining area to level the ground for construction purpose. As a result of which much of the earlier material in the form of pottery, terracottas and other objects of preceding periods, particularly of Period I (NBPW level) and Period III (Kushan level) are found in the deposits of later periods mixed along time till the Period VIII (Mughal level) when the disputed structure was built which was confined to a limited area and population settled around it as evidenced by the increase

in contemporary archaeological material including pottery. The same is further attested by the increase in contemporary archaeological material including pottery. The same is further attested by the conspicuous absence of habitational structures such as house-complexes, soakage pits, soakage jars, ring wells, drains, wells, hearths, kilns or furnaces etc. from Period IV (Gupta level) onwards and in particular from Period VI (Early Medieval-Rajput level) and Period VII (Medieval-Sultancate level).

The site has also proved to be significant for taking back its antiquarian remains for the first time to the middle of the thirteenth century B.C. (1250-130 B.C.) on the analogy of the C14 dates. The lowest deposit above the natural soil represents the NBPW period and therefore the earliest remains may belong to the thirteenth century B.C. which is confirmed by two more consistent C14 dates from the NBPW level (Period I), viz. 910-100 B.C. and 880-100 B.C.) These dates are from trench G7. Four more dates from the upper deposit though showing presence of NBPW and associated Pottery are determined by Radio-Carbon dating as 780-80 B.C., 710-90 B.C., 530-70 B.C. and 320-80 B.C. In the light of the above dates in association with the Northern Black Polished Ware (NBPW) which is generally accepted to be between circa 600 B.C. to 300 B.C. it can be pushed back to circa 1000 B.C. and even if a solitary date, three centuries earlier is not associated with NBPW, the human activity at the site dates back to circa thirteenth century B.C. on the basis of the scientific dating method providing the only archaeological evidence of such an early date of the occupation of the site.

The Hon’ble High Court, in order to get sufficient archaeological evidence on the issue involved “whether there was any temple/structure which was demolished and mosque was constructed on the disputed site” as stated on page I and further on p. 5 of their order dated 5th March 2003, had given directions to the Archaeological Survey of India to excavate at the disputed site where the GPR Survey has suggested evidence of anomalies which could be structure, pillars, foundation walls, slab flooring etc. which could be confirmed by excavation. Now, viewing in totality and taking into account the archaeological evidence of a massive structure just below the disputed structure and evidence of continuity in structural phases from the tenth century onwards up to the construction of the disputed structure along with the yield of stone ande decorated bricks as well as mutilated sculpture of divine couple and carved architectural members including foliage patterns, amalaka, kapotapali doorjamb

with semicircular pilaster, broken octagonal shaft of black schist pillar, lotus motif, crrcular shrine having parnala (water chute) in the north, fifty pillar bases in association of the huge structure, are indicative of remains which are distincture, are indicative of remains which are distinctive features found associated with the temples of north India.

Shri Ram Temple: Whether Reconciliation is Possible?

Ashok Mehta[1]

In the present paper the emphasis is on "Whether under present legal scenario reconciliation is possible on Sri Ram Temple Construction?" The paper is relying upon the judgement of High Court (30.09.2010) as well as apex court (24.10.1996)

IN RE AYODHYA MATTER

Whether a Hindu temple or any Hindu religious structure existed prior to the construction of the structure (including the premises of the inner and outer courtyards of such structure), commonly known as the Ram Janma Bhumi-Babri Masjid, in the area in which the structure stood in village Kot Ramachandra in Ayodhya, in Pargana Haveli Avadh, in Tehsil Faizabad Sadar, in the district of Faizabad of the State of Uttar Pradesh, which is located in Revenue Plot Nos. 159 and 160 in the said village Kot Ramachandra[2].

The Central Government under the said Ordinance proposes to settle the said dispute after obtaining the opinion of the Supreme Court of India and in terms of the said opinion[3].

Therefore, on 7th Jan, 1993 in exercise of the powers conferred upon by Clause (1) of article 143 of the Constitution of India, the President referred the following question to the Supreme Court of India for consideration and opinion thereon, namely,

Whether a Hindu temple or any Hindu religious structure existed prior to the construction of the Ram Janma Bhumi-Babri Masjid (including the premises of the inner and

---

[1] Senior Advocate, Additional Solicitor General of India,
[2] (Para-104, Page-426-1994 VI SCC)
[3] (Para-104, Page-427-1994 VI SCC)

outer courtyards of such structure) in the area on which the structure stood[1]? On 14.09.1994 the learned Solicitor General made the following statement in response:-

Government stands by the policy of secularism and of even-handed treatment of all religious communities. The Acquisition of Certain Areas at Ayodhya Act, 1993 as well as the Presidential Reference, have the objective of maintaining public order and promoting communal harmony and the spirit of common brother-hood amongst the people of India.

Government is committed to the construction of a Ram temple and a mosque, but their actual location will be determined only after the Supreme Court renders its opinion in the Presidential Reference.

Government will treat the finding of the Supreme Court on the question of fact referred under Article 143 of the Constitution as a verdict which is final and binding.

In the light of the Supreme Court's opinion and consistent with it, Government will make efforts to resolve the controversy by a process of negotiations. Government is confident that the opinion of the Supreme Court will have a salutary effect on the attitudes of the communities and they will no longer take conflicting positions on the factual issue settled by the Supreme Court.

If efforts at a negotiated settlement as aforesaid do not succeed, Government is committed to enforce a solution in the light of the Supreme Court's opinion and consistent with it, Government's action in this regard will be even-handed in respect of both the communities. If the question referred is answered in the affirmative, namely, that a Hindu temple/structure did exist prior to the construction of the demolished structure, Government action will be in support of the wishes of the Hindu community. If, on the other hand, the question is answered in the negative, namely, that no such Hindu temple/structure existed at the relevant time, then Government action will be in support of the wishes of the Muslim community[2]. There after the learned Solicitor General was asked to clarify whether the

[1]Para-104, Page-427-1994 VI SCC.

[2] Para-105, Page-427-28 1994 VI SCC.

Central Government proposed to act in support of either community's wishes as presently known or as ascertained after the answer to the reference was given and negotiations had failed. The learned Solicitor General was unable to get instructions in this behalf from the Central Government. **It is fair to say that he had not much time to do so** as the arguments were closed on the day after the clarification was sought.

"During the negotiations aimed at finding an amicable solution to the dispute one issue which came to the fore was whether a Hindu temple had existed on the site occupied by the disputed structure and whether it was demolished on Babar's order for the construction of the masjid.... **It was stated by certain Muslim leaders that if these assertions were proved, the Muslims would voluntarily hand over the disputed shrine to the Hindus".**[1] The Supreme Court observed at a later stage when the exact area acquired which is needed, for achieving the professed purpose of acquisition, can be determined, it would not merely be permissible but also desirable that the superfluous excess area is released from acquisition and reverted to its earlier owner. The challenge to acquisition of any part of the adjacent area on the ground that it is unnecessary for achieving the objective of settling the dispute relating to the disputed area cannot be examined at this stage but, in case the superfluous area is not returned to its owner even after the exact area needed for the purpose is finally determined, it would be open to the owner of any such property to then challenge the superfluous acquisition being unrelated to the purpose of acquisition. Rejection of the challenge on this ground to acquisition at this stage, by the undisputed owners of any such property situate in the vicinity of the disputed area, is with the reservation of this liberty to them. There is no contest to their claim of quashing the acquisition of the adjacent properties by anyone except the Central Government which seeks to justify the acquisition on the basis of necessity. On the construction of the statute made by us, this appears to be the logical, appropriate and just view to take in respect of such adjacent properties in which none other than the undisputed owner claims title and interest[2].

---

[1]Paras 2.1, 2.2 and 2.3 of the White Paper; Para-107, Page-428 1994 VI SCC.

[2] (Para-50, Page-408 1994 VI SCC)

So it is with specific caveat of the Central Government's duty to restore it to its owner, as indicated earlier, if it is found later to be unnecessary; and reservation of liberty to the owner to challenge the needless acquisition when the total need has been determined[1].

The apex court further observed:-

Ostensibly, the alternate dispute resolution mechanism adopted is that of a simultaneous Reference made the same day under Article-143 (1) of the Constitution to this Court for decision of the question referred. It is clear from the issues framed in those suits that the core question for determination in the suits is not covered by the Reference made, and it also does not include therein the defences raised by the Muslim community. It is also clear that the answer to the question referred, whatever it may be, will not lead to the answer of the core question for determination in the pending suits and it will not, by itself, resolve the long-standing dispute relating to the disputed area. Reference made under Article-143 (1) cannot, therefore, be treated as an effective alternate dispute resolution mechanism in substitution of the pending suits which are abated by Section-4 (3) of the Act. For this reason, it was urged, that the abatement of pending suits amounts to denial of the judicial remedy available to the Muslim community for resolution of the dispute and grant of the relief on that basis in accordance with the scheme of redress under the rule of law envisaged by the Constitution. The validity of Sub-section (3) of Section 4 is assailed on this ground.

To appreciate the stand of the Central Government on this point, we permitted the learned Solicitor General to make a categorical statement for the Union of India in this behalf. The final statement made by the learned Solicitor General of India in writing dated 14.9.1994 forming a part of the record, almost at the conclusion of the hearing, also does not indicate that the answer to the question referred would itself be decisive of the core question in controversy between the parties to the suits relating to the claim over the disputed site. According to the statement, the Central Government proposes to resort to a process of negotiation between the rival claimants after getting the answer to the question referred, and

---

[1] (Para-57, Page-411 1994 VI SCC)

if the negotiations fail, then to adopt such course as it may find appropriate in the circumstances.[1]

The Supreme Court have taken on the question of validity of the statute (Act No. 33 of 1993) and as a result of upholding the validity of the entire statute, except Section-4(3) thereof, resulting in revival of the pending suits and legal proceedings wherein the dispute between the parties has to be adjudicated, the Reference made under Article -143 (1) becomes superfluous and unnecessary. For this reason, it is unnecessary for us to examine the merits of the submissions made on the maintainability of this Reference. Accordingly, very respectfully decline to answer the Reference and return the same.[2]

It may be said that the revive of the suits not debar the Central Government from negotiating to bring an amicable solution to the dispute at Ayodhya and such negotiations depend upon the answer given to the question posed by the Reference.[3]

It is not our suggestion that a court of law is not competent to decide such a question. It can be done if expert evidence of archaeologists and historians is led, and is tested in cross examination.

The principal protagonists of the two stands appearing in the cases will lead evidence cross examine. Learned Solicitor General stated that the Central Government would place before the court the material that it had collected from the two sides during the course of earlier negotiations the Court being well equipped to examine and evaluate such material, would have to appoint experts in the field to do so, and their evaluation would go unchallenged. Apart from the inherent in-advisability of rendering a judicial opinion on such evaluation, the opinion would be liable to the criticism of one or both sides that it was rendered without hearing them or their evidence. This would ordinarily be of no significance for they had chosen to stay away, but this opinion is intended to create a public climate for negotiations and the criticism would find the public ear, to say nothing of the fact that it would impair this Court's credibility.

[1] (Para-61-62, Page-412 1994 VI SCC).
[2] (Para-83, Page-418 1994 VI SCC).
[3] (Para-145, Page-439 1994 VI SCC).

Ayodhya is a storm that will pass. The dignity and honour of the Supreme Court cannot be compromised because of it.[1] According to apex court the result is that all the pending suits and legal proceedings stand revived, and they shall be proceeded with, and decided, in accordance with law. It follows further as a result of the remaining enactment being upheld as valid that the disputed area has vested in the Central Government as a statutory receiver with a duty to manage and administer it in the manner provided in the Act maintaining status quo therein by virtue of the freeze enacted in Section 7(2); and the Central Government would exercise its power of vesting that property further in another authority or body or trust in accordance with Section 6(1) of the Act in terms of the final adjudication in the pending suits. The power of the courts in the pending legal proceedings to give directions to the Central Government as a statutory receiver would be circumscribed and limited to the extent of the area left open by the provisions of the Act. The Central Government would be bound to take all necessary steps to implement the decision in the suits and other legal proceedings and to hand over the disputed area to the party found entitled to the same on the final adjudication made in the (sic). The parties to the suits would be entitled to amend their pleadings suitably in the light of our decision.[2]

The Supreme Court at last observed the hearing left us wondering why the dispute cannot be resolved in the same manner and in the same spirit in which the matter was argued, particularly when some of the participants are common and are in a position to negotiate and resolve the dispute. We do hope this hearing has been the commencement of that process which will ensure an amicable resolution of the dispute and it will not end with the hearing of this matter. This is a matter suited essentially to resolution by negotiations which does not end in a winner and a loser while adjudication leads to that end. It is in the national interest that there is no loser at the end of the process adopted for resolution of the dispute so that the final outcome does not leave behind any rancour in anyone. This can be achieved by a negotiated solution on the basis of which a decree can be obtained in terms of such solution

---

[1] (Para-151-152, Page-441 1994 VI SCC).

[2] (Para-84, Page-418 1994 VI SCC).

in these suits. Unless a solution is found which leaves everyone happy, that cannot be the beginning for continued harmony between "we the people of India"[1].

The suits before Special Full Bench revived. At this juncture, it may also be noted that Sri Zafaryab Jilani, learned counsel for Waqf Board and other Muslim parties had given his statement under Order X Rule 2, C.P.C. on 22.4.2009 and categorically stated that his **parties did not dispute that Lord Ram was born at Ayodhya (previously this was also an area of dispute between the parties). Sri Jilani during arguments repeatedly contended that it was not disputed that Lord Ram was born at Ayodhya.** However, he very seriously disputed the assertion that Lord Ram was born at the premises in dispute. Similar statement under order X Rule 2 C.P.C. was given on the same date by Messrs M.A. Siddiqui and Syed Irfan Ahmad learned counsel for other Muslim parties. The statement is quoted below:-

"For the purposes of this case there is no dispute about the faith of Hindu devotees of Lord Rama regarding the birth of Lord Rama at Ayodhya as described in Balmiki Ramayana or as existing today. It is, however, disputed and denied that the site of Babri Masjid was the place of birth of Lord Rama. It is also denied that there was any Ram Janam Bhoomi Temple at the site of Babri Masjid at any time whatsoever[2].

It shall be better before proceeding further to discuss Archeological Survey of India report.

A.S.I. Report: - Through orders dated 01.08.2002 & 23.10.2002, Geo Radiological Survey of the ground beneath the premises in dispute was suo-motu ordered to be held. The said order was passed, in spite of opposition of almost all the parties, under Order XVI Rule 14, Order XVIII Rule 18, Order XXVI Rule 10-A and Section 151, C.P.C. G.P.R. Survey was conducted by Tojo-Vikas International Pvt. Ltd. It submitted the report on 17.02.2003. According to the report some anomalies were observed. Accordingly, the court through order dated 05.03.2003 directed excavation by A.S.I. The A.S.I. after excavation submitted the report on 25.08.2003. The last para of Summary of Results of the report is quoted below:

[1] (Para-89, Page-420 1994 VI SCC).
[2](Page-101 of Ayodhya SPFB Judge Matter All. H.C.)

“The Hon'ble High Court, in order to get sufficient archaeological evidence on the issue involved “whether there was any temple/structure which was demolished and mosque was constructed on the disputed site” as stated on page 1 and further on p. 5 of their order dated 5 march 2003, had given directions to the Archaeological Survey of India to excavate at the disputed site where the GPR Survey has suggested evidence of anomalies which could be structure, pillars, foundation walls, slab flooring etc. which could be confirmed by excavation . Now, viewing in totality and taking into account the archaeological evidence of a massive structure just below the structure and evidence of continuity in structural phases from the tenth century onwards upto the construction of the disputed structure alongwith the yield of stone and decorated bricks as well as mutilated sculpture of divine couple and carved architectural' members including foliage patterns, amalaka, kapotapali doorjamb with semi-circular pilaster, broken octagonal shaft of black schist 130 pillar, lotus motif, circular shrine having pranala (waterchute) in the north, fifty pillar bases in association of the huge structure, are indicative of remains which are distinctive features found associated with the temples of north India.”[1]

Special Full Bench judgement dated 30.09.2010 has given following findings. As per justice SU Khan, J.:- Mosque was constructed over the ruins of temples which were lying in utter ruins since a very long time before the construction of mosque and some material thereof was used in construction of the mosque.

As per Justice Sudhir Agarwal, J.:-

The area covered under the central dome of the disputed structure is the birthplace of Lord Rama as per faith and belief of Hindus. The building in dispute was constructed after demolition of NonIslamic religious structure, i.e., a Hindu temple. As per Justice D.V. Sharma, J.:-

The disputed site is the birth place of Lord Ram. Place of birth is a juristic person and is a deity. It is personified as the spirit of divine worshipped as birth place of Lord Rama as a child. Spirit of divine ever remains present everywhere at all times for anyone to invoke at

[1] Page-68 of SPFB Judge Matter All. H.C.

any shape or form in accordance with his own aspirations and it can be shapeless and formless also.

The disputed structure was constructed on the site of old structure after demolition of the same. The Archeological Survey of India has proved that the structure was a massive Hindu religious structure.

It is established that the property in suit is the site of Janm Bhumi of Ram Chandra Ji and Hindus in general had the right to worship Charan, Sita Rasoi, other idols and other object of worship existed upon the property in suit. It is also established that Hindu have been worshipping the place in dispute as Janm Sthan i.e. a birth place as deity and visiting it as a sacred place, place of pilgrimage as of right since time immemorial. After the construction of the disputed structure it is proved the deities were installed inside the disputed structure on 22/23.12.1949. It is also proved that the outer courtyard was in exclusive possession of Hindus and they were worshipping throughout and in the inner courtyard (in the disputed structure) they were also worshipping. It is established that the disputed structure cannot be treated as a mosque as it came into existence against the tenets of Islam**.**

Before reserving Judgement the Special Full Bench passed following order dated 26.07.2010:**-**

“Arguments in all the four suits concluded. Arguments in Suits No.1, 3 & 4 had already concluded. Today, the arguments in Suit No.5 have been concluded. This newly constituted bench heard the arguments for 90 working days starting 131 from 11.01.2010.

Sri P.N. Mishra, Sri Ravi Shankar Prasad, Sri P.R. Ganpathi Aiyer and Sri K.N. Bhat, Senior Advocates; Sri Zafaryab Jilani, Sri M.A. Siddiqui, Sri Syed Irfan Ahmad, Sri R.L. Verma, Sri Tarunjeet Verma, Sushri Ranjana Agnihotri, Sri M.M. Pandey, Sri Rakesh Pandey, Sri Hari Shankar Jain, Sri R.K. Srivastava, Sri Ajay Kumar Pandey, Sri D.P. Gupta and Sri Ved Prakash, Advocates; and Sri S.P. Srivastava, Addl. Chief Standing Counsel advanced their submissions on behalf of respective parties quite ably and we put on record

our appreciation for the assistance they have rendered to this Court and the cordial atmosphere they have maintained in the Court.

We greatly appreciate not only the arguments of learned counsel for all the parties but also the manner in which the arguments were advanced. No learned counsel interrupted the arguments of any other learned counsel. Learned counsels were quite careful while advancing their arguments and none of them said any such thing which could injure the feeling of the other side.

That on 13th Sep. 2010 on Ramesh Chandra Tripathi, defendant no. 17 in O.O.S no. 4 of 1989 preferred application purporting to be under Section 89 C.P.C. He requested for deferment of the pronouncement of judgment and also to direct the parties to resolve the dispute through mediation/ conciliation /arbitration and/or in such manner as this Court may deem fit.

The court observed all the parties through their counsel have not only seriously opposed this application but they have termed it as a "serious mischief" on the part of the applicant and, therefore, have requested this Court to reject it with exemplary costs.

The court further observed at the outset Court would like to place it on record that a dispute like the present one, is settled amicably between the parties, it would be the most welcome solution and we have no reason to discourage it. There cannot be a quarrel with the proposition that the best way of dealing with a matter like the present one is to resolve it with the consent of the parties.

Efforts at different levels were made rigorously, persistently and with due seriousness but in vain. Such efforts were made not only by the parties concerned but at the level of different authorities so much so, that even three Prime Ministers at different times took serious initiative to find out whether the dispute can be resolved amicably and peacefully and took all possible steps in this direction.

It is in furtherance thereof; even legislation has twice come into being to enable the parties to reach at an amicable solution. Several times the matter was taken to the Apex

Court also where, as we are informed, the Hon'ble Court did observe for amicable settlement in the matter. A White Paper was published by the Government of India and even a Presidential Reference was made to the Apex Court.

At the instance of the then Prime Minister a very high power committee was constituted, representatives of both the parties and several other persons were allowed to participate in the meeting in presence of high officials including the Minister of State in the Central Government but with no result.

The court observed that in its Judgment in *Dr. Ismail Farooqui* (Supra) the Apex Court observed that 'here is a kind of dispute which ought to be decided amicably' and expressed its hope that the parties should take steps in this direction. One and half decade since then has passed but with no result.

We may also notice that while returning the Reference, the Apex Court observed that the same cannot be answered since this was a matter in issue in suits pending before this Court and the same have to be decided in the light of the evidence adduced by the parties.

In a period of about eleven months the Court held actual hearing for 75 days and throughout the said period this Court made such efforts though also continued with the hearing since it did not intend to give an impression to the parties that the Court is not capable of hearing and deciding the matter or that the Court is reluctant or that the Court otherwise does not want to decide the matter even if there is no otherwise hindrance or obstruction in such a course.

The Court further observed we tried to continue with the hearing on day to day basis and in a period of about seven and half months the matter was actually heard on 90 days. During this period also, unrelently, we made efforts by requesting learned counsel for the parties to find out the possibility of compromise, if any. Some of the parties very bluntly told us that in the nature of the rights asserted by them, scope of compromise was absolutely nil. None was ready to part away even a single inch of land and said that it is for the Court to decide but they cannot make any surrender whatsoever.

When we reserved the judgment on 26th July 2010, we made another effort and passed order informing the parties that on 27th July 2010 we shall sit in Chamber to find out any possibility of resolving the dispute amicably taking recourse of Section 89 CPC. For a few ours on 27th July 2010 we made our efforts but the learned counsels for parties very frankly and succinctly expressed their view that there is no question of any settlement on their part in the matter and due to the nature of the claim they assert it cannot be surrendered to any extent.

Faced with the situation but undeterred, still having some hope we passed order on 27th July 2010, leaving it open to the parties that before delivery of judgement if they find out any possibility of compromise, they may approach the OSD requesting for formation of Bench. This shows endeavour on the part of the Judiciary at the highest level in the country as well as the Province, in the last few decades. This also shows our anxiety for finding out ways and means, if any, for amicable solution of the dispute during the course of final hearing.

But then the moot question is how long it should/can continue. Is it ad infinitum? The applicant kept silence over the matter throughout. In his application neither he has averred that there is any possibility of settlement of dispute outside the Court or otherwise nor it is mentioned that during this entire period he took any step whatsoever persuading the parties in suits to arrive at a settlement and/or probing the possibility of the settlement of dispute amicably.

The court reacted that these matters are pending for the last six decades inasmuch as the first suit was filed on 16th January 1950. After transfer of the suits to this Court three Judges are continuously engaged for the last more than 21 years. In the meantime, on several occasions the matter has also travelled and consumed time of the Apex Court as well. Is it what we have to deliver to our future generation that the courts of law in India are not capable to decide cases for generations and on a mere drop of a hat, an excuse is found to defer the matter or adjourn the case? Are we here to find out ways and means of deferring adjudication or to make adjudication? No case, no dispute and no apprehension can be above the honest discharge of constitutional function by an independent judiciary.

The people of India are already having serious complaints in abundance in recent past against the judicial system of this country that it keeps the matter lingering on for generations and attempt to decide cases is minimal. With the increased awareness, the people are getting conscious of their right and do not hesitate in asserting it. If the enforcement of rights get deferred not because of any slackness on their part, but due to extremely slow pace or inaction on the part of judiciary, their complaint cannot be levelled frivolous. In a system of good governance, effective, independent judicial system is not only the requirement but the real crux lies whether it can deliver justice within reasonable time; whether it can decide the issue expeditiously and before the patience of the people exhausts? These are some of the aspects which need be seriously taken up by the Bench and Bar both. This is the high time when not only the Presiding Officers of the Court but also the members of the Bar who are also officers of the Court should ponder over seriously and find out the way in which cases may be decided expeditiously instead of inventing the way for their deferment and adjournments. The courts are meant for adjudication and not for adjournments or deferment.

All the parties have seriously opposed this application and have termed this as a mischievous attempt on the part of the applicant in not allowing these cases decided even after six decades, particularly when in the judicial proceedings i.e., during the course of hearing learned counsel for the applicant did not show any interest whatsoever except of ensuring his technical presence. From the tenor of the application and also in the absence of any ground, let alone good ground, the request for deferment of pronouncement of verdict and that too just about ten days before the date of its pronouncement, we are constrained to observe that it lacks bona fide.

Application lacks bona fide and is a clear attempt to divert, deviate and also to create obstruction in final disposal of this matter after more than six decades without there being any reason whatsoever. Considering the facts and circumstances and also the fact that the applicant without any lawful excuse or reason has filed this application, The court held the attempt mischievous, and, therefore, imposed exemplary cost of Rs. 50,000 and rejected the application.

MEDIA

The courts reaction was specific that since the media reports have been referred we find it appropriate to say a few words in this regard also. Of late we have found that the reports in media- whether electronic or print- are not wholly correct. Instead of giving correct information to enlighten the masses, incomplete and sometimes incorrect information is given, more as sensation than communication of correct information. The latter is the prime duty and obligation of a responsible media. It appears that in some cases, the people try to highlight a few words in a manner so as to create a sensation. The casualty in such approach is correctness of the information. The media people needs to exercise more care and caution and be more precise. We ourselves have experienced that the information regarding proceedings of this Court have also been conveyed to masses, at some places, incorrectly. At times when the published information relates to a serious situation or sensitive matter which may likely to have serious repercussions, the responsibility of media to accuracy and precision of information is much more. Needless to give a recent illustration where we found such a miss when there was a terrorist attack in Bombay. We do not intend to check or restrain the independence of media world. It is they who form the information limb of any country providing awareness and entitlement to masses but then such information must be ensured to be correct.

A Court passes an order sitting in the Court Room which is normally known to the parties in the case and, therefore, used to confine to few individuals. The masses acquire information about the happenings in court through media. It is therefore, their utmost and sacrosanct duty towards masses to whom they actually serve to provide correct information so that it may avoid any possible backlash or unwanted reaction particularly in a case like the one we are faced with. Any inaccuracy in information is likely to cause much more serious harm. We add no more on this. We hope and trust that our observations shall be taken in correct perspective and would give a message to powerful wing, which is commonly known as the Fourth State. They shall exhibit their responsibility in a more vigilant, alert, self conscious and self restraint manner so as to sub serve the people of this Country in a best possible and responsible manner.

A lot of news for the last few days are coming about the alleged apprehension towards security of the members of this Bench and the measures taken by the Government in this

regard. We intend to place on record and also want to tell everybody that neither we have any apprehension nor do we feel any kind of insecurity in discharge of our solemn duty and obligation under the constitution of India. We have full faith and confidence in people of this country who are our real protectors and at whose strength of confidence we work. It is not that we lack any confidence in the Executive in maintaining law and order but the Judiciary of this Country really derive its power from the confidence, the people of India have in it, and not from the State's police power. It is confidence of the people which provides us courage and boldness in discharge of our duties independently, objectively and without fear or favour. We have read in the newspapers that the Prime Minister of the country has assured the people that The Government is capable of meeting any contingency. We cannot comment, but repose confidence in the Government since they are the best Judge of whatever is required in maintaining law and order and/or security of any individual or group of any individuals as the case may be shall be taken care. The arrangement of security is the responsibility of State and they are the authority to assess the requisite measures and not any individual's own perception.

R.C. Tripathi approach apex court and on 23.09.2010 and on 28.09.2010 the petition was dismissed. Accordingly the Special Full Bench, Allahabad High Court delivered the final Judgement on 30 October 2010 against which appeal is pending before the Hon’ble Supreme Court.

Reconciliation is possible

Prima-facie, the narration of the Present case, makes it very clear that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties; but the history of previous all attempts for negotiation shows that the parties are reluctant to negotiate, though the apex court has observed that participants are common and are in a position to negotiation.

Yes, the Judgement of the Special Full Bench, Allahabad is already there and matter being before the Hon’ble Supreme Court the same can be the commencement of to alternate facilitation process by all concern – the parties to suit, the Governments as well as the Apex court.

The Supreme Court itself observed it is a matter suited essentially to resolution by negotiations and it is in the national interest that there is no loser at the end of the process adopted for resolution.

The parties may intransigent and at one stage everyone wants the negotiation off his back. In a principled Negotiation parties first separate the people from the problem and focus on interest of the society only. All concern will have to generate variety of possibilities. But everyone will have to insist on objective standards and fair criteria.

The first step is to control the behaviour rather than reacting focus on achieving what is wanted to be settled. Remove scepticism, bridge the gap and need to help to save face and make the outcome appear as victory for both the sides.Please make it easy for everyone to say “Yes”. First Initiate Samwad (Negotiate for negotiation).

Existence of Lord Rama at Ayodhya: Evaluation of Literary Evidence

-Kulwant Singh Pathania[1]
-Dharmender Kumar[2]

History of the Ram Temple

Hindus have always known that the site on which Babur built his infamous structure which has been erroneously regarded as a mosque was the site where Shree Rama, Vishnu Incarnate, took birth in human form. It is a fact that this building did not have minarets or a water-pool for mandatory ritual pre-prayer ablutions, which is evidence that this building was not a mosque. It was built as a monument to celebrate the subjugation of the people of Hindusthan by the incoming invaders. This structure, just like the Qutab Minar in Delhi, was established as a monument to pronounce publicly 'Quvat-ul- Islam' – the might of Islam.

Hindus fought and sacrificed their lives to prevent the demolition of the holy temple at Ayodhya by Babur, and on many occasions since then have attempted to regain that site back to rebuild the temple that once had been there. During the 20th Century, particularly around the time of Partition and thereafter, the demand for this site to be restored to Hindus was thwarted by politicians, impelled by their need to 'not upset' the Muslim community. The myth was created and perpetuated that Hindus were bent upon 'subjugating Muslims' and wanting to 'destroy their mosques'. The reality is far from it, Hindus have always supported the concept of freedom of religious belief and expression. There are well over a million mosques in India, with many more regularly being added to that number with the passage of time. Hindus have not sought to damage or destroy these mosques, despite the fact that over the centuries numerous Hindu temples and holy shrines were destroyed by the Muslim rulers. Of these, they hold three sites as amongst the holiest – Ayodhya, the birthplace of Shree Rama, Mathura, the birthplace of Shree Krishna, and Kashi Vishwanath in Varanasi. They have made it clear that these three sites must be restored to the Hindus devotees. The judicial

[1] Professor, Department of Commerce, Himachal Pradesh University Summerhill Shimla-171005.
[2] Research Scholar, Department of Commerce,Himachal Pradesh University Summerhill Shimla-171005

process for the restoration of the Ayodhya site has been dragging on in the courts for decades, the court's judgement being delayed for one reason or another, year in and year out.

Need to Know about Ayodhya

There is found a lot of literary and archaeological evidence relating to the existence of temple (Lord Rama) at the disputed site. The Allahabad Bench of the Uttar Pradesh High Court had directed the Archaeological Survey of India to excavate in the disputed site at Ayodhya to determine whether the Babri Masjid was built after demolishing the temple of Lord Rama which already existed there since the time of our ancestor's ancestors. It is important to note, that, there have been found lot of evidence from the earlier investigations, both literary and archaeological, that pretty much establish the pre-existence and destruction of temples at the site where the Babri Masjid was built by Mir Baki on Babar's orders. It is also clarified by the Allahabad Bench that Ayodhya was a Ramjanabhumi and still have to be maintained in that form. Further it is also found from the judgment that, this land belongs to Lord Rama and it is also revealed from the facts that the temple of Lord Rama was existing there during the reign of Gupta dynasty.

Literary Evidence

There are basically two kinds of literary sources: **written records and inscriptions**. Both written records and inscriptions are available about Ram Janmabhumi at Ayodhya. One major inscription is that of Mir Baki himself, apparently placed on the Masjid wall when it was built in the 16^{th} century. Besides, there are found numerous literary records by Hindu, Muslim and British authors. From the survey of even a small part of this vast literature, it is found that the temple of Lord Rama was present in Ayodhya from the beginning i.e. Gupta Dynasty.

This old temple must have been a fine one, for many of its columns have been utilized by the Musalmans in the construction of Babar's Masjid." H.R. Neville in the *Barabanki District Gazetteer*, Lucknow, 1905, pp 168-169, writes that the Janmasthan temple "was destroyed by Babar and replaced by a mosque." Neville, in his *Fyzabad District Gazetteer*, Lucknow, 1905, pp 172-177 further tells us; "The Janmasthan was in Ramkot and marked the

birthplace of Rama. In 1528 A.D. Babar came to Ayodhya and halted here for a week. He destroyed the ancient temple and on its site built a mosque, still known as Babar's mosque. The materials of the old structure i.e., the temple were largely employed, and many of the columns were in good preservation."

It was found from the historical evidence that Guru Nanak was a contemporary of Babar, and an eyewitness to his vandalism. Nanak condemned him in the strongest terms. The historian Harsh Narain in his book *The Ayodhya Temple Mosque Dispute: Focus on Muslim Sources*, writes: "Guru Nanak, according to Bhai Man Singh's Pothi Janam Sakhi, said to have been composed in 1787 Anno Vikrami/1730 A.D., visited Ayodhya and said to his Muslim disciple Mardana: 'Mardania! eh Ajudhia nagari Sri Ramachandraji ki hai. So, chal, iska darsan kari'e. Translation: 'Mardana! This Ayodhya city belongs to Sri Ramachandra Ji. So let us have its darsana.'"

This indicates that Nanak visited Ayodhya shortly before the destruction of the Rama temple by Babar. **Another work by Baba Sukhbasi Ram gives a similar description**, again suggesting that Nanak visited Ayodyha before the temple was destroyed by his contemporary, the Mughal invader Babar. Muslim sources also give a similar description in 1855; Amir Ali Amethawi led a Jihad for the recapture of Hanuman Garhi, situated a few hundred yards from the Babri Masjid, which at that time was in the control of Hindus. This Jihad took place during the reign of Nawab Wajid Ali Shah of Oudh. A Muslim writer, one Mirza Jan, was a participant in that Jihad. His book *Hadiqah-i-Shuhada* was published in 1856, i.e. the year following the failed Jihad. Miza Jan tells us: "wherever they found magnificent temples of the Hindus ever since the establishment of Sayyid Salar Mas'ud Ghazi's rule, the Muslim rulers in India built mosques, monasteries, and inns, appointed mu'azzins, teachers and store-stewards, spread Islam vigorously, and vanquished the Kafirs. Likewise they cleared up Faizabad and Avadh, too from the filth of reprobation (infidelity), because it was a great centre of worship and capital of Rama's father. Where there stood a great temple (of Ramajanmasthan), there they built a big mosque, ... Hence what a lofty mosque was built there by king Babar in 1528 A.D., under the patronage of Musa Ashiqqan!". Other Muslim authors than Mirza Jan also cite the work, which appears to have been widely available in the 18^{th} and 19^{th} centuries. Then there is found the evidence of the

three inscriptions at the site of the mosque itself, at least two of which mention its construction by Mir Baqi (or Mir Khan) on the orders of Babar. Babar's Memoir mentions Mir Baqi as his governor of Ayodhya. Some parts of the inscription were damaged during a riot in 1934, but later pieced together with minor loss. In any event, it was well known long before that, recorded for instance in Beveridge's translation of *Babur-Nama* published in 1926.

The Temple City of Ayodhya

Dr. S.P. Gupta (former director of the Allahabad Museum), has to say about recent excavations at Ayodhya: "At Ayodhya, Professor Lal (B.B. Lal. Former Director General of ASI) took as many as 14 ditches at different places to ascertain the distant past of the site. It was then found that the history of the township was at least three thousand years old, if not more... When seen in the light of 20 black stone pillars, 16 of which were found re-used and standing in position as corner stones of landing place for the disputed domed structure of the 'mosque', Prof. Lal felt that the pillar bases may have belonged to a Hindu temple built on archaeological levels formed prior to 13th century AD." On further archaeological and other evidence, Lal concluded that the pillar bases must have belonged to a Hindu temple that stood between 12th and the 16th centuries. What this means is that Lal had found evidence for possibly two temples, one that existed before the 13th century, and another between the 13th and the 16th centuries. This corresponds very well indeed with history and tradition. We know that this area was ravaged by Muslim invaders following ***Muhammad Ghori's defeat of Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1192 AD.*** This was apparently rebuilt and remained in use until destroyed again in the 16th century by Babar.

Summary of the ASI Report on Ayodhya excavations (August 31, 2003)

Excavation at the disputed site of Rama Janmabhumi and Babri Masjid was carried out by the Archaeological Survey of India from 12 March 2003 to 7 August 2003. During this period, as per the directions of the Hon'ble High Court, Lucknow, 82 trenches were excavated to verify the anomalies mentioned in the report of the Ground Penetrating Radar Survey which was conducted at the site prior to taking up the excavations. A total number of

82 trenches along with some of their baulks were checked for anomalies and anomaly alignments. The anomalies were confirmed in the trenches in the form of pillar bases, structures, floors and foundation though no such remains were noticed in some of them at the stipulated depths and spots. Besides the 82 trenches a few more making a total of 90 finally were also excavated keeping in view the objective fixed by the Hon'ble High Court to confirm the structure.

The Hon'ble High Court in order to get sufficient archaeological evidence on the issue involved whether, there was any temple/structure which was demolished and mosque was constructed on the disputed site as stated on page 1 and further on p. 5 of their order dated 5th march 2003 and given directions to the Archaeological Survey of India to excavate at the disputed site where GPR Survey has suggested evidence of anomalies which could be structure, pillars, foundation walls, slab flooring etc. which could be confirmed by excavation. Now viewing in totality and taking into account the archaeological evidence of a massive structure just below the disputed structure and evidence of continuity in structural phases from the tenth century onwards up to the construction of the disputed structure along with the yield of stone and decorated bricks as well as mutilated sculpture of divine coupe and carved architectural members including foliage patterns, amalaka, kapolapali doorjamb with semi-circular pilaster, broken octagonal shaft of black schist pillar, lotus motif, circular shrine having pranala (waterchute) in the north, fifty pillar bases association of the huge structure, are indicative of remains which are distinctive features found associated with the temples of north India.

Evidence from the Gupta Dynasty

It is revealed from the literary evidences that, in Gupta Dynasty there was found an ancient temple of Lord Rama during the Maharaja Vikrmaditya’s time, which is a fact of History and hence undisputable, although there is some controversy as to which of the Vikrmaditya resurrected the place and built a magnificent temple. It was with 84 pillars of Kasturi, a few of which still stand in the mosque like structure at Ram Janmbhumi and tell their own tale. That temple was desecrated and destroyed by Mir Baqi, a commander of Babar’s hordes after Babar visited to Ayodhya, and a mosque was sought to be raised there,

in order to please Faqir Fazal Abbas Qalander. (Nandan, in Panikkar, 1990, p. 22). That the babri Masjid replaced a pre-existent centre of worship, is also indicated by the fact that Hindus kept returning to the place, where more indulgent Muslim rulers allowed them to worship on a platform just outside the mosque. (Konraad Elst, Ayodhya and After,1993.3).

Whether Ram was born at the spot where Masjid was located?

This is very vexed question where myths and facts have got mixed up in an apparently inseparable manner. One of the reasons for this is the very period of history/ mythology being referred to. Due to the extremely ancient nature of the period being referred to the sources have to be examined very carefully in order to come to a particular conclusion. To begin with while many a Historians will regard Ram as a Mythological figure, many others are endowing the status of a historical figure to him. Noted scholar Suniti Kumar Chatterjee maintains “the Ramayana is basically a creation by some single poet named Valmiki. There is evidently some historical core below the surface. Some scholar of Indian history now thinks that Rama, the hero of Ramayana was a historical person who can be relegated to a particular period of time”(Chatterjee, 976-77, 14), Even if we grant that he was a historical figure then the question arises whether he was born in Ayodhya? And if he was born in Ayodhya was he born on the precise spot where the Babri Masjid is located.

According to Aihole inscription, Epigraphia Indica, (Vol. VI, 1990- 1901) Rama was born in Treta yug, in the year around 3100 BC. The description of Ayodhya in this epic archeological survey continuously tries to find evidences regarding that fact. One of the archeologists B. B. Lal had concluded that, it would seem reasonable to ascribe the first occupation of the Janmabhumi area to circa seventh century BC.”(Lal, 1976-77, 52) The development of this area as a settlement came much later, certainly not earlier than the end of sixth century or the first half of fifth century, when several other towns emerged in Gagentic plains.

Supreme Court Judgment in Ayodhya case (Except puja, no religious activity)

The Bench, taking note of the 2002 order, directed that on the 67.703 acres located in various plots detailed in the Schedule to the Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act,

1993, "which is vested in the Central government, no religious activity of any kind by anyone be permitted or allowed to take place." The Bench, while directing the status quo to continue, made it clear that the existing 'pujas' in the make-shift Ram Lala temple at the disputed site would go on as usual. It argued that the claims of Muslims, Hindus and the Nirmohi Akhara over the disputed site were mutually exclusive and could not be shared.

The All-India Hindu Mahasabha sought endorsement of the September 30, 2010 minority verdict by Justice Dharam Veer Sharma, who favoured handing over of the entire land to Hindus. It also said "The judgment by Justice S. U. Khan and Justice Sudhir Agarwal should be set aside to the extent that one-third of the property in dispute has been declared in favour of Muslims and to allot the share to them."

References:

- **Venkatesan, J. (2011)** *"Supreme Court stays Allahabad High Court verdict on Ayodhya"* Online available at: http://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-stays-allahabad-high-court-verdict-on-ayodhya/article2003448.ece.
- **Facts from Libharam Report, Publisher, Bharatiya Janata Party,** 11, Ashok Road, New Delhi - 110 001.
- **Sheth, D L (2009) "***Political Communalisation of Religions and the Crisis of Secularism"*, Economic & Political Weekly, September 26, 2009 Volume, XLIV, no 39. Pp.71-79.
- **Rai, Champat,** Verdict of Lucknow bench of Allahabad high court on Sri Rama Janma Bhumi based on facts, The writer of this piece is a Joint General Secretary of Vishva Hindu Parishad with HQs at Sankat Mochan Ashram, Ramakrishna Puram-VI, New Delhi – 110 022.
- **Puniyani, Ram (2010),** *"Abode of Ram or House of Allah-Babri Masjid-Ram Janambhumi dispute",* E-Digest: Ayodhya: Masjid-Mandir Dispute, pp. 4-22.
- **Asghar Ali Engineer (2010),** *"A Brief Survey of Communal Situation in the Post Babri Demolition period",* E-Digest: Ayodhya: Masjid-Mandir Dispute, pp. 23-26.
- **Asghar Ali Engineer (2010),** *"Vajpayee's Statements and Medieval History",* E-Digest: Ayodhya: Masjid-Mandir Dispute, pp. 27-30.
- **Asghar Ali Engineer (2010),** *"Ayodhya's Voice, E-Digest: Ayodhya: Masjid-Mandir Dispute",* pp. 31-34.
- **Vaidyanathan (2012)** *"Babri demolition: How HC verdict discredited 'eminent' historians",* Online Available at: http://rvaidya2000.com/2015/10/12/re-visiting-ram-janam-bhoomi-disgraced-eminent-historians-should-be-made-accountable/.
- ***S.P. Udayakumar*** *is Research Associate and Co-Director of Programmes, Institute of Race and Poverty, University of Minnesota, Minneapolis, United States.*
- **Gyanendra Pandey(1989),** *"Ayodhya and the State",* Seminar 364 (December 1989). p. 40.
- **Akbar, M. J. (1988),** *"Riot after Riot: Reports on Caste and Communal Violence in India",* New Delhi: Penguin Books, 1988. p. 133.
- *"The Babri Masjid Dispute,"* Spotlight on Regional Affairs 10/7-8 (July-August 1991). p. 8.
- **Sher Singh (1990),** *"What History Says About Ayodhya",* in Asghar Ali Engineer, Babri-Masjid Ramjanmabhoomi Controversy. Delhi: Ajanta Publications, 1990. pp. 79-80.
- **Jay Dubashi (1992),** *"The Road to Ayodhya. New Delhi: Voice of India",* 1992. p. 57.
- **B. B. Lal (1992),** *"Report on Archaeology of Ramayana Sites Project",* in Asghar Ali Engineer, Politics of Confrontation: The Babri-Masjid Ramjanmabhoomi Controversy Runs Riot. Delhi: Ajanta, 1992. pp. 268-9.

- **Sridhara, P. S. and Rama, Murthy (1988),** *"Ramayana and Babar"*, Bangalore: Dalit Sahitya Akademy, 1988. p. 30.
- **Rajeev Saxena (1993),** "*Tulsidas' Silence on Ram Mandir at Ayodhya"*, Mainstream, January 9, 1993. pp. 33-4.
- **Sushil Srivastava (1991),** "*The Disputed Mosque: A Historical Inquiry"*, New Delhi: Vistaar Publications, 1991. pp. 43-4.
- **Harbans Mukhia (1992),** "*Ayodhya Dispute: Historical Evidence and BJP's Aim"*, in Engineer, 1992, p. 19.
- **Aggarwal, J. C. and Chowdhry, N. K. Ram (1991)** *"Janmabhoomi Through the Ages: Babri Masjid Controversy"*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 1991. pp. 81-2.
- **"Vishwa Hindu Parishad's Liberation Agitation, "***in Asghar Ali Engineer, ed., Babri-Masjid Ramjanmabhoomi Controversy"*, Delhi: Ajanta, 1990. pp. 228-30.
- **Christophe Jaffrelot (1996) "***The Hindu Nationalist Movement in India"*, New York: Columbia University Press, 1996. pp. 544-46.

श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर का सच और भविष्य

प्रो. सतीश मित्तल[1]

निःसन्देह सातवीं शताब्दी से जो स्थान इस्लाम में मक्का का हैं, जो स्थान पहली शताब्दी से इसाई जगत में यरूसलम का है वही स्थान हजारों वर्षों पूर्व से भारत में राम की जन्मभूमि अयोध्या का है। राम का जीवन भारतीय की प्राण वायु है, जन–जन की श्वास है। हिन्दू समाज का आदर्श है। सांस्कृति जीवन की विरासत है। भारत के व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन का प्रतिबिम्ब है। राम का जीवन भारतीयों की संजीवन बूटी है। राम के बिना भारतीय जीवन अकथनीय, अकल्पनीय तथा अधूरा है। राम हिन्दू जीवन प्रणाली की अभिव्यक्ति हैं। राम भारत के प्रतिनिधि पुरूष हैं, भारतीय जीवन धारा, चिंतन मनन तथा राष्ट्रीय दृष्टि के उद्बोधक हैं। रामराज्य भारतीय जीवन का आदर्श है। यह हिन्दू–मुसलमान सम्बन्ध तथा राष्ट्रीयता का आधार है। महात्मा गांधी ने लिखा ''जिस चीज ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला, वह रामायण का परायण है।[2] स्वतंत्र भारत के गर्वनर–जनरल राजगोपालाचारी ने लिखा 'राम के बिना हिन्दू धर्म को समझा नहीं जा सकता।[3] डा. राम मनोहर लोहिया ने एक अक्टूबर 1960 ई. को कहा था, ''राम जैसा मर्यादित जीवन कहीं नहीं, न इतिहास में न कल्पना में है।''[4] राष्ट्र पुरूष राम केवल अयोध्या अथवा भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के करोड़ों मानवीय भावनाओं के प्रतीक हैं। विश्व में राम का जीवन उनकी विश्वव्यापी लोकप्रियता का स्वर्णिम अध्याय है। विश्व के अनेक देशों में राम का जीवन प्रेरणा का केन्द्र बना हुआ है। शायद इसी लिए समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में प्रथम अन्तर राष्ट्रीय रामायण मेले की नींव रखी थी । सही बात तो यह है कि राम के बिना भारत के लिए विश्व को देने के लिए कोई आदर्श तथा सन्देश नहीं है।

श्रीराम जन्मभूमि का सच

महात्मा गांधी ने लिखा मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी की चिन्ह हैं।[5] यह कटु सत्य है कि समय–समय पर मुस्लिम तथा मुगल आक्रमणकारियों ने न केवल भारत की अपार सम्पत्ति को लूटा बल्कि जबरदस्ती धर्मान्तरण तथा हजारों मंदिरों एवं आस्था के केन्द्रों को ध्वंस किया। गांधी जी ने पुनः लिखा, ''किसी भी धार्मिक उपासना गृह के ऊपर बलपूर्वक अधिकार करना बड़ा जघन्य पाप है। मुगल काल में धार्मिक धर्मान्धता के कारण मुगल शासकों ने हिन्दुओं के बहुत से धार्मिक स्थानों पर कब्जा कर लिया था, जो हिन्दुओं के पवित्र आराधना स्थल थे। इनमें से बहुत से लूटपाट कर

---

[1] प्रसिद्ध इतिहासकार, से.नि.प्रो. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, अध्यक्ष अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति
[2] महात्मा गांधी, सत्य का प्रयोग या आत्म कथा, अध्याय दस
[3] राजगोपालाचारी, रामायण (दूसरा अंग्रेजी संस्करण 1957, 'भूमिका')
[4] , अवधूत लोहिया, पृ. 338
[5] महात्मा गांधी का श्री रामगोपाल 'शरद' को लिखा पत्र, नवजीवन, 27 जुलाई, 1937

नष्ट–भ्रष्ट कर दिये गए और बहुतों को मस्जिद का रूप दे दिया।[1] वस्तुतः इस पवित्रतम स्थलों की श्रेणी में अयोध्या का रामजन्म भूमि स्थान तथा वहां बना मन्दिर भी आता है। इस सन्दर्भ में सैकड़ों सरकारी तथा गैर सरकारी, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा विधिक प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं। जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर निर्णय भी दे दिया है। प्रस्तुत आलेख के लेखक को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ पीठ में आधुनिक भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ के रूप में लगभग छः मास (25 नवम्बर, 2002– 1 जुलाई 2003) तक गवाह के रूप में उपस्थित रहने का अवसर मिला। उसी आधार पर मैं आपके समक्ष कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा ग्रन्थों की जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी से पूर्व क्रूर आक्रांता बाबर के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके काल में मंदिर का ध्वंस हुआ और जिस पर उच्च न्यायालय ने अनेक प्रश्न पूछे।

क्रूर, धर्मान्ध, लुटेरा बाबर

बाबर न कोई मुस्लिम पैगम्बर, न कोई खलीफा, न कोई मजहवी पीर या सन्त था, बल्कि मध्य एशिया की एक छोटी सी जागीर फरगना (वर्तमान खोकन्द) का एक जागीरदार था। उसका जन्म 1483 ई. में हुआ था। विरासत में उसे पिता से शराब का व्यसन तथा ऐय्याश पूर्ण जीवन मिला था। 1504 ई. में उसने काबुल पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। 1919 ई. से उसने भारत भूमि पर पाँच आक्रमण किये जिसमें भारी लूटमार तथा नर संहार किया। उसके ये सभी आक्रमण मजहबी कट्टरता, मतांधता, क्रूरता तथा इस्लामी जिहादी भावना से ओतप्रोत थे। गुरू नानक देव ने बाबर ने बाद के तीन आक्रमणों तथा वीभत्स अत्याचारों को स्वंय देखा तथा इन्हें 'पाप की बारात'[2] और 'बाबर को यमराज[3] कहा । 'जनमसाखी' में भाई बाला ने इसका वर्णन किया है। बाबर के भारत में चार संघर्ष हुए। पहला टकराव दिल्ली के शासक इब्राहीम लोदी से पानीपत में हुआ। एक कम्युनिस्ट लेखिका इतिहासकार ने लिखा, 'बाबर ने इब्राहीम को मारकर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के स्वप्न को भारत में अपने साम्रज्य की स्थापना कर व मुगलों का राज्य स्थापित कर पूरा किया। 'बाबर का सबसे बड़ा टकराव चितौड़ के राजा सांगा से 1527 में खन्वाह के के युद्ध में हुआ। बाबर ने इस युद्ध को 'मजहब के शत्रु दुष्ट काफिरों से संघर्ष' बतलाया। उसने अपने विजय पत्र में अपने को 'मूर्तियों की नींव का खण्डन करने वाला' बताया। गाजी की उपाधि धारण की।[4] इसी भाँति 1528 में उसने चंदेरी के दुर्ग पर कब्जा कर

---

[1] महात्मा गांधी का श्री रामगोपाल 'शरद' को लिखा पत्र, नवजीवन, 27 जुलाई, 1937

[2] देखे, विहंगा महला, पृ. 722–23

[3] देखे, वही : आशा महला

[4] बाबर द्वारा लिखित 'बाबरनामा' या तुजुक –ऐ–बाबरी (हिन्दी अनु.सैयद अहमद अतर अब्बासी रिजवी, देखे, मुगलकालीन भारत, बाबर अलीगढ़, 1960 पृ. 249)

बाबर अपने संस्मरण या आत्मकथा 'बाबरनामा' अथवा 'तुजुक–ऐ–'बाबरी' के नाम से तुर्की भाषा में लिखा है। इनके दो फारसी अनुवाद पैयन्दा खां तथा अब्दुर्रहीम खानखाना ने किये। इन फारसी अनुवादों से लीडेन तथा एर्स्काइन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। मूल तुर्की से श्रीमति ए.एस.

काफिरों के नर मुंडो का एक स्तम्भ बनाया।[1] उसने चौथा आक्रमण 1529 ई. में घाघरा के निकट किया था। यह उसका अंतिम युद्ध था।

कुछ इतिहासकार तथा नेता 1973 ई. में श्रीमति इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में इण्डो–सोवियत डेलीगेशन आने पर, बाबर के तमगे लगाकर राजधानी की सड़कों पर घूमने लगे, या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने काबुल में बाग–ऐ–बाबर काम्पलैक्स में जाकर बाबर की कब्र तथा मस्जिद पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कोई भी सामान्य व्यक्ति सरलता से अनुभव कर सकता है कि बाबर का भारत पर आक्रमण प्रत्येक दृष्टि से महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी के समान था। वह कोई राष्ट्रभक्त, महानायक न होकर देश का शत्रु तथा खलनायक था।

मंदिर नष्ट करने के प्रमुख दस्तावेज

श्री राम जन्मभूमि पर बाबर द्वारा बनाई मस्जिद के सन्दर्भ में उपलब्ध ऐतिहासिक ग्रन्थों दस्तावेजों, यात्रा वर्णनों तथा अन्य ग्रन्थों को तीन श्रेणी में बांट सकते है जो बाबर के काल से मंदिर के नष्ट किया जानेसे लेकर वर्तमान तक की जानकारी देते हैं। (1) मुस्लिम लेखकों के ग्रन्थ (2) यूरोपीयन यात्रियों, इतिहासकारों तथा ब्रिटिश कालीन सरकारी दस्तावेज (3) भारतीय लेखकों के ग्रन्थ।

मुस्लिम लेखकों के प्रमुख ग्रन्थ

मुस्लिम ग्रन्थों में इस संन्दर्भ में सबसे पहले स्वंय बाबर का 'बाबरनामा' आता है। इस ग्रन्थ को लिखने के लिए बाबर ने सीकरी में एक भवन भी बनवाया था। बाबर के 48 वर्षों 10 महीने के जीवन काल (1883–1530) के इसमें कुल 18 वर्षों का वर्णन है। वह भी बीच–बीच में रिक्त स्थान है। सम्बंधित विवाद का काल अप्रैल 1528 ई. से 18 सितम्बर 1528 ई. का वर्णन नहीं है। इसी काल में यहां मंदिर को ध्वंस कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। निर्माण के समय मस्जिद पर कई अभिलेख थे जो बाद में संघर्ष में हटा दिये गये। दो शिलालेख फारसी भाषा में है जिससे इसका निर्माण 1528 ई. माना जाता है। श्रीमती बैवरिंग ने अपनी पाद टिप्पणी में राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वंस का वर्णन किया है।[2] इसके अनुसार 12 मार्च 1528 में बाबर शेख बयात्रिद जो विद्रोही था, उसका पीछा करते–करते स्वंय अयोध्या के निकट पहुंचा था। उसने निकट ही शिकारगाह की भी खोज कराई। वह लगभग सात–आठ दिन वहां रहा था। तभी उसने मीर बाकी को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का

बैवरिज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया जो विश्वभर में ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। फारसी से हिन्दी अनुवाद सैयद अहमद अतर अब्बास रिजवी ने 'मुगल कालीन भारत–बाबर' के नाम से 1960 ई. में अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ से किया है।

[1] बाबर, बाबरनामा (अनु. रिजवी) पृ.–167

[2] देखे बाबरनामा, श्रीमति बैवरिज का अनुवाद, भाग दो, (कोलकाता, 1965) पृ.–656, अनु. रिजवी, पूर्वोक्त परिशिष्ट

आदेश दिया था। इसके लिए एक दरवेश मूसा आशिकान ने भी आग्रह किया था। जिसकी कब्र आज भी उसी के निकट बनी है। लगभग इसी प्रकार का वर्णन लीडेन तथा एर्स्काइन ने भी किया है।

इसी भांति सम्राट अकबर के मित्र तथा विश्वसनीय अबुल फजल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आइने अकबरी'[1] में अयोध्या का वर्णन किया है। अयोध्या का क्षेत्र 148 कोस लम्बा तथा 30 कोस चौड़ा बताया है। अयोध्या का एक विशाल नगर, 'प्राचीनकाल से पवित्रतम स्थल' तथा 'राम का निवास' बतलाया है। उसने लिखा कि राम का जन्मदिवस–रामनवमी उत्सव बड़े उत्साह तथा धूमधाम से मनाया जाता है।

इसी संदर्भ में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ औरंगजेब की पोती अथवा बहादुरशाह की पुत्री का है, जो 17 वीं शताब्दी के अन्त में या 18 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखा गया। इस ग्रन्थ का नाम है, 'सद्दीफा–ए–चहल नसाइह बहादुरशाही'। इसमें चालीस नसीहतें दी हैं। इसमें मस्जिद के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि पर मंदिर को नष्ट किए जाने का प्राचीनतम विवरण है। मिर्जा जान, ने फारसी में हदीकाएं शहदा (लखनऊ, 1856) में प्रारम्भ के पृ. 4–7 तक बादशाह के फरमानों के आधार पर मस्जिदें तथा वहां पर लागू किये नियमों का वर्णन किया है। 1855 ई. में लखनऊ के वाजिद अली शाह के राज्य में हनुमान गढ़ी को हिन्दुओं से छुड़ाने के लिए अमीर अली अमेठवी के नेतृत्व में जिहाद हुआ था। इसमें मिर्जा जान[2] ने स्वंय भाग लिया था। बाद में 1856 ई. में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। उसने बाबरी मस्जिद के निर्माण के बारे में लिखा, ''पिछले सुल्तानों ने इस्लाम के प्रचार और महिमागान को प्रोत्साहित किया तथा कुफ्र (नीच प्रथा) से छुटकारा दिलाया। यह (अवध) एक बड़ा पूजा केन्द्र था और राम के पिता के राज्य की राजधानी था। जिस स्थान पर बड़ा मंदिर था वहां एक बड़ी मस्जिद बनाई गई और जहां एक छोटा मण्डप था वहां एक छोटी कनाती मस्जिद बनाई गई। जन्म स्थान का मंदिर राम का मूल जन्म स्थान हैं (मस्कत) था, जिससे लगी हुई सीता की रसोई है। सीता, राम की पत्नी का नाम है। अतः उस स्थान पर बाबर बादशाह ने मूसा आशिकान के मार्गदर्शन में एक ऊँची (सरबलंद) मस्जिद बनवाई, वहां ये मस्जिद आज तक लोगों में सीता की रसोई के नाम से जानी जाती है।''

बाबरी मस्जिद के निर्माण के बारे में डॉ. शेख मुहम्मद अजमत अली काकोरवी (1811–1893) ने 1869 ई. में 'तारीखे अवध' अथवा 'मुरक्का–ए–खुसरवी' लिखी थी[3]। इस एक प्रति लखनऊ की टेगोर लायब्रेरी में है। काकोरवी ने इसे प्रकाशित करवाना चाहा। इसके लिए अनुदान भी मांगा। इसके जवाब में कहा गया कि अयोध्या जेहाद का विवरण छापना इस समय 1996 के माहौल में उचित में न होगा।

[1]लीडेन व एर्स्काइन, मेमार्य ऑफ बाबर (आक्स फोर्ड, 1921) पृ.– 333
[2]अबुल फजल आलामी, आइने अकबरी (अंग्रेजी अनु. एच.एस. जैरेट कोलकाता, 1891, मूल ग्रन्थ 1598 ई. में लिखा गया) पृ.– 171
[3] मिर्जा जान, हदीकाए शहदा (लखनऊ, 1856) देखें, नवा अध्याय, 'वाजिद अली शाह और उनका अहद'

सम्बन्धित अध्याय को अलग से छापा गया, अमीर अली शहीद और मा'रकह–ए–हनुमानगढ़ी। इसमें कहा गया :

"चुनाचे जिस तरह मथुरा वृन्दावन वगैरा की खस और खाशाके बिदअत (गैर इस्लामी तत्वों के कूड़ा करकट) से साफ किया, उसी तरह फैजाबाद अवध में जो बड़ा परस्तिश का मकान था तख्तगाहे पिदरे लक्ष्मण व राम था, बुतखाने जन्म स्थान में 923 हिजरी में बावती तैयार हुई, पुरनूर रही। वहाँ हिन्दुओं में सीता की रसोई मशहूर थी।"

उपरोक्त ग्रन्थों के अलावा राम जन्म भूमि मंदिर पर बाबरी मस्जिद निर्माण का वर्णन अनेक ग्रन्थों में किया गया है,जिसमें कुछ उल्लेखनीय मुहम्मद असगर की ब्रिटिश सरकार के समक्ष याचिका (30 नवम्बर 1858) : उर्दू उपन्यासकार मिर्जा रजब अली बेग सरूर का 'फसांनाए इबरत' हाजी मुहम्मद हसन की लिखी 'जिमाए अख्तर' (लखनऊ 1878) पृ. 38–39 मौलवी अब्दुल करीम कृत 'गुमास्ता ए हालाते अयोध्या अवध' (अयोध्या की भूली बिसरी घटनायें अर्थात 'तारीखे पर्निया मदीना अल्वालिया' (फारसी में लखनऊ 1885) कमालुद्दीन हैदर हुसनी अल मशाहादी की पुस्तक 'तवारीखे अवध' (लखनऊ 1896) भाग दो, पृ. 100–112; अल्लामा मुहम्मद नजमुलगनी खान रामपुरी की 'तवारीखे अवध' (1909) मौलाना हाकिम सईद अब्दुल की 'हिन्दोस्तान इस्लामी अहद में' (मूलतः अरबी में हैदराबाद, 1972) उर्दू अनुवाद उनके पुत्र मौलाना अब्दुल हसन नदवी उपाख्य अली मिया के प्राक्कथन सहित (लखनऊ 1979) अंग्रेजी में अनुवाद 1977 में उपलब्ध है।

यूरोपीय यात्री, इतिहासकार तथा सरकारी दस्तावेज

राम जन्मभूमि के विनष्ट किये जाने तथा बाबरी मस्जिद निर्माण के बारे में अनेक यूरोपीय साक्ष्य, दस्तावेज यात्रा वर्णन विश्वकोष गजेटियर आदि प्राप्त हैं। यूरोपीय साधनों में सर्वप्रथम कुछ प्रसिद्ध यूरोपीयन यात्रियों एवं इतिहासकारों का वर्णन देना तर्क संगत होगा। इसमें ब्रिटिश विलियम फिंच, आस्टिया के जोसेफ टाइफेन्थेलर, डच के हांस बेकर तथा बेलिजियम के कोएन् राड एल्स्ट के विवरण प्रमुख है। विलियम फिंच[1] ब्रिटिश व्यापारी था जो इसी उद्देश्य से अयोध्या भी गया था। वह जहांगीर के काल में 1608–1611 तक भारत में रहा था। उसने अयोध्या को राम निवास बतलाया है। उसने लिखा कि अयोध्या से दो मील की दूरी पर एक गुफा है जहां राम की अस्थियों को बहाया गया

[1] शेख अजमल अली कोकरवी, तारीखे अवध या मुखकाएं खुसरवी (फारसी में लिखित 1869, प्रकाशित लखनऊ, 1986)

था। उसने रामकोट अर्थात् उस गढ़ी के खण्डहरों के होने की बात कही जहाँ हजारों वर्ष पहले यहां राम ने अवतार लिया था।

आस्टिया के जेसुइट पादरी जोसेफ टाइफेन्थेलर[1] ने 1766–1771 ई. के दौरान अवध की यात्रा की तथा अपना वर्णन 'हिस्ट्री एण्ड जिओग्राफी ऑफ इंडिया' लैटिन भाषा में लिखी, इसका फ्रेंच अनुवाद बर्नोली ने 1785 में किया। उसने स्पष्ट लिखा कि बाबर ने रामजन्म स्थान मंदिर को ध्वंस कर, मंदिर के 14 खम्बों का प्रयोग करके एक मस्जिद का निर्माण कराया।[2] ये 14 स्तम्भ काले पत्थर कसौटी के थे जो मस्जिद के अन्दर तथा दो बाहर की ओर लगे थे।[3] इस लेख के लेखक ने स्वंय वे खम्भे सितम्बर 1992 ई. में देखे थे।[4] वह राम चबूतरा, सीता की रसोई का भी वर्णन करता है। इस चबूतरे को हिन्दू तीन बार परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम करते थे। उसने यह भी लिखा कि चैत्र मास के 24वें दिन रामजन्म दिवस पर सम्पूर्ण भारत से वहाँ लोग आते थे।[5] उल्लेखनीय है अन्य विद्वानों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। 'कुछ लोगों का कहना है कि इसे (मस्जिद को) बाबर ने बनवाया था। आज भी पांच स्पेन ऊँचे काले पत्थर के चौदह स्तम्भ इस किले के स्थल पर खड़े देखे जा सकते है......... विश्वास किया जाता है कि इन स्तम्भों के खंडों को वानरराज हनुमान लंका या सिंहल द्वीप से लाये थे जिसे यूरोपीय लोग सिलौन कहते हैं।' डच विद्वान ने 'अयोध्या' नामक एक विशाल ग्रन्थ दो भागों में 1984 में प्रकाशित किया। अनेक तथ्यों के आधार पर उसने मोहम्मद गोरी से लेकर बाबर, हिमायूँ, अकबर, औंरगजेब के काल से लेकर 1858 ई. तक विस्तृत वर्णन किया है। बाबर के आक्रमण का भी महत्त्वपूर्ण वर्णन है।[6] वह वर्तमान रामजन्म भूमि मंदिर का निर्माण 10–12 ई. शताब्दी में गहडवालों द्वारा मानता है।[7] बाबर कुछ समय स्वंय अयोध्या में रहा, 1528 ई. में मंदिर विनिष्ट किया, और इसके मलबें से मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण किया। इसमें 14 खम्भें जो मंदिर के थे इसमें लगाये गये। दो खम्भे मूसा आशिकान की कब्र के पास जमीन में गाड़ें जिसने बाबर को मंदिर ध्वंस कर मस्जिद बनवाने को उकसाया था।[8] वह स्पष्ट लिखता है कि बाबरी मस्जिद किसी खाली स्थान पर नहीं बनाई गई।[9]

बेल्जियम के विद्वान कोएन्राड एल्स्ट ने अपने ग्रन्थ का विवेचन प्रभाविक तथ्यों के आधार पर किया है।[10] इस विद्वान ने श्रीमति सुरेन्द्र कौर, की पुस्तक 'द सेक्युलर एम्परर बाबर', मुस्लिम इंडिया

---

[1] विलियम फोरेस्टर (स.) अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया (1583–1619) लन्दन, 1921, दिल्ली संस्करण, पृ.– 176
[2] के जोसेफ टाइफेन्थेलर, हिस्ट्री एण्ड ज्योग्रेफी ऑफ इंडिया, (मूल लैटिन से से फ्रेंच में अनुवाद बर्नोली, 1785 में)
[3] वही, पृ.– 253–54
[4] वही,
[5] 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 1992 के दौरान यात्रा
[6] वही, पृ. – 254
[7] हांस बेकर, अयोध्या, दो भागों में (1984) बाबर के लिए देखे, भाग एक, पृ. – 125, 134, 137
[8] वही भाग एक, पृ. – 44–45
[9] वही भाग एक, पृ. –134
[10] वही भाग एक, पृ. – 43–46, 119–123,125,134,137 : वही भाग दो, पृ.– 118–19, 143–49,, 173–175

तथा इंडियन एक्सप्रैस में छपे सैयद शहाबुद्दीन के लेखों तथ जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा दिये द पोलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री के विचारों का गहन परीक्षण कर पूर्णतः नकारा है। उन्होंने अपने ग्रन्थ में श्रीमति सुरेन्द्र कौर के ग्रन्थ[1] को जिसमें लेखिका ने बाबर को 'सेक्युलर' सिद्ध करने में पूर्ण ऊर्जा लगा दी तथा जो तत्कालीन उड़ीसा के गर्वनर श्री बी.एन. पाण्डेय के लेखिका के समर्थन में, एक महत्त्वपूर्ण सर्टिफिकेट से प्रारम्भ होती है पूर्णतः अस्वीकार किया। उसने मार्क्सवादी इतिहासकारों[2] जो रामजन्म–भूमि मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को ऐतिहासिक तथ्य न मानकर, अन्धविश्वास तथा भारतीय राजनीति का विशद साम्प्रदायिकरण कहकर भ्रमित करते रहे हैं उनको गलत सिद्ध किया है। मार्क्सवादी लेखक रामायाण को केवल एक काव्य कहते रहे। बाल्मीकि तथा तुलसीदास के ग्रन्थों को झुठलाते रहे तथा अयोध्या तो थी ही नहीं, और यदि थी तो गंगा के किनारे बतलाते रहे। इतना ही नहीं वे प्रायः अकबर कालीन साधनों के पश्चात् 19वीं शताब्दी पर आ जाते है और इन्हें भी (यूरोपीय साक्ष्यों को) अप्रमाणिक मानते हैं। कोएनरोड एल्स्ट ने इन्हें भ्रामक कहते हैं। उन्होंने लिखा,[3] मैं ऐतिहासिक विषय पर निम्न निष्कर्ष सुझााव के रूप में रखता हूँ। अनेक संकेतों के आधार पर हम विश्वासपूर्वक कह सकते है कि मीर बाकी ने एक पूर्व स्थित हिन्दू पूजा गृह पर बाबरी मस्जिद को बनवाया। कम से कम यह माना ही जाना चाहिए कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद खड़ी है। शताब्दियों से हिन्दुओं की विशाल संख्या, इसे एक प्रमुख पवित्र स्थल मानते रही। कोई भी (विवाद) जो इस तथ्य को झुठलाता है, एक हल नहीं माना जा सकता।''

विश्व कोष अथवा इसाईक्लोपीडिया विश्व संस्कृति तथा इतिहास का एक प्रमाणिक स्त्रोत माना जाता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर अनेक शोधकर्त्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल होता है। रामजन्म–भूमि मंदिर के बारे में तीन महत्त्वपूर्ण स्त्रोत उल्लेखनीय हैं। इसमें प्रथम विश्व विख्यात इसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है। जिसका मूलतः प्रकाशन 1768 ई. से प्रारम्भ हुआ। इसके 1978 के सस्करंण में अयोध्या को हिन्दुओं के सात पवित्र स्थानों में एक माना गया है।[4] इसमें 11वीं–12वीं शताब्दी से कन्नौंज राज्य के उदय से लेकर इसका सम्बन्ध दिल्ली सल्तनत के भाग, स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष, 1764 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन, 1856 ई. में ब्रिटिश राज्य के भाग के रूप में इसका

[1] कोएन्राड एल्स्ट, रामजन्मभूमि वर्सेज बाबरी मस्जिद, ए केस स्टडी इन हिन्दू–मुस्लिम कम्पीलिट (नई दिल्ली, 1990)

[2] श्रीमति सुरेन्द्र कौर व तपन सानयाल, टूवर्डस कम्युनल हारमनी, द सेकुलर एम्परर बावर (सरहिन्द, 1987) देखे, पहला पृष्ठ

[3] विस्तार के लिए देखे 'इतिहास का ब्यान' असली भारत, अक्टूबर–नवम्बर 1989, पृ.– 40–42, 46

[4] कोएन्राड एल्स्ट, पूर्वोक्त,पृ.– 91 उसकी भाषा में उसने लिखा ''৮ चतवचवेम जीम विससवूपदह बवदबसनेपवदे जव जीम ीपेजवतपंदेै कमइंजमण थ्तवउ उंदल पदकपबंजपवदेए ूम उंल बवदपिकमदजसल पदमित जींज डपत ठुंप इनपसज जीम ठंइंतप उेरपं वद ंद मगपेजपदह भ्पदकन च्संबम ूंतीपच३ण्ण ।ज समेंज जीपे उनबी इम ंकउपजजमकय जीम ेचवज वद ूीपबी जीम ठंइंतप उेरपं दवू ेजंदकेए ीं इममद ं चतवउपउमदज ेंबतमक चसंबम जव ं संतहम दनउइमत व िभ्पदकने वित बमदजनतपमेण ।ेवसनजपवद जींज कपेतमहंतके जीपे बिजए बंद दवज इम बवदेपकमतमे ं ेवसनजपवदण'' चण 91

विस्तृत वर्णन किया है।[1] इसमें रामजन्म स्थान पर 1528 ई. में बाबर द्वारा मस्जिद निर्माण का स्पष्ट उल्लेख है। यह मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गयी जहां पहले मंदिर था।[2]

दूसरा प्रसिद्ध विश्वकोष सर्जन जनरल एडवर्ड बाल्फोर[3] का है। यह राष्ट्रीय अभिलेखाकार, नई दिल्ली में उपलब्ध है। इसकी रचना 1858 ई. में की। इसमें तत्कालीन अयोध्या की आबादी 1518 बतलाई है। इसे रामचन्द्र के पिता सूर्यवंशी राजा दशरथ का स्थान माना है। बुद्ध काल के पश्चात् सम्राट विक्रमादित्य द्वारा (57 वर्ष ई. पूर्व में) इसके जीणीद्धार लिखा है। इसमें अयोध्या में तीन मस्जिदों को बताया गया है जो पहले तीन हिन्दू मंदिरों पर बनी हुई है। ये तीन स्थल थे– जन्म स्थान, स्वर्गद्वार मंदिर तथा त्रेता का ठाकुर (अनेक) यज्ञों के स्थल थे। तीसरे, इसी कोटि में बैनेजियन बाबर[4] के ग्रन्थ 'हिन्दू वर्ल्ड–ऐन इनसाईक्लोपिडिक सर्वे ऑफ हिन्दुईज्म' को रखा जा सकता है। यह 1968 ई. में प्रकाशित हुई। इसमें वर्तमान हनूमान गढ़ी के निकट राम का जन्म बताया, जहाँ कभी एक मंदिर था जिसे विनष्ट कर बाबर ने मस्जिद बनाई। उसने अयोध्या को मनु द्वारा स्थापित इक्ष्वाकु की राजधानी बताया तथा सूर्यवंशी की विस्तृत जानकारी दी है।

यूरोपीय साधनों में तीसरी श्रेणी में अनेक सर्वे रिपोर्टस, सैटिलमेन्ट रिपोर्टस, तथा गजेटियर्स हैं जो प्रमुख सरकारी दस्तावेज तथा इतिहास के स्त्रोत हैं। इसमें 1938 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के सर्वेयर जनरल मान्टगोमरी मार्टिन की सर्वे रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, "धर्मान्ध औरंगजेब ने जिसके द्वारा मंदिर नष्ट हुए, इन महत्त्वपूर्ण मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया, परन्तु अयोध्या की मस्जिद औरंगजेब से पांच पीढ़ी पूर्व बाबर द्वारा बनाई गई थी।[5] उसका मानना है कि बाबर द्वारा मस्जिद में लगाये खम्भें मंदिर के हैं। उसने शानदार खम्भों के चित्र भी दिये हैं।[6] इसी विवाद के सन्दर्भ में फैजाबाद की प्रथम सैटिलमैन्ट रिपोर्ट[7] जो 1880 ई. की है, इसमे विक्रमादित्य द्वारा 360 मंदिरों का निर्माण बताया गया है। जन्मस्थान व अन्य दो मंदिरों का ध्वंस क्रमशः बाबर तथा औरंगजेब द्वारा बताकर मस्जिदों का निर्माण कहा गया है।[8]

गजेटियर की श्रेणी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अयोध्या के सन्दर्भ में आधे दर्जन से भी अधिक ग्रन्थ प्राप्त हैं जो रामजन्म–भूमि का सच प्रकट करते हैं। इसमें प्रथम गजेटियर 1854 ई. का

---

[1] इन्साईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका (प्रथम वार 1768, भाग 15वां, खण्ड एक न्यूयार्क, 1968 संस्करण) पृ.– 693
[2] वही, पृ.– 694
[3] वही, पृ.– 694
[4] एडवर्ड बैल्फोर, इन्साईक्लोपीडिया ऑफ इंडिया एण्ड ऑफ ईस्टर्न संदर्न एशिया (1858)
[5] वैनाजिमन बाकर, हिन्दू वर्ल्ड : ऐन इन्साईक्लोपीडिया सर्वे ऑफ हिन्दुइज्म, दो भागों में (नई दिल्ली, 1968) पृ.– 103–04 (भाग एक)
[6] मोन्ट गुमरी मार्टिन, द हिस्ट्री ऐनटीक्यूटीइज, टोपोग्रेफी एण्ड स्टेटिकल स्टेटसस् ऑफ ईस्टर्न इंडिया (लन्दन, 1838) पृ.– 335
[7] वही, पृ.– 336
[8] ऐ.एफ.मीटेल, रिर्पोट ऑन द सैटिलमेन्ट ऑफ द लैंडरिवन्यू फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, (इलाहाबाद, 1880) देखे, कालम 618–19

एडवर्ड थार्नटन का है। इसमें अयोध्या या रामगढ़ के अनेक खण्डहरों का वर्णन किया गया है। विक्रमादित्य द्वारा बनाये मंदिर का भी जिक्र किया गया है। इसमें बाबर द्वारा मंदिर के विनष्ट करने तथा इसी के 14 कलापूर्ण कृतियों से पूर्ण[1] खम्भों से युक्त मस्जिद का वर्णन किया है। इसमें आइने अकबरी में अयोध्या का भी वर्णन भी दिया है।[2] राम चबूतरे का वर्णन करते हुए लिखा है कि हिन्दू इसे 'राम का पालना' कहते हैं।[3] पी. कार्नेगी अपने गजेटियर में विक्रमादित्य द्वारा[4] दोबारा अयोध्या बसाने, अयोध्या में प्रसिद्ध तीन मंदिरों[5] तथा स्पष्ट रूप से रामजन्म स्थान पर बाबर द्वारा मस्जिद निर्माण का वर्णन करता है।[6] वह स्पष्ट वर्णन करता है कि 1528 ई. में बाबर सरयू व घाघरा के संगम पर अयोध्या के निकट दो तीन कोस पर ठहरा तथा सात–आठ दिन रहा। वह मस्जिद में खम्भों पर लगाये काले पत्थरों का वर्णन करता है जो बनारस व अन्य स्थानों के मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इम्पीरियल गजेटियर की प्रांतीय सीरीज[7] में भी अयोध्या के प्रसिद्ध तीनों मंदिरों, बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण, राम चबूतरा, सीता की रसोई आदि की पुष्टि की गयी है। विभिन्न गजेटियर्स[8] में बाबर द्वारा रामजन्म–भूमि मंदिर तोड़ने तथा मस्जिद निर्माण का तथ्यात्मक वर्णन है। प्रायः सभी गजेटियर्स में जो 1870 से 1960 ई. तक के हैं, निम्न तथ्यों में कोई विवाद नहीं है– (1) बाबर के आक्रमण से पूर्व रामकोट में रामजन्म स्थान मंदिर था। (2) बाबर स्वंय अयोध्या आया तथा 1528 ई. में कुछ समय ठहरा था (3) बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर विनष्ट किया (4) मंदिर विनष्ट कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ (5) बाबरी मस्जिद पर जो दो अभिलेख पाये गये वे 925 हिजरी अर्थात् 1528 के हैं।

यूरोपीयन साधनों में, भारत में सीधे ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात् आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्टस उपरोक्त विवाद पर काफी प्रकाश डालती है। इसमें पहली प्रमुख रिपोर्ट अल्कजैण्डर कनिंघम की है, जो अयोध्या के ऐतिहासिक इतिहास पर प्रकाश डालती है।[9] इसमें अबुल फजल की 'आइने अकबरी' का भी वर्णन है। दूसरे ए. फ्यूहरर[10] ने अपनी भारतीय पुरातत्व सर्वे रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि स्थान पर लगे खम्भों का वर्णन किया है। वह मीर बाकी द्वारा बाबरी

---

[1] वही, कालम 666–68

[2] राडवर्ड थार्नटन, गजेटियर्स ऑफ द टैरीटैरीज अंडर द गवर्नमेन्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कम्पनी (1854, दिल्ली संस्करण 1893) पृ.–739

[3] वही, पृ.– 740

[4] वही, पृ.– 739

[5] एस.पी. कार्नेगी, हिस्टोरिकल स्केचेज ऑफ फैजाबाद विद द ओल्ड कैपिटल्स अयोध्या एण्ड फैजाबाद (अयोध्या, 1870) पृ.– 6

[6] वही, पृ.– 21

[7] द म्पीरियल गजेटियर्स ऑफ इंडिया, प्राविशंल सीरीज, यूनाइटेड प्राविन्स ऑफ आगरा एण्ड अवध, भाग दो (लन्दन, 1881) पृ.– 38–39

[8] गजेटियर ऑफ द प्राविंस ऑफ औंध, भाग एक (1877) पृ.– 6–7 ; एच.आर.नेविल, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (1902); एच.अर. नेविल, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (इलाहाबाद 1905) पृ.– 174;एच.अर. नेविल, (सम्पादक राज्य गजेटियर) फैजाबाद : ऐ गजेटियर (इलाहाबाद 1928) पृ.–178–79; स्वतन्त्रता के पश्चात 1960 में फैजाबाद जिले का गजेटियर पुनः प्रकाशित हुआ था। देखें, श्रीमति ई.वी. जोशी (सम्पादक) 'रिवाइन्ड फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (लखनऊ 1960) पृ.– 17, 351–52; इम्पीरियल गजेटियर ऑफ फैजाबाद, 1881.'

[9] अलैक्जेण्डर कनिघंम, आर्कोयोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट, 1862–65, पृ.– 320–27

[10] ए फ्यूहरर, द मोनुमेंटल एन्टीक्यूटीज एण्ड इन्सक्रिप्सन्स इन द नार्थ वैस्टर्न प्राविन्सेस एण्ड अवध, (इलाहाबाद, 1891) पृ.– 295–98ण

मस्जिद के निर्माण का भी वर्णन करता है। तीसरी, सर्वे रिपोर्ट 1934 ई. की है।[1] जिसमें अयोध्या में सभी धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानों पर क्रमांक तथा साइन पोस्ट लगाने का वर्णन है। इसमें बाबरी मस्जिद को रामजन्म–भूमि कहकर वहां साइट नं. 'एक' लिखा तथा एक साइन पोस्ट भी लगाई। चौथी, प्रसिद्ध सर्वे रिपोर्ट डॉ. ए. देसाई की 1966 ई. की है। इसमें अयोध्या का ऐतिहासिक सर्वे देते हुए बताया गया है कि पांचवी–छठी शताब्दी में गुप्त शासकों ने इसको 'साकेत' नाम दिया, 7वीं शताब्दी से अयोध्या का वैभव समाप्त हो गया था। बाबर स्वंय अयोध्या में ठहरा था।[2] लेखक बाबरी मस्जिद पर कई अभिलेखों का वर्णन करता है जिनमें से अनेक 1931 ई. के संघर्ष में नष्ट हो गये।[3] वह अयोध्या के प्रसिद्ध तीन मंदिरों का भी वर्णन करता है, जिसमें से राम जन्मभूमि मंदिर बाबर ने तथा शेष दो औरंगजेब ने नष्ट किये। इसके अलावा 18वीं शताब्दी से पूर्व के ऐतिहासिक स्थानों को चित्रित करने वाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज[4] उपलब्ध है, जिसमें रामजन्म–भूमि मंदिर तथा स्वर्गद्वार मंदिर चित्रित किया गया है।

आधुनिक भारतीय लेखकों के प्रमुख ग्रन्थ

रामजन्म–भूमि मंदिर के सन्दर्भ में आधुनिक भारतीय लेखकों द्वारा अनेक ग्रन्थ पैम्पलेट तथा सैकड़ों लेख, पत्रक उपलब्ध हैं जो बाबर द्वारा इस मंदिर का ध्वंस कर, बाबरी मस्जिद के निर्माण का वर्णन करते हैं। यहां कुछ ग्रन्थों का वर्णन ही उपयुक्त होगा। 1917 ई. में श्री नागेन्द्रनाथ वसु के मार्गदर्शन में हिन्दी विश्वकोष की रचना हुई जिसमें रामकोट का विस्तृत वर्णन करते हुए, 1528 ई. में बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण का वर्णन किया गया है।[5] लक्ष्मी नारायण सदर कानूनगो ने एक पुस्तक मुन्शी मौलवी–हाशमी की सहायता से लिखी जिसमें जन्मस्थान को नष्ट कर बाबरी मस्जिद के निर्माण का वर्णन किया है।[6] मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विशेषज्ञों–इतिहासकारों ने राम मंदिर के ध्वंस व उस पर मस्जिद निर्माण का तथ्य पूर्ण विवेचन किया है। प्रो.एस.आर.शर्मा ने बाबर की धर्मान्ध नीति का वर्णन करते हुए, उसके द्वारा कई मंदिरों को ध्वंस करने तथा 935 हिजरी में मीर बाकी द्वारा मस्जिद बनाने का वर्णन किया है।[7] प्रो. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने भी लिखा है कि बाबर ने उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया जो लाखों हिन्दुओं द्वारा राम का जन्म स्थान माना जाता है।[8]

---

[1] देखे, आर्कोयोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1934
[2] डा. जैड़ ए देसाई (सम्पादित) एपी ग्राफिया इंडिया, आर्कोयोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया, 1966, पृ.– 58
[3] वही, पृ.– 58–62
[4] गोपाल नारायण बहुरा एवं चन्द्रमणि सिंह, केटोलोक ऑफ हिस्टोरिकल डाक्युमेन्टस, भाग दो, (जयपुर, 1990) पृ.– 36
[5] श्री नगेन्द्रनाथ वसु (सम्पादित) हिन्दी विश्वकोष (द इन्साईक्लोपीडिया ऑफ इंडिया) (प्रथम संस्करण 1917, पुर्नमुद्रित दिल्ली 1986) पृ.– 134–35
[6] लक्ष्मी नारायण सदर कानूनगो, असरारे हकीकत (लखनऊ, 1923)
[7] एस. आर. शर्मा, रीलीजस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर (मुम्बई, 1962) पृ.– 9
[8] ए. एल. श्रीवास्तव, मुगल एम्पायर (1526–1803 ऐ.डी.) (दिल्ली, 1952) पृ.– 34

प्रो. के.एस.लाल ने अपने बार–बार वक्तव्यों में इसी तथ्य को उजागर किया है। डॉ. बैनर्जी ने अपने एक प्रसिद्ध लेख[1] में लिखा कि वर्तमान जामा मस्जिद जो बाबर के काल में बनी, वह राम जन्मस्थान के पवित्र स्थल पर है। वे मीर बाकी के दो अभिलेखों का भी वर्णन करते हैं।[2] डॉ. सीताराम ने[3] प्राचीन अयोध्या के इतिहास से बाबर के द्वारा मंदिर के ध्वंस तथा बाबरी मस्जिद निर्माण का वर्णन किया है। वह इसके पीछे सैयद मूसा आशिकान की प्रेरणा मानते हैं।

वर्तमान ग्रन्थों में रामजन्म–भूमि मंदिर तथा बाबरी मस्जिद निर्माण पर दो अत्यन्त प्रमाणिक ग्रन्थ[4] प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा एवं स्वराज्य प्रकाश गुप्ता के आये हैं। यह दोनों ग्रन्थ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ समस्या का विश्लेषण करते हैं। इससे पूर्व 1992 ई. में स्वराज्य प्रकाश गुप्ता तथा अन्य[5] कई विद्वानों ने इस सन्दर्भ में खोज पूर्व रचना की। श्री राम जन्म भूमि न्यास ने विवाद को सुलझाने के अनेक तथ्य प्रस्तुत किये जो स्वंय में बोलते हैं तथा सत्य का अनावरण करते हैं।[6] इसके अलावा इस राष्ट्रव्यापी प्रश्न को लेकर अन्य पुस्तकें दर्जनों पैम्पलैट्स तथा राष्ट्र तथा विश्व में सैकड़ों आलेख लिखे गये हैं।

मंदिर निर्माण का भविष्य

भारत तथा विश्व के पुरातत्त्वविदों और इतिहासकारों, कानून के ज्ञाताओं तथा अन्य विचारकों, चिंतकों के ठोस प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लम्बी कानूनी प्रक्रिया के पश्चात अपने सितम्बर 2010 के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्वीकार किया कि राम जन्म–भूमि स्थान को, तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबरी मस्जिद के निर्माण से पूर्व वहां मंदिर था। स्वाभाविक रूप से लम्बे समय से चले आ रहे मार्क्सवादी इतिहासकारों के झूठे ब्यान, आधारहीन वक्तव्य, झूठे आरोप बेसुरे हो गये। यह उनके थोथे, तर्कहीन तथा तथ्यरहित विचारों पर एक गहरी चपत थी। सरकारी तथा गैर सरकारी चाटुकारों तथा छद्मवेशी सेकुलरवादियों, जो बाबर को एक महान सांस्कृतिक विरासत प्रदान करनेवाला सेकुलर एम्परर, मानते थे, उनके विचारों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। कुछ कट्दर पन्थी मुसलमानों को जो बाबर को अपना हीरो समझते थे, उन्हें अब भारत में हिन्दू

---

[1] डा. एस.के. बैनर्जी, 'बाबर एण्ड द हिन्दू'' जनरल यू.पी. हिस्टोरिकल सोसायटी, 1936 पृ.– 76
[2] वही, पृ.– 76–81
[3] ला. सीताराम, अयोध्या का इतिहास (प्रयाग, 1932) पृ.– 151–52
[4] ठाकुर प्रसाद वर्मा एवं स्वराज्य प्रकाश गुप्ता, अयोध्या का इतिहास एवं पुरातत्त्व (ऋग्वेद से अब तक) (नई दिल्ली, 2001) : ठाकुर प्रसाद वर्मा, स्वराज्य प्रकाश गुप्ता, श्री राम जन्म भूमि ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक साक्ष्य (नई दिल्ली, 2001)
[5] स्वराज्य प्रकाश गुप्त व अन्य, रामजन्मभूमि : अयोध्या न्या आर्कोयोलॉजिकल डिस्कवरीज (नई दिल्ली)
[6] श्री रामजन्मभूमि न्यास, फैक्टस् फौक्सड, अवेरनेस एण्ड कम्पलीट ट्रुथ (नई दिल्ली, 2002)

मुसलमान सहयोग सद्भाव को खतरा लगा। परन्तु समूचे देश में आत्म-स्वाभिमान आत्म-गौरव तथा प्रसन्नता की लहर फैल गई।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में मुकद्में से सम्बन्धित 2.77 एकड़ विवादास्पद भूमि का तीन भागों में– हिन्दू, निर्मोही अखाड़े तथा मुस्लिम में बांटा गया। 30 सितम्बर 2010 को तीनों जजों की पीठ ने जिसमें एस.यू.खान, सुधीर अग्रवाल तथा धर्मवीर शर्मा थे निर्णय दिया कि ढाँचे के केन्द्रीय गुम्बद का भाग, राम मंदिर के लिए दे दिया जाये।

इस सन्दर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकायें[1] दी गई। इसके बारे में न्यायमूर्ति आफताब आलम तथा आर.एस. लोधा ने गत 30 सितम्बर 2010 को अदालत की कार्यवाही पर, 9 मई 2011 को रोक लगा दी[2] तथा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। इसका मुख्य आधार यह रहा कि इस पूर्व भूमि को तीन भागों में कैसे बांटा जाये यह प्रार्थना तो पहले किसी न नहीं की थी। फैसले को कुछ विचित्र बतलाया तथा बने रहने लायक नहीं कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में क्रमशः 1993 ई की उपस्थिति कायम रखने का आदेश दिया[3]। इसमें गर्मगृह में पहले की तरह रामलला की पूजा चलती रहेगी तथा विवादित ढाँचे से सटी 67.3 एकड़ जमीन पर किसी तरह की धार्मिक गतिविधि न होगी।

निःसंदेह अगस्त 2010 का निर्णय ऐतिहासिक था। सेवानिवृत न्यायाधीश धमीवीर शर्मा के अनुसार[4], यह जो पुरातत्व की रिपोर्ट, 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद के तुड़ने पर प्राप्त प्राचीन मंदिर के 173 अवशेष, वाल्मीकि रामायण व श्रीमद् भागवत के साक्ष्य तथा सिख साहित्य में उपलब्ध साक्ष्य कि गुरू नानक ने रामजन्मभूमि के दर्शन किए आदि अनेक आधारों पर था। उन्होंने इसे प्रिवी काउंसिल तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर आधारित बतलाया। परन्तु 9 मई, 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अभी यथास्थिति बनी हुई है।

इसी दौरान समस्या के निराकरण के लिए समय–समय पर कुछ सुझाव भी आते रहे। उदाहरणतः हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पलोक वसु ने अधिकृत परिसर में ही मंदिर मस्जिद को एक साथ निर्माण का प्रस्ताव रखा। स्वभाविक रूप से इस अयोध्या फार्मूले का सर्वत्र तीव्र विरोध हुआ।[5]

---

[1] द टाइम्स ऑफ इंडिया, 9 मई 2011 (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76)
[2] वही 10 मई 2011
[3] वही 10 मई 2011
[4] पांचजन्य, 29 अप्रैल 2012
[5] दैनिक जागरण, 15 अक्टूबर 2012

गत् 6 दिसम्बर को देश के कुछ राजनीतिक धुरन्धरों ने इस राष्ट्रीय मुद्दे को अपनी पार्टियों के हित में भुनाने की कोशिश की। बी.एस.पी. की मायावती ने[1] जहां साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा बाबरी मस्जिद के ध्वंस की बात की वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार [2] ने इसे सियासी मुद्दा बतलाते हुए उपहास की मुद्रा में व्यंग्य में यह भी कहा कि, 'मंदिर वही बनायेंगे पर तारीख नही बतायेंगे'। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के मंत्री आजम खां[3] ने अपने भड़काऊ साक्षात्कार में मार्क्सवादी इतिहासकार इरफान हबीब की नकल कर आर.एस.एस. को,, 'आतंकवादी संगठन' बताया। साथ ही बाबरी मस्जिद बनाने की भी मांग कर दी।[4]

यह सत्य है कि देश के सभी राष्ट्रीय संगठन साक्ष्यों के आधार पर रामजन्म भूमि मंदिर निर्माण का निर्णय चाहते है। आशा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय गत पांच वर्षों से 'यथास्थिति' को शीघ्र समाप्त करेगा। भारतीय जन समाज इसके लिए प्रयत्न करेगा। आवश्यकता है कि देश में बढ़ती विघटनकारी शक्तियों को देखते हुए देश के सभी राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक संगठन अपनी प्रचण्ड संकल्प शक्ति का सकारात्मक परिचय दें तथा भारत को एक सबल सुदृढ़ तथा श्रेष्ठ राष्ट्र बनायें। साथ ही भारत के मुसलमानों को चाहिए कि उस समस्त स्थान देश को राष्ट्रीय पुरूष भगवान राम के मंदिर को बनवाने के लिए हिन्दुओं को सौंप दें तथा अपना पूरा सहयोग दें।

---

[1] द टाइम्स ऑफ इंडिया, 7 दिसम्बर 2015
[2] वही
[3] दैनिक जागरण 7 दिसम्बर 2015
[4] वही

सिक्ख इतिहास में श्रीराम–जन्मभूमि मन्दिर

–राजेन्द्र सिंह[1]

सिक्ख इतिहास के मौलिक स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि श्रीगरु नानकदेव ने अपनी पहली तीर्थयात्रा के काल (चैत्र 1564–फाल्गुन 1566 विक्रमी) में अयोध्या के पावन तीर्थस्थल श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर के दर्शन किये थे।

कालान्तर में मुस्लिम आक्रान्ता बाबर ने इस्लामी शरीअत से अनुप्रेरित होकर इस पावन जन्मभूमि–मन्दिर को भूमिसात् करवा कर वहां एक ऐसा ढांचा बनवा डाला था, जिसे दो भागों में कथित रूप से उपलब्ध फारसी शिलालेख में **महविले कुदसियां** अर्थात् किसी नेक आदमी या फरिश्ते के उतरने की जगह बताया गया है, मस्जिद कदापि नहीं। अतः उस ढांचे को मस्जिद या बाबरी मस्जिद बताया जाना सर्वथा निराधार है।

गुरूनानक द्वारा 68 तीर्थों के दर्शन करना–

गुरु नानकदेव तलवण्डी राय भोए भट्टी नामक नगरी (तत्कालीन वृहत्तर पंजाब) के निवासी महता श्री कालू बेदी और माता तृप्ता जी के घर में कार्तिक पूर्णिमा 1526 विक्रमी तदनुसार शुक्रवार 20 अक्टूबर 1469 ईसवीं के शुभ दिन अवतरित हुए थे।

जनमसाखी भाई वाला (1715 विक्रमी) के अनुसार सुल्तानपुर में नवाब दौलत ख़ां लोदी के मोदीख़ाने में मोदी रूप में कार्यरत श्री नानकदेव को काली वेईं नदी में तीन दिवसीय जलसमाधि के दौरान साढ़े 32 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर के दर्शन हुए थे।[2]

गुरु अर्जुनदेव के भतीजे और शिष्य सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान की रचना **सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेवजी (1669 वि.)** में बताया गया है कि अपने हृदय में परमेश्वर के दर्शन पा लेने के बाद श्री नानकदेव ने दो वर्ष तक उग्र तप किया, गुरू के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की और फिर तीर्थयात्रा पर जाने का शुभ संकल्प किया।[3]

---

[1] सिक्ख इतिहासकार, 293, सेक्टर–16, फरीदाबाद–121002

[2] जनमसाखी भाई वाला (1715 विक्रमी), डा. गुरबचन कौर द्वारा सम्पादित, भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला, 1987 ईसवीं, पृष्ठ–212।

[3] सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्री गुरू नानकदेव जी, (1669 विक्रमी), प्रो. कृपाल सिंह द्वारा सम्पादित, खालसा कॉलेज, अमृतसर, 1962 ईसवीं, पृष्ठ 104–111।

भाई शम्भूनाथ वाली आदि साखीआं : जनमपत्री बाबे जी की (1758 विक्रमी) के अनुसार गुरू नानकदेव :

''गंगा, गोदावरी गए। प्रयाग, वाराणसी, गोमती, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथ, उड़ीसा इत्यादि 68 तीर्थों के दर्शन किए और सब का फल प्राप्त किया, वहां स्नान किया और सब धरती देखी।''[1]

ठीक यही बात पुरातन जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी की (1791 विक्रमी) में भी बताई गई है :

''फिर बाबा अगले तीर्थों का चला। गंगा, गोदावरी गया। प्रयाग गोमती, **अयोध्या,** द्वारका, जगन्नाथ, उड़ीसा इत्यादि 68 तीर्थों के दर्शन किए, सब का फल प्राप्त किया, वहां स्नान किया और सब धरती देखी।''[2]

यह उल्लेखनीय है कि किसी भी तीर्थ के दर्शन का तब तक कोई सार्थक फल प्राप्त नहीं होता जब तक विधि के अनुरूप उस तीर्थ विशेष में सुप्रतिष्ठित प्रधान देवी अथवा देवता की मूर्ति के दर्शन न कर लिए जाएं। चूंकि उपरोक्त दोनों जनम–साखियों में स्पष्ट बताया गया है कि गुरू नानकदेव ने अपने तीर्थयात्राकाल में सभी 68 तीर्थों का फल प्राप्त किया था, इसलिए यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि वहां पर ऐसे मन्दिर अवश्य विद्यमान थे जिनके गर्भगृह में तत्सम्बन्धी प्रधान देवी अथवा देवता की **सुप्रतिष्ठित मूर्ति के श्रीगुरू जी** ने दर्शन किए थे।

सुल्तानपुर से अयोध्या की ओर–

सुल्तानपुर में दो वर्ष तक उग्र तप करने, गुरू के रूप प्रतिष्ठित होने और फिर 68 तीर्थों की तीर्थयात्रा पर जाने का शुभ संकल्प करके गुरू नानकदेव समाणा, कौरा, पिहोवा, कुरूक्षेत्र, पानीपत और दिल्ली से होते हुए वैशाखी पर्व 1564 विक्रमी के शुभावसर पर हरिद्वार जा पहुंचे। सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान (1667–1697 विक्रमी) कृत सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1669 विक्रमी) के अनुसार इस पर्व के शुभावसर पर श्रीगुरू जी ने कुछ दिन यहां पर बिताए थे।[3]

---

[1] आदि साखीआं : जनमपत्री बाबे जी की (1758 विक्रमी), डा. प्यार सिंह द्वारा सम्पादित, लाहौर बुक शॉप, लुधियाना, तीसरा संस्करण : 1983 ईसवीं, पृष्ठ 165,168।

[2] पुरातन जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी की (1791 विक्रमी), शमशेर सिंह अशोक द्वारा सम्पादित, शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर, 1969 ईसवीं, पृष्ठ 64।

[3] सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्री गुरू नानकदेव जी (1669 विक्रमी), प्रो. कृपाल सिंह द्वारा सम्पादित, खालसा कॉलेज, अमृतसर, 1962 ईसवीं, पृष्ठ 123,128।

हरिद्वार से पौड़ी, केदारनाथ, बदरीनाथ, जोशीमठ, लिपूलेख दर्रा, दुर्गा पीपल (रीठा साहिब), गोरखमता (नानकमता), टांडा और पीलीभीत से होकर गुरू नानकदेव अपने सहयात्री मरदाना के साथ गोला पहुंच गए। इतिहासकार डा. फौजा सिंह–कृपाल सिंह अपनी रचना एटलस ट्रैवल्स ऑफ गुरू नानक : एटलस गुरू नानकदेव जी दे सफ़र (जनवरी 1976 ईसवीं=2032 विक्रमी) में लिखते हैं :

''गोला से थोड़ी दूर घाघरा दरिया बहती है। घाघरा दरिया अयोध्या जाने–आने वालों के लिए आवागमन का एक बड़ा साधन थी। इसलिए गुरू नानक साहिब यहां से चलकर शायद नाव द्वारा अयोध्या पहुंचे।''[1]

किन्तु गुरु नानकदेव के कनिष्ठ पुत्र बाबा लक्ष्मीचन्द (1553 विक्रमी में जन्मे) के आठवें वंशज बाबा सुखबासी राम बेदी कृत एक पूर्ववर्ती रचना **गुरू नानक वंश प्रकाश (1886 विक्रमी)** में गुरू जी का नैमिषारण्य होते हुए अयोध्या जाना लिखा है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि गुरू नानकदेव गोला से नैमिषारण्य के मार्ग से अयोध्या पहुंचे थे।

अयोध्या में श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर के दर्शन करना–

गुरु गोविन्द सिंह के दीवान भाई मनी सिंह (1701–1791 विक्रमी) अपनी रचना पोथी जनमसाखी : गिआन रतनावली : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1787 विक्रमी) में बताते हैं :

''तब बाबा जी अयोध्या को जा पहुंचे और कहा : मरदाना! यह नगरी श्री रामचन्द्र जी की है। सो चल इसका दर्शन करें। तब बाबा जी नदी पर जा उतरे।''[2]

श्री रामचन्द्र जी की नगरी अयोध्या के दर्शन से गुरु नानकदेव का क्या आशय था, इसका भेद भाई बाले वाली जनमसाखी खोलती है। इस सर्वप्रचलित और लोकप्रिय जनमसाखी में **साखी तीर्थयात्रा दी शीर्षक** के अन्तर्गत लिखा है :

''गुरू जी अयोध्या को गए। श्रीगुरू नानकदेव जी ने कहा : भाई बाला! यह ही नगरी श्री रामचन्द्र जी की है। यहां श्री रामचन्द्र जी ने अवतार धारण करके लीला–चरित्र किए हैं। सो देख के ही चलें। तब श्रीगुरू जी सरयू नदी के किनारे पा जा बैठें।''[3]

---

[1] एटलस ट्रैवल्स ऑफ गुरू नानक, पंजाबी यूनीवर्सिटी, पटियाला, 1976 ईसवीं, पृष्ठ 50।

[2] !. पोथी जनमसाखी : गिआन रतनावली (1787 विक्रमी), चिरागुद्दीन–सिराजुद्दीन द्वारा सम्पादित– प्रकाशित, मुस्तफ़ाई छापाखाना, लाहौर, 1947 विक्रमी, पृष्ठ 213।

!!. गिआन रतनावली : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1787 वि.), डा. जसवीर सिंह साबर द्वारा सम्पादित, गुरूनानकदेव यूनीवर्सिटी, अमृतसर,1993 ईसवी, पृष्ठ 385।

[3] भाई बाले वाली जनमसाखी (1940 विक्रमी), ज्ञानी महिन्दर सिंह द्वारा सम्पादित, भाई चतुरसिंह– जीवनसिंह, अमृतसर, पृष्ठ 261।

उक्त दोनों जनमसाखियों के सम्मिलित पाठ से स्पष्ट हो जाता है कि **अयोध्या दर्शन** से गुरु नानकदेव का स्पष्ट आशय श्रीराम के सभी लीलास्थलों के दर्शन करना था। अयोध्या में श्रीराम के लीलास्थलों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लीला–स्थल था : **श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर।** इसी महत्त्वपूर्ण लीलास्थल पर अवतार धारण करके श्रीराम ने अपने लीला–चरित्र किए थे और इसी को देख के ही चलने की बात श्रीगुरू नानकदेव ने बड़ी दृढ़ता से कही है।

यह उल्लेखनीय है कि युवा अवस्था प्राप्त होने के बाद श्रीराम ने पहले मुनिवर विश्वामित्र के सान्निध्य में और फिर विवाह के उपरान्त दण्डकारण्य के 14 वर्षीय वनवासकाल में जितने भी शौर्य प्रधान कार्य किए हैं वे सभी अयोध्या नगरी के बाहर ही किए हैं। अयोध्या में तो श्रीराम ने बाल–किशोर सुलभ लीलाएं ही की हैं। अतः यहां के प्रमुख लीलास्थल श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर में उनकी दिव्यमूर्ति छोटी अवस्था के रूप में प्रतिष्ठित है।

ऐसे लीलास्थल को **देख के ही** चलने के दृढ़ निश्चयी गुरू नानकदेव के अपने वंशज बाबा सुखबासी राम बेदी अपनी रचना गुरू नानक वंश प्रकाश (1886 विक्रमी) के छन्द 1000–1001 में स्पष्ट बताते हैं :

चले तहां से सतिगुरू मरदाना ले संगि।
आए अवध पुरी विखे सरजू नदि जिह संगि।।
सरजू जल मंजन कीआ **दरसन राम निहार।**
आतम रूप अनंत प्रभ चले मगन हितु धार।।

[वहां (नैमिषारण्य) से चले सत्गुरू नानकदेव मरदाना के संग अयोध्या पुरी में आ पहुंचे, जिस पुरी के संग सरयू नदी बहती है। श्रीगुरू जी ने सरयू के जल में स्नान किया और श्रीराम के निहार कर दर्शन किए]।[1]

उतरोक्त छन्द 1001 में **दरसन राम निहार** शब्द यह भली–भांति स्पष्ट कर देते हैं कि अयोध्या में श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर नामक लीलास्थल में सुप्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति के गुरु नानकदेव ने निहार कर अर्थात् एकाग्रचित्त होकर दर्शन किए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि यह महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक लीलास्थल **श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर** के रूप में गुरु नानकदेव की इस पहली तीर्थयात्रा के काल में विद्यमान था। इस बात की पुष्टि एक अन्य प्रकार से भी होती है।

[1] बाबा सुखबासी राम बेदी कृत गुरू नानक वंश प्रकाश (1886 विक्रमी), डा. गुरमुख सिंह द्वारा सम्पादित, पंजाबी यूनीवर्सिटी, पटियाला, 1986 ई.।

गुरु नानकदेव के काशी पहुंचने का वर्णन करते हुए उन्हीं के वंशज बाबा सुखबासी राम बेदी अपनी उपरोक्त रचना छन्द 1006–1008 में लिखते हैं :

तीन दिवस तह बास कर सिवपुर चले अनंत।
कांशी महि प्रापति भए नाम भजति जिहि संत।।
गंगा जमन इसनान करि आए हरख बढ़ाइ।
विस्वेस्वर दरसन कीओ अपुने सहज सुभाइ।।
पत्र पुसप फल नीर लै पूजा करी बनाइ।
जानिओ अपुने आप करि किर्पा सिंध सुखदाइ।।

{तीन दिवस वहां (प्रयाग में) वास करके अनन्त महिमा वाले गुरू नानकदेव शिव जी की पुरी काशी में आ पहुंचे जिसमें सन्तजन प्रभु का नाम जपते हैं। गंगा, जल में स्नान करके आये गुरूजी ने हर्ष बढ़ाते हुए अपने सहज स्वभाव से विश्वेश्वर के दर्शन किए। वहां उन्होंने पत्र, पुष्प, फल और जल लेकर विधिपूर्वक पूजा की। इस प्रकार सबको सुख देने वाले कृपासागर ने अपने भीतर ही शिव को पाया}।

उपरोक्त दोनों तीर्थस्थलों के वर्णन में आए **दरसन राम निहार** और **विस्वेस्वर दरसन कीऔ** इत्यादि शब्दों की समरसता ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार श्रीगुरु जी के जगन्नाथ पुरी पहुंचने का वर्णन करते हुए बाबा सुखबासी राम बेदी इसी रचना के छन्द 1019–1020 में स्पष्ट लिखते हैं :

पहुते पुरसोतम पुरी जगत नाथ जिह नाम।
मंजन कीनो सिंध गुर दरस परस निहकाम।।
मंदर भीतर सतिगुरू मरदाना ले संग।
निरखे हरि आनंद धनि पूरन ब्रह्म अभंग।।

{गुरू नानकदेव पुरूषोत्तम पुरी, जिसे जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं, जा पहुंचे। वहां पर श्रीगुरु जी ने निष्काम भाव से सिन्धु का दर्शन और स्पर्श करते हुए उसमें स्नान किया। फिर सत्गुरू जी मरदाना को संग लेकर जगन्नाथ मन्दिर के भीतर चले गए और उन्होंने पूर्ण ब्रह्म, अभंग और आनन्द घन हरि के दर्शन किए}।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस तीसरे तीर्थस्थल के वर्णन में बाबा सुखबासी राम बेदी ने छन्द 1020 में **''निरखे हरि आनंद घनि पूरन ब्रह्म अभंग।''** इत्यादि शब्दों के साथ ही **मंदर** शब्द का सार्थक और साभिप्राय प्रयोग किया है। ऐसे प्रयोग का सुस्पष्ट अभिप्राय यही है कि जैसे जगन्नाथ पुरी में गुरू नानकदेव ने **आनन्दघन हरि के दर्शन मन्दिर** के भीतर गर्भगृह में सुप्रितिष्ठित देवमूर्ति के रूप में किए थे, ठीक वैसे ही उन्होंने अयोध्या के श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर के गर्भगृह में सुप्रतिष्ठित

श्रीरामललामूर्ति के रूप में श्रीराम के दर्शन किए थे। ठीक यही बात काशी के सन्दर्भ में भी कही जा सकती है।

बाबा सुखबासी राम बेदी की रचना **गुरू नानक बंस प्रकाश** (1886 विक्रमी) में वर्णित उपरोक्त सारे प्रसंग का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि गुरू नानकदेव की पहली तीर्थयात्रा के काल में अयोध्या में श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर निश्चित रूप से विद्यमान था।

अयोध्या में गुरू नानक का तपभरा निवासकाल–

जनमसाखियों के अध्ययन से यह भी ज्ञात है कि अयोध्या में कुछ मास तक निवास करते हुए गुरू नानकदेव ने श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर के समीप ही तपस्या की थी। इस सन्दर्भ में सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान अपनी रचना **सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1669 विक्रमी)** में बताते हैं :

> ''तब गुरू बाबा नानक........ पूरब की धरती नगरी अयोध्या में जा बसे। .... तब अयोध्या में गुरू बाबा नानक बैठे भक्ति करते थे।.. तब बाबा नानक जुहदी (तपस्या करने वाला तपस्वी) अयोध्या में बैठे, परली दक्षिण की तरफ एक पंचतीर्थी थी, उसके ऊपर एक मठ था, उस में ही बैठे, नाम स्मरण करते थे।''[1]

स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड, अयोध्यामाहात्म्य के पहले दो अध्यायों में वर्णित पंचतीर्थों के नाम हैं : चक्र, ब्रह्मकुण्ड, ऋषिमोचन, पापमोचन और सहस्रसार। सहस्रसार से दक्षिण दिशा में चक्रतीर्थ की ओर जाते हुए चौथे स्थान पर ब्रह्मकुण्ड तीर्थ पड़ता है। इसी ब्रह्मकुण्ड के पास वह मठ था जहां पर बैठ कर गुरू नानकदेव ने तप किया था।

कालान्तर में काश्मीर के रहने वाले महन्त बाबा गुलाब सिंह जी होशियार पुर से होते हुए यहां पर 1842 विक्रमी = 1785 ईसवीं में पधारे थे। तब उन्होंने इस ऐतिहासिक तपस्थली पर **श्री निशान साहिब** की स्थापना की थी। इस पावन तपस्थली के ठीक सामने सड़क के दक्षिण में **गुरुद्वारा ब्रह्मकुण्ड साहिब** बना हुआ है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु नानकदेव की यह ऐतिहासिक तपस्थली श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर से मात्र 350 गज की दूरी पर स्थित है।

सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान के अनुसार गुरु नानकदेव ने पूर्वी भारत की धरती पर तीन वर्ष बिताए थे। यहां यह विचारणीय है कि ये तीन वर्ष कब बिताए थे। इस ओर संकेत करते हुए यह लिखते हैं :

[1] सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1669 विक्रमी), कृपाल सिंह – शमशेरसिंह अशोक द्वारा सम्पादित, खालसा कॉलेज, अमृतसर, 1962 ईसवीं, पृष्ठ 186–187–190।

"तब गुरू बाबे नानक जी ने तीन बरस पूरब की सब धरती देखी, फिर पूब की धरती से दक्षिण की धरती को चले।....... पांच बरस दक्षिण की धरती खेले (दक्षिण की धरती का दर्शन करते रहे)। .... तब दक्षिण की धरती से गुरू बाबा नानक जी उत्तर की धरती को चले।.......... एक बरस उत्तर में रहे।........ तब उत्तर की धरती से पश्चिम की धरती को चले।.......... तब तीन बरस पश्चिम पर खेला (रटन करते रहे)। फिर (मक्का–मदीना), रूम–शाम (बगदाद)–काबुल को देख कर बाबा नानक गोरख हटड़ी (पेशावर) से सैदपुर सलोई में आ निकले।"[1]

इस प्रकार गुरु नानकदेव द्वारा चारों दिशाओं की ओर की गई यात्राओं का कुल काल 3+5+1+3=12 वर्ष बनता है। इसी बात की पुष्टि दो उत्तरवर्ती जन्मसाखियों से भी होती है।

इस संदर्भ में आदि साखीआं : जनमपत्री बाबे नानक जी की (1758 विक्रमी) में बताया गया है :

"तब मक्का मदीना सब मुल्क देखकर, सब देश देखकर बारहवें बरस बाबा जी फिर तलवण्डी आया। जब से बाबा जी सुल्तानपुर से डेरा लुटा कर निकला था, बारहवें बरस फिर तलवण्डी आया। दो बरस सुल्तानपुर में चाकरी की (नवाब) दौलत ख़ां की। बारह बरस उदासी = तीर्थयात्रा की, फिर (अपने) घर में आया।"[2]

इसी प्रकार जनमसाखी श्रीगुरु नानकदेव जी : बी–40 जनमसाखी (1790 विक्रमी) में भी बताया गया है :

"मरदाना बाबे (नानक) के साथ लगा फिरने। जब (बाबा) सुल्तानपुर से उदास हुआ (उदासीन हुआ=देशाटन को चला) तब बारहवें बरस फिर पंजाब की धरती पर (वापस) आया।"[3]

इन दोनों जन्मसाखियों के उपरोक्त उद्धरणों धरणों से ज्ञात होता है कि गुरू नानकदेव द्वारा पहले स्वदेश में और फिर मक्का, मदीना, बगदाद और काबुल इत्यादि पश्चिमी देशों में की गई यात्राओं का कुल समय 12 वर्ष था।

सच खण्ड पोथी (1669 विक्रमी), पुरातन जनमसाखी (1691 विक्रमी), आदि साखीआं (1758 विक्रमी) और बी–40 जनसाखी(1790 विक्रमी) में प्राप्त प्रसंग के अनुसार जब गुरू नानकदेव पश्चिमी देशों की यात्रा समाप्त करके भाई मरदाना रबाबी (रबाब वादक) के साथ सन्ध्या के समय अपने

---

[1] वही, पृष्ठ 203,360,419,462।

[2] आदि साखीआं : जनमपत्री बाबे नानक जी की (1758 विक्रमी), डा. प्यार सिंह द्वारा सम्पादित, लाहौर बुक शॉप, लुधियाना, 1983 ईसवी, पृष्ठ 186।

[3] जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1790 विक्रमी) = बी.–40 जनमसाखी, डा. प्यार सिंह द्वारा सम्पादित, गुरू नानक यूनीवर्सिटी, अमृतसर, 1974 ई,पृष्ठ 49।

भक्त–मित्र भाई लालों से मिलने पठान–बहुल क्षेत्र परगना सैदपुर में पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां घर–घर विवाह हो रहे थे। यथा :

''सैदपुर में घर–घर विवाह थे, शायद ही कोई घर खाली हो तो हो, नहीं तो घर–घर विवाह थे, किसी के बेटे का तो किसी की बेटी का'' (आदि खण्ड पोथी, पृष्ठ 462)।

''पठानों के घरों में विवाह हैं, पठान नाच रहे हैं, सारंगियां बज रही हैं। खरे और बहुत खुशी के घर हैं....... घर–घर विवाह जो थे'' (आदि साखीआं, पृष्ठ 194)।

इससे विदित होता है कि उस दिन विवाहों का बहुत बड़ा साहा था। उपरोक्त ग्रन्थों से यह भी पता चलता है कि सैदपुर में हो रहे इस विवाहोत्सव के कुछ ही घण्टों बाद सुबह को आक्रान्ता बाबर ने वहां आक्रमण करके सब कुछ तबाह कर डाला था।[1]

इस सन्दर्भ में मुहम्मद कासिम फरिश्ता ने अपनी रचना तारीखे फरिश्ता (1668 विक्रमी = 1611 ईसवीं) में **बाबर के हिन्दुस्तान पर हमले** शीर्षक के अन्तर्गत बताया है कि अपने तीसरे हमले के समय सन् 926 हिजरी में आक्रान्ता बाबर ने सैदपुर को पूरी तरह तबाह और बरबाद कर डाला था।[2]

विक्रमी सम्वत् के अनुसार सन् 926 हिजरी का वर्ष पौष शुक्ल 3, 1576 से पौष शुक्ल 1, 1577 विक्रमी तक पड़ता है। ईसवी सन् के अनुसार यह वर्ष 24दिसंबर 1519 से 11दिसंबर 1520 ईसवीं तक बनता है।

यह उल्लेखनीय है कि पौष शुक्ल 1, 1577 विक्रमी को सन् 926 हिजरी की समाप्ति से पहले कार्तिक शुक्ल एकादशी पड़ती है, जिसे देवोत्थानी या देवप्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। यह शुभ दिन अनपुच्छ मुहूर्तों में गिना जाता है और इसमें तुलसी विवाह भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

इसी कार्तिक शुक्ल एकादशी, 1577 विक्रमी को पड़ने वाले बड़े वैवाहिक साहे के दिन गुरु नानकदेव और भाई मरदाना रबाबी परगना सैदपुर आ पहुंचे थे। इसकी अगली सुबह मंगलवार कार्तिक शुक्ल 12, 1577 विक्रमी (23–10–1520 ईसवीं) को मुस्लिम आक्रान्ता बाबर ने परगना सैदपुर पर धावा बोला था।

पठान–बहुल क्षेत्र परगना सैदपुर पर आक्रान्ता बाबर द्वारा किए गए धावे के कारण हुई तबाही को गुरू नानकदेव ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, परखा और उस पर गहरा दुःख प्रकट किया था। इस सन्दर्भ में उन्होंने स्वरचित चार शब्दों= पदों में बाबर की जो तीखी आलोचना की है उस पर यथास्थान विचार किया जाएगा। श्री आदि ग्रन्थ में ये चार पद पृष्ठ 360, 417–18 और 722–23 पर मिलते हैं।

यहां तो इतना कहना है कि चैत्र 1564 विक्रमी से कार्तिक 1577 विक्रमी तक लगभग 13 वर्ष 7 मास बनते हैं। इनमें से तीर्थयात्रा की तैयारी और दो दिशाओं के मध्य आए विश्रामकाल का कुल समय

[1] 1. सच खण्ड पोथी, पृष्ठ 465 2. पुरातन जनमसाखी, पृष्ठ 59 3. आदि साखीआं, पृष्ठ 195 4. बी–40 जनमसाखी, पृष्ठ 69।

[2] तारीख़े फ़रिश्ता (1668 विक्रमी = 1611 ईसवीं), जिल्द 1, मकतबा मिललत, देवबन्द, 1983 ईसवीं, पृष्ठ 587।

1 वर्ष 7 मास मानकर कम कर दिया जाए तो ठीक 12 वर्ष शेष रह जाते हैं। इन 12 वर्षों में चैत्र 1564 से फाल्गुन 1566 विक्रमी तक पहले तीन वर्ष गुरु नानकदेव ने पूर्वी भारत की तीर्थयात्रा में बिताए थे।

अयोध्या में गुरू नानक के ठहरने का काल–

''एटलस ट्रैवल्स ऑफ गुरू नानक : एटलस गुरु नानकदेव जी दे सफ़र'' नामक पुस्तक में गुरु नानकदेव की तीर्थयात्राओं से सम्बन्धित नक़्शे पैमाने सहित प्राप्त होते हैं। इन नक़्शों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सुल्तानपुर से अयोध्या तक की यात्रा लगभग 1600–1650 किलो मीटर पड़ती है। अयोध्या से टांडा, प्रयाग, वाराणसी (काशी), गया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर, करागोला, कंतनगर, मालदा होते हुए धुबरी तक की यात्रा लगभग 1200 किलो मीटर, धुबरी से गोलाघाट, मुहारी, सिलांग, सिलहर, अगरतला, चिटगांव, चांदपुर होते हुए ढाका तक लगभग 1460 किलो मीटर तथा ढाका से कोलकाता, कटक होते हुए जगन्नाथ पुरी तक लगभग 720 किलो मीटर लम्बी यात्रा पड़ती है। इस प्रकार गुरु नानकदेव ने पूर्वी भारत की लगभग 5030 किलो मीटर लम्बी पहली तीर्थयात्रा चैत्र 1564 विक्रमी से फाल्गुन 1566 विक्रमी तक कुल तीन वर्ष में पूरी की थी।

इस पूरे यात्रामार्ग का तीसरा भाग 1676 कि.मी. लम्बा बनता है, जो सुल्तानपुर से अयोध्या तक की दूरी लगभग 1650 कि.मी. से थोड़ा अधिक ही है। अतः यह समझना–मानना ठीक होगा कि चैत्र शुक्ल पक्ष 1565 विक्रमी में पड़ने वाली नवमी = रामनवमी से दो–दो मास आगे–पीछे तक अर्थात् लगभग चार मास तक गुरु नानकदेव अयोध्या में श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर के पश्चिम में मात्र 350 गज की दूरी पर स्थित तपस्थल में ठहरे रहे थे।

अयोध्या में गुरू नानक द्वारा वाणी रचना–

सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान अपनी रचना सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरु नानकदेव जी (1669 विक्रमी) में बताते हैं कि अयोध्या में जा बसने (उपरोक्त चार मास तक ठहरने) के दौरान गुरू नानकदेव ने तपस्या करते रहने के साथ ही वाणी की रचना भी की थी। उन्होंने राग भैरव में एक, राग श्री में तीन और राग आसा में एक, इस प्रकार कुल पांच **शबदों = पदों की** संगीतबद्ध रचना करके भक्तजनों में उनका कर्णप्रिय गायन और भावार्थपूर्ण व्याख्यान भी किया था।[1] श्री आदिग्रन्थ मुं उनके ये पांच पद इस रूप में प्राप्त होते हैं :

1. जगन होम पुंन तप पूजा......... हरि रसु नानक कोलि पीआ, भैरउ महला 1, पृष्ठ 1127
2. आवहु भैणे गलि मिलह......... आपे लए मिलाए। सिरीरागु महला 1, पृष्ठ 17–18
3. भली सरी जि उबरी................ सचु सउदा जिसु पासि। सिरीरागु महला 1, पृष्ठ 18
4. धातु मिलै फुनि धातु कउ....... सद बलिहारै वासु। सिरीरागु महला 1, पृष्ठ 18

[1] सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1669 विक्रमी), प्रो. कृपालसिंह, शमशेर सिंह अशोक द्वारा सम्पादित, खालसा कॉलेज, अमृतसर, 1962 ईसवी, पृष्ठ 187,199।

5. सोदरू तेरा केहा.................. नानक रहणु रजाई। रागु आसा महला 1, पृष्ठ 347–48

नानकवाणी में श्रीराम–जन्मभूमि का वर्णन–

गुरू नानकदेव द्वारा रचित उपरोक्त वाणी में चौथा शबद = पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्योंकि इसमें श्रीराम–जन्मभूमि का वर्णन किया गया है। इस पद के दूसरे भाग में श्रीगुरू जी कहते हैं :

ऊचउ थानु सुहावणा ऊपरि महलु मुरारि।
सचु करणी दे पाईऐ दरु धरु महलु पिआरि।
गुरूमुखि मनु समझाईऐ आतमरामु बीचारि।।2।।

इसका परमार्थ समझाते हुए सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान लिखते हैं :

''तब गुरु बाबा नानक जी ने कहा है कि भाई राम के लोगों ! जहां परमेश्वर बसता है वह ऊंचा (और सुहाना) स्थान है। उस स्थान के ऊपर श्रीराम जी का महल है। उसमें ही श्रीराम जी बसता है।......................

सो पाएं कहां से ? कहते हैं : जब अन्तःकरण में राम–विचारेंगे तो उस ठौर पाएंगे। जब तक अन्तरात्मा में राम न विचारेंगे, तब तक उसे न पाएंगे। अन्तरात्मा में राम कैसे विचारें ? अन्तःकरण में राम का यही विचार है कि सच की करनी–करतूत करें। सच की करनी चले तो परमेश्वर का दर–घर–महल पावें। सच की करनी क्योंकर चलें ? जब पूरा गुरु (आत्मतत्त्व को पहुंचा गुरु) मिले, उसके उपदेश सुन–सुन कर सच की करनी कमावे तो पूरा गुरु उस करनी को चलावे।''[1]

उपरोक्त स्वरचित पद की व्याख्या करते हुए स्वयं गुरु नानकदेव ने श्रीराम के परमधाम के साथ ही लौकिक अवतरणधाम=जन्मभूमि का भी वर्णन कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि श्रीराम–जन्मभूमि स्थल से उत्तर में सहस्रसार तीर्थ की ओर तथा पूर्व में हनुमानगढ़ी की ओर पड़ने वाले स्थलों का स्तर = LEVEL अपेक्षाकृत बहुत नीचे है। अतः गुरू नानकदेव का कथन बिलकुल ठीक है कि जहां परमेश्वर = पुरुषोत्तम बसता है वह सुहाना स्थान ऊँचा है। उस ऊँचे और सुहाने = रमणीक = मनभावन स्थान पर श्रीराम जी का महल = महालय = देवालय बना हुआ है। उसमें ही = उसके गर्भगृह में ही श्रीराम जी अपनी दिव्य **रामललामूर्ति** के रूप में विराजमान हैं।

जैसा कि पूर्व पंक्तियों में प्रमाण सहित बताया जा चुका है, गुरू नानकदेव ने इसी दिव्य **रामललामूर्ति** के निहार कर दर्शन किए थे।

[1] सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1969 विक्रमी), पृष्ठ 196।

पूर्ववर्ती सन्तजनों से श्रीगुरू जी का आध्यात्मिक मिलन–

गुरू अर्जुनदेव के सगे भतीजे और शिष्य सोढ़ी महोहरदास मेहरबान अपनी रचना **सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1969 विक्रमी)** में बताते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से अयोध्या के इस निवासकाल में तपस्यारत् गुरु नानकदेव को जयदेव, बेणी, त्रिलोचन, नामदेव, सधना और सैन नामक पूर्ववर्ती सन्तों के तथा धन्ना, रविदास और कबीर नामी समकालीन सन्तजनों के आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त हुए थे।

सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान आगे बताते हैं कि आध्यात्मिक विचारगोष्ठी के बाद सभी ईश्वरभक्त सन्तजनों ने मिलकर :

> ''गुरु बाबा नानक को आशीर्वाद दिया कि : अजी, तेरी भक्ति अखण्ड होवेगी। और जहाँ किसी भक्त का पन्थ नहीं चला कलिकाल में, किन्तु तेरा पन्थ चलेगा। त्रिलोकी में नानक ही नानक हो जाएगा। तेरा पन्थ बड़ा होगा। हमारा यही आशीर्वाद है।''[1]

उक्त आशीर्वाद देकर सभी ईश्वभक्त सन्तजन प्रभु के धाम लौट गए।

अयोध्या में परमेश्वर के पुनर्दर्शन हुए–

सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान यह भी बताते हैं कि सन्तजनों के परमधाम लौट जाने के बाद गुरु बाबा नानक ने **सोदरू में** (सोदरू तेरा केहा इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाली वाणी में) परमेश्वर की स्तुति की।... तब श्री परब्रह्म जी गुरु बाबे नानक पर बहुत दयालु हुए और बोले : जाओ नानक! तुझ पर मेरी कृपा है, कलिकाल में मेरा नाम स्मरण करना–करवाना, मैं तेरे सदा–सर्वदा अंग–संग हूँ।[2]

यह पहले बताया जा चुका है कि अयोध्या में तपस्यारत गुरू नानकदेव द्वारा पांचवें पद के रूप में रची और गायी गई उपरोक्त वाणी श्री आदिग्रन्थ में रागु आसा महला 1 के अन्तर्गत पृष्ठ 347–348 पर प्राप्त होती है।

सुल्तानपुर में काली वेईं नदी में स्नान और जलसमाधि के समय पहले ही परमेश्वर के दर्शन प्राप्त कर चुके गुरु नानकदेव को उपरोक्त स्तुति के बाद अयोध्या में भी उसके पुनदर्शन प्राप्त हुए।

श्रीराम और गुरु नानक का बहु–आयामी सम्बन्ध–

श्री आदिग्रन्थ में सम्मानित भट्ट कवि के सवैयों में स्पष्ट लिखा है कि एक ही विष्णु (सर्वव्यापक परमेश्वर) ने कृत, त्रेता, द्वापर और कलि युग में क्रमशः वामन, राम, कृष्ण और नानक के रूप में अवतार धारण किया था। यथाः

---

[1] सच खण्ड पोथी : जनमसाखी श्रीगुरू नानकदेव जी (1969 विक्रमी), पृष्ठ 197।

[2] वही, पृष्ठ 198–199।

सतिजुगि तै माणिओ छलिओ बलि बावन भाइओ।
त्रेतै तै माणिओ रामु रघुवंसु कहाइओ।
दुआपुरि क्रिसन मुरारि कंसु किरतारथु कीओ।
उग्रसैण कउ राजु अभै भगतह जन दीओ।
कलिजुगि प्रमाणु नानक गुरू अंगदु अमरू कहाइओ।
स्री गुरू राजु अविचलु अटलु आदि पुरखि फुरमाइओ।।

—श्री आदिग्रन्थ, सवईऐ महिले पहले के 1, पृष्ठ 1390

इस प्रकार भट्ट कवि कल ने उपरोक्त सभी अवतारों में एक ही चैतन्य परमतत्त्व के आध्यात्मिक दर्शन किए थे। यह उल्लेखनीय है कि श्रीराम से गुरू नानकदेव का केवल आध्यात्मिक सम्बन्ध ही नहीं था अपितु वांशिक सम्बन्ध भी था।

श्रीराम और गुरू नानक का वांशिक सम्बन्ध—

सिक्ख इतिहास के मूल स्त्रोतों में **मक्के मदीने दी गोशटि** का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुरु गोविन्द सिंह के दीवान भाई मनी सिंह ने अपनी रचना पोथी जनमसाखी : गिआन रतनावली (1787 विक्रमी) में इसको सम्मानपूर्वक उद्धृत किया है।[1] इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह (1879—1978 विक्रमी) के अनुसार इस रचना को मूल रूप से सैयद मुहम्मद ग़ौस सालिस फ़क़ीर ने फारसी भाषा में लिखा था। इसके बाद सम्वत् 1667 विक्रमी में भाई दयाल मसन्द ने इसको गुरुमुखी में अनूदित किया। ज्ञानी जी के अनुसार उन्होंने इस प्राचीन पोथी को बाबा श्याम प्रकाश हजारेवाले के पास देखा था और अपनी प्रसिद्ध रचना **त्वारीख़ गुरू खालसा** में इसको उ्धृत किया है।[2]

ऐसी प्राचीन और महत्त्वपूर्ण रचना **मक्के मदीने दी गोशटि** (1785 विक्रमी) से ज्ञात होता है कि पश्चिमी देशों की यात्रा करते हुए गुरू नानकदेव मक्का में एक वर्ष रहने और वहां पर हुए शास्त्रार्थ में विजयी होने के बाद जब मदीना पहुंचे तो वहां पर पीर बहावुद्दीन को अपनी वांशिक परिचय देते हुए उन्होंने कहा :

''सूरज कुल ते रघु भइआ, रघवंस होआ राम।
रामचंद के दोइ पुत, लवी कुसू तिही नाम।
एह हमारे बड़े हैं, जुगह जुगह अवतार।

[1] पोथी जनमसाखी : गिआन रतनावली (1787 विक्रमी), चिरागुद्दीन—सिराजुद्दीन द्वारा सम्पादित—प्रकाशित, मुस्तफ़ाई छापाखाना, लाहौर, 1947 विक्रमी, पृष्ठ 437।
[2] तवारीख़ गुरू ख़ालसा, भाग1, मतबा श्रीगुरू गोविन्द सिंह प्रेस, बेर बाबा नानक सियालकोट, पत्थरछापा संस्करण, 1948 विक्रमी, सन् 1891 ईसवी, पृष्ठ 144—145।

इनही के घर ऊपजे, नानक कल अवतार।
आद अंत हम ही भए, दूजा आप खुदाइ।
होरु न कोई दूसरा, नानक सचु अलाइ।।''[1]

{सूर्यकुल में राजा रघु हुए। रघु के वंश में राम हुए। रामचन्द्र के दो पुत्र थे। कुश और लव उनके नाम थे। वे राम हमारे कुल के ऐसे पूर्वज हैं जो युग–युग में अवतार धारण करते रहे हैं। इन्हीं के घर = वंश में मैं नानक कलि काल में अवतरित हुआ हूँ। आदि से अन्त तक एक तो हम ही हुए हैं और दूसरा स्वयं परमेश्वर। हमसे अन्य कोई दूसरा नहीं है, नानक सच कहता है}।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु गोविन्द सिंह (1718–1765 विक्रमी) ने अपनी लोकप्रसिद्ध रचना बचित्र नाटक 2/23–25, 2/28–33, 3/51–52, 4/1–5, 4/8 और 5/1–4 में गुरू नानकदेव को श्रीराम–भगवती सीता के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज तथा स्वयं को उनके कनिष्ठ पुत्र लव का वंशज बताया है। वस्तुतः गुरु नानकदेव मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के बड़े पुत्र कुश के ऐसे वंशज थे जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती जन्म में काशी में जाकर वेदों का अध्ययन किया था। इसी कारण वे **कुशवंशी क्षत्रिय वेदी** कहलाने लगे थे।

ये कुशवंशी वेदी मद्रदेश (बृहत्तर पंजाब का प्राचीन नाम) में दीर्घकाल तक राज करते रहे। काल के विपर्यय से उनका राज्य क्षीण होता चला गया। गुरु गोविन्द सिंह इस प्रसंग के अन्त में बताते हैं कि काल और कर्म की गति ऐसी हुई कि मद्रदेश की वह विस्तृत भूमि कुशवंशी वेदियों के हाथ से निकल गई। और फिर काल की गति से :

बीस गाव तिन के रहि गए। जिन मो करत क्रिसानी भए।
बहुत काल इह भांति बितायो। जनम समै नानक को आयो।।
तिन बेदीअन की कुल बिखै। प्रगटे नानक राइ।
सभ सिक्खन को सुख दए। जहतह भए सहाइ।।

–वचित नाटक 5/3–4

(उन कुशवंशी वेदियों के हाथ में केवल 20 गांव रह गए जिनमें वे कृषि कार्य करते रहे। इस प्रकार बहुत काल बीत गया कि श्री नानक के जन्म का समय आ पहुंचा। उन कुशवंशी वेदपाठियों के कुल में श्री नानकराय (राजा नानक) प्रकट हुए जिन्होंने सब शिष्यों को सुख दिया और जहां–तहां उनके सहायी हुए)।

---

[1] मक्के मदीने दी गोशाटि (1785 विक्रमी), डा. कुलवन्त सिंह द्वारा सम्पादित, पंजाबी यूनीवर्सिटी, पटियाला, 1988 ईसवी, पृष्ठ 245।

गुरु गोविन्द सिंह के उपरोक्त आप्त वचन (शब्द प्रमाण) से भी यह सुस्पष्ट हो जाता है कि गुरु नानकदेव श्रीराम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में जन्मे थे।

श्रीराम की ऐतिहासिक सत्ता–

जो लोग श्रीराम को एक काल्पनिक व्यक्ति बतलाने का राग आलापने के अभ्यासी हैं उन्हें यह भली–भांति समझ लेना चाहिए कि काल्पनिक व्यक्तियों के ऐतिहासिक वंश नहीं चला करते। यहां पर सत्यनिष्ठ गुरु नानकदेव और गुरु गोविन्द सिंह दोनों ही आप्त पुरूषों ने स्वयं को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का वंशज बताकर उनकी चिरपरिचित ऐतिहासिक सत्ता को सिद्ध कर दिखाया है। अतः श्रीराम की ऐतिहासिक सत्ता को कदापि चुनौती नहीं दी जा सकती।

प्रस्तुत प्रमाणों को सार रूप से समझना–

जो प्रमाण अब तक विभिन्न स्त्रोतों से प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें सार रूप से इस प्रकार समझा जा सकता हैं :

1. जनमसाखियों से ज्ञात होता है कि गुरु नानकदेव सभी 68 तीर्थों के दर्शन किए थे और सबका आध्यात्मिक फल प्राप्त किया था।

2. अयोध्या पहुंचने पर गुरु नानकदेव ने श्रीराम के लीलास्थलों को देख के ही चलने का दृढ़ संकल्प किया था। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही था कि उनके दर्शन किए बिना खाली हाथ वापस नहीं लौटना है। वस्तुतः वे खाली हाथ लौटे भी नहीं।

3. सोढ़ी मनोहरदास मेहरबान के अनुसार अपने दृढ़ संकल्प की पूर्ति हेतु गुरु नानकदेव अयोध्या में जा बसे थे जो इस बात को सिद्ध करता है कि वे वहां पर पर्याप्त समय तक रहे थे। उनके द्वारा वहां तप करने से भी इसकी पुष्टि होती है।

4. अयोध्या में गुरु नानकदेव माघ 1564 विक्रमी से वैशाख 1565 विक्रमी तक लगभग 4 मास तक रहे थे। इसी दौरान वे वहां तप करने के साथ–साथ अपनी वाणी भी रचते रहे और उसकी व्याख्या

करके उपस्थित जनसमाज को राम–नाम की महिमा भी समझाते रहे। उन्हीं के द्वारा रचित चौथे पद से स्पष्ट ज्ञात होता है कि **श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर** पर्याप्त ऊँचे और सुहाने = रमणीक स्थान

पर बना हुआ था। उनके तपस्थान से वह मात्र 350 गज की दूरी पर पूर्व की ओर स्थित था, जिसके उन्होंने कई बार दर्शन किए होंगे।

5. श्रीराम और गुरु नानकदेव आध्यात्मिक और वांशिक सम्बन्ध की दृष्टि से अभिन्न रहे हैं।

गुरु नानकदेव के हृदय में श्रीराम के जन्मलीलास्थल को देख के ही चलने की सुदृढ़ भावना होने, श्रीराम और उनके बीच आध्यात्मिक और विशेषकर वांशिक सम्बन्ध होने तथा पूर्वोक्त तपस्थली से श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर के बिल्कुल निकट होने से यही परिणाम निकलता है कि उन्होंने अयोध्या में अपने दीर्घवासकाल में श्रीरामलला के अनेकों बार दर्शन किए थे।

अतः इस बात में कोई सन्देह नहीं कि अयोध्या में चैत्र 1565 विक्रमी के आस–पास जब गुरु नानकदेव तीर्थयात्रा करते हुए पधारे थे उस समय वहां पर श्रीराम–जन्मभूमि–मन्दिर अपनी भव्यता के साथ विद्यमान था।

श्रीरामजन्मभूमि विवाद

उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय एवं संगत साक्ष्यों_का सूक्ष्म विश्लेषण

मदन मोहन पाण्डेय[1]

अयोध्या हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ है तथा पौराणिक दृष्टि से सप्ततीर्थों में एक है, जहाँ मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम ने मानव के रूप में जन्म लिया। अयोध्या में रामकोट नामक मुहल्ले में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अनादिकाल से स्थित है जिसे हिन्दू सनातन धर्मी अपने आराध्य मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी महाराज की जन्मस्थली के रूप में देवस्थल मानकर अनादिकाल पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार बाबर जिसे एक आक्रमणकारी मुगल शासक के रूप में माना जाता है, ने इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता कायम करने की दूषित भावना से अपने सेनापति मीरबाकी के माध्यम से अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर स्थित मंदिर को ध्वस्त कराकर उस पर तीन गुम्बदों वाली मस्जिद नुमा इमारत का निर्माण कराया, किन्तु हिन्दुओं के प्रबल विरोध के कारण उसी परिसर में सीता रसोई, चरण पादुका, चरण चिन्ह आदि यथावत् बने रहे, जिनकी हिन्दू समाज द्वारा पूर्ववत् निरन्तर पूजा अर्चना की जाती रही। मुगलों के शासन काल के बाद ब्रिटिश शासन काल में श्रीराम जन्मभूमि स्थल जिसे हिन्दू जनता निरंतर देवस्थली के रूप में मानती रही, के सम्बन्ध में हिन्दुओं ने बाबर द्वारा निर्मित ढांचे पर कब्जा करके पुरानी स्थिति को पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया और इसी क्रम में हिन्दुओं ने विवादित ढांचे पर हवन, पूजन आदि करना प्रारम्भ किया। ब्रिटिश शासकों ने अपनी डिवाईड एण्ड रूल पालिसी के अन्तर्गत विवाद को जीवित रखने के लिए श्रीराम जन्मभूमि को 18वीं शदी में दो अंशों में एक लोहे की जंजीर से पृथक करते हुए राम चबूतरा, सीता रसोई, चरण पादुका आदि वाले स्थान को तीन गुम्बदों वाले ढांचे से अलग करते हुए हिन्दुओं के पूजास्थल को पृथक कर दिया, जो उसी रूप में वर्ष 1949 तक यथावत् रहा।

परमहंस रामचन्द्र दास व अन्य उपस्थित संत समुदाय के अनुसार दिनांक 22/23 दिसम्बर, 1949 की रात ब्रह्म मुहूर्त के समय विवादित ढांचा का मध्य भाग एक अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो उठा, जिसे हिन्दू समुदाय के संत–महात्माओं ने भगवान की जन्म स्थली मानते हुए पूजा–पाठ प्रारम्भ कर दिया तथा सम्पूर्ण परिसर हिन्दू जनता, संतो, धर्माचार्यो के कब्जे में हो गया तथा वातावरण राममय हो गया यद्यपि ढांचे के बाहर पहले से ही संत, महात्माओं द्वारा भजन–कीर्तन किया जा रहा था। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 23 दिसम्बर, 1949 को प्रातः वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी कांस्टेबिल रामदेव

---

[1] एडवोकेट बलरामपुर हाउस, रिकाबगंज, फैजाबाद

दूबे ने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया तथा प्रथम सूचना अंकित कराई, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा एक पक्षीय रूप से धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इस कार्यवाही में अयोध्या के हिन्दू समुदाय और मुसलमान समुदाय को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी की गई यद्यपि किसी को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया तथा परिसर जो केवल विवादित ढांचे तक सीमित था, को दिनांक 29 दिसम्बर, 1949 को कुर्क कर लिया गया। दिनांक 5 जनवरी, 1950 को तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका को विवादित परिसर का रिसिवर नियुक्त करते हुए स्थल की पूजा व्यवस्था, प्रबन्ध आदि का दायित्व सौंप दिया गया तथा रिसिवर द्वारा बनाई गई योजना को न्यायालय द्वारा अनुमोदित अनुमोदित स्थल पर नियमित राजभोग पूजा आदि की व्यवस्था नियमित की गई। प्रशासन के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण हिन्दू जन–मानस में पूजा राजभोग में व्यवधान की आशंका हुई तथा हिन्दू जनता को परेशानी अनुभव हुई और विवाद न्यायालय पहुँचा।

सर्वप्रथम श्री गोपाल सिंह विशारद जो अयोध्या के निवासी एक हिन्दू धर्मानुयायी व्यक्ति थे तथा वकालत करते थे, ने मूल वाद सं0 2/1950 को दिनांक 16 जनवरी, 1950 को इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया कि स्थानीय प्रशासन व कतिपय मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा श्रीराम जन्मभूमि स्थल के पूजा, राजभोग, दर्शन आदि में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की धमकी दी जा रही है। न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश इस आशय की जारी करने की याचना की कि वाद के प्रतिवादीगण जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व चार–पाँच मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग थे, को निषेधित कर दिया जाये कि वे वादी के पूजा दर्शन आदि में किसी प्रकार का अवरोध न करें, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय विपक्षीगण को निषेधाज्ञा आदेश के माध्यम से निषेधित कर दिया कि वे किसी प्रकार से श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन व पूजा में हस्तक्षेप न करें और न वहाँ स्थित मूर्तियों को हटावें जिसके विरूद्ध मुस्लिम पक्षकारों द्वारा आपत्ति की गई, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त करके निषेधाज्ञा की पुष्टि कर दी गई। उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय तक यथावत् बरकरार रहा तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1955 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश की पुष्टि करते हुए मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दिया गया।

इसी सम्बन्ध में दूसरा वाद परमहंस रामचन्द्र दास ने मूल वाद सं0 25 सन् 1950 द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें भी इसी आशय के उपशम की याचना की गयी यद्यपि यह वाद परमहंस जी द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1990 को निर्णय में विलम्ब होने के कारण वापस ले किया गया। उपरोक्त दोनों वाद निषेधाज्ञा उपशम हेतु प्रस्तुत किये गये।

तृतीय वाद पंचरामानन्दी निर्मोही आखाड़ा व उनके पंचों द्वारा श्रीराम जन्मभूमि स्थल की समस्त सम्पत्ति को अपने स्वामित्व एवं अध्यासन की सम्पत्ति अभिकथित करते हुए दिनांक 17 दिसम्बर, 1959 को घोषणात्मक व प्रबंधन व चार्ज पाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

चतुर्थ वाद सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व नौ मुसलमानों द्वारा घोषणात्मक उपशम हेतु दिनांक 18 दिसम्बर 1961 को इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि जिसे हिन्दू रामजन्मभूमि के रूप में कहते हैं, वह बाबर द्वारा मस्जिद निर्माण करके वक्फ किया जा चुका है तथा उपर स्थित ढांचा सार्वजनिक मस्जिद के रूप में है, जिससे हिन्दू समुदाय का कोई मतलब नहीं है। हिन्दू समुदाय के लोगों ने 22/23 दिसम्बर, 1949 को अवैधानिक ढग से बीच वाले गुम्बद के नीचे मूर्तियाँ रख दिया है यद्यपि वह स्थल कभी भी भगवान राम का जन्मस्थल नहीं रहा। मूलतः दावे में ढांचे के बाहर स्थित भूमि को कब्रिस्तान कहते हुए शामिल किया गया था जो बाद में अधिग्रहण के कार्यवाही के पश्चात् विवादित ढांचे की सीमा तक ही सीमित रहा। सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड आदि वादीगण ने 145 की कार्यवाही स्वीकार करते हुए ये भी स्पष्ट अभिकथन किया कि सम्पूर्ण परिसर पर हिन्दूओं का 22/23 दिसम्बर, 1949 से अवैधानिक कब्जा है। उनके द्वारा घोषणात्मक उपशम की याचना करते हुए न्यायालय से विवादित परिसर को सार्वजनिक मस्जिद घोषित करने की माँग की गई तथा यह भी कहा गया कि यदि अदालत उचित समझे तो कब्जे का भी उपशम दे दिया जाये।

मूलतः सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा विवादित ढांचे को बाबर द्वारा निर्मित करने का अभिकथन किया गया था, किन्तु पुनः किन्हीं परिस्थितियों में उनके तत्कालीन अधिवक्ता श्री मो0 अयूब द्वारा आदेश 10 नियम 2 जा0दी0 के प्राविधानों के अन्तर्गत बयान देते हुए यह अतिरिक्त अभिकथन किया गया कि "वैकल्पिक रूप से यदि मुस्लिम पक्ष अपना स्वामित्व न तय कर सकें तो उस स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण विवादित सम्पत्ति के स्वामी हो चुके हैं।" श्री मो0 अयूब द्वारा दिये गये बयान निम्न हैः–

"Sri Mohd. Ayub states that the mosque lies in A B C D as shown in the plaint map (sketch map) and the land around A B C D is graveyard of the Muslims as shown in it".

Sri Mohd. Ayub states that the plaintiff pleads in the alternative that even if the defendants have any right in the property in suit the same have been extinguished by lapse of time.

He clarifies that the same amounts to adverse possession and the rights of the defendants have extinguished by it and the plaintiff has acquired title by adverse possession."

उक्त बयान जो विधानतः अभिकथन के रूप में ही ग्राह्य किया जाता है, के माध्यम से मुस्लिम पक्ष ने प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर स्वामित्व का अभिकथन किया, जबकि वैधानिक स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने को किसी सम्पत्ति का स्वामी कहता है, वह उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर स्वामित्व का अभिकथन करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अयोध्या के अस्तित्व को चुनौती देते हुए मूलतः इसे भगवान राम की जन्मभूमि वाली अयोध्या स्वीकार नहीं किया गया तथा उस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत तमाम विशेषज्ञ इतिहासकारों ने इसी आशय का सशपथ बयान न्यायालय के समक्ष कराया, किन्तु साक्ष्य आदि की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात बहस के स्तर पर सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता व अन्य मुस्लिम पक्षों के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दिये गये साक्ष्यों के प्रतिकूल अन्तिम बहस के समय पुनः मा0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के समक्ष इस आशय का बयान दिया गया कि जहाँ विवादित भूमि स्थित है, यह वही अयोध्या है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था यद्यपि उन्होनें विवादित स्थल को जन्म स्थान मानने से इन्कार किया। दिनांक 22–04–2009 को पूर्णपीठ के समक्ष सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता श्री जफरयाब जिलानी ने निम्न बयान दियाः–

"For the purposes of this case there is no dispute about the faith of Hindu devotees of Lord Rama regarding the birth of Lord Rama at Ayodhya as described in Balmiki Ramayana or as existing today. It is, however, disputed and denied that the site of Babri Masjid was the place of birth of Lord Rama. It is also denied that there was any Ram Janam Bhoomi Temple at the site of Babri Masjid at any time whatsoever.

The existence of Nirmohi Akhara from the second half of Nineteenth Century onwards is also not disputed. It is, however, denied and disputed that Nirmohi Akhara was in existence and specially in Ayodhya in 16th Century A.D. or in 1528 A.D. and it is also denied that any idols were there in the building of the Babri Masjid up to 22nd December 1949."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अयोध्या के अस्तित्व सम्बन्धी साक्ष्य जो हिन्दू पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसे पूर्णरूपेण स्वीकार किया गया।

उल्लेखनीय है कि मूलवाद सं0 4/89 में जहाँ वादीगण ने विवादित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में उपशम चाहा था तथा बाबर द्वारा निर्माण व वक्फ की बात कही गयी थी, वही मूलवाद सं0 5/89 में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करते हुए सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट अभिकथन किया गया है कि विवादित मस्जिद बाबर के अधीनस्थ अधिकारियों के नमाज करने हेतु बनायी गयी थी जो स्वतः में अन्तर्विरोधी है। वस्तुतः सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा विवादित भूमि से उत्तर लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित जन्मस्थान सीता रसोई मंदिर को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि स्वीकार करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा इसी आशय का प्रतिवाद पत्र व शपथ पत्र धारा 145 जा0फौ0 की कार्यवाही में

सम्बन्धित मुस्लिम पक्ष द्वारा किया गया जो सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मुकदमें में भी सहवादी (Co-plaintiff) के रूप में पक्षकार थे।

उपरोक्त चारों वाद जो मूलतः तत्कालिक मुंसिफ सदर फैजाबाद व सिविल जज फैजाबाद के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। न्यायालय के आदेशानुसार संयुक्त किये गये तथा चारो वाद एक साथ सुनवाई किये जाने लगे। उल्लेखनीय है कि इन चारों मुकदमों में भगवान रामलला विराजमान अथवा श्रीराम जन्मभूमि स्थल को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

पाँचवा मुकदमा भगवान रामलला विराजमान श्रीरामजन्मभूमि अयोध्या व स्थान श्रीरामजन्मभूमि की ओर से अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री देवकीनन्दन अग्रवाल भगवान के वादमित्र के रूप में दिनांक 1 जुलाई, 1989 को घोषणात्मक व निषेधाज्ञा उपशम हेतु सिविल जज फैजाबाद के समक्ष उपरोक्त वाद के सभी पक्षकारों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाते हुए तथा वादों की विषयवस्तु का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्यरूप से भगवान रामलला व स्थान रामजन्मभूमि को पक्षकार बनाये जाने तथा रामजन्मभूमि स्थल पर पूर्व में स्थित मंदिर का उल्लेख करते हुए उस स्थल पर विराट मंदिर बनाये जाने एवं तत्सम्बन्धी गठित रामजन्मभूमि न्यास आदि का विस्तृत उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से यह अभिकथन किया कि विवादित स्थल पर विक्रमादित्य के समय से ही भगवान श्रीराम की जन्मभूमि होने के कारण एक विशाल मंदिर स्थित था। जिसका समय–समय पर सम्बन्धित हिन्दू शासको एवं धर्मानुयायी द्वारा पुर्नद्धार होता रहा है, जिसे गिराकर बाबर जो एक आततायी व आक्रमणकारी था, के आदेश पर मीरबाकी द्वारा प्रश्नगत ढांचा बनाया गया है, जिसे ध्वस्त करके विशाल मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है तथा सभी शीर्ष धर्माचार्यों द्वारा श्रीरामजन्मभूमि न्यास का इसी हेतु विधितया गठन कराकर पंजीकरण कराया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय के घोषणात्मक उपशम की याचना की गई कि सम्पूर्ण विवादित स्थल भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, जिस पर विशाल मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है तथा प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया जाये कि मंदिर के निर्माण, प्रबन्ध, व्यवस्था तथा धर्मानुयायियों द्वारा पूजा–पाठ, राजभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें।

उपरोक्त वाद भी पूर्व प्रस्तुत मुकदमों के साथ न्यायालय में विचाराधीन रहा। इसी मध्य राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय की कि याचना की उपरोक्त सभी मुकदमें महत्वपूर्ण हैं, जिनका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा कराया जाये तथा सभी मुकदमें फैजाबाद जनपद से उच्च न्यायालय में विचाराणार्थ अन्तरित कर लिये जायें। जिसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1989 को उपरोक्त सभी चारों वाद उच्च न्यायालय में विचाराणार्थ मंगा लिये गये तथा आदेश दिनांक 05 फरवरी, 1992 के द्वारा पाँचवा मुकदमा भी उच्च

न्यायालय में सभी मुकदमों को एक साथ निस्तारण हेतु मंगा लिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नक्रमानुसार उपरोक्त सभी मुकदमों का उच्च न्यायालय में पुनः एक वाद के रूप में पंजीकृत किया गया जो निम्न हैंः—

01. मूलवाद सं0 1 सन् 1950
गोपाल सिंह विशारद बनाम जहूर अहमद आदि ....(ओ.ओ.एस. नं0—1 / 1989)
02. मूलवाद सं0 26 सन् 1950
परमहंस रामचन्द्र दास बनाम जहूर अहमद आदि ....(ओ.ओ.एस. नं0—2 / 1989)
03. मूलवाद सं0 26 सन् 1959
निर्मोही आखाड़ा बनाम प्रियादत्त राम आदि ....(ओ.ओ.एस. नं0—3 / 1989)
04. मूलवाद सं0 12 सन् 1961
सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड बनाम गोपाल सिंह विशारद ....(ओ.ओ.एस. नं0—4 / 1989)
05. मूलवाद सं0 236 सन् 1989
रामलला विराजमान आदि बनाम राजेन्द्र सिंह आदि ....(ओ.ओ.एस. नं0—5 / 1989)

मा0 उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष सम्बन्धित पक्षों द्वारा तमाम अभिलेखीय और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। हिन्दू पक्ष द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मुख्य रूप से वैदिक, पौराणिक ग्रन्थों, पुराणों, स्मृतियों व विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्यों, गजेटीयर्स, पी. कार्नेगी की रिपोर्ट, सिक्ख साहित्य में रामजन्मभूमि का विवरण व अन्य तमाम अभिलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। साथ ही धारा 145 की कार्यवाही में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा विवादित स्थल को श्रीरामजन्मभूमि होना कहा गया है, प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि परिसर में स्थित बाहरी आंगन के सम्बन्ध में छत निर्माण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में महन्थ रघुवरदास निर्मोही अखाड़ा द्वारा प्रस्तुत निर्णय व अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थान के सम्बन्ध में तत्कालीन आफिसियेटिंग कमिश्नर / सेटेलमेंट आफिसर श्री पी. कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राजस्व अभिलेख जिसमें विवादित स्थल मौजा कोट रामचन्द्र में होने का उल्लेख है आदि महत्वपूर्ण हैं। हिन्दू पक्ष की ओर से प्रस्तुत अर्थववेद में अयोध्या को देवी देवताओं की पुरी के रूप में सम्बोधित किया गया है।" जो आठ चक्रों से युक्त नौ द्वारों वाली देवादिदेव भगवान राम की अयोध्या पुरी है उस अयोध्यापुरी में वह स्वर्णमय शेषागार जहाँ ज्योति से सम्पन्न भगवान श्रीराम प्रथम बार बालक बनकर पधारे थे। इस मंत्र में हिरण्यः कोशः स्वर्गः इन तीन शब्दों से भगवान श्रीराम लला की जन्मभूमि का स्पष्ट संकेत है।[1]" इसके पूर्व के मन्त्रों में भी अयोध्या का वर्णन है।[2]

---

[1] अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरीयोध्या
तस्यां हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः । अर्थर्ववेद 10—2—31

[2] अथर्ववेद 10—2—28 / 29 / 30

हिन्दुओं के प्रसिद्ध ग्रन्थ स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड में अयोध्या महात्म्य का वर्णन है जिसमें विवादित भूमि को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में स्पष्टतः वर्णित किया गया है।[1]

श्री रामजन्म भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित गजेटीयर्स जो समय–समय पर तत्कालीन सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रकाशित किये गये थे, महत्वूपर्ण हैं:–

1. A Gazetteer of the Territories under the Government of East India Company by Edward Thornton published in 1858 and republished in 1993.
2. Historical Sketch of Faizabad with the Old Capital of Ajudhia and Faizbaad by P. Carnegy, Officiating Commissioner and Settlement Officer, published in 1870.
3. Gazetteer of the Province of Awadh, 1877.
4. Imperial Gazette of India-United Province of Agra and Awadh-Faizabad Division.
5. District Gazetteer, Barabanki, 1902 Edition, Vol. 48
6. Faizabad Gazetteer, 1902 Edition, Vol. 43
7. District Gazetteer of united Province of Agra and Awadh, 1905

विवादित ढांचे के ध्वस्तीकरण के पश्चात पुरातात्विक अवशेष, गहड़वाल वंशज द्वारा 11–12वीं शती में मंदिर निर्माण सम्बन्धी इन्स्क्रप्सन, उत्खनन में प्राप्त मंदिर के अवशेष, देवी देवताओं की मूर्तियाँ व राजस्व अभिलेखों के आधार पर विवादित स्थल पर भगवान राम का जन्म होना भलीभांति प्रमाणित है। हिन्दू पक्ष की ओर से समय समय पर आये विदेशी पर्यटकों के एकाउण्ट्स विशेषतः फादर जोसफ टाइफेन्थेलर जो भारतवर्ष में 17वीं शदी में आये तथा अयोध्या का भ्रमण किया, ने भी विवादित भूमि के सम्बन्ध में हिन्दुओं द्वारा राम जन्मभूमि के रूप में पूजा अर्चना का उल्लेख किया है। उनकी पुस्तक मूलतः फ्रेन्च भाषा में थी जिसे बाद में अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित किया गया। जन्मभूमि के बारे में विवरण करते हुए उन्होनें अपनी पुस्तक में निम्नलिखित वर्णन किया है:–

"The most remarkable place is that which is called Sorgodoari, that is to say, the heavenly temple; because they say, that Ram carried away from thence to heaven all the inhabitants of the city. The deserted town was repeopled and restored to its former condition by Bikaramajit, the famous king of Oojein. There was a temple here on the hight bank of the river, but Aurangzebe, ever attentive to the propagation of faith of Mohammed, and holding the heathen in abhorrence, caused it to be demolished, and replaced it with a mosque with minarets, in order to abolish the very memory of Hindoo superstition. Another mosque has been built by the Moors, to the East of this near the Sorgodoari in an edifice erected by Nabalroy, a former Hindoo governor. But a place more particularly famous is that which is called Sitha Rassoee, a table of Sitha (Seeta), wife of Ram; situated on an eminence to the south of the city. The emperor Aurangzeba demolished the fortress called Ramcote, and erected on the site of Mohammedan temple with a triple dome. According to others, it was

[1] श्लोक संख्या –10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 स्कन्द पुराण, वैष्णव खण्ड, अयोध्या महात्म्य, प्रकाशक– श्री कृष्णदास खेमराज शास्त्री–1910

erected by Baber. There are to be seen fourteen columns of black stone, five spans in height, occupied the site of the fortress. Twelve of these columns now support the interior arcades of the mosque; the two other form part of the tomb of a certain Moor. They tell us that these columns are rather these remains of skillfully wrought columns, were brought from the isle of Lanca or Selendip (Ceylon) by Hanuman, King of the Monkeys. On the left is seen a square chest, raised five inches from the ground covered with time about 5 ells in length by not more than four in breadth. The Hindoos call it Bedi. The cradle; and the reason is, that there formety stood here the house in which Beshan (Vishnoo) was born in the form of Ram, and were also, they say, is three brothers were born. Afterwards, Aurangzebe or, according to others, Baber caused place to be destroyed, in order to deprive the heathen of the opportunity of practicing there their superstitions. Nevertheless, they still pay superstitious reverence to both these places, namely, to that on which the Natal dwelling Ram stood, by going three times around it, prostrate on the earth. The two places are surrounded with a low wall adorned with battlements. Not far from this is a place where they dig up grains of black rice changed into little stones, which are affirmed to have been hidden under ground ever since the time of Rama. On the 24th of the month of Tshet (Choitru), a large concourse of people celebrate here the birth day of Ram, so famous throughout India.".......(Ibid. 313-34)

महन्थ रघुवरदास द्वारा प्रस्तुत अपील में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात तत्कालीन जिला जज श्री एफ.ई.ए. चेमियर ने अपने निर्णय में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया हैः–

"I visited the land of dispute yesterday, in the presence of all parties.

I found that the Masjid built by the Emperor Babar stands on the border on the town Ajudhia- that is to say the west and south it is clean of inhabitations. It is most unfortunate that a Masjid should have been built on the land spically held sacred by the Hindus, but as the event occurred 356 years ago it is too late now to remedy the grievance. All that can be done is to maintain the parties in status quo. In such a case as the present one any (Sic) would cause more harm and damage (Sic) of order than benefit. The entrance to the enclosure is under a gateway which bears the superscription "Allah" immediately on the left as the platform or Chabootra of masonry occupied by the Hindus. On this is a small superstructure of wood in the form of a tent. This 'Chabootra' is said to indicate the birthplace of Ram Chandra. Infront of the gateway in the entry to masonry Platform of the Musjid, a wall pierced (illegible) and therewith railing divides the platform of the Musjid from the enclosure in which stands the 'Chabootra'."

पुरातत्व विभाग द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हुए उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं, आर्टिफेक्ट्स के आधार पर विवादित स्थल को किसी प्राचीन हिन्दू मंदिर से सम्बन्धित स्थल होना अपनी आख्या में स्पष्ट किया है। पुरातात्विक जांच के आधार पर अन्तिम रूप से उनके द्वारा निम्न संगत अभिमत व्यक्त किया गयाः–

The Hon'ble High Court, in order to get sufficient archeologist evidence on the issue involved "whether there was any temple/structure which was demolished and mosque was constructed on the dispute site" as stated on page 1 and further on p. 5 of their order dated 05 March 2003, had given directions to the Archaeological Survey of India to excavation at the disputed site where the GPR survey has suggested evidence of anomalies which could be

structure, pillars, foundation walls, slab flooring etc. which could be confirmed by excavation. Now, viewing to totality and taking into account the archaeological evidence of a massive structure just below the disputed structure and evidence of continuity in structural phases from the tenth century onwards upto the construction of the disputed structure alongwith the yield of stone and decorated bricks as well as mutilated sculpture of divine couple and carved architectural members including foliage patterns, ***amalaka, kapotapali*** doorjamb with semi-circular pilaster, broken octagonal shaft of black schist pillar, lotus motif, circular shrine having ***pranala*** (water chute) in the north, fifty pillar bases in association of the huge structure, are indicative of remains which are distinctive features found associated with the temples of north India.

लगभग 3 वर्ष तक पक्षों की बहस सुनने के बाद दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को वाद को अंतिम रूप से निस्तारित किया गया तथा विशेष पीठ के न्यायमूर्तिगण माननीय एस.यू. खान, माननीय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, माननीय न्यायमूर्ति धरमवीर शर्मा द्वारा पृथक–पृथक निर्णय दिया गया तथा सभी न्यायमूर्तिगण द्वारा विवादित स्थल को देवस्थल की मान्यता देते हुए श्रीराम की जन्मस्थली माना गया।

<u>माननीय न्यायमूर्ति एस.यू. खान द्वारा पारित निर्णय का सारांश</u>–

माननीय न्यायमूर्ति खान द्वारा न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा दिये गये निर्णय को वस्तुतः अंगीकार करते हुए अपने 385 पृष्ठ के निर्णय में मुख्य रूप से निम्न बिन्दु निर्णीत किये गये।

01. विवादित ढांचा मस्जिद के रूप में बाबर अथवा उनके आदेश पर निर्मित किया गया। किन्तु किसी भी स्पष्ट साक्ष्य से ये सिद्ध नहीं है कि विवादित ढांचा बाबर के स्वामित्व का है और न ही इस बात का ही स्पष्ट साक्ष्य है कि प्रश्नगत ढांचा (मस्जिद) किसके आदेश से निर्मित की गई।

02. प्रश्नगत मस्जिद के निर्माण के लिए कोई मंदिर नहीं ध्वस्त किया गया, किन्तु साक्ष्य से यह सिद्ध है कि प्रश्नगत ढांचे के नीचे मंदिर के पुरावशेष प्राचीन काल से स्थित है, जो प्रश्नगत ढांचे के निर्माण के बहुत पूर्व के हैं तथा प्रश्नगत ढांचे के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का उपयोग किया गया है।

03 मस्जिद के निर्माण के बहुत पूर्व से ही हिन्दुओं द्वारा यह विश्वास किया जाता रहा है तथा उनकी मान्यता है कि विवादित स्थल के किसी अंश पर भगवान राम का जन्म हुआ है यद्यपि उनकी यह मान्यता किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं थी।

04. मस्जिद निर्माण के कुछ दिन बाद हिन्दुओं द्वारा विवादित स्थल को भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में मान्यता दी जाने लगी।

05. 1855 के बहुत पूर्व से ही विवादित परिसर में राम चबुतरा व सीता रसोई का अस्तित्व था, जिसकी हिन्दुओं द्वारा नियमित रूप से पूजा की जाती रही। ये एक महत्वपूर्ण व अप्रत्याशित स्थिति थी कि उसी परिसर में मस्जिद व हिन्दुओं की पूजा स्थली विद्यमान थी जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ता था और हिन्दू पूजा करता था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारों अर्थात हिन्दुओं और मुसलमानों का सम्पूर्ण विवादित परिसर पर संयुक्त रूप से कब्जा था। यद्यपि सुविधा की दृष्टि से दोनों सम्प्रदाय के लोग विभिन्न अंशों का उपयोग करते थे किन्तु आपस में कोई औपचारिक बंटवारा नहीं था तथा दोनों सम्प्रदाय के लोगों का संयुक्तरूपेण कब्जा था।

06. दोनों पक्षकार अर्थात् हिन्दू और मुसलमान ये सिद्ध करने में असफल रहे कि विवादित स्थल पर उनका स्वामित्व है, इन परिस्थितियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों के अन्तर्गत उभयपक्ष अर्थात् हिन्दू और मुसलमान विवादित सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी संयुक्त कब्जे के आधार पर है।

07. 1949 के कुछ दशक पूर्व ही हिन्दुओं द्वारा विवादित ढांचे के मध्य सेन्ट्रल डोम के नीचे मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ है तथा दिनांक 23 दिसम्बर 1949 को पहले पहर में ही उस स्थल पर मूर्तियाँ स्थापित की गई है।

08. उपरोक्त विवचेना के आधार पर उभयपक्ष विवादित सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी व अध्यासी घोषित किये जाते हैं एवं तदनुसार प्रारम्भिक डिग्री पारित की जाये। जो इस आशय की होगी कि वास्तविक बंटवारे से सेन्ट्रल डोम नीचे का अंश जहाँ वर्तमान में भगवान रामलला विराजमान हैं हिन्दुओं को दिया जायेगा। परिणामतः तीनों पक्षकार अर्थात् मुस्लिम, हिन्दू एवं निर्मोही अखाड़ा श्री श्रीशिवशंकर लाल एडवोकेट कमिश्नर द्वारा तैयार किये गये नक्शे में ए, बी, सी, डी, ई, एफ से प्रदर्शित नक्शे से समान रूप से 1/3 – 1/3 अंश के स्वामी होगें तथा भगवान रामलला जहाँ विराजमान हैं। वह स्थल हिन्दू समुदाय को दिया जायेगा तथा राम चबुतरा और सीता रसोई का अंश निर्मोही अखाड़ा तथा शेष 1/3 अंश मुस्लिम सम्प्रदाय को दिया जाये और इसी आशय की प्रारम्भिक डिग्री तैयार करने का निर्देश दिया।

माननीय न्यायमूर्ति खान द्वारा विचाराधीन मुकदमों का अलग–अलग निर्णय न करके संयुक्त रूप से निर्णय दिया गया। जिसमें मुख्य रूप से यह निर्धारित किया गया कि हिन्दू, मुस्लिम और निर्मोही अखाड़ा तीनों विवादित सम्पत्ति के स्वामी हैं तथा यह घोषित किया कि सेन्ट्रल डोम जहाँ मंदिर है, वे

अंश फाइनल डिग्री बनाते समय हिन्दुओं को दी जायेगी तथा राम चबुतरा और सीता रसोई वाला अंश निर्मोही अखाड़ा को दिया जायेगा। न्यायालय द्वारा तीनों उपरोक्त पक्षकारों को संयुक्त स्वामी घोषित करते हुए 1/3–1/3 अंश का स्वामी माना गया है। अतः पक्षों से अपेक्षा की गयी कि वे वास्तविक बंटवारे के लिए अपनी राय न्यायालय के समक्ष तीन माह के अंतर्गत प्रस्तुत करें एवं स्थल पर तीन माह तक अथवा आदेश संशोधित होने तक पक्षकार यथास्थिति बनाये रखें।

<u>माननीय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा पारित निर्णय का सारांश</u>–

01. यह घोषित किया जाता है कि विवादित तीन गुम्बद वाले ढांचे के मध्य ढांचे अर्थात् सेन्ट्रल डोम जहाँ वर्तमान में भगवान रामलला विराजमान है, भगवान राम की जन्मभूमि है।

02. विवादित स्थल के अन्दर ही जो निर्णय के साथ संलग्न अपेंडिक्स–7 में दर्शाया गया है उपरोक्त भगवान के जन्मस्थल को छोड़कर दोनों समुदायों अर्थात् हिन्दू सम्प्रदाय (वाद संख्या–5 के वादीगण) तथा मुस्लिम सम्प्रदाय के संयुक्त कब्जे में सदियों से है। किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि पक्षों के अंश के बंटवारे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भूमि शामिल की जायेगी तथा बाहरी चारदीवारी की भूमि निर्मोही अखाड़ा की भूमि घोषित की जाती है जिसे निर्मोही अखाड़ा यदि किसी अन्य पक्ष की उससे बेटर टाईटिल नहीं होगी तो कब्जा दिया जायेगा, साथ ही बाहरी जो खुली भूमि है वह निर्मोही अखाड़ा व वाद संख्या पाँच के वादीगण पाने के अधिकारी होगें क्योंकि ये दोनों स्थल हिन्दू जनता द्वारा पूजित किये जाते हैं।

03. ये भी स्पष्ट किया जाता है कि मुस्लिम पक्षकारों को कुल विवादित सम्पत्ति का 1/3 अंश मिलेगा और यदि बंटवारे में 1/3 अंश कम पड़ रही हो तो केन्द्र सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि में से कुछ भूमि लेकर समायोजन किया जा सकता है।

04. केन्द्र सरकार द्वारा भूमि जो 1993 में अधिगृहीत की गयी है उसमें डॉ0 स्माईल फारूखी के मुकदमें के अनुसार जीते हुए पक्ष को अपने भूमि के सुखद उपयोग के लिए जितनी भूमि आवश्यक हो प्रदान की जायेगी, जिससे सभी पक्षों के आवागमन में किसी पक्ष को कोई असुविधा न हो।इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा ये भी अवधारित किया गया कि सम्बन्धित पक्षकार अपने आवश्यकतानुसार भूमि पाने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन करें तथा केन्द्र सरकार इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डॉ0 स्माईल फारूखी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगा।

05. उपरोक्त आशय की आंशिक रूप से प्रारम्भिक व आंशिक रूप से अंतिम डिग्री पारित की जाती है तथा वाद संख्या पाँच को उपरोक्त सीमा तक डिग्री किया जाता है और पक्षों को यह अधिकार दिया

जाता है कि इस सम्बन्ध में अपनी राय ओ.एस.डी. अयोध्या बेंच लखनऊ रजिस्ट्रार लखनऊ बेंच लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं तथा तीन माह तक पक्षकार स्थल पर यथास्थिति बनाये रखेगें।

06. न्यायालय द्वारा वाद बिन्दुओं पर निर्णय लेते हुए यह अवधारित किया गया कि हिन्दुओं की आस्था और विश्वास की मध्य गुम्बद ही भगवान रामलला का जन्मस्थल सिद्ध है।

07. मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा विवादित ढांचे को एक मस्जिद के रूप में माना गया है, किन्तु किसी भी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं है कि विवादित ढांचा 1528 में बाबर के कार्यकाल में बना था।

08. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह अवधारित किया जाना कठिन है कि विवादित ढांचा कब और कैसे बना, किन्तु उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1766 से 1771 के मध्य अर्थात् जोसिफ टाइफेन्थेलर के अयोध्या निरीक्षण के पूर्व विवादित ढांचा बना था।

09. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी सिद्ध है कि विवादित ढांचा हिन्दू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था तथा भगवान रामलला की मूर्तियाँ सेन्ट्रल डोम में 22/23 दिसम्बर 1949 को रखी गयी थी।

10. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ये अवधारित किया जाता है कि विवादित ढांचा मुस्लिम सम्प्रदाय के एकलौते कब्जे में कभी नहीं रहा तथा 1856–57 से बाहरी आंगन हिन्दुओं के पूर्ण कब्जे में था और अन्दर का आंगन हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों द्वारा समय–समय पर पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया जाता था। यह भी सिद्ध है कि 1856–57 में जब भीतरी आंगन और बाहरी आंगन के मध्य जंजीरदार पार्टीशन बन गया उसके पश्चात बाहरी आंगन का मुसलमानों द्वारा कभी किसी रूप में प्रयोग नहीं किया गया न उनका कब्जा था, लेकिन जहाँ तक भीतरी आंगन का प्रश्न है ये अंश दोनों सम्प्रदाय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था।

11. पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि महंत रघुवरदास ने जन्मस्थान अथवा जन्मस्थान से हितवत व्यक्तियों की ओर से दावा दायर किया। तथा ये भी सिद्ध है कि महंत रघुवरदास ने विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अथवा उसके किसी अंश के सम्बन्ध में मुसलमानों के स्वामित्व को स्वीकार किया हो। इन परिस्थितियों में उक्त वाद में पारित आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

12. विवादित स्थल पर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों का निरन्तर एक मात्र व प्रतिकूल अध्यासन सिद्ध नहीं है इस कारण प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर मुस्लिम सम्प्रदाय को विवादित स्थल का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता।

13. यू.पी. एक्ट नं0–13/1936 (यू.पी. वक्फ़ एक्ट) के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई विधिक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है तथा विवादित सम्पत्ति किसी भी तरह से वक्फ़ सम्पत्ति नहीं है।

14. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पारित किया जाता है कि जो सम्पत्ति भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में मान्यता प्राप्त है वह वाद संख्या–5 के वादीगण में निहित हो चुकी है तथा यह भी अवधारित किया जाता है कि विवादित ढांचा चारों ओर से हिन्दू पूजा स्थलों से घिरो हुआ तथा बिना हिन्दू पूजास्थलों में प्रवेश किये विवादित ढांचे पर पहुँच पाना असम्भव है।

15. ये भी अवधारित किया जाता है कि विवादित ढांचा के निर्माण के पूर्व से ही हिन्दू विवादित स्थल पर पूजा–अर्चना करते रहे हैं तथा बाद में किसी भी शासक के निर्देश पर विवादित ढांचा बनने से विवादित स्थल के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालता।

16. विवादित सम्पत्ति के कुर्की के समय श्री जगवावद हुसैन मुतवल्ली के रूप में कार्यरत थे। इन परिस्थितियों में बिना मुतवल्ली के सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य वादीगण जो अपनेको इबादतगार कहते हैं, कब्जे के उपशम की याचना करने के अधिकारी नहीं हैं।

17. न्यायालय द्वारा वादबिन्दु संख्या–28 (वाद संख्या–4) का निर्णय करते हुए यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया कि सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य मुस्लिम वादीगण विवादित सम्पत्ति अर्थात् विवादित ढांचा भीतरी व बाहरी आंगन पर कब्जा सिद्ध करने में असफल रहे।

18. न्यायालय द्वारा वाद संख्या–189 के विभिन्न वाद बिन्दुओं पर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय करते हुए ये घोषित किया गया कि वादी को विवादित स्थल जो न्यायालय द्वारा भगवान राम का जन्मस्थल माना गया है पर पूजा करने का अधिकार है।

19. न्यायालय द्वारा वाद संख्या–3 में निर्मित वाद बिन्दुओं का निर्णय करते हुए यह अवधारित किया गया कि वादी निर्मोही अखाड़ा रामानन्दी बैरागी सम्प्रदाय का एक पंचायती मठ है जो अयोध्या में 1734 ई. से स्थित है इसके पूर्व अयोध्या में इसके स्थापित होने का कोई प्रमाण नहीं है।

20. निर्मोही अखाड़ा द्वारा प्रस्तुत वाद विधानतः चलने योग्य नहीं है तथा निर्मोही अखाड़ा द्वारा प्रस्तुत वाद समय सीमा के बाहर प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाधित है एवं तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

21. न्यायालय द्वारा वाद संख्या–5 के विभिन्न वाद बिन्दुओं का निर्णय करते हुए वादी संख्या–1 भगवान राम विराजमान जन्मभूमि व वादी संख्या–2 स्थान श्रीरामजन्मभूमि को न्यायिक व्यक्ति मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत वाद विधानतः संधार्य माना श्रीरामजन्मभूमि न्यास एक विधिगत पंजीकृत न्यास है जिसकी वैधता को चुनौती देने का अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है।

22. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाधित नहीं है तथा वादीगण ने कभी भी विवादित स्थल के सम्बन्ध में अपने स्वामित्व को समाप्त नहीं किया। विवादित ढांचे के सेन्ट्रल डोम में मूर्तियाँ 22/23 दिसम्बर 1949 की रात में रखी गयी जो यथावत है जिनकी पूजा–अर्चना हिन्दू सम्प्रदाय द्वारा की जा रही है।

23. न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि हिन्दू सम्प्रदाय द्वारा भगवान के राम जन्मभूमि के रूप में उक्त स्थल की पूजा–अर्चना की जाती रही है।

24. वाद संख्या–3/89 व वाद संख्या–4/89 समय सीमा के बाहर प्रस्तुत किया गया है, जो अवधि बाधित है।

25. पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्ति निराधार है तथा मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति के समर्थन में कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका इस कारण रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्तियाँ निरस्त की जाती हैं तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है।

26. न्यायालय द्वारा सभी वाद बिन्दुओं पर अलग–अलग आदेश पारित करते हुए वाद संख्या–1/89 (गोपाल सिंह विशारद बनाम जहूर अहमद आदि) आंशिक रूप से डिग्री किया गया। वाद संख्या–3/89 (पंचनामा नन्दी निर्मोही अखाड़ा बनाम प्रियदत्त राम) निरस्त किया गया। वाद संख्या–4/89 (सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड बनाम राजेन्द्र सिंह विशारद) निरस्त किया गया तथा वाद संख्या–5/89 (भगवान रामलला विराजमान बनाम जहूर अहमद आदि) आंशिक रूप से डिग्री किया गया।

<u>माननीय न्यायमूर्ति धरमवीर शर्मा द्वारा पारित निर्णय का सारांश</u>–

01. वाद संख्या–1/89, 3/89, 4/89 एवं 5/89 में विरचित वाद बिन्दुओं पर दिये गये निर्णय के अनुसार सम्पूर्ण विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है, जो एक न्यायिक व्यक्ति है एवं देवता के रूप में है। जन्मभूमि स्थल देवत्व शक्ति प्राप्त स्थल है जो बाल रूप भगवान राम के जन्मस्थली के रूप में पूजा की जाती है तथा उस स्थल पर सदैव देवत्व शक्ति निहित रहती है, जो बिना किसी विशेष आकार के स्थल में विद्यमान है।

02. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से ये प्रतीत होता है कि विवादित ढांचे को बाबर द्वारा बनवाया गया, किन्तु वे ढांचा इस्लाम धर्म के प्रतिकूल बनाया गया तथा विवादित ढांचे को किसी भी दशा में मस्जिद नहीं माना जा सकता।

03. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से ये भी प्रमाणित है कि विवादित ढांचा स्थल पर स्थित प्राचीन हिन्दू मंदिर को तोड़कर बनाया गया तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की आख्या से ये भी स्पष्ट है कि विवादित ढांचा विशाल हिन्दू धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया तथा विवादित स्थल पर 22/23 दिसम्बर 1949 को मूर्ति स्थापित की गयी।

04. न्यायालय द्वारा वाद संख्या 4/89 में निर्मित विभिन्न वाद बिन्दुओं का निर्णय करते हुए यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एक वैज्ञानिक व तकनीकि रिपोर्ट है जो उभय पक्षों तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त दो न्यायाधीशों की उपस्थिति में किये गये स्थलीय उत्खनन के आधार पर तैयार की गयी है तथा विधि अनुकूल है, जिसके विरूद्ध मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बनावटी और निराधार है जो निरस्त की जाती हैं।

05. विवादित स्थल नजूल गाटा संख्या 583 पर स्थित है, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है।

06. विवादित ढांचा स्थल पर स्थित विशाल हिन्दू मंदिर को तोड़कर अवैधानिक ढंग से बनाया गया है।

07. विवादित ढांचा न तो इस्लाम धर्म के अनुसार मस्जिद के रूप में है न कभी वक्फ़ की गयी और न ही अल्लाह को समर्पित की गयी।

08. मुस्लिम सम्प्रदाय अथवा निर्मोही अखाड़ा विवादित सम्पत्ति पर न तो काबिज रहा न उसका स्वामी है और न ही प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर मुस्लिम सम्प्रदाय अथवा निर्मोही अखाड़ा विवादित सम्पत्ति का स्वामी हुआ।

09. विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन तत्कालीन सिविल जज फैजाबाद के जारी आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 1966 द्वारा अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है, जो वैधानिक रूप से पारित किया गया तथा पक्षों पर प्रभावी है।

10. महंत रघुवरदास द्वारा वाद संख्या–61/280 सन् 1885 व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया था जिससे हिन्दू सम्प्रदाय अथवा जन्मस्थान मानने वाले लोगों का हित प्रभावित नहीं होता तथा किसी भी दशा में इस केस में पारित निर्णय वर्तमान वाद मुस्लिम सम्प्रदाय को कोई अधिकार नहीं प्रदान करता।

11. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि हिन्दू सम्प्रदाय के लोग विवादित भूमि को भगवान श्रीराम जन्मभूमि के रूप में पूजा करते रहे हैं तथा सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति भगवान रामलला विराजमान श्रीराम जन्मभूमि वह स्थान श्रीराम जन्मभूमि में निहित हो चुकी है तथा 22/23 दिसम्बर, 1949 से निरन्तर विराजमान भगवान रामलला की पूजा–अर्चना हो रही है।

12. विवादित स्थल के चारो और हिन्दू देवी–देवताओं के स्थल हैं, जो उसी रूप में अनादिकाल से पूजित होते रहे हैं।

13. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ये अवधारित किया गया कि विवादित ढांचा मस्जिद के रूप में नहीं माना जा सकता और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य है उसे वैधानिक रूप से मस्जिद का दर्जा दिया जाये। वस्तुतः विवादित ढांचा स्थल पर स्थित हिन्दू मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था तथा स्थल पर मंदिर होना पुरातात्विक सर्वेक्षण व उत्खनन सम्बन्धी रिपोर्ट से पूर्णतः सिद्ध है।

14. न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया कि विवादित ढांचा मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा नमाज अदा करने के लिए यथा अभिकथित प्रयोग नहीं किया जाता रहा।

15. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर ये कतई सिद्ध नहीं होता कि विवादित स्थल पर 1528 ई.से मुसलमानों का निरन्तर कब्जा रहा। किसी भी दशा में मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग अपना कब्जा व मालिकाना हक साबित करने में सफल नहीं हुए।

16. विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में सदैव से पूजित होता रहा है तथा हिन्दू सम्प्रदाय के लोग वहाँ नियमित पूजा–अर्चना करते रहे हैं।

17. इस्लाम धर्म के अनुसार हिन्दुओं के पूजास्थल पर मस्जिद का निर्माण सम्भव हीं नहीं है।

18. विवादित स्थल के सम्बन्ध में वक्फ़ एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई वैध नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ तथा विवादित सम्पत्ति कभी भी वक्फ़ सम्पत्ति नहीं रही।

19. विवादित स्थल पर पहुँचने के लिए हिन्दुओं के पूजास्थल में प्रवेश करके ही जाया जा सकता है और विवादित ढांचे के चारो तरफ हिन्दू सम्प्रदाय के लोगों के पूजा स्थल हैं।

20. विवादित ढांचे में न तो मीनारें थी न बिना हिन्दुओं के प्रवेश स्थल के उसमें वहाँ तक पहुँचा जा सकता था तथा तीन तरफ से कब्रिस्तान थे तथा अंदर लगे हुए खम्भों पर हिन्दू देवी–देवताओं के चित्र उकेरे हुए थे इन परिस्थितियों में किसी भी दशा में विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं माना जा सकता।

21. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी सिद्ध है कि कथित वक्फ़ व कथित मस्जिद का मुतवल्ली था जिसने न तो वाद प्रस्तुत किया और न ही वाद में पक्षकार बनाया गया इन परिस्थितियों में वादीगण कब्जे के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं।

22. सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य मुस्लिम वादीगण ने भगवान रामलला व स्थान जन्मभूमि को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत दावा दोषपूर्ण है।

23. न्यायालय द्वारा वाद संख्या–4/89 में विरचित सभी वाद बिन्दुओं का विस्तृत आदेश करते हुए वादीगण का वाद निरस्त किया।

24. वाद संख्या–1/89 में ऊपर सम्बन्धित अवधारणा के आधार पर विरचित वाद बिन्दुओं पर निर्णय देते हुए न्यायालय द्वारा वाद निरस्त किया गया।

25. वाद संख्या–3/89 (निर्मोही अखाड़) में विरचित विभिन्न वाद बिन्दुओं का निर्णय करते हुए न्यायालय द्वारा ये अवधारित किया गया कि वादी विवादित स्थल की प्रबन्ध व चार्ज पाने का अधिकारी नहीं है तथा निर्मोही अखाड़ा द्वारा प्रस्तुत विधानतः चलने योग्य नहीं है। साथ ही अवधि बाधित है, परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा वाद संख्या –3/89 निरस्त किया गया।

26. वाद संख्या–5/89 में विभिन्न वाद बिन्दुओं का निर्णय करते हुए न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि विवादित स्थल भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है तथा एक न्यायिक व्यक्ति है। न्यायालय द्वारा अग्नि, वायु, केदारनाथ मंदिर आदि का उदाहरण देते हुए यह अवधारित किया गया कि विवादित स्थल जो भगवानराम की जन्मस्थली है पर सदैव देवत्व शक्ति विद्यमान रहती है जिसके लिए तथा देवताओं के लिए किसी रूप में आवश्यकता नहीं है वह बिना रूप के भी हो सकता है। माननीय

न्यायालय ने इस सम्बन्ध में राम–जानकी डिटी बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1999(5) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज–50, गोकुल नाथ जी महाराज बनाम नाथ जी भोगीलाल ए.आई.आर. 1953 इलाहाबाद 552, विश्वनाथ बनाम ठाकुर राधाबल्लभ जी ए.आई.आर. 1967 सुप्रीम कोर्ट पेज–1044 आदि तमाम विधित निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह अवधारित किया कि विवादित स्थल एक हिन्दू देवता के रूप में पूज्य है तथा उसकी स्थिति एक परिपिचुअल माइनर की है जिसकी सम्पत्ति का किसी के द्वारा कब्जा किया जाना सम्भव नहीं है तथा देवता की ओर से वाद मित्र के माध्यम से वाद प्रस्तुत करने का वादीगण को अधिकार है।

27. सम्पूर्ण विवादित स्थल एक ईकाई है, जिसके किसी अंश का किसी अन्य पक्ष का स्वत्व एवं कब्जा न है न होना सम्भव है। सम्पूर्ण विवादित परिसर भगवान श्रीराम के जन्मभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है जो उसी रूप में अनादिकाल से पूजित होती चली आ रही है।

28. निर्मोही अखाड़ा न तो विवादित स्थल का मालिक है और न ही भगवान रामलला विराजमान का शिबइत है।

29. श्रीराम जन्मभूमि न्यास एक विधि द्वारा गठित एवं पंजीकृत न्यास है, जिसकी वैधता को चुनौती देने अथवा उस सम्बन्ध में कोई अभिकथन करने का निर्मोही अखाड़ा प्रतिवादी संख्या–3 अथवा किसी अन्य को कोई अधिकार नहीं है।

30. विवादित स्थल के सम्बन्ध में कोई नोटिफिकेशन वैधानिक ढंग से नहीं हुआ है जिस कारण यू. पी. मुस्लिम एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने के पूर्व किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

31. विवादित स्थल पर 23 दिसम्बर, 1949 को भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित की गई जो यथावत है तथा दिनांक 6 दिसम्बर 1992 को व उसके पश्चात भी वही मूर्तियाँ यथावत चली आ रही है।

32. न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में विरचित वाद बिन्दुओं का निर्णय करते हुए वाद संख्या–1/89, 3/89 व 4/89 निरस्त किया गया तथा वाद संख्या–5/89 वादीगण के पक्ष में डिग्री करते हुए ये घोषित किया गया कि वादी संख्या–1 भगवान रामलला विराजमान व वादी संख्या–2 स्थान जन्मभूमि विवादित सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी है तथा उन्हें विवादित सम्पत्ति पर यथावत काबिज व दाखिल रहने का पूर्ण अधिकार है।

33. न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों तथा अन्य प्रतिकूल पक्षकारों को अस्थायी रूप से निषेधित किया गया कि वे वादीगण द्वारा विवादित स्थल पर भव्य निर्माण करने व अपनी योजनानुसार स्थल का विकास करने व किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न करें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय की विशेष पूर्ण पीठ के सभी न्यायमूर्ति गणों द्वारा विवादित स्थल पर भगवान श्रीराम का जन्म होना तथा विवादित स्थल को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि होना स्वीकार किया गया। एक न्यायमूर्ति द्वारा सम्पूर्ण परिसर को ईकाई मानते हुए भगवान श्रीराम की जन्मभूमि को मान्यता दी गयी जबकि दो अन्य न्यायमूर्ति द्वारा अंश भाग को जन्मस्थली के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष में यदि मुख्य विचारणीय बिन्दुओं को देखा जाये तो निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट है।

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष में उपरिवर्णित मुख्य विचारणीय बिन्दुओं को देखा जाये तो क्रमानुसार निम्नलिखित न्यायिक निर्णय स्पष्ट होता है:–

बिन्दु संख्या–01 (क्या विवादित स्थल भगवान श्रीराम जी की जन्मभूमि है)

इस बिन्दु पर तीनों न्यायाधीशों का स्पष्ट मत है कि विवादित स्थल जहाँ पर भगवान श्रीरामलला विराजमान है वह भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है। न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा पूरे विवादित स्थल को एक ईकाई मानते हुए सम्पूर्ण परिसर को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि मानते हुए तत्सम्बन्धी वादबिन्दुओं का निर्णय किया गया तथा न्यायमूर्ति अग्रवाल द्वारा भी विवादित स्थल को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अवधारित करते हुए निर्णय किया गया यद्यपि स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में उनके द्वारा वर्तमान समय में जहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं उस स्थल को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि स्वीकार किया गया। जबकि न्यायमूर्ति खान द्वारा सम्पूर्ण विवादित परिसर पर सभी पक्षों का संयुक्त अध्यासन मानते हुए सहस्वामी घोषित किया गया तथा भगवान रामलला जहाँ विराजमान हैं उस स्थल को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि स्वीकार किया गया। न्यायमूर्ति खान और न्यायमूर्ति अग्रवाल द्वारा इसी क्रम में विवादित परिसर को तीन हिस्सों में विभाजित करके हिन्दुओं को उपरिवर्णित जन्मभूति स्थल तथा निर्मोही अखाड़ा को राम चबूतरा और सीता की रसोई वाला स्थल तथा दक्षिण की ओर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को भूमि देने की बात कही गई है। यद्यपि न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा सम्पूर्ण परिसर भगवान रामलला विराजमान व स्थान जन्मभूमि को देवता के रूप में मानते हुए उनके स्वत्व व अध्यासन को स्वीकार किया गया।

बिन्दु संख्या–02 (क्या विवादित स्थल हिन्दू धर्म व विधिक मान्यताओं के अनुसार देवत्व शक्ति प्राप्त है तथा स्थान जन्मभूमि को देवस्वरूप मान्यता है।)

इस बिन्दु पर माननीय न्यायमूर्ति अग्रवाल व माननीय न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा सम्बन्धित वाद बिन्दुओं को निर्णय करते हुए यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया कि उक्त स्थल देवस्वरूप है तथा देवता के रूप में स्थल की पूजा हिन्दू सम्प्रदाय के लोगों द्वारा अनादिकाल से की जा रही है। न्यायमूर्ति खान द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्णय न देकर वस्तुतः न्यायमूर्ति अग्रवाल के निर्णय की पुष्टि की गयी है।

बिन्दु संख्या–03 (क्या भगवान विराजमान व स्थान श्रीरामजन्मभूमि एक न्यायिक व्यक्ति हैं।)

इस बिन्दु पर तीनों न्यायमूर्तिगणों द्वारा एक मत होते हुए यह अवधारित किया गया है कि भगवान रामलला विराजमान व स्थान श्रीराम जन्मभूमि वैधानिक रूप से न्यायिक व्यक्ति है।

बिन्दु संख्या–4 एवं 5 (क्या विवादित स्थल सार्वजनिक मस्जिद है तथा विवादित स्थल पर निर्मित ढांचा बाबर द्वारा निर्मित किया गया है।)

मा0 न्यायमूर्ति एस0यू0 खान द्वारा विवादित ढांचे को अवैध रूप से निर्मित होने के कारण अवैध मस्जिद करार दिया है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि पर बिना उसकी सहमति के मस्जिद निर्माण करने का अधिकार नहीं है तथा इस प्रकार की मस्जिद में नमाज अदा करना नाजायज है। इसी आशय की अवधारणा मा0 न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल व मा0 न्यायमूर्ति श्री धर्मवीर शर्मा द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इस प्रकार पूर्णपीठ द्वारा यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया कि विवादित ढांचा वैध मस्जिद नहीं थी। न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया कि विवादित ढांचा सार्वजनिक मस्जिद नहीं थी और न ही विवादित ढांचे को बाबर द्वारा निर्मित किये जाने का कोई प्रमाण सम्बन्धित पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया।

बिन्दु संख्या–6 एवं 7 (क्या विवादित स्थल वक्फ़ एक्ट के प्राविधानों के अंतर्गत घोषित एक वक्फ़ है तथा विवादित ढांचा इस्लाम धर्म के अनुसार एक वैधानिक मस्जिद कहा जा सकता है।)

इस बिन्दु पर न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि विवादित ढांचा इस्लाम धर्म के अनुसार वैधानिक मस्जिद नहीं कहा जा सकता तथा तीनों

न्यायमूर्तिगणों द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी, 1966 के अनुसार विवादित स्थल को **वक्फ़ संपत्ति** मानने से इंकार किया है।

बिन्दु संख्या–8 एवं 9 (क्या विवादित स्थल पर विवादित ढांचा बनने के पूर्व हिन्दू मंदिर था जिसे ध्वस्त करके विवादित ढांचा निर्मित किया गया है।)

इस बिन्दु पर न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या को पूर्णतः स्वीकार करते हुए तथा उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि विवादित ढांचा निर्माण के पूर्व स्थान पर हिन्दू मंदिर था जिसे तोड़कर ढांचा बनाया गया। न्यायमूर्ति खान द्वारा भी पुरातात्विक आख्या को स्वीकार करते हुए विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के पुरावशेष होना तथा मंदिर की सामग्री विवादित ढांचे में प्रयुक्त होना अवधारित किया है। यद्यपि उन्होनें मंदिर ध्वस्तीकरण के तथ्य को नहीं माना।

बिन्दु संख्या–10 एवं 11 (क्या विवादित संपत्ति निर्मोही आखाड़ा की संपत्ति है तथा निर्मोही अखाड़ा को स्थान **का प्रबंध व चार्ज प्राप्त करने का अधिकार है।)**

इस बिन्दु पर न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति शर्मा ने निर्णय करते हुए यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया कि निर्मोही अखाड़ा न विवादित सम्पत्ति का स्वामी है और न ही उसकी प्रबन्ध व्यवस्था पाने का अधिकार है तथा इसी अवधारणा के आधार पर न्यायमूर्तिगण द्वारा निर्मोही अखाड़ा द्वारा प्रस्तुत वाद 3/89 निरस्त कर दिया गया। यद्यपि न्यायमूर्ति खान द्वारा संयुक्त कब्जे के आधार पर सहस्वामी घोषित किया गया, परन्तु अवधि बाधित होने के आधार पर वाद निरस्त किया गया।

बिन्दु संख्या–12 एवं 13 (क्या सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड आदि विवादित सम्पत्ति के स्वामी हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाधित है।)

इस बिन्दु पर न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया कि विवादित भूमि पर सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य मुस्लिम लोगों का स्वामित्व सिद्ध नहीं है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाधित है और इसी क्रम में न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा मुस्लिम पक्ष व सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या–4/89 निरस्त किया गया। यद्यपि न्यायमूर्ति खान द्वारा संयुक्त कब्जे के आधार पर सहस्वामी मानते हुए 1/3 अंश का हकदार घोषत किया गया।

बिन्दु संख्या–14 एवं 16 (क्या भगवान रामलला व विवादित स्थल एक परिपीचुअल माइनर है तथा हिन्दू सम्प्रदाय के लोग विवादित सम्पत्ति पर जहाँ काबिज है एवं 1934 के बाद मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई तथा अवयस्क की सम्पत्ति पर प्रतिकूल अध्यासन नहीं हो सकता।)

इस बिन्दुओं पर वाद बिन्दुओं का निर्णय करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा भगवान रामलला व स्थल को परिपिचुअल माइनर अवधारित किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया कि अवयस्क की सम्पत्ति पर प्रतिकूल अध्यासन नहीं किया जा सकता। इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा वाद संख्या–5 पूर्णरूपेण डिग्री किया गया, जबकि न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति खान द्वारा वाद आंशिक रूपसे डिग्री करते हुए विवादित स्थल को भगवान रामलला की सम्पत्ति स्वीकार की गई।

बिन्दु संख्या–15 एवं 18 (क्या मुस्लिम पक्ष व बोर्ड प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर विवादित सम्पत्ति का स्वामी है तथा विवादित भूमि उनके स्वामित्व की रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है।)

इस बिन्दुओं पर सभी न्यायमूर्तिगण द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुए अवधारित किया गया कि सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व मुस्लिम पक्षकार विवादित भूमि के स्वामी नहीं है और न ही राजस्व अभिलेखों से उनका स्वामित्व सिद्ध होता है। न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया कि प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर वे विवादित सम्पत्ति के स्वामी नहीं है। यद्यपि न्यायमूर्ति खान द्वारा संयुक्त कब्जे का अवधारणा करते हुए उन्हें 1/3 अंश का सहस्वामी घोषित किया गया।

बिन्दु संख्या–17 (क्या श्रीरामजन्मभूमि न्यास प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर अवैध न्यास है।)

इस बिन्दु पर न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुए यह अवधारित किया गया कि श्रीमरामजन्मभूमि न्यास एक विधितया पंजीकृत न्यास है जो किसी भी तरह से अवैध नहीं है। न्यायमूर्ति खान द्वारा भी इस बिन्दु पर न्यायमूर्ति अग्रवाल के अभिमत का समर्थन किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीनों न्यायमूर्तिगणों द्वारा श्रीरामजन्मभूमि को एक वैध एवं सही ट्रस्ट माना गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्मोही अखाड़ा द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या–3/89 तथा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य प्रस्तुत वाद संख्या–4/89 निरस्त किया गया तथा भगवान रामलला व स्थान श्रीरामजन्मभूमि की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या–5/89 न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा पूर्णतः तथा न्यायमूर्ति अग्रवाल व न्यायमूर्ति खान द्वारा आंशिक रूप से डिग्री करते हुए प्रारम्भिक डिग्री पारित की गई।

उक्त तथ्यों से यह भली भांति प्रमाणित है कि विवादित स्थल भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है जो अनादिकाल से हिन्दू समाज द्वारा उसी रूप में पूजित है।

श्री राम मंदिर : विधिक मुद्दे

प्रो0 हरबंश दीक्षित[1]

श्री रामजन्म भूमि विश्वभर के हिन्दू समाज की आस्था का केन्द्र है। सदियों से इसे भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिन्दू उस स्थान की पूजा करते हैं। 16वीं शताब्दी तक वहां एक भव्य मंदिर था जिसे बाबर ने 1528 में तोड़कर एक मस्जिद बनवा दिया। उस मस्जिद में, मंदिर के महत्वपूर्ण हिस्सों तथा ईंट आदि का इस्तेमाल हुआ। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत लम्बी कानूनी लड़ाई चली जो अभी भी जारी है।

इस विषय पर कभी कोई विवाद नहीं रहा कि हिन्दू राम जन्मभूमि पर बहुत लम्बे समय से पूजा अर्चना करते आ रहे है। सन् 1855 में इसे लेकर गम्भीर विवाद हुआ हिन्दू मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ जिसका निबटारा करने के लिए पूरी जमीन को दो भागो में बांट दिया गया। बाहर वाले आधे हिस्से को हिन्दू समाज को दिया गया जिस पर वे पूजा करते रहे तथा अन्दर का हिस्सा मुसलमानों के उपयोग के लिए दे दिया गया। सन् 1885 में जमीन के बाहरी हिस्से में स्थित चबूतरा के पुजारी ने उस पर एक मंदिर बनवाने की अदालत से अनुमति मांगी। न्यायालय में इसका प्रतिवाद किया गया और बाबरी मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा कि पूरी जमीन मुसलमानों की है और हिन्दुओं को केवल पूजा करने की अनुमति दी गयी है इसलिए वे उस पर मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। अदालत ने उस पर हिन्दू समाज के कब्जा को मान्यता दी, किन्तु उस पर मन्दिर बनाने की अनुमति के बारे में कहा कि ऐसा करने से दंगे भड़क सकते हैं और रक्तपात हो सकता है, इसलिए लोकहित में इसकी अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। इस निर्णय के खिलाफ की गयी अपील में भी असफलता ही मिली और मन्दिर बनाने की अनुमति नहीं मिली किन्तु पूजा अर्चना चलती रही।

सन् 1934 में एक बार फिर जन्मस्थान को लेकर भीषण विवाद हुआ जिसमें मस्जिद के ढाँचे के एक हिस्से को क्षति पहुँची जिसे बाद में मरम्मत करके ठीक कर दिया गया। उसके बाद से उस पर नमाज पढ़े जाने के कोई प्रमाण नहीं मिलते। उसके बाद 1949 में एक बार फिर दोनो वर्गों में जन्मस्थल को लेकर तनाव बढ़ता रहा और 22/23 दिसम्बर 1949 की रात में रामलला की मूर्ति को विवादित ढाँचे के अन्दर प्रतिष्ठित कर दिया गया। उसके बाद 29 डिसम्बर को मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत उस स्थान की कुर्की कर दी गयी। राज्य सरकार की ओर से उसका रिसीवर नियुक्त कर दिया गया किन्तु पूजा–अर्चना निर्बाध रूप से चलती रही। अन्त में 06 दिसम्बर 1992 को विवादित ढाँचे को गिराकर वहां अस्थाई मंदिर का निर्माण कर दिया गया।

---

[1]प्राचार्य एम0एच0(पी0जी0), कालेज, मुरादाबाद

1. उच्च न्यायालय का निर्णय

उच्च न्यायालय के सामने कुल पांच मुकदमें थे (जिसमें से एक को वापस ले लिया गया) जिन्हें एक साथ जोड़ दिया गया। मुकदमा संख्या 1 को गोपाल सिंह हिशारद द्वारा 16.01.1950 को दायर किया गया। मुकदमा संख्या 2 वापस ले लिया गया। मुकदमा संख्या 3 निर्मोही अखाड़ा के महन्त द्वारा 17.12.1959 को, मुकदमा संख्यर 4 सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा 9 अन्य लोगों द्वारा तथा मुकदमा संख्या 5 भगवान श्री रामलला विराजमान की ओर से दायर किया गया था। इन सभी मुकदमों में राम जन्मभूमि स्थल पर कब्जे और स्वामित्व की माँग की गयी थी। इन सभी मुदकमों में तीन तरह के पक्षकार यानि निर्मोही अखाड़ा, हिन्दू पक्षकार तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमें में 9 अन्य मुस्लिम पक्षकार भी थे।

निर्मोही अखाड़े का तर्क था कि वहां पर सदैव ही एक मंदिर रहा था वहां कभी भी मस्जिद नहीं रही। उनकी यह दलील भी थी कि मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी निर्मोही अखाड़े की थी, क्योंकि निर्मोही सम्प्रदाय ही सदैव से पूजा अर्चना करता रहा इसलिए उस जगह का स्वामित्त और कब्जा उसे मिलना चाहिए। अन्य हिन्दू पक्षकार या तो उस स्थान को सदैव से ही हिन्दू मंदिर रहने का दावा करते रहे या कुछ पक्षकारों ने कहा कि बाहरी हिस्से में सदैव ही पूजा होती रही तथा अन्दर के हिस्से में भी 1934 के बाद कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गयी। सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दावा किया गया कि एक निर्जन जगह पर बाबर ने एक मस्जिद बनवा था। उनके द्वारा यह दलील भी दी गयी कि यदि वहां पर पहले कुछ रहा भी होगा तो वह भग्नावशेष थे और मस्जिद बनाते समय उनका भी उपयोग किया गया रहा होगा। इस आधार पर उनका दावा था कि उस पर वक्फ बोर्ड और मुसलमानों का कब्जा रहा जो सन् 1949 तक बरकरार रहा। इसके साथ ही मुसलमान पक्षकारो द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि जमीन के बाहरी हिस्से पर एक चबूतरा था जिस पर हिन्दू पूजा करते थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने व्यापक सुनवाई के बाद 30. 09.2010 को अपना फैसला सुनाया। अदालत द्वारा मुकदमे के विभिन्न बिंदुओं पर दिए गए निर्णय का सार संक्षेप निम्नवत है

क. क्या विवादित स्थल भगवान राम की जन्म स्थली है?

इस प्रश्न का निबटारा करते हुए न्यायमूर्ति धर्मबीर शर्मा ने अपने निर्णय में कहा कि हिन्दू सदैव से ही यह मानते आ रहे हैं कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थल है और

वे उस की पूजा करते रहे हैं। इसके अलावा पुस्तकों, सरकारी अभिलेखों तथा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतान्तों में भी यह दर्ज है कि विवादित स्थल, भगवान श्री राम की जन्मस्थली ही है। न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि भगवान राम हिन्दुओं के अराध्य हैं, इसलिए वे उस जन्मस्थान की पूजा करते हैं। अतः उनके लिए वह स्थान भी पवित्र और पूजा योग्य है जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ। इस आधार पर श्री रामजन्मस्थान तथा भगवान रामलला की मूर्ति दोनों का कानूनी रूप से स्वतंत्र अस्तित्व है और भगवान राम के जन्मस्थान पर कब्जे और स्वामित्व के लिए उनकी ओर से मुकदमा दायर किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति एस0यू0 खान ने इस विषय पर निर्णय देते हुए कहा कि न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों से यह साबित नहीं किया जा सका है कि भगवान राम का जन्म किस जगह पर हुआ। विवादित स्थल को राम जन्मभूमि होने के दावे पर सन्देह व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यदि वह राम जन्मभूमि रही होती तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इसका जिक्र जरूर किया होता, क्योंकि उसका रचनाकाल मस्जिद के निर्माण के 50 वर्षों के भीतर का ही है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साक्ष्यों के सम्बंध में न्यायमूर्ति खान ने कहा चूँकि तमाम वस्तुएं जमीन के नीचे दबी हुयी पायी गयी हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद के निर्माण के पहले वहां पर खड़ी हुई इमारत पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और उसके बाद इतना समय बीत चुका था कि उनके ऊपर मिट्टी की काफी मोटी परत चढ़ गयी थी। न्यायमूर्ति खान ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि वहाँ कुछ अवशेष जमीन के नीचे वर्षों से दबे पड़े रहे होंगे जो किसी बौद्ध मंदिर के अवशेष भी हो सकते हैं। न्यायमूर्ति खान ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़े क्षेत्रफल वाले इलाके को हिन्दू समाज के लोग राम जन्मस्थल के रूप मे मानते रहे हैं जिसमें कई मंदिरों के अवशेष रहे होंगे और उसमें से किसी एक भाग पर बाबर ने मस्जिद बनवायी थी।

इस विषय पर निर्णय देते हुए सुधीर न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि रामजन्म भूमि से जुड़ा विषय साक्ष्य का नहीं अपितु आस्था का है। अनादिकाल से हिन्दुओं की मान्यता रही है कि विवादित स्थल राम जन्मभूमि है। उन्होंने अपने निर्णय में आगे यह भी कहा कि हिन्दुओं के लिए राम जन्मभूमि के विशेष महत्व को देखते हुए मुकदमा दायर करने के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से संविधान के अनुछेद 25 में हिन्दू समाज को प्राप्त मूल अधिकार का उल्लंघन होगा।

ख. क्या विवादित स्थान पर कोई मंदिर था जिसे ध्वस्त करके मस्जिद बनायी गयी थी

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने निर्णय में कहा कि विवादित स्थल पर वास्तव में एक मंदिर था, जिसे ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश पर की गयी खुदायी में प्राप्त खंभो, मूर्तियों तथा त्वरण द्वारों जैसे हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों से सपष्ट होता है कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर था जिससे प्राप्त वस्तुओं का इस्तेमाल विवादित मस्जिद के बनाने में किया गया था। न्यायमूर्ति एस0यू0 खान ने अपने निर्णय में कहा कि यह साबित नहीं किया जा सका है कि विवादित स्थान पर मंदिर ही था। वह एक बौद्ध मंदिर भी हो सकता था। न्यायमूर्ति खान ने आगे अपने निर्णय में यह भी कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि विवादित स्थल पर किसी संरचना को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि विवादित स्थल पर एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनायी गयी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विवादित ढाँचे को बंजर, खाली या बेकार जमीन पर नहीं अपितु एक मंदिर को तोड़ कर जिस पर हिंदुओं का कब्जा था और मस्जिद को बनाने में मंदिर की ईंटों, खम्भों और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतान्तों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि विवादित स्थान पर एक मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद बनायी गयी थी। सन् 1766 से 1771 के बीच अवध की यात्रा करने वाले इसाई मिशनरी जोसेफ टेफेन्थलर के 1786 में प्रकाशित यात्रा वृतान्त का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय भी यह लोकमान्यता थी कि विवादित स्थल पर एक भव्य मंदिर था जिसकी जगह उसे तोड़कर मस्जिद बनायी गयी थी।

ग. **क्या मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा किया गया था?**

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने निर्णय में कहा कि विवादित स्थान पर मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में उसके निर्देश पर उसके कमांडर मीर बाकी द्वारा करवाया गया था। जब कि न्यायमूर्ति खान ने अपने निर्णय में कहा कि इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा ही किया गया था किन्तु तमाम दस्तावेजों से यह साबित होता है कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य में वहां पर एक मस्जिद थी। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने इस प्रश्न का निबटारा करते हुए अपने निर्णय में कहा कि इस तथ्य के साक्ष्य नहीं है कि मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा या उसके निर्देश पर सन् 1528 में किया गया था। उन्होंने अपने निर्णय में आगे कहा कि इस बात की सम्भावना है कि मस्जिद का निर्माण

औरंगजेब द्वारा किया गया हो किन्तु यह स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में वहां पर एक मस्जिद थी।

घ. **क्या विवादित ढाँचे को मस्जिद के रूप में मान्यता दी जा सकती है?**

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायमूर्मि शर्मा ने अपने निर्णय में कहां कि चूँकि विवादित ढाँचे में मीनारे और वजू करने के लिए अलग स्थान का न होना यह साबित करती हैं कि विवादित ढांचा मस्जिद नहीं थी। इसके अलावा न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि विवादित ढांचे में मूर्तियां एवं गैर इस्लामिक वस्तुएं मिली हैं इसलिए इस्लामिक कानून के मुताबिक उसे मस्जिद के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

न्यायमूर्ति खान ने न्यायमूर्ति शर्मा से असहमति व्यक्त करते हुए यह कहा कि विवादित ढाँचा एक मस्जिद थी क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जाती थी। न्यायमूर्ति खान ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि वजू करने की जगह या मीनारों के न होने के आधार पर किसी मस्जिद पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि विवादित स्थान का मस्जिद होना या न होना शरीयत के नियमों के अनुसार नहीं अपितु लोक मान्यता के आधार पर तय होना चाहिए।

ड. **क्या विवादित ढाँचे में लगातार नमाज पढ़ी जाती रही?**

इस प्रश्न पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस बात का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है कि मुसलमान विवादित स्थान पर लगातार नमाज अदा करते रहे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसे कई मौके आये जब इस विषय को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ। तथा विवादित जगह पर नमाज अदा करने में कभी भी निरंतरता नहीं रही। इस प्रश्न का निबटारा करते हुए न्यायमूर्ति खान ने अपने निर्णय में कहा कि 22/23 दिसम्बर 1949 से कुछ समय पहले तक विवादित ढाँचे में नियमित नमाज नहीं होती थी, किन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि 16.12.1949 को विवादित स्थान पर अंतिम बार नमाज अदा की गयी थी। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि विवादित स्थान पर लगातार नमाज पढ़ी जाती हो, किन्तु वहां पर हिन्दू समाज लगातार पूजा अवश्य करता रहा। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय में आगे यह भी कहा कि सन् 1855 में हुए दंगे के समय विवादित जगह के बाहरी हिस्से में रामलला की मूर्ति थी जिसे 22/23 दिसम्बर 1949 की रात्रि में विवादित ढाँचे के अन्दर स्थापित कर दिया गया । इसके अलावा न्यायमूर्ति अग्रवाल ने यह भी कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि हिन्दू विवादित स्थल के अन्दर के हिस्से में शुरू से ही पूजा करते आ रहे थे।

छ. **विवादित स्थल पर किसका स्वामित्व है?**

इस प्रश्न का उत्त्र देते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने निर्णय में कहा कि अयोध्या एवं रामकोट आरम्भ में महाराजा दशरथ की जमीन थी जो बाद में मंदिर तथा मूर्ति में न्यस्त हो गयी इसलिए हिन्दुओं का उस पर सदैव से ही उस पर कब्जा और स्वामित्व है। इसी आधार पर वर्तमान में भी उस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और रामलला का विधिक कब्जा और स्वामित्व है। न्यायमूर्ति खान ने इस प्रश्न पर अपने निर्णय में कहा कि कोई भी पक्षकार प्रारम्भ से अपना कब्जा और स्वामित्व साबित करने में सफल नहीं रहा है। किन्तु इस बात के र्प्याप्त साक्ष्य हैं कि 1855 के बाद से दोनो पक्षकारों का विवादित स्थल पर संयुक्त कब्जा है और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के आधार पर दोनो पक्षकार उसके संयुक्त स्वामी है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि सन् 1855 से विवादित स्थान के बाहरी हिस्से पर हिन्दुओं का कब्जा रहा है तथा उसके अन्दर का भाग हिन्दुओं और मुसलमानों के संयुक्त कब्जे में रहा है।

उपरोक्त के आधार पर पूर्ण पीठ के न्यायमूर्तिगणों ने अपना निर्णय भी अलग–अलग सुनाया। न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने निर्णय में कहा कि विवादित स्थल 'रामलला' तथा राम जन्मभूमि न्यास का है जबकि न्यायमूर्ति एस0यू0 खान तथा न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि विवादित स्थल पर रामलला, निर्मोही अखाड़ा तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड का संयुक्त स्वामित्व है।

च. **विवादित स्थल पर पूजा अर्चना तथा उसका स्वामित्व**

इस प्रश्न के संबंध में सभी न्यायाधीशगण एकमत थे कि रामलला की मूर्तिया विवादित ढाँचे के मध्य में 22/23 दिसम्बर 1949 को रखी गयी, किन्तु पूजा अर्चना की शुरूआत के सम्बंध में मतभेद थे। न्यायमूर्ति एस0यू0 खान ने अपने निर्णय में कहा कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि सन् 1766 से 1771 के दौरान जब जोसेफ टेफेन्थलर ने उस इलाके का भ्रमण किया था तो वहां राम चबूतरा था। न्यायलय के निर्णय के अनुसार पूरे विवादित क्षेत्र को तीन समान भागों बांटे जाने का निर्देश दिया गया। उसमें बाहर वाले हिस्से को निर्मोही अखाड़े को दिए जाने का निर्देश दिया गया जबकि अन्दर के हिस्से को रामजन्म भूमि और मुसलमान समुदाय की ओर से वक्फ बोर्ड को दिए जाने का आदेश दिया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि वह स्थान जहां रामलला विराजमान हैं उसे हिन्दुओं को, राम चबूतरा तथा उसके पास का हिस्सा निर्मोही अखाड़े को तथा शेष एक तिहाई वक्फ बोर्ड को दिया जाय। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम समाज को कम से कम एक तिहाई जगह अवशेष दी जाय।

2. समाधान में न्यायालय की भूमिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा जिस पर 19 मई 2011 को स्थगन आदेश देकर सभी पक्षकारों से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। उसके बाद के करीब पांच वर्षों में उसमें रत्ती भर भी प्रगति नहीं हुयी है। राम जन्मभूमि प्रकरण के इतिहास को देखने से साफ होता है कि सही समय पर निर्णय नहीं लिये जाने के कारण उसमें जटिलताऐं बढ़ती गयीं। यदि सबसे पहले मुकदमें का निर्णय गुण दोष के आधार पर कर दिया होता तो यह मामला इतना गंभीर न हुआ होता। पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया गया। मुकदमा संख्या 61/280 के माध्यम से महन्त रघुबर दास ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया के खिलाफ मुकदमा दायर करके रामचबूतरा पर मन्दिर निर्माण की इजाजत माँगी। फैजाबाद के सब जज ने एक साल के भीतर ही 24.12.1885 को निर्णय दे दिया। उसमें स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर लिया गया कि रामचबूतरा और सीता रसोई पर हिंन्दुओं का कब्जा है जिस पर नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है, किन्तु विद्वान न्यायाधीश ने यह कहते हुए मंदिर निर्माण की अनुमति देने से इन्कार कर दिया कि इससे दंगा भड़क जाएगा और हजारों लोगों की जाने जा सकती हैं। इसकी अपील जिला जज के पास की गयी। जिला जज ने 18.मार्च. 1886 के अपने निर्णय में इस बात को दुर्भग्यपूर्ण बताया कि हिन्दुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माने जाने वाली जगह पर मस्जिद बना दी गयी, किन्तु उन्होंने भी निचली अदालत द्वारा दिए कारणों के आधार पर मन्दिर बनाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया और जब इसकी अपील अवध के जुडिशियल कमिश्नर के सामने की गयी तो ऐसा लगता है कि सम्भावित खून–खराबे की आशंका से उसमें हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति एस0 यू0 खान ने अपने निर्णय में इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 1885 के पहले मुकदमें का निर्णय यह था कि उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया।

आजाद भारत में स्वामित्व से सम्बन्धित पहला मुकदमा 16.जनवरी.1950 को दायर हुआ, जिसका निर्णय 60 वर्षों में आया। अपने निर्णय का आरम्भ करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस0 यू0 खान ने कहा था कि यह 1500 वर्ग गज की ऐसी जमीन के बारे में जिस पर चलकर रास्ता बनाने में देवदूत भी डरते हैं, किन्तु विद्वान न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि यह इलाका अनगिनत बारूदी सुरंगो से भरा हुआ है जिसे हमें साफ करना होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कई बुद्धिमान लोगों ने मुझे भी जोखिम लेने से रोका किन्तु कई बार ऐसा जोखिम लेना जरूरी होता है। ऐसा भी होता है जब देवदूत मनुष्यों के सामने सिर झुकाते हैं और जब ऐसा होता है तो मानव की जिम्मेदारी होती है कि इस

प्रतिष्ठा के मुताबिक आचरण करें। न्यायाधीशगणों के इसी जज्बे ने संभवतः उनको इस निर्णय को लिखने की प्रेरणा दी होगी। और यही कारण है कि जिस जोखिम को 1885 में नहीं लिया जा सका और जिसे लेने में 1950 से 2010 तक का लम्बा समय लग गया उसे उन्होंने लिया और सुखद आश्चर्य यह रहा कि कोई खून–खराबा नहीं हुआ। आज भी आम लोगों का अदालत के ऊपर भरोसा है और समय की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस अपने समक्ष लम्बित अपील को यथाशीघ्र निबटा दे।

श्रीरामः आदर्श और समकालीन सामाजिक–राजनीतिक कायाकल्प

सुषमा[1]
अरुण कुमार गौतम

प्रस्तुत शोध–पत्र का विषय ''श्रीरामः आदर्श और समकालीन सामाजिक–राजनीतिक कायाकल्प'' है। भारतीय साहित्य में 'श्रीराम' का उल्लेख वाल्मीकि कृत रामायण नामक ग्रन्थ में किया गया है। यद्यपि रामायण से केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय साहित्य भी प्रभावित होता रहा है। संस्कृत साहित्य में रामायण केवल काव्य–ग्रन्थों का ही नहीं अपितु नाटाकं एवं चम्पू ग्रन्थों का उपजीव्य–ग्रन्थ रहा है। वाल्मीकि ने रामायण में राम को नायक के रूप में व्याख्यायित किया है, जो प्रतिष्ठित होने के कारण अन्य परवर्ती ग्रन्थकारों के लिए रचना हेतु आधार–स्वरूप रहा है। भारतीय परम्परा में नायक का स्वरूप है इस विषय पर डा. पंकज शर्मा, की रचना महाभारत एवं इलियड में देवता और मानव के इस उद्धरण को प्रस्तुत किया जा सकता है – नायक या हीरो शब्द का प्रयोग प्रायः उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो सामान्य मनुष्यों के बीच अपने श्रेष्ठ गुणों, विशिष्ट शौर्य या सहन शक्ति के कारण एक विशेष स्थान रखता है।

भारतीय परम्परा में नायकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

1. पूर्वज नायक

2. महाकाव्य के नायक

पूर्वज नायकों में गोत्रों तथा राजवंशों के संस्थापक आते हैं। गोत्रों के संस्थापक पूर्वज नायकों की संख्या आठ मानी गई है – जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ट, कश्यप, अत्रि तथा अगस्त्य ऐसे पूर्वजों के नाम हैं। इन पूर्वजों से ही आठ गोत्र निकले जो कालान्तर में 49 गोत्रों में विभक्त हुए और पुनः 49 से अन्य असंख्य गोत्र उत्पन्न हुए।[1]

पूर्वज नायकों के दूसरे वर्ग में राजवंशों के संस्थापक आते हैं।

भारतीय नायकों के दूसरे वर्ग में महाकाव्यों के नायक आते हैं, जिन्हें जनसाधारण के सम्मान तथा श्रद्धा ने अतिमानवीय या अर्द्धदेवीय स्तर पर पहुँचा दिया है। वास्तव में महाकाव्य के नायक जब एक बार उच्च स्तर की ओर उठने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, तब इसकी परिणति उन्हें देवत्व प्रदान

---

[1] जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110067

करने में होती है। इस प्रकार के सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण रामायण के नायक राम हैं। रामायण के प्रारम्भिक अंशों में राम पूर्ण रूप से मानवीय नायक के रूप में दिखाए गए हैं। वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं तथा नैतिकता, धर्मनिष्ठा एवं आदर्श स्थापना के साक्षात मूर्त रूप हैं, किन्तु प्रथम तथा अंतिम खण्डों में जो कि निश्चित रूप से बाद में जोडे गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ईश्वर तुल्य बना दिया है और इस रूप में वह विष्णु के अवतार बताए गए हैं। भारतीय परम्परा में राम की तरह कृष्ण दूसरे उदाहरण हैं, जो महाभारत के नायक हैं। निःसन्देह राम एवं कृष्ण महाकाव्यों के ऐसे नायक हैं, जो प्रथमतः मनुष्य थे परन्तु उनके श्रेष्ठ गुणों के आधार पर उन्हें उच्चतम स्तर तक पहुँचा दिया गया और वे देव तुल्य हो गए।[1]

इसके अतिरिक्त नायक के विषय में विविध व्याख्या की गई हैं, जिसमें धनंजय ग्रन्थ है। धनंजय ने अपने ग्रन्थ *दशरूपक* में नायक–नायिका के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया है। नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय पवित्र, वाक्पटु, प्रसिद्ध वंश वाला स्थिर युवक, बुद्धि–उत्साह–स्मृति–प्रज्ञा–कला तथा मान से युक्त, दृढ, तेजस्वी शास्त्रों का ज्ञाता और धार्मिक होता है।[2] नायक के चार भेद होते हैं – धीरललित, धीरप्रशान्त, धीरोदात्त, धीरोद्धत्त।[3] इस प्रकार इन नायकों के लक्षणों को भी परिभाषित किया है– चिन्तारहित, (गीत आदि) कलाओं का प्रेमी, सुखी और कोमल नायक धीरललित कहलाता है।[4] जैसे *रत्नावली* नाटिका के उदयन। सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक तो धीर प्रशान्त कहलाता है।[5] जैसे *मालतीमाधव* और *मृच्छकटिक* आदि में माधव एवं चारुदत्त आदि धीरप्रशान्त नायक हैं। उत्कृष्ट अन्तःकरण (सत्व) वाला अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, आत्मश्लाघा न करने वाला, स्थिर, अहंभाव को दबाकर रखने वाला, दृढव्रती नायक धीरोदात्त कहलाता है।[6] जैसे राम के प्रति कहा गया है– अभिषेक के लिए बुलाये गये और वन के लिए भेजे गये राम का मुझे तनिक भी आकृति–विकार नहीं दिखाई पड़ा।[7] जिसमें घमण्ड (दर्प) और डाह (मात्सर्य) अधिक होता है, जो माया और कपट में तत्पर होता है, अहंकारी, चंचल, क्रोधी तथा आत्मश्लाघा करने वाला है, वह धीरोदात्त नायक है।[8] इसके साथ ही साथ आठ प्रकार के सात्त्विकगुणों का भी उल्लेख किया है, शोभा, विलास, माधुर्य, गम्भीरता, स्थिरता, तेजस ललित, औदार्य। शोभा विलासो माधुर्य गाम्भीर्यं स्थैर्यं तेजसी।

[1] पंकज शर्मा, महाभारत एवं इलियड में देवता और मानव, पृ.सं. 107–8
[2] नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रुढवंशः स्थितो युवा।
बुद्धयुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः शूरोदृढश्चतेजस्वीशास्त्रचछुश्चधार्मिकः।। धनंजय, दशरूपक, 2/1
[3] भेदश्चतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतैरयम। धनंजय, दशरूपक, 2/2
[4] निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः। दशरूपक, 2/3
[5] सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः । दशरूपक, 2/4
[6] महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः। स्थिरो निगूढाहंकारो धीरोदात्तो दृढव्रतः। । दशरूपक, 2/5
[7] महानाटक 3/25
[8] दर्पमात्सयभूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायणः। धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चचण्डो विकत्थन।।, दशरूपक, 2/6

ललितोदार्यमित्यष्टो सात्त्विकाः पौरुषा गुणाः।। और नायिकाएँ तीन प्रकार की होती है – स्वकीया, परकीया तथा साधारणस्त्री। [1]

भारतीय परम्परा में वाल्मीकि ने अपनी रचना में राम को नायक के रूप में चयनित कर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। राम के विविध गुणों को वाल्मीकि ने महाकाव्य के आरम्भ में ही परिगणित किया है, रामायण के बालकाण्ड के प्रथम सर्ग में राम के चरित्र की व्याख्या की गयी है। इक्ष्वाकु–वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो लोगों में राम–नाम से विख्यात हैं, वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कान्तिमान, धैर्यवान और जितेन्द्रिय हैं।[2] सम्पूर्ण गुणों से युक्त वे श्रीराम अपनी माता कौसल्या के आनन्द बढ़ाने वाले हैं, गम्भीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु के समान बलवान हैं उनका दर्शन चन्द्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है, वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं, त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्यपराक्रम वाले सद्‌गुणशाली अपने प्रिय ज्येष्ट पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजावर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा।

विषम परिस्थितियों में उनका रूप कठोरव्रती या सत्याग्रही का है। जब कैकेयी को सन्देह हुआ कि राजा के कहने पर यदि राम वन नहीं जायेंगे तो इस सन्द्रह का निराकरण स्वयं राम करते हैं कहते हैं कि राजा के चाहने पर मैं समुद्र में या अग्नि में कूद सकता हूँ, मैं अपने पिता की आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता? इसलिए देवी! राजा को जो अभीष्ट है, वह बात मुझे बताओ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करुँगा राम दो पक्षों की बात नहीं करता है।[3] राम के इन्हीं गुणों से समस्त गुणों का भी विवेचन हो जात है, फिर वो चाहे सामाजिक अथवा राजनीतिक समस्त स्वरूप व्याख्यायित हो जाता है।

संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत रामायण आदिकाव्य है[4] तथा इस महाकाव्य की रचना करने वाले कवि वाल्मीकि आदि कवि हैं।[5] संस्कृत साहितय में वाल्मीकि को आदिकवि की उपाधि कालिदास ने भी अपनी कृति रघुवंश में ''कवेराद्यस्य शासनात'' पंक्ति द्वारा प्रदान की है। *रामायण* में करुण रस की प्रधानता है, क्योंकि इस महाकाव्य की रचना ही करुण रस की अभिव्यक्ति के माध्यम से हुई है।[15] वाल्मीकि ने अपनी रचना रामायण में जितने भी स्त्री–पुरुष पात्रों को सन्दर्भित किया है, वे सभी समाज

---

[1] स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्‌गुणा नायिका त्रिधा। दशरूपक, 2/15, 24
[2] वाल्मीकि, रामायण, बालकाण्ड, 1/8
[3] अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके। भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे।।
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते।। ......, वही, अयोध्याकाण्ड,सर्ग18, श्लोक 29/30
[4] ''रामायणमादिकाव्यं''। स्कन्दपुराण, रामायणमहात्म्य, 1/35
[5] प्दकपंद सपजमतंतल जतंकपजपवदंस िवसके टंसउपाप ॅ जीम ।कपांअप जीम पितेज चवमउ.उांमत वित जीम िवदमलमक मगचतमेपवदे वि चवमजतलरू जीम त्ंउंलंद पद ष्दोतपज स्पजमतंजनतमए थ्पतेज बेंचजमत

के लिए महत्वपूर्ण तथा मार्गदर्शक के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। रामायण की कथावस्तु एक आदर्श परिवार को माध्यम बनाकर निर्मित किया गया है, जिसमें उच्च आदर्शों, नवीय मूल्यों, नैतिकता आदि समस्त अनुकरणीय भावों को मूर्तरूप दिया गया है। इनकों आधार मानकर ही ऐसे आदर्श वाक्य रचे जाते हैं, ''**रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्**''।[1]

किसी भी काव्य, नाटक, नाटिका अथवा प्रकारण एवं अन्य रचनाओं का नामकरण नायक, नायिका, प्रतिपाद्यवस्तु अथवा प्रमुख घटना के आधार पर ही नाट्यकारों तथा ग्रन्थकारों ने किया है, जिसके उदाहरण स्वरूप में कतिपय ग्रन्थों को प्रस्तुत भी किया जा सकता है–

1. उत्तररामचरित का नाम नायक के आधार पर।

2. अभिज्ञानशाकुन्तलम और रत्नावली का नाम नायिका के आधार पर।

3. मृच्छकटिक तथा वेणीसंहार का नाम प्रमुख घटनाओं के नाम के आधार पर।

4. मुद्राराक्षस का नाम राक्षस की उस मुद्रा के आधार पर।

रामायण के नामकरण के विषय में डा. राधिकाप्रसाद ने भी सन्दर्भ प्रस्तुत किया है – रामायण 'राम्''अयन' इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है=राम का घर अथवा राम ही जिसके आधार(घर) हैं।[2]

रामचरित का सर्वांगपूर्ण वर्णन होने के कारण यह धार्मिक–ग्रन्थ एवं आचार–संहिता माना जाता है। इसके साथ ही साथ *रामायण* इतिहास–ग्रन्थ भी है, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। *अथर्ववेद* में चारों वेदों के नामोल्लेख के बाद इतिहास, *पुराण,* गाथा और नाराशंसी का उल्लेख है–

तमृचश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन।

??????तमितिहासश्य पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलन।।[3]

इस विषय में कामिल बुल्के ने भी अपनी कृति *रामकथा उत्पत्ति एवं विकास* में उल्लेखित किया है– वैदिक साहित्य में आख्यान, इतिहास तथा पुराण मिलते हैं। ये ब्राह्मणों के अर्थवाद के एक आवश्यक अंग समझे जाते थे। प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों एवं यज्ञों के अवसर पर ऐतिहहासिक

[1] विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद, पृ. 19
[2] रामायण के आनुषांगिक सन्दर्भ, भुमिकाभाग, डा. राधिकाप्रसाद मिश्र,, पृ. 18
[3] अथर्ववेद, 15–6–8, 11

तथा पौराणिक इन्हें सुनाते थे। अर्वाचीन वैदिक साहित्य में ये पाँचवें वेद कहे जाते हैं।[1] यद्यपि महाकाव्य में श्रृङ्गार, वीर, शान्त रसों की प्रधानता बताईं गयी है और अन्य रस उनसे गौंण अर्थात अप्रधान हो ऐसा उल्लेख मिलता है[2] जबकि रामायण करुण रस प्रधान महाकाव्य है –

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत क्रौचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम।[3]

क्योंकि इस महाकाव्य की रचना ही करुण रस की अभिव्यक्ति के माध्यम से हुई है।[4] वाल्मीकि के पश्चात् ऐसे विविध विचारक हुए जिन्होनें अपनी रचनाओं में *रामायण* के ही कथानक को मूल स्त्रोत के रूप में धारण करते हुए ग्रन्थों की रचनाएं की हैं।[23]

काव्यग्रन्थ– कालिकादकृत–रघुवंश, प्रवरसेनकृत–सेतुबन्ध, कुमारदासकृत–जानकीहरण, भट्टित–भट्टिकाव्य (रावणवध), रामचरितक्षेमेन्द्रकृत– रामायणमंजरी, दशावतारचरित, वामनभट्ट, बाणकृत–रघुनाथाभ्युदय, साकल्यमल्ल–उदारराघव चक्रककृत–जानकीपरिणय, अद्वैतककृत–रामलिंगामृत, मोहस्वामीकृत–रामचरित, धनंजयकृत–राघवपाण्डवीयआदि।

नाटक–ग्रन्थ- भासकृत–प्रतिमानाटक, अभिषेकनाटक, भवभूतिकृत–महावीरचरित, उत्तरामचरित, मुरारिकृत–अनर्घराघव, राजशेखरकृत–बालरामायण, दिङ्ग्नागकृत–कुनदमाला, हनुमानकृत–महानाटक, जयदेवकृत–प्रसन्नराघव **चम्पू–ग्रन्थ** भोजकृत–रामायणचम्पू वेंकटाध्वरिकृत–उत्तरचम्पू।

रामायण की विशेषताओं का वर्णन करते हुए राधिकाप्रसाद ने लिखा है– रामायण में कौटुम्बिक जीवन को सरस और सफल बनाने वाली उन कोमल भावनाओं का सन्निवेश है, जो भारतीयों में सदा पारस्परिक अनुराग, सत्य, सदाचार और बन्धुत्व की भावना को जागृत कर उन्हें स्वकर्त्तव्य पालन के प्रति सजग एवं प्रेरित करती है।[5] रामायण में राम का चरित्र केवल व्यक्तिगत न रहकर सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय, राष्ट्र तथा मानवता को प्रभावित करता है। राम में राजा, भाई, मित्र, पुत्र इत्यादि के आदर्श गुण समन्वित हैं। वैयक्तिक पराक्रम एवं वीरता से पृथ्वी तल से ऊपर उठकर एक उदात्त चरित्र आदर्श स्थापित करते हैं। प्रो. सिद्धान्त के अनुसार रामायण विकसित वीर युग की रचना है। वाल्मीकि ने अपने

---

[1] अथर्वण- चतुर्थम, इतिहास–पुराणं पंचतमम। बुल्के, कामिल, रामकथा उत्पत्ति एवं विकास, पृ.सं. 105
[2] श्रृंगारवीरशान्तानामेकोऽगींरसइष्यते। अंगानिसर्वेऽपिरसाःसर्वनाटकसन्धयः।।– विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, 6/317
[3] जैम त्ंउलंदं पद"दोतपज स्पजमतंजनतम थ्पतेज बैंचजमतए चंहम दवण 2
[4] गौरोला, वाचस्पति, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ.सं. 188
[5] डा. राधिकाप्रसाद मिश्र, रामायण के आनुषंगिक सन्दर्भ, भूमिकाभाग, पृ. 18

पात्र वीर गाथाओं से लिए हैं और उनका चरित्र अपने युग के स्तर के अनुसार निर्मित किया है।[1] इस प्रकार वाल्मीकि ने एक आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए रामायण की रचना की जिसके परिणामस्वरूप एक आदर्श रामराज्य की स्थापना हुई।

इसकी स्थापना में मुख्य रूप से रामायण के राम–सीता इन दो प्रमुख पात्रों का अत्यधिक सहयोग रहा है, रामायण के श्रेष्ठ धर्म पतिव्रता के धर्म को सीता ने तथा पत्नीव्रता धर्म को राम ने बहुत ही उत्कृष्ट रूप से घटित किया है, जिसमें राम एवं सीता दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।[2] रामराज्य के विषय में अन्य ग्रन्थों में विवेचन किया गया है– राम प्रजा को हर तरह से प्रसन्न रखने का गुण भी बड़ा ही आदर्श था। वे अपनी प्रजा का पुत्र से भी बढ़कर वात्सल्य प्रेम से पालन करते थे। सदा–सर्वदा उनके हित में रत रहते थे। इन्हीं कारणों से अयोध्यावासियों का उन पर अद्भुत प्रेम था। राम के वनगमन का चित्रकूट में भरत के साथ प्रजा से मिलने का और परमधाम में पधारने के समय का वर्णन पढ़ने से पता चलता है, कि आरम्भ से लेकर अन्ततक प्रजा सभी स्त्री–पुरुषों का राम में अद्भुत स्नेह रहा है, उन्हें राम का वियोग असह्य हो गया और वे राम के वनगमन के समय समस्त प्रजा भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। राम को बहुत अनुनय–विनय करने पर प्रजा को मनाना पड़ा। इसके अतिरिक्त सीता के वियोग में राम ने एक साधारण विरह–व्याकुल कामी मनुष्य की भाँति विलाप किया था, जबकि प्राण प्रिय सीता का प्रजा की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया जिसके विस्तृत रूप में विवेचन रामायण के कथानक पर आधारित ग्रन्थ उत्तररामचरित में किया गया है। राम का चरित्र अपने कुटुम्ब में अतिशय मृदृ है। अपने कुटुम्ब के छोटे–बड़े किसी पर उन्होनें क्रोध नहीं किया। वे लोकसंग्रही थे, जैसा बालकाण्ड में उद्धृत है– **मातृभ्यो मातृकार्यणि कृत्वा परमयन्तिः। गुरुणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत।।**[3]

किसी भी राज्य में राजा के महत्त्व होता है, रामायण में भी राजा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है, उसके अनुसार राजा, सत्य, धर्म, माता, पिता, गुरु, रक्षक और सम्पूर्ण जगत है। वही प्राणियों का उत्पादक एवं रक्षक है। राज्य के लिए राजा की आवश्यकता के सन्दर्भ में रामायण में बड़ी सुन्दर व्याख्या की गई है। जैसे ग्वाले के बिना गाय, चन्द्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन शोभा नहीं पाते उसी प्रकार राजा रहित राज्य की शोभा नहीं पाता।[4] राजा के प्रतिकूल आचारण करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता और उसका वध करने वाला नरकगामी होता है।

---

[1] च्तवणि छण्ड्डाण ̧पककीदजए जीम ̧मितवपब हम वि ̧प्दकपए चहम. 89.90ए स्वदकवदए 1929

[2] जयदयाल गायन्दका, रामायण के कुछ आदर्श पात्र, पृ. 25

[3] वाल्मीकि, रामायण, बालकाण्ड, 77/22,

[4] वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, 67/29

इस प्रकार से राजा के कार्यों और गुणों से प्रभावित होकर उसे देवत्त्व भी प्रदान किया है।[1] राजा के उत्त्पति–विषयक अवधारणा में रामायण में भी इस बात की पुष्टि होती है। महर्षि अगस्त्य राम से कहते हैं, कि सतयुग में प्रजा बिना राजा के थी कालान्तर में इन्द्र देवताओं के राजा हुए और तत्पश्चात मनुष्यों के राजा की सृष्टि हुई।[2] रामायण न केवल इस विशाल राष्ट्र के जन–जीवन को प्रभावित एवं प्रेरित करनेवाली एक अपूर्व तथा संपूजित कृति सिद्ध हुई, अपितु परवर्ती संस्कृत वाङ्मय को संवर्द्धित एवं पल्लवित करने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। *रामायण* के प्रभाव से संस्कृत के कवियों–महाकवियों ने मर्यादित एवं आदर्शमय चरितों की सृष्टि करके सामाजिक जीवन के उत्थान में प्रशंसनीय कार्य किया।[3]

राजा के गुणों के विषय में प्रेम कुमारी ने 'रामायण में राज्य–व्यवस्था' में राजा से अपेक्षित कुछ गुणों का विवरण को व्याख्यायाति किया है।[4] राम के कथन से व्यक्त है, राजा, अग्नि, इन्द्र, सोम, यम, और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण करता है, एतदर्थ इन पाँचों के गुण उसमें विद्यमान रहते हैं'।

पंच रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः। अग्नैरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ।।
औष्ण्यं तथा विक्रम च सौम्यं दण्ड प्रसन्नताम। धारयन्ति महात्मानों राजानः क्षणदाचरः।।[5]

रामायण के कथानक से प्रेरित होकर गोपाल उपाध्याय ने अपने रचना 'राम–कथा' में रामकथा से सम्बन्धित कतिपय विचारों को उल्लिखित किया है– ''रामायण हमारी सांस्कृतिक पहचान का स्त्रोत है। राम एक ऐसी व्यवस्था के उन्नायक और समर्पित व्यक्ति हैं, जिनका अपना सुख दूसरे की आँखों में आँसू न देखने में निहित है। राम–कथा हजारों सालों के इस दीर्घ अन्तराल में एक धार्मिक संस्कार बनकर इस राष्ट्र के लोगों के मन पर एक जीवनी शक्ति की तरह छा गई है, तभी विविध सम्बोधनों में जैसे–हरे राम, त्यादि शुभ–अशुभ परिस्थितियों को देखते–सुनते ही हमारे मुख से अनायास ही श्वास की तरह उच्छवासित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, इन सब बातों पर विमर्श करने से स्पष्ट होता है, कि राम कथा जन्म से ही व्यक्ति के मन में बस गयी है। अतः रामकथा इस देश के जन–मन की आस्था से जुड़ी हुई है। धर्म के रूप में, विचार के रूप में भी''।[6]

---

[1] डा. प्रेम कुमारी, रामायण में राज्यव्यवस्था, पृ.सं. 11
[2] वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड, सर्ग 76, श्लोक. 38-39
[3] गौरोला, वाचस्पति, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. सं. 190
[4] रामायण में राज्य–व्यवस्था, प्रेम कुमारी दीक्षित, पृ.सं. 11, अर्चना प्रकाशन लखनऊ, 1971
[5] वाल्मीकि रामयण, अरण्य 40.12–13
[6] गोपाल उपाध्याय, राम–कथा, भूमिकाभाग

इस प्रकार राम–सम्बन्धी उपर्युक्त विविध पक्षों को व्याख्यायित किया गया है, और इन विविध पक्षों का समन्वय वाल्मीकि कृत रामायण में किया गया है। रामायण में व्याख्यायित विविध पक्ष परवर्ती ग्रन्थकारों के लिए उपजीव्य काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। रामायण के उपर्युक्त उद्धरणों द्वारा स्पष्ट है, कि यह मात्र आदिकाव्य ही नहीं अपितु भारतीय ज्ञान परम्परा में एक ऐतिहासिक प्रमाण भी है।

सन्दर्भ–ग्रन्थ सूची

1. वाल्मीकि, *रामायण,* गीता प्रेस गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 1999
2. जयदयाल गोयन्दका, रामायण के कुछ आदर्श पात्र, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2061
3. पंकज शर्मा, महाभारत एवं इलियड में देवता और मानव, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली, 1996
4. प्रो. जी.बी. कानूनगो, सत्य रामायण (ऐतिहासिक–पुरातात्त्विक–भौगोलिक), हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 1995
5. डा. प्रेमकुमारी दीक्षित, रामायण में राज्य–व्यवस्था, अर्चना प्रकाशन लखनऊ, 1971
6. रामशरण गौण, भारतीय संस्कृति के आधार–स्त्रोत, स्वराज प्रकाशन दिल्ली, 1998
7. डा. राधिकाप्रसाद मिश्र, रामायण के आनुषांगिक सन्दर्भ, भारतीय विद्याभवन प्रकाशन, वाराणसी, 2002
8. गोपाल उपाध्याय, राम–कथा, सामयिक प्रकाशन दिल्ली, 1986

मर्यादा पुरुषोत्तम की मंगलयात्रा का प्रभाव

डा0 राजेन्द्र सिंह[1]
डा0 विजेन्द्र नाथ पाठक

अयोध्या कोटि–कोटि सनातनी जनता की आराध्यस्थली है। वह साक्षात् भगवान श्रीराम की मूर्तिमयी स्थली है। वहाँ पाप कृत्य प्रतिपादित नहीं होते तथा वह सदैव पुण्यमयी बनी रहती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान् श्रीराम के मार्ग में पथिक जितना कदम चलता है, उतने कदम–कदम पर उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ जीवित अवस्था में ही मनुष्यों को तारने वाली पुण्य सलिला सरयू जी विराजमान हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु के मिलन के समय भावभिव्यक्ति के जो प्रेमाश्रु निकले थे उसे अपने मानसिक सरोवर में ब्रह्मा जी ने रखा था और भगवान शिव को प्रस्तुत किया था। उसी मानसरोवर से उत्पत्र होने के कारण उसका नेत्रजाया ब्रह्मामानस तीर्थ का नाम पड़ा और उसी सरोवर से उत्पत्र होने कारण उसका सरयू नाम दिया गया।

स्वर्ग द्वार तीर्थ, श्री चन्द्र हरि मन्दिर, श्री नागेश्वेर नाथ मन्दिर, भगवती विदेह तनया सहित रत्न सिंहासन पर विराजमान धनुषबाण धारी भगवान श्रीराम, हनुमानगढ़ी, सीताकूप तीर्थ, कनकभवन, मत्त गजेन्द्र, सप्तसागर तीर्थ, देवकाली, सूर्यकुण्ड, सहस्त्रधारा, श्री लक्ष्मण मन्दिर, श्री गुप्तहरिघाट, श्री निर्मली कुण्ड, श्री मनोरमा तीर्थ, विल्वहरि, नन्दीग्राम एवं भरत तीर्थ, श्री वशिष्ठ कुण्ड, श्रीपूण्यहरि, मणि पर्वत, श्री विद्याकुण्ड एवं भगवान श्रीराम की जन्मभूमि की पावन पवित्र स्थली, श्री अयोध्या धाम को प्रभू का मूर्तमान रूप बना देती है।

भगवान भाष्यकार ने सौन्दर्य लहरी[2] में श्रीरामनगरी अयोध्या को विशल, कल्याणगुण विशिष्ट, स्फुट रूचि पराम्बा की दृष्टि के सदृशकी संज्ञा दी है।

"विशाला कल्याणी स्फूटरूचिरयोध्या कुवलयैः।
कृपाधाराऽऽधारा किमपिं मधुराऽऽभोगवतिका ।।
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ।
धुवं तत्तत्राम व्यवहरणयोग्या विजयते ।।"

यहाँ अयोध्या को स्फुट रूचिः स्फुटा प्रकटा रूचिः कान्तिर्यस्याः सा आयोध्या[3] की संज्ञा दी गई तथा भगवती के कृपा कटाक्षानुसार नगरी के नामकरण को रेखांकित किया गया है। महिमामयी अयोध्या

---

[1] मनोविज्ञान विभाग,महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
[2] पुण्य श्लोक के इन सभी पुण्य स्थलों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
[3] श्लोक 49 इसके विस्तृत अर्थ के परिज्ञान हेतु सौन्दर्य लहरी की लक्ष्मीधरा, गोपाल–सुन्दरी, आनन्द लहरी, पदार्थ चन्द्रिका तथा तात्पर्य दीपिनी टीका का अवलोकन करें।

की महिमा की मुकुटमणि श्रीराम जन्मभूमि का उद्धार महामनीषी की मंगलमय लोकयात्रा के कण्टकाकीर्ण पथ का दिव्य संबल है। वह लोकयात्रा समस्त प्राणियों के पारमार्थिक मंगल कामना के सूत्र को पिरोने की वैदिक गाथा है। यह यात्रा समष्टि के मंगलोत्थान में व्यष्टि के मंगलोत्थान की दृष्टि की समग्रता की पौराणिक कथा है, जिसमें प्राचीनता के अवशेष नवीनता के उन्मेष को अग्रसारित कर रहे हैं। यह मंगल लोकयात्रा अनन्त ब्रह्माण्डगत सौन्दर्य माधुर्यादि बिन्दुओं के उद्‌गम स्थल सौन्दर्यादि सुधा जलनिधि भगवान के मधुर स्वरूप में आसक्त होकर, उससे प्राप्त सौन्दर्य बिन्दु को लोक कल्याण, लोक उत्थान तथा सामाजिक समरसता की वेदी पर लुटा देने की मोहक एवं प्रेरक सद्‌गाथा है। यह एक ऐसे सर्वभूत सुहृय की यात्रा का वृतान्त है, जिन्होंने अपने जप, तप, अपनी ध्यान पूजा से प्राप्त सिद्धियों तथा परासिद्धियों को आर्त प्राणियों के आर्तनाशन कार्यक्रम में लगाकर उन्हें आर्तविमुक्त कर दिया। निष्पक्षता, स्वरूप की आकर्षक भव्यता, दिव्यस्मरण शक्ति, भक्ति का उद्रेक, परोपकारिता, सर्वजन कल्याण की अनुदिन मंगल कामना, दयालुता, परदुखकातरता, समभाव, बाल सुलभ प्रसन्नता एवं निश्चन्तता तथा वैयक्तिक संकलित अर्जन को लोककल्याण पर न्योछावर करने की अदम्य उत्साहमयी भावना ही महामनीषी की मंगलमय लोकयात्रा को लोकोत्तर बना देती है। यह मात्रा को तन्मात्रा में तिरोहित करना है। ऐसी ही यात्रा को वेदान्ती लोक "चिति–तन्मात्रा'' कहते है।

कर्त्तव्य का सौन्दर्य किसी परिभाषा की अपेक्षा नहीं रखता। लोक कल्याण की चेतना भावों की उदर सरीता में हिलोरे लेने लगती है। सौन्दर्य बाहरी आवरण की दुनिया को छोड़कर अन्तःकरण की दिव्य अनुभूति में उतर जाता है। स्थूत सूक्ष्म में समाहित होने लगता है तथा लोक कल्याण की लोकातीतरसमयता विराटसत्ता का साक्षात्कार कराने लगती है। मंगलमय लोक कल्याण यात्रा का यही सोपान है, जहाँ पथिक अपने लिए नहीं लोक मंगल के लिए जीता है। जहाँ चिरायुता शील मंगल से युक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर दिव्य आगे बढ़ती रहती है। महानीषी की यह लोकयात्रा इनके वर्तमान अवतरण की दिव्य लीला तो है ही, पूर्वजन्म में भी यह यात्रा निर्बाधगति से सम्पत्र हुई होगी और यह वर्तमान यात्रा का शेष चिन्ह या अवचेतन में छिपे संस्कार का मूर्तमान रूप है।

"तच्चेसा स्मरति नूनमबोधपूर्व ।
भावास्थिरणि जनन्तार सौहृदानि।"

पूज्यवर की लोकयात्रा ब्रह्मा प्रचार या दिखाने का आडम्बर नहीं है, वह पर दुःख कातरता के आन्तरिक सौन्दर्य का वाहक है। वह यात्रा किसी विशेषण की अपेक्षा नहीं रखती, वरन् कैवल्यता का संवाहक बन जाती है। यह यात्रा अन्धकार के वातावरण में सत्य के प्रकाश को खोज की यात्रा है। यह एक ऐसे धर्म सम्राट की लोकयात्रा की सुमधुर कथा है, जिन्हें अपने वैयक्तिक सुख–सौन्दर्य के साधन को दूसरों के लिए छोड़कर स्वंय अकिंचन बनना स्वीकार है। यह जीवत्व की शिवत्व बनने की कहानी

है। यह एक ऐसे मनीषी की लोकमंगल यात्रा है, जिन्होंने सांसारिक आध्यात्मिक "हद, बेहद तथा हद एवं बेहद" की सीमा पार कर जागतिक सौन्दर्यानुभूति को आध्यात्मिक सौन्दर्यानुभूति से जोड़ दिया है। यही सर्वमगंल में अपने मगंल को देखने की फकीरी है।

इन महामनीषी ने अपने लोकमंगल यात्रा की अथक कड़ी में मानव जीवन की विविधाता के समुद्र का मंथन कर अमृतमयी कृपा का प्रसाद लोक में बांट दिया तथा लोक को अमंगल से बचाने के लिए स्वयं कष्ट, पीड़ा,व्यथा, आभव तथा संत्रास का विषपान कर लिया। ऐसे ही महामनीषियों के लिए यह कहा गया है कि,

"सिर्फ अमृत की आशा लिए ही लिए हमने सारा जन्म सिन्धु मंथन किया।
जो किनारे थे वो वारूणी पा गये, हमको विष मिल गया, आचमन के लिए ।।"

मानव जीवन की विलोमधर्मी परिस्थितियों के बिच मंगल सम्बन्ध एवं मगंल कामना की नियामक यह लोकयात्रा शिवत्व अर्थात लोककल्याण का सेतु उपस्थापित करती है। परम पूज्य इसी आत्मबोध के सेतु पर अवस्थित होकर संकट की घड़ी में भी मंगल भविष्य की सम्भावना देखते हैं। पतझड़ में भी वासन्ती किसलय से ओत–प्रोत रहते हैं। व्यक्त में अव्यक्त की अनुभूति करते हैं। इसी को वृहारण्यकोपनिषद् में "एष सेतूर्विर्धरणाः कहा गया है, जहाँ आकार अत्मबोध चेतना के विराट आयाम को उकेर देता है, ह्रदय का बन्द कपाट खुल जाता है, मन विशालता का अवलम्बन ग्रहण करता है, तथा व्यष्टि में समष्टि के भाव का स्पन्दन सिहरने लगता है। इसी को उपनिषद् में विस्तार से समझाया गया है।

अतः जब हम भाव विह्वल होकर महामनीषी के लोकोत्तर व्यक्तित्व का सामीप्य ग्रहण करते हैं। तब वह उनके अशेष आशीष की वर्षा, उस सानिद्धय की अनुभूति, उनके लोक कल्याण के पथ पर अडिग बने रहने का शिव संकल्प तथा लोकमंगल की सतत कामना एक अद्भुत मंगलबोध की अनुभूति कराता है। शिवत्व की आधार शिला लोक कल्याण है, सभी कल्याण के भाव का आत्मीकरण तथा सबकी मंगल कामना की भावोद्रेकता ही शिवता या कल्याण का मूर्तमान रूप हैं। महामनीषी की लोक मंगलयात्रा का उद्देश्य सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार के घुले हुए विष को पचाकर उस पर विजय पाकर अमृतमय कर देना है। सत् पक्ष के अमृत को सुलभ कराना तथा असत् पक्ष के विष को दूर करना ही शिवत्व है और इसीलिए "गुरूशंकररूपिणम् कहा गया है। परम पूज्यवर भौतिकता को आध्यात्मिकता से जोड़कर सामाजिक कल्याण का पथ संचालित करते हैं। उनकी लोकमंगल यात्रा भौतिकता तथा पाश्चात्यवर्तनी जीवन शैली को शुद्ध उदात्त तथा मंगलोन्मुख कर रही है। आध्यात्मिकता को नया आयाम मिला है। वह आयाम है आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को अपनाने की ललक, जिससे मानव परम भगवत होकर समस्त संसार को मंगल एवं कल्याण के पथ पर ले जाने

के प्रयास का मार्गी हो सकता हैं। पूज्यवर अविद्या अर्थात् आत्यात्मिकता के समन्वयक हैं और ईशावस्योपनिषद् के इस मंत्र के मंगलमय मूर्तरूप है। जो विद्या–अविद्या दोनेां को एक साथ समझता है, आचरण करता है, वह अविद्या से मृत्यु का तरण कर विद्या से अमृत की प्राप्ति करता है।

"विद्यां चाविद्या च यस्तद् वेदो भयं सह ।[1]

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते।।

अतः यह लोक यात्रा विद्या–अविद्या का संयोग कराकर ससीम को असीम की ओर उन्मुख करने का सहज योग है, उधर प्रवेश करने का सुगम सोपान हैं। अमंगल में मंगल देखना, भौतिकता में आध्यात्मिकता का पुट देना ही इस लोक मंगलयात्रा का मंगलाचरण है। यह यात्रा सौमनस्य सामंजस्य तथा सद्भाव की संवहिका है। परस्पर विरोधी द्वन्द्वों एवं विषमताओं में समभाव ला देनी ही सच्चे योगी का लक्षण है। यही गीता का "समोभूत्वा समत्व योग उच्चते।"[2] अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखने वाला ही योगस्थ कहलाता है। इसीलिए पूज्यवर की कृपा दृष्टि, दीनहीन, दलित, निर्धन, धनवान, तपस्वी गृहस्थ सब पर समान रूप से पड़ती है। और सभी उसे प्राप्त कर कृत्कृत्य होते हैं। मानव कल्याण पथ के महापथिक इस संसार को एक रंगमंच के रूप में देखते है। जहॉ प्रत्येक अवतारी पुरूष को अपनी विशिष्ट भूमिका निभानी पड़ती है और पूज्यवर की भूमिका लोक कल्याणपरक की भूमिका है।

मर्यादा पुरुषोत्तम की मंगलयात्रा में समरसता, नारीउद्धार, छुआछुत तिरस्कृतों को अपनाना एवं सम्मानपूर्वक स्थापित करना। नगर एवं वन क्षेत्र के निवासियों के भेद को दूर करना साथ ही मंगलयात्रा में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने का संदेश समाज को प्राप्त होता है। वर्तमान समय में जब दक्षिण के राज्यों एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद बहुत चरम पर था तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मभूमि का आन्दोलन समूचे देश के राज्यों में एकता एवं अखण्डता का एक नया अध्याय लिखा।

[1] इशोपनिषद 11

[2] 2/48

जगद्गुरू शंकराचार्य धर्मक्रांति से कारागार तक, ब्रह्मचारी सुबुद्धानन्द।

राम का व्यक्तित्व पथ–प्रदर्शक है

डॉ गीता यादव[1]
डॉ लक्ष्मी नारायण[2]

इतिहास और राजनीति में रूचि तथा आलोचनात्मक दृष्टि रखने वाले शोधार्थियों तथा विद्वानों को चाहिए कि वे राम और रामकथा का गहनता से अध्ययन करें – विशेषतः वर्तमान युग की राजनीति के संदर्भ में। राम की राजनीति और कूटनीति का अध्ययन करते हुए वर्तमानकालीन परिस्थितियों में उसका पुनर्पाठ करें और उसकी कितनी प्रासंगिकता है – इसे देखें और उससे सीखने का प्रयास करें। यह कितने आश्चर्य की बात है कि श्रेष्ठ राजा और राज–प्रणाली का वर्णन करते हुए हम बड़ी सहजता से सम्राट अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर इत्यादि राजाओं का वर्णन कर डालते हैं पर राजा राम और राम–राज्य की बात आते ही खतरनाक तरीके से साम्प्रदायिकता और असहिष्णुता के शिकार हो जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमानकालीन विश्व की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमें राम और राम–राज्य की शरण में जाना ही होगा।

हम सब जानते हैं और बड़े दुख की बात है कि आज देश और समाज की सबसे भ्रष्ट बेईमान संस्थाओं में एक मानी जाती है – राजनीति। इस पर बार–बार चिंता भी प्रकट की जाती है, क्योंकि राजनीति के बिना गुजारा भी तो नही है। दरअसल राजनीति के हमारे मानक 1000 वर्षो की उस राजनीति के आधार पर निर्धारित हुए हैं, जब भारत निरंतर पराधीन रहा। स्वाभाविक है कि विदेशी शासकों ने इस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम की जो सत्ता वर्ग की सुख सुविधाओं के अनुसार थी। वह राजनीति सुख भोगने के लिए बनी थी, सुख देने के लिए नही। सैद्धांतिक रूप से राजा और सरकार का पहला कर्त्तव्य लोकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आधुनिक राजनीति शास्त्र के अनुसार लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्थाएँ इसी प्रकार की हैं जिनके केन्द्र में लोक औंर समाज हैं। इनकी तुलना में राजशाही और राजतंत्र को हेय माना गया है, क्योंकि ऐसा मान लिया गया है कि राजतंत्र में राजा निरंकुश होता था, सत्ता का एक ही केंद्र था, लोकमत का महत्व नहीं था, वंशवाद था, राज्य में कुछ ही लोग सुखी थे और कुछ लोगों का हित सधता था। पर प्रश्न यह उठता है कि इनमें से ऐसी कौन सी बुराई है जो वर्तमान की लोकतांत्रिक या समाजवादी कही जाने वाली व्यवस्था में नहीं है। कौन सा ऐसा नेता है जो पार्टी के अंदर या बाहर अपना विरोध सहता है, जो अपनी आलोचना सुनता है, जो लोकमत को महत्व देता है और अपने विरोधियों को व्यवस्थित ढंग से ठिकाने नहीं लगाता है। पर राम की राजनीति के केन्द्र में त्याग, तपस्या और लोक कल्याण है। राम का जन्म ही

[1] ऐसिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, कोसली
[2] ऐसोसियेट प्रोफेसर, गणित विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज, दिल्ली

इसीलिए हुआ है – लोक कल्याण और सुराज की स्थापना हेतु। यह सुराज असामाजिक तत्वों, आतंकवादियों और अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने वालों को नष्ट किए बिना नहीं स्थापित हो सकता।

अगर हम देखें कि विश्व आज किन समस्याओं से सबसे अधिक जूझ रहा है तो उनमें प्रमुख है– आतंकवाद, भूख, गरीबी और पर्यावरण असंतुलन। जो शासक अथवा जो सरकार अपनी प्रजा को इन सब समस्याओं से मुक्त कराने में सक्षम नही है, परिणामस्वरूप जिसकी प्रजा दुखी है, राम कहते हैं कि वह राजा नरक का अधिकारी है। आधुनिक राजनीति शास्त्र सरकार और लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ तो बताता है पर अपना कर्त्तव्य पालन न करने वाली सरकारों के साथ क्या सलूक हो, इस विषय में इतना ही कहता है कि 'अगले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाए।' किसी तरह की ताड़ना, प्रताड़ना वहाँ नहीं है। परंतु रामचरितमानस में वनवास प्रसंग में जब लक्ष्मण राम के साथ चलने की प्रार्थना करते हैं तो राम उन्हे कहते हैं कि हे भाई तुम अयोध्या में रहो और सबको संतोष देते रहो। नहीं तो बडा दोष होगा क्योंकि

'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी।'

क्या आज का कोई नेता इस तरह की बात कह सकता है ? इसी प्रकार राम मुनि वाल्मीकि से अपने रहने योग्य स्थान के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, मुझे वह स्थान बताइए, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जल जाते हैं –

'मुनि तापस जिन्ह तें दुख लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं।।'

कर्त्तव्यहीन राजा के लिए इससे बढकर तिरस्कार, धिक्कार और ताड़ना कोई नहीं है। राजा का पहला कर्तव्य है–अपनी प्रजा को हर तरह से सुख देना, उन सभी कर्तव्यों का पालन करना जिनका वर्णन धर्मशास्त्रों और संविधान में है।

राम के जन्म का कारण ही असुरों का अर्थात आतंकवादियों, उग्रवादियों और असामाजिक तत्वों का नाश कर धरती को भय से मुक्त करना है। यह स्वंय राम की घोषणा है कि–

'हरिहउँ सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई।।'

इस घोषणा में विशेष बात है – देव समाज अर्थात साधु–संतों, सज्जनों को निर्भय होने का आश्वासन। राम के राज्य में आसुरी, राक्षसी और असामाजिक शक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए तुलसीदास जी लिखतें हैं–

'असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु।
जग बिस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु।।'

जो राजा देश के अंदर और बाहर के शत्रुओं से अपनें देश और देशवासियों की रक्षा नहीं कर सकता, वह राजा नरक का अधिकारी है। राम ने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार 'विप्र धेनु सुर संत हित' लिया है। और इस सद्समाज की स्थापना के लिए वे साम–दाम–दण्ड–भेद चारों नीतियों से काम लेते हैं। बालि द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर कि 'हे गोसाईं! आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह (छिपकर) मारा?' राम जो उत्तर देते हैं– वह आज के नेताओं, न्यायाधीशों और सरकारों के लिए एक सीख है। राम कहते हैं–

'अनुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ऐ चारी।।
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई।।'

अर्थात छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या –ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। स्पष्ट है यदि किसी राजा की ऐसी नीति होगी तो उसके राज्य में बलात्कार और स्त्री सम्बन्धी हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। परंतु हम देखते हैं कि बलात्कार और हिंसा रोक पाने में असफल हमारे नेतागण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इसके लिए नारी को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं– ऐसे नेता, ऐसे राजा निश्चित ही नरक के अधिकारी हैं। उन्हे यह सोचना होगा कि बलात्कारियों को मृत्युदण्ड देने में पाप नहीं लगता।

राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण, गऊ, बालक और स्त्री की हत्या की बात तो दूर उन पर हाथ उठाना भी अमर्यादित आचरण माना गया है पर प्रश्न जब राजा के कर्त्तव्य का हो, तो ये भी करना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र ताटका–वध के संदर्भ में राम से कहते हैं – 'प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरतारहित, पातकयुक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिये। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिये। एक राजपुत्र को

चारों वर्णों के हित के लिये स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिये। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है, उनका तो यह सनातन धर्म है।'

राजा का कर्त्तव्य है –प्रजा हित में सर्वस्य त्याग कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राम अपने जीवन के प्रारंभ में ही राक्षसों का नाश करने के लिए अपना घर–परिवार, राजमहल, मात–पिता सभी को छोड कर गुरु विश्वामित्र के साथ वन में चले जाते हैं। विश्वामित्र जी राम के इस त्याग–भाव को देखकर सोचते हैं–

'प्रभु ब्रह्मन्यदेव मैं जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना।।'

ब्राह्मणसमाज अर्थात सद्समाज की रक्षा के लिए राम ने पहले अपने पिता को त्यागा, फिर राज्य को त्यागा और अंत में अपनी स्त्री को भी त्याग दिया। राम का जन्म ही इसीलिए हुआ कि वह प्रजा में किसी भी प्रकार के एकाधिकार और विशेषाधिकार की प्रवृति को खत्म कर संतुलन कायम कर सके। वर्तमान की राजनीति के केन्द्र में वी.आई.पी. संस्कृति है। वातानुकूलित बँगलो में रहकर, वातानुकूलित कारों में घूमकर, वातानुकूलित कार्यालय में काम करके न तो समस्याओं से मुक्ति संभव है और न ही प्रजा को सुख दिया जा सकता है। राम की राजनीति इस बात का प्रमाण है कि 'मुक्ति अकेले में नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। राम जमीन से जुडे राजनेता हैं। समाज के हर वर्ग का उनको ध्यान भी है और वे समाज के विकास में उनका योगदान भी समझते हैं। तथाकथित आदिवासी तो राम के समय में भी थे, पर वे राजा के विरूद्ध तलवार ताने नहीं खडे थे बल्कि राजा के संघर्ष में सहयोगी थे। राम भील, किरात, वानर जैसे सभी आदिवासियों को साथ लेकर चलते हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करते हुए अपनी सेना में रखते हैं। राम अपने सैनिकों के सुख–दुख में निजी रूप में शामिल हैं। अपने लिए लड़ने वाले एक–एक सैनिक का कुशल–मंगल भी पूछते हैं और अपने लिए मर मिटने की भावना रखने वाले सैनिकों का मनोबल भी बढाते हैं।

अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछि नाहीं।।

राम आत्ममुग्ध नहीं हैं, अहंकारी नहीं हैं। अपने बल को जानते हुए भी सबको महत्व देना और सबको साथ लेकर चलना उन्हे आता है। रावण विजय के बाद भालुओं और वानरों से वे कहते हैं –

'तुम्हरें बल मैं रावनु मारयो।।'

यह राम की राजनीति है, जिसके केन्द्र में तो राम हैं पर कोई भी अन्य राजा, अन्य सहयोगी, यहाँ तक कि सामान्य जन भी अपने आपको छला हुआ महसूस नही करता। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम भरत को राजधर्म समझातें हुए कहते हैं कि –

'मुखिया मुख सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक। पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित विवेक।।
राजधरम सरबस, एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई।।'

राजधर्म का सर्वस्य (सार) इतना ही है कि राजा विवेक सहित समाज के सब अंगों का पालन–पोषण करे। राजा सब प्रकार के पूर्वाग्रहों और पक्षपात रहित होकर किसी एक जाति, धर्म, सम्प्रदाय का नहीं अपितु सबका हित करने वाला हो। जो राजा इस राजधर्म का पालन नहीं करता वह राजा नरक का अधिकारी है। राज्य और राजा का जन्म हुआ ही इसलिए है कि राजा सबको साथ लेकर चले और सबका विकास करे। राज्य का विकास और नागरिकों की सुख–समृद्वि बिना स्थाई शासन और शांति स्थापना के संभव नहीं है। क्षेत्र चाहे व्यापार का हो, शिक्षा का या स्वास्थ्य का – देश यदि गृह–युद्व, आतंकवाद या सीमा पर तनाव जैसी स्थिति से गुजर रहा हो तो इनमें सुधार लाना और विकास करना एक चुनौती हो जाता है। इसलिए राजा या सरकारों का प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है– अपने नागरिकों के लिए देश में ऐसा वातावरण तैयार करना तथा ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें सभी नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके।

आज जबकि यह मान लिया गया है कि आदर्श और नैतिकता की बडी–बड़ी बातें सत्ता पाने का साधन तो हो सकते हैं, साध्य नहीं । ऐसे में राम के राजा रूप को आदर्श मानकर चलने में जो कष्ट और परेशानियां हैं तथा कर्मठता, पुरूषार्थ, त्याग और सहनशीलता जैसे जिन उदात्त मूल्यों की आवश्यकता है उन्हें देखते हुए संभवतः कालान्तर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान बना दिया गया। कितनी सहूलियत है राम को एक काल्पनिक पात्र बताने में और कितनी निश्चिंतता है राम को भगवान मान लेने में। जहाँ सिर झुकाने से काम चल रहा हो, वहाँ हाथ हिलाने की जरूरत क्या है? पर देखने की बात यह है कि राम भले ही परब्रह्म हैं पर धरती पर वे मनुष्य रूप में उपस्थित हैं और अपनी कर्मठता और पुरूषार्थ से धरती पर स्वर्ग लाए हैं।

एक तरफ राम है– प्रजा के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग करनें में तत्पर। दूसरी ओर रावण है–अपनी भोग–लिप्सा और राज्य–लिप्सा के लिए अपनी प्रजा के जीवन और सुखों को दाँव पर लगाने के लिए तैयार, नीति की बात करने वाले हर व्यक्ति को देशनिकाला और मृत्युदण्ड देने को तैयार, यहाँ तक कि अपने भाइयों और पुत्रों की बलि चढानें को तैयार। लंका का विनाश सिर्फ इसलिए

ही नहीं हुआ था क्योकि रावण ने सीता का हरण कर लिया था और परिणामस्वरूप राम ने अपनी सेना सहित लंका पर चढाई कर दी और रावण का वध कर दिया। लंका और लंकाधिपति रावण का विनाश तो होना ही था क्योंकि राजा रावण के राज्य में सुराज नहीं था, नीति नहीं थी। रावण के राज्य में संसार में भ्रष्ट आचरण फैल गया था। तुलसीदास जी लिखते हैं–

'अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनहि नहि काना।
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना।।'

रावण–राज्य में हिंसा करने वाले, पराये धन और परायी स्त्री पर मन चलाने वाले, दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। यहाँ तक कि लोग अपने माता–पिता को भी नही मानते थे। इसलिए रामचरितमानस में शिवजी पार्वती से कहते हैं कि– जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना।

'जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी।।'

आजकल की भाषा में कहें तो ऐसा राज्य अपने ही अन्तर्विरोधों, कुनीतियों और भ्रष्टाचारी व्यवस्था के चलते देर–सवेर नष्ट हो जाना था, उसे किसी बाहरी आक्रमण की आवश्यकता नहीं थी। परंतु आग में घी का काम किया सीता हरण ने। रावण का शासन कैसा था, उसका आचरण कैसा था, स्वयं उसकी बहन शूर्पणखा क्रोधित होकर उससे कहती हैं कि –तूने देश और खजाने की सुध भुला दी है। तू शराब पी कर दिन–रात पडा रहता है।

'बोली बचनक्रोध करि भारि। देस कोस कै सुरति बिसारी।।
करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहिं तव सिर पर आराती।।'

शूर्पणरखा रावण को चेता रही है कि तूझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खडा है। कैसा राजा है तू? ऐसा राजा निश्चित ही नरक का अधिकारी है और ऐसा राजा और उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शूर्पणखा कहती है कि–'ऐसी नीति मैने सुनी है कि नीति के बिना राज्य और बुरी सलाह से राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।' रावण नरक का अधिकारी है, क्योंकि उसने अपने जीते जी,

अपनी आँखों के सामने अपनों को व अपनी संतानों को मरते देखा। तुलसीदास जी लिखते हैं– रावण ने जैसे ही मेघनाथ वध का समाचार सुना, वह मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़ा।

'सुत बध सुना दसानन जबहीं। मुरूछित भयउ परेउ महि तबहीं।।'

यही अतंर है नीतिवान और नीतिविहीन राजा में। राम राज्य में जहाँ किसी मनुष्य को अल्पमृत्यु की पीड़ा नहीं सताती वहीं रावण–राज्य में स्वयं राजा अपनी आँखों के सामनें अपनी संतानों, नाती–पोतों को मरते देखता है। इससे बडा श्राप क्या होगा कि कबीरदास एक स्थान पर लिखते हैं– इक लख पूत सवा लख नाती उस रावण घर दीया न बाती। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि मंदोदरी रावण से कहती है –

'राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा।।'

ऐसा नहीं है कि रावण को धर्म और नीति का ज्ञान नहीं था, पर सत्य यह है कि सत्ता और शक्ति व्यक्ति को उसके पथ से विचलित कर देती है। इसलिए तो राम भरत को जो संदेश भिजवाते हैं वह इस मायने में महत्वपूर्ण है–

'कहब सँदेसु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ।।'

अर्थात राजपद प्राप्त करके नीति को न त्याग देना। इस सच्चाई को जानते तो रावण और शूपर्णखा भी हैं पर समस्या तो क्रियान्वयन की है, जो राजा इसे क्रियान्वित कर देता है उसके शासन में धरती कामधेनु बन जाती है। यही स्थिति राम–राज्य की है।

राम की राजनीति का सर्वोत्तम रूप है–'राम–राज्य'। राम–राज्य आज भी हर भारतवासी का सपना है जो राम के समय की सच्चाई थी। वह राम–राज्य जो आज भी एक चुनौती और प्रेरणा है– कर्मठ और पुरूषार्थी राजनेताओं के लिए और व्यंग्य है – नकारा राजनेताओं पर। यह राम की लोककल्याणकारी राजनीति का ही परिणाम था, कि –

'दैहिक, दैविक भौतिक तापा। राम राजु नहिं काहुहि व्यापा ।।'

आज की किसी भी सरकार के लिए क्या ऐसा कहा जा सकता है ? राम–राज्य में अल्पमृत्यु की पीड़ा से कोई व्यथित नहीं होता अर्थात सभी लोग अपनी आयु पूरी होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परन्तु वर्तमान में कौन–सा ऐसा परिवार है जिसने अपने किसी सदस्य की अल्पायु में हुई मृत्यु को न भोगा हो। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पीड़ा और कष्ट का कारण होता है – उसकी आँखों के सामने उसकी संतान की मृत्यु। चाहे वह किसी भी कारण से हो – बीमारी, दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से। तुलसीदास जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं–

'अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ।।
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ।।'

वाल्मीकि जी भी राम के शासन काल का वर्णन करते हुए कहते हैं – 'श्रीराम के राज्य–शासनकाल में कभी विधवाओं का विलाप नही सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जन्तुओं का भय नही था और रोगों की भी आशंका नही थी। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नही डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि–संस्कार नही करने पड़ते थे।'

राम राज्य में यह आदर्श स्थिति केवल मानव समाज तक ही सीमित नही है वह मानवेत्तर जगत में भी व्याप्त है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व का कोई भी देश ऐसा दावा नहीं कर सकता जैसा राम–राज्य करता है। आज विश्व राजनीति के मूल में पर्यावरण चिंतन है। बैठकों और सेमिनारों का दौर जारी है – ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करने के लिए। पर आज की राजनीति की सच्चाई यह है कि पर्यावरण संतुलन को लेकर कारगर नीति नहीं है और जो नीति है उसका क्रियान्वन नही है। सच्चाई यह है कि वन सिकुडते जा रहे हैं, खेती योग्य धरती कम होती जा रही है, नदियाँ गंदे पानी का नाला बन चुकी हैं, समुद्र में चक्रवात और सुनामी उठते रहते हैं, सूर्य आवश्यकता से ज्यादा तपता है और मेघ जरूरत से कम या आवश्यकता से ज्यादा बरसते हैं। कुछ बातों के अर्थ अनुभव के साथ समझ में आते हैं। तुलसीदास राम–राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं– 'वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है ×× सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और स्वादिष्ट जल से भरी रहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। राम–राज्य में सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ माँगने से (जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही) जल देते हैं।' इन सब बातों का संबंध पर्यावरण संतुलन से है और राम की उस राजनीति से है जिसमें मानव और मानवेत्तर जगत के बीच संतुलन स्थापित किया गया था।

इतना होने पर भी राम के राजा रूप और उनकी राज्य–प्रणाली को ऐतिहासिक दृष्टि से न देखकर, उसे उपेक्षित कर देना कहाँ तक उचित है? व्यक्तिगत जीवन में आदर्श का पालन करना फिर भी सरल होता है पर सार्वजनिक जीवन में आदर्श और मर्यादाओं का पालन कर मर्यादा पुरषोत्तम बनना बड़ा कठिन काम है। राम की सबसे बड़ी विशेषता सार्वजनिक जीवन में उच्चादर्शों का पालन करना है। सामान्यतः रामलीला राम के राज्यभिषेक के साथ समाप्त हो जाती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक रामलीला, एक रामायण वहाँ से शुरु हो जहाँ राम राजा बन गए थे, क्योंकि राम का आदर्श राजा रूप ही वर्तमान राजनीति और सरकारों के लिए पथ–प्रदर्शक का काम करेगा।

संदर्भ ग्रंथ –

1. तुलसीदासविरचित – रामचरितमानस
2. महर्षि वाल्मीकिप्रणीत – श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण

रामकथा और रामः नए संदर्भ नए प्रश्न

डॉ॰ (श्रीमती) विनोद कालरा[1]

आधुनिक काल और उसके साथ आते अकादमिक किस्म के सांस्कृतिक वातावरण से पहले तक हमारी जनसंस्कृति के निर्माण में कथावाचन की भूमिका बहुत स्पष्ट नज़र आती है और उसके बाद उत्तर आधुनिक युग में दृश्य–श्रव्य माध्यमों के रूप में एक नया धरातल, एक नई ज़मीन का नया आधार पाकर कथावाचकों को एक नया बाज़ार मिल गया है, एक नया ग्लैमर और लोकप्रियता मिल गई है। पर सच्चाई यह है कि अपनी ज़मीन से उखड़ जाने के कारण कथावाचक के पास रचनाशीलता का, अन्तर्विकास की सृजन–भूमि का या यह कहा जाए कि आत्मा का ही अभाव दिखाई देता है। कथावाचन की यह परम्परा भारत के किसी न किसी कोने में अभी भी प्रचलित है, रामलीला अभी भी होती है पर आज उसके सामष्टिक लीला रूप का स्थान मंचीय नृत्य नाटक रूप लेता जा रहा है। पहले रामलीला में पूरे समाज का सक्रिय योग होता था। रामलीला खेली नहीं, जी जाती थी। किशोरों का राम लक्ष्मण चुने जाना गौरव की बात होती थी। भूमिका के अनुरूप चुने जाने से लेकर रावण–दहन तक वे सचमुच ही अवतार प्रतीत होते थे। वेद तत्व से आविष्ट लगते थे। उन्हें स्वयं भी गौरव का अनुभव होता था। सम्पूर्ण समाज उन्हें राम–लक्ष्मण मानता था और उनके पैर छू कर वह राम–लक्ष्मण का संस्पर्श पा जाता था। किन्तु आज रंगमंच पर जो खेल होता है, वह रामलीला होकर भी समाज से कटा होता है। उसके राम लक्ष्मण केवल अभिनेता होते हैं। वह लीला जी नहीं जाती केवल देखी जाती है। ज़मीन हमारी ही बंजर हुई है। बीजों के अंकुरित होने की सम्भावना तो नहीं है पर हमारी आकांक्षा बड़ी प्रबल है।

इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हमें पुनः प्रयास करना होगा, वाचन की परम्परा को मीमांसा की उस कालजयी ज़मीन पर ले जाकर फिर से खड़ा करना होगा जिसे हमने अपने यहाँ पुराणों के कथावाचन के समान्तर षड्दर्शनों के साथ विकास करते देखा है। इस सह संयोजन की हमें फिर से आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत हमें कथा के वाचन को पूर्ण पाठ में, कथा की प्राचीनता को नवीन संदर्भ में, अर्थमीमांसा को ज्ञान मीमांसा में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

अभी भी राम एक कथा के नायक के रूप में ही नहीं एक सभ्य समाज के सारतत्व की तरह हमारे अंग–संग चलते हुए विकास कर रहे हैं। वे ईश्वर भी हैं, ब्रह्म भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और अयोध्या के राजकुंवर भी, रावण जैसी शक्ति के हंता भी हैं। किसी के पति, किसी के भाई, किसी के

[1] अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,कन्या महाविद्यालय, जालन्धर

मित्र, किसी के सेवक, किसी के स्वामी, और किसी के पुत्र यानि ईश्वरीय रूप के साथ मानवीय रूप और मानवीय रिश्तेनाते में बंधी राम की छवि आज भी जन–जन के बीच समाई हुई है।

राम–कथा में केवल भक्ति और आध्यत्मिक मूल्यों को तलाशने वाले यह समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या कारण है जो राम कथा को हमारे ठोस परिवारिक और सामाजिक रिश्तों में हमारे नैतिक और यहाँ तक कि हमारे राजनीतिक मूल्यबोध में भी सांस्कृतिक परिदृश्य में– मूल धारा के रूप में रहने लायक बनाती है? इसलिए राम–कथा को गंगोत्री की तरह पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम उस समय के उस महान समाज–सांस्कृतिक संक्रमण को अच्छी तरह से समझ सकें, जो हमारी समकालीन आधुनिक समाज को स्पर्श करने वाली, हमारी वास्तविकता की ज़मीन के नीचे की नींव की तरह, अभी तक हमें आत्मिक अन्तर्गठन प्रदान कर रहा है।

श्री राम के संदर्भ में एक बात हैरानी में डाल देने वाली है कि सिर्फ भक्ति की अवधारणा का संबंध राम से क्यों और कैसे जुड़ा? विचार, विवेक और आचरणगत मर्यादा राम के व्यक्तित्व के केन्द्र में है। जो बड़ों के प्रति विनम्र एवं आदर भाव से भरे हैं। बराबर वालों के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, अपनों से छोटों से प्रति उनमें स्नेह भाव है। अब विचारणीय यह है कि भक्ति की केन्द्रीय भूमि तो भाव है, विचार नहीं, और राम का समस्त व्यवहार भावपूरित न होकर विचार एवं विवेक से भरा है। राम के लिए भाव भी मानो अतिविचारणीय वस्तु है, जिन्हें वे क्रम से देखते, विश्लेषित और मूल्यांकित करते, संतुलित अभिव्यक्ति करते दिखाई पड़ते हैं। तो फिर राम हमारे लिए विचार–विवेक का आधार बनने की अपेक्षा भक्ति का आश्रय कैसे हो जाते हैं?

इस संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है कि **'वाल्मीकि रामायण'** और तुलसी के **'रामचरितमानस'** में लगभग 1500 वर्षों का अन्तराल है। इस बीच राम भक्ति की अवधारणा बहुत कम विकास पाती है। तुलसी राम को एकदम अलग भावबोध का आश्रय बना लेते हैं। आधुनिक काल तक आते–आते भक्ति वाले भावबोध के स्थान पर राम अपनी नयी संघर्षशीलता, कर्मशीलता और तेजस्विता के सत्य एक नए रूप की ओर बढ़ते दिखाई देने लगते हैं।

यहाँ जो प्रश्न उठाया जा रहा है, उसका सम्बन्ध इस बात से नहीं कि राम को कब या किसी रूप से अवतार माना जाने लगा। वे एक महामानव हों या अवतार हों इससे भक्ति के सम्बन्ध स्वरूप को निर्धारित करने में कोई खास मदद नहीं मिलती। राम को भक्ति के साथ जोड़ देने से समाज या अध्यात्म के संदर्भ में राम की मौलिक देन को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पंतजलि को योग के कारण, बुद्ध को ध्यान के कारण और कृष्ण को प्रेम और भक्ति के कारण ओशो ने अध्यात्म की मौलिक महात्रयी के रूप में रेखांकित किया।

राम विचार की तीव्रता और सूक्ष्मता के माध्यम से अध्यात्म में प्रवेश पाते हैं। अध्यात्म में इस प्रकार से आना वास्तव में मौलिक रूप में आगे बढना था परन्तु इस महत्व को आगे चलकर शायद इसलिए पहचाना नहीं जा सका क्योंकि उसी समय भारत में विकसित हो रही कुछ अध्यात्म की धाराओं में निर्विचार को महत्व मिला और विचार को मन का विकार मान लिया गया। पर राम जब अपने भीतर स्वयं ही सूक्ष्म विचार–विवेक को उपलब्ध हो जाते हैं तो वशिष्ठ उन्हें ऋत विचार यानि सत विचार की ओर ले जाकर भौतिक अस्तित्व के रहस्यों से परिचित करवाते हैं। राम विचारवक्ता को उपलब्ध होने वाले अवतार हैं, विचार और विवेक के अवतार हैं। असल में राम की मौलिक देन को पहचान कर उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में पुनः उपलब्ध कराने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी वर्तमान वैज्ञानिक चेतना के भारतीय सार तत्व को खोजने के योग्य हो जाएं।

एक ओर राम विचार शक्ति के प्रतीक हैं तो दूसरी ओर वे भारत की आत्मा का पर्याय हो जाने वाले प्रतीक पुरुष भी हैं। वे भारतीय अस्मिता, भारतीय चेतना, सांस्कृतिक अखण्डता के प्रतीक बन जाते हैं। उनके ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में गंगा की भूमिका गहरी हो जाती है। राम कथा में गंगा तट का उल्लेख बार–बार आता है। उनकी किशोरावस्था से लेकर वनवास प्रस्थान तक गंगा उपस्थित होती है। यहां राम को गंगा के सार तत्त्व के साथ जोडने का प्रयास है। विश्वामित्र राम से उनके पूर्वजों द्वारा धरती पर लाई गई गंगा में स्नान करने का आग्रह करते हैं। यह स्नान साधारण नहीं राम का अपनी विरासत धारा में और गंगा के प्रासंगिक अर्थविधान में भी स्नान है। इस रूप में गंगा राम के साथ एकाकार हो जाती है और एक समन्वयात्मक धारा बन जाती है जो विस्तार पाते हुए सम्पूर्ण भारत की धरती को ढक लेती है। इस प्रकार गंगा और राम के रिश्ते के माध्यम से हम उन अर्थों को समझते हैं जिनमें भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक होने के संकेत मिलते हैं। इस रूप में गंगा भारत के भू–भाग का भी एक समग्र और अखण्ड नक्शा बना देती है और भारत की एक सम्पूर्ण भौगोलिक देह का आकार गढ़ती है।

साकेत में भी मैथिलीशरण गुप्त ने राष्ट्रीयता के सत्संकल्प को निभाया है। वन की ओर प्रस्थान करते हुए श्री राम मातृभूमि को जो प्रणति अर्पित करते हैं वहां राष्ट्रीयता का ही आग्रह है– 'जन्म भूमि का भाव न अब भीतर रुका।' कवि राम द्वारा राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करके उसके महात्म्य का संकेत करता है – 'जन्म भूमि ले प्रणति और प्रस्थान दे।'

वाल्मीकि कृत आदि रामायण, तुलसी कृत रामचरितमानस और मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत में यदि जीवन दर्शन की सामान्य पृष्ठभूमि को देखें तो पता चलता है कि तीनों ग्रंथों में राम के प्रति दृष्टि अलग–अलग है। वाल्मीकि रामायण में जहाँ प्रणेता की दृष्टि लौकिक है, वहीं मानस में तुलसी ने आध्यात्मिकता का संस्पर्श किया है और साकेत वाल्मीकि की लौकिकता और तुलसी की आध्यात्मिकता

का अद्‌भुत सामंजस्य है। इन तीनों में समानता यह है कि उनका जीवन दर्शन मूल्यों के अधीन है और अंतर यह है कि तुलसी का दर्शन भक्ति के आचरण में, वाल्मीकि का दर्शन आदर्श महापुरुष के प्रति श्रद्धा में और साकेत का दर्शन बौद्धिकता में लिपटा है। वाल्मीकि के राम मानव जीवन की श्रेष्ठता का चरम आदर्श हैं, जो उन्हें असाधारण की सीमा तक ले जाता है वहां से आध्यात्मिकता की सीमा प्रारम्भ होती है। तुलसी के राम अलौकिक सत्ता के अवतार हैं। मानस यद्यपि स्वान्तः सुखाय है पर उसमें युगीन जीवन मूल्य भी जीवंत है। उसमें तत्कालीन विघटित होते हुए नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के मध्य भटकते जन–मानस का रूप प्रत्यक्ष हो उठा है।

तुलसी की जीवन दृष्टि में समाज के सभी व्यक्ति संत हो सकते हैं। उनका संतत्व कर्म से सम्बन्धित है। समाज से हटकर संत हो पाना संभव नहीं, क्योंकि सामाजिक धर्म ही संतत्व की कसौटी है। मानस में राम के तीन रूप परिलक्षित होते हैं। ब्रह्म रूप, आदर्श मानव रूप और स्वाभाविक नर रूप। भक्त और चिंतक रूप में तुलसी ने राम में ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा की है। उनके मानववादी रूप ने राम को आदर्श के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया है और उनके भावुक और कलाकार हृदय ने विवश होकर कलात्मक, मनोवैज्ञानिक और सौंदर्य में भावुक उत्कृष्टता और स्वभाविकता लाने के लिए राम को सामान्य मानव के रूप में भी विचत्रित किया है।

रामायण, मानस जैसी कालजयी कृतियों में राम नायक के रूप में आदर्श है। नायक होने की कसौटी उनके सामाजिक व्यवहार में रहती है। अरस्तू नायक के लिए सामान्य से बेहतर व्यवहार की अनिवार्यता मानता है। आचार्य विश्वनाथ उसके इस बेहतर व्यवहार को एक स्पष्ट मूल्य में बांध देते हैं **'उसे धीर होना चाहिए।'** धीरत्व के बिना कोई नायक नहीं हो सकता और राम संबंधी कालजयी साहित्य में राम के सामाजिक व्यवहार में दिखाई देने वाला धीर भाव मूलतः भावों की अभिव्यक्ति की कसौटी बनता है। इसका अर्थ यह है कि हम इन रचनाओं के माध्यम से एक ऐसे संसार के समक्ष खड़े होते हैं जिसके व्यक्ति का आन्तरिक भाव संघटन और समाज की आवश्यकताएं एक धीर भाव की उपस्थिति के अभाव में एक दूसरे के विरोध में जा सकती है। राम अपने धीर स्वभाव, विवेक और प्रेम जैसे गुणों के कारण ही जननायक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

पुनर्नवा राम कथा में हमें सत्ता विमर्श भी दिखाई देता है। विश्व को यदि हम ठीक तरह से परिभाषित करना चाहें तो हम इसे तीन दुनियाओं का समुच्चय कह सकते हैं। एक दुनिया दैवीय है दूसरी राक्षसी और तीसरी मानवी। विश्व पर प्रभुत्व का श्रेय पहली दो दुनियाओं को, पहली दो दृष्टियों और दो संस्कृतियों को ही मिलता रहा है। देवों को अगर हम प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक की मानें तो भी एक गहरी अन्तर्ध्वनि निकलती है– यहां हम दो आदिम संस्कृतियों का उल्लेख पाते हैं – एक देव

संस्कृति है जो प्राकृतिक शक्तियों की अनुकूलता में विकास करना चाहती है। उसका दृष्टिकोण सामूहिकता, समन्वय और मानवीय संवेदनाओं से ओत–प्रोत है।

इससे सम्बन्धित अनेक मिथक प्रचलित हैं कि जब ब्रह्म के महाभोज में आमंत्रित देवों और असुरों की बाहों में इस प्रकार के चम्मच बांध दिए जाते हैं जिससे वे अपनी कोहनियां नहीं मोड़ पाते। इस अवसर पर असुर अपना भोजन गिरा देते हैं और देव आमने–सामने आसन पर बैठ कर एक दूसरे को भोजन करा देते हैं। इसी प्रकार एक और कथा आती है जब इन्द्र असुरों से पराजित होकर अपना रथ लेकर भागता है और एक अत्यन्त संकीर्ण रास्ते में सामने एक घोंसला आ जाता है। इन्द्र उस घोंसले को बचाने के लिए, अपने प्राणों की परवाह किए बिना रथ मोड़ कर लौट जाता है। उसकी यही करुणा, यही संवेदना उसकी विजय का कारण बनती है। इस प्रकार देव संस्कृति और असुर संस्कृति एक दूसरे के विरोध में दो तरह की मूल्य दृष्टियों के रूप में हमारे सामने आती है। राक्षसी संस्कृति आसुरी संस्कृति की वारिस हो जाती है। दैवी और आसुरी प्रभुत्व के बाद तीसरी दुनिया सामने आती है। वह है मानवी दुनिया जो सदा संकट ग्रस्त और संघर्षशील बनी रहती है। वह एक ऐसी दुनिया है जिसे दैवी और आसुरी दोनो संस्कृतियों से निपटना है। देवों के प्रभुत्व के थाल में वह देवों के विलासी स्वभाव का ऋण चुकाया करती है और आसुरी प्रभुत्व के युग में सीधे शोषित प्रताड़ित हो अपनी दीनता–हीनता से उबरने का उपाय सोचती है।

यह सच है कि संसार के सांस्कृतिक विकास का अर्थ सदा ही मानवीय संदर्भों के माध्यम से ही खुलता है। यह वह अंतर्दृष्टि है जो हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी से आलोक मिलता है कि दैव होना या दैवी अस्तित्व रखना आत्यन्तिक रूप में बंधन ही है और आसुरी पद्धति मुक्ति का विलोम। सही अर्थों में उत्कर्ष की कसौटी और चेतना का विकास मनुष्य होकर, मानवीय संवेदना से युक्त होकर ही किया जा सकता है। कोई कितना भी बड़ा देव हो, दैवीय गुण उसके लिए लोहे का पिंजरा ही सिद्ध होते हैं। मुक्ति के लिए तो देवता को भी मनुष्य योनि में ही आना होता है। मनुष्य होने का अर्थ है दूसरों पर प्रभुत्व के भाव से ऊपर उठ जाना। वास्तव में आत्म प्रभुत्व ही मनुष्य होने का लक्षण है। वह देवों और असुरों से भिन्न एक दूसरी दिशा में विकास है।

अगर आज हम तीसरी दुनिया के साथ किसी विराट मानवीय संघर्ष की ओर जा रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि मनुष्यों की एकता के लिए देवों और असुरों के प्रभुत्वों की अकांक्षा को चुनौती देनी होगी। इस अभियान में मनुष्य सफल होता है तो वह भी एक तरह से धरती पर किसी ईश्वर के अवतरित होने की महान घटना होगी। नारायण के नर के रूप में प्रकट होने के बाद अब नर का नारायण रूप में प्रकट होना एक विरल, दुर्लभ सामाजिक रूपातन्तरण की घटना है। इसलिए हमें अपने सारतत्व के आधार पर एक नवीन सांस्कृतिक क्रान्ति करनी है इसके लिए हमें वेदों की ओर लौटना है,

उनकी पुनः व्याख्या करनी है और रेखांकित करना है कि असुरों का दमन करते समय जिन देवों की स्तुतियों की गई हैं वे वास्तव में मनुष्यों की ओर से की गई हैं। इस प्रकार हम राम के माध्यम से एक मनुष्य केन्द्रित दर्शन पर पहुँचते हैं। ये राम इसलिए प्रमुख हैं क्योंकि वे इस प्रकार भारत की आत्मा के प्रतीक हो जाते हैं। राम पहले ऐसे मनुष्य हैं जो अपने सामाजिक रूपतत्व को उपलब्ध करते हुए ईश्वर के समाज राजनीतिक अर्थों को उद्घाटित करते हैं।

हमें राम को सत्ता केन्द्रों में नहीं, सत्ता से निर्वासित हुए सामान्य मनुष्यों में खोजना होगा। राम वहीं होंगे जहां मानवीय संवेदना वाला हमारा नेतृत्व साधारण जनों के बीच सक्रिय दिखता होगा। राम तो अभी तक वनवासी हैं, वे अभी भी भटक रहे हैं, आदिवासियों में, या समाज के सीमांत पर जीने वालों के आस–पास कहीं गुपचुप गुमनाम जीते हुए। उन्हें उसी रूप में हमें खोजना होगा। वे वहां कहीं न कहीं अवश्य हैं नहीं तो हमारे सामान्य जन इतने विनम्र, इतने सुसंस्कृत, इतने श्रमशील, धैर्यवान और आस्थावान कैसे होते? उनके रक्त में छिपे किन्ही गहन जैव वनों में वे कहीं पर्णकुटी बनाकर बसे हुए ही मिलेंगे। वे हमें किसी राजगद्दी पर बैठे नहीं मिल सकते। जब तक हमारी चेतना रूपी सीता अपहृत है तो राम भला आसन पर कैसे विराजमान हो सकते हैं? वे तो निरन्तर संघर्ष रत हैं, सभी मनुष्यों में एक विश्वास जगाने में लीन है कि अगर हम सभी एक जुट हों तो उनके विकास पर कोई भी रावण उपहास या अट्टहास नहीं कर सकता और ध्यान दें सीता रूपी चेतना पर प्रश्न हैं यहां पर कि उस सीता को रहने के लिए अशोक वाटिका जो अनेक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, का प्रलोभन किया गया है बावजूद इसके वह क्यों बेचैन है वापिस आने के लिए? क्या है उसमें जो उसे अपहृत होने के बावजूद अपने पवित्र बने रहने का, पातिव्रत्य का, सतीत्व की रक्षा का अखण्ड संकल्प जगाता है।

भले ही राम के पुत्रों को अपने पिता राम को पराजय की दहलीज़ तक पहुँचाने का दायित्व अपने सिर पर उठाना पड़ता है। भले ही इस प्रक्रिया में राम की सीता चेतना को महान परीक्षाओं से होकर गुज़रना पड़ता है फिर भी राम ही सत्य, ज्ञान और कल्याण की कसौटी बनते हैं, ईश्वर तुल्य वहीं होते हैं।

राम को ईश्वर का पर्याय मानकर किसी गुत्थी का सुलझाने की कोशिश में अगर कोई अर्थ है तो वह आस्था का नतीजा नहीं बल्कि सामाजिक सारतत्व से उपजता है। समस्या यह नहीं कि राम क्योंकि पुरुष है इसलिए उनका हर कार्य उचित है। समस्या यह भी नहीं कि आज यदि हम आधुनिक हो गए हैं तो राम के ईश्वरत्व को समाप्त कर सकते हैं। दरअसल राम का ईश्वरत्व और उसका सामाजिक सारतत्व दो अलग अलग चीजें हैं। यदि हम राम के ईश्वरत्व को अवैज्ञानिक मानते हैं तो उसके सामाजिक सारतत्व से भी हाथ धो बैठते हैं। राम के द्वारा किए गए कार्यों की उदात्तता उनके

अवतारी पुरुष होने के कारण नहीं है बल्कि वे कार्य इसलिए अर्थपूर्ण व अंत प्रमाणित होते हैं क्योंकि उस विस्तृत युग का परिवेश विकास और रूपान्तरण के लिए नई दिशाएं खोजता है।

जहाँ तक राम के व्यक्तित्व का प्रश्न है वे पूरी रामकथा के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं को सामान्य भूमिका में रखते हुए स्थितियों को बदलते चले जाते हैं। यदि वे स्थितियों को दूर कर अपना काम करने देते हैं तो यह भी राम के दैवी और उदात्त रूप का ही एक हिस्सा है। उनका यही रूप उन्हें एक आधुनिक महानायक के रूप में, स्थितियों के अपने संश्लेष तक के निष्कर्ष के रूप में पुनः स्थापित कर सकता है।

आधुनिक हिन्दी लेखकों के द्वारा रामकथा के अनेक नवीन रूपान्तर उभारे गए हैं। उनके राम की उदात्तता का निरंतर विलोप होता गया है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि राम एक सामान्य संशयग्रस्त व्यक्ति की तरह चित्रित किए जाएं ताकि उनके व्यक्तित्व की आधुनिक जीवन से संगति बैठ सके। यह दिशा गंभीर समस्या का उथला समाधान ही प्रस्तुत करती है। वास्तव में प्रश्न दूसरा है जिससे जूझने की जरूरत है। रामकथा पढ़ते समय यह जरूरी नहीं कि हम एक धर्म संकट का अनुभव करें। जो माता–पिता आधुनिक होना चाहते हैं उनके सम्मुख यह प्रश्न है कि बच्चों को रामकथा पढ़ाई या पढ़ने दी जाए कि नहीं। अगर पढ़ाई जाए तो राम को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए स्वयं परमब्रह्म के रूप में, अवतारी रूप में, साधारण मानव के रूप में या इतिहास पुरुष के रूप में। वास्तव में कोई भी रूप या व्याख्या किसी दूसरे रूप की व्याख्या का खण्डन नहीं है। इसी में रामकथा की शक्ति और महत्व है।

वैज्ञानिकता और आधुनिकता के नाम पर रामायण के एक अर्थ का खण्डन उतना ही गैर जरूरी है जितना श्रद्धा या परम्परा के नाम पर उसकी दूसरी व्याख्याओं का विरोध। आज का प्रबुद्ध पाठक की इनमें से किसी भी प्रकार की संकीर्णता से बचना चाहेगा। उसकी प्रबुद्धता का प्रमाण यही होगा कि वह राम और रामकथा के स्वरूप व विकास का सही अर्थ लगाए, सही मूल्य आंके और समग्र भारतीय सभ्यता के आदि काव्य और गौरव ग्रंथ के रूप में उसे प्रतिष्ठित करे।

संदर्भः

1) रामकथाः एक पुनर्पाठ, डॉ॰ विनोद शाही, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2008.
2) तुलसीदासः एक पुनर्मूल्यांकन, अजय तिवारी, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2006.
3) मैथिलीशरण गुप्त और साकेत, प्रो॰ सूर्य प्रसाद दीक्षित, किताब घर प्रकाशन, दिल्ली, 2007.
4) तुलसी साहित्य में चरित्र सम्बन्धी अवधारणा, रेणु माहेश्वरी, सत्यम पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2005.
5) तुलसीः नव मूल्याकंन, डॉ॰ राम रत्न भटनागर, स्मृति प्रकाशन, इलाहाबाद, 1971.
6) रामकथा में जीवन मूल्य, अनिल कुमार मिश्र, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, 1991.
7) तुलसी पूर्व रामसाहित्य, डॉ॰ अमर पाल सिंह, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, 1968.
8) रामचरितमानस और कामायनी, मटुक नाथ चौधरी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2008.
9) साकेत में पूर्नजागरण का आंदोलन, जालिन्द्र इंगले, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, 2005.

सन् 1528 से आज तक हिन्दू समाज यदि श्रीराम जन्मभूमि के लिए लड़ता आ रहा है, तो उसका लक्ष्य धर्म के साथ अपने सांस्कृतिक सम्मान को वापस पाना है, जिसे एक विदेशी हमलावर ने पांच सौ साल पहले रौंद डाला था। यह आंदोलन हमारी संस्कृति और धर्म की स्वाधीनता के लिए है। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली। अगर धार्मिक स्वतंत्रता मिली होती तो श्रीराम मंदिर उसी समय बन गया होता। नहीं बना इसका मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी देश परतंत्र है। महर्षि अरविंद ने कहा था "जितना बड़ा आन्दोलन हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए करना पड़ा है, उससे भी बड़ा आन्दोलन सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए करना पड़ेगा।" वह आन्दोलन चला हुआ है और मुझे लगता है कि इस आन्दोलन की सफलता के बाद देश अपनी स्वाभाविक स्थिति में खड़ा हो जायेगा।

– अशोक सिंहल